# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

## SUMMARISED TRANSLATED VERSION
## OF

## 5th

## LOK SABHA DEBATES

चौथा सत्र
Fourth Session

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

[ खंड 16 में अंक 51 से 57 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 51 to 57 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

# विषय सूची/CONTENTS

अंक 55, मंगलवार, 30 मई, 1972/9 ज्येष्ठ, 1894 (शक)

*No. 55, Tuesday, May 30, 1972/ Jyaistha 9, 1894 (Saka)*

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 1041. रूस के साथ नया व्यापार समझौता | New Trade Agreement with USSR ... | 1 |
| 1042. अलाभकारी रेल मार्गों से 1971 में हुई हानि | Loss Suffered on Uneconomic Railway Lines during 1971 ... | 4 |
| 1044. केन्या से इण्डियन कन्सोर्शियम फोर पावर प्रोजेक्टस द्वारा प्राप्त निर्यात के आर्डर | Export Order Secured by Indian Consortium for Power Projects from Kenya ... | 6 |
| 1047. रेलवे में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान के परिणाम | Result of Drive against corruption in Railway ... | 7 |
| 1048. दिल्ली और मैसूर के बीच एक तेज डीजल गाड़ी चलाने का प्रस्ताव | Proposal for running a Fast Diesel Train between Delhi and Mysore ... | 10 |
| 1049. वैगनों की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में उद्योगों को संकट | Industries Facing Crisis in West Bengal due to Wagon Shortage ... | 11 |
| 1050. रेलवे द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाएं | Educational Institutions run by Railways ... | 14 |
| 1051. अजमेर डिवीजन (पश्चिमी रेलवे) के स्टेशन मास्टरों द्वारा काम-बन्दी | Stoppage of Works by Station Masters, Ajmer Division (Western Railway) ... | 15 |
| 1052. विद्युत संबंधी सभी मामलों के समन्वय के लिए अखिल भारतीय निकाय | All India Body to Coordinate all matters re-Power ... | 16 |

---

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 1053. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया का अपनाया जाना | Adoption of New Procedure for appointment of Judges in Supreme Court and High Courts ... | 19 |
| 1054. पोस्त के छिलके का निर्यात | Export of Poppy Husk ... | 21 |
| 1055. पेच और काबले के निर्माण के लिए रूसी इस्पात | Russian Steel for Manufacturing Nut-Bolts | 23 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

| | | |
|---|---|---|
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 1043. उत्तर रेलवे द्वारा ढोया गया माल | Goods Traffic Handled by Northern Railway ... | 23 |
| 1045. सेन्टियागो में 'अंकटाड' में नई विश्व आर्थिक प्रणाली बनाने के लिए भारत का सुझाव | Suggestion by India to Evolve New World Economic System at UNCTAD at Santiago ... | 24 |
| 1046. पश्चिम रेलवे में चोरी, हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं | Incidents of Theft, Murder, Loot and Dacoity on Western Railway ... | 28 |
| 1056. नमक के लिए विदेशों से आर्डर प्राप्त करने हेतु कार्यवाही | Steps to Secure Foreign Orders for Salt ... | 28 |
| 1057. पश्चिम बंगाल और बिहार को कोयले के लिए कम वैगनों का आबंटन | Allotment of Wagons for Coal to West Bengal and Bihar ... | 29 |
| 1058. अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को सांविधिक निकाय से परिवर्तित करना | Conversion of All India Handloom Board into a Statutory Body ... | 30 |
| 1059. कोका कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के मामलों के बारे में यूनुस समिति | Yunus Committee Re-Affairs of Coca-Cola Export Corporation ... | 30 |
| 1060. निर्यातोन्मुख उद्योगों के लिए रूसी सहायता | Soviet Assistance for Export Oriented Industries ... | 31 |
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 7861. पश्चिम रेलवे में ह्वील टायरों की कमी | Shortage of wheel Tyres on Western Railways ... | 31 |
| 7862. रुपये के भुगतान वाले देशों से इस्पात का आयात | Import of Steel from Rupee Payment Countries | 32 |
| 7863. रूस से अखबारी कागज का आयात | Import of Newsprint from USSR ... | 32 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 7864. यातायात और वाणिज्यिक विभागों (उत्तर रेलवे) के कर्मचारियों का निलम्बित किया जाना | Suspension of Employees of Traffic and Commercial Departments (Northern Railway) ... | 33 |
| 7865. दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात से होने वाली आय | Export Earnings of Handicrafts | 33 |
| 7866. बंगला देश से मछली का आयात | Import of Fish from Bangladesh ... | 34 |
| 7867. पंजाब में निर्यात क्षमता का सर्वेक्षण | Export Potential survey in Punjab ... | 34 |
| 7868. ट्रांजिस्टरों के निर्यात के लिए हांककांग से क्रयादेश | Export Order for Transistors from Hong Kong ... | 35 |
| 7869. आंध्र प्रदेश में रुई का मूल्य | Cotton price in Andhra Pradesh ... | 35 |
| 7870. निर्वाचन आयोग में कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना | Confirmation of Employees in Election Commission ... | 36 |
| 7871. बेकार घोषित किये गये वैगन | Wagons declared Obsolete ... | 37 |
| 7872. कोयले की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किये गये रेलवे कर्मचारी | Railway Employees arrested due to theft of Coal ... | 38 |
| 7873. श्रीलंका को संयंत्र सप्लाई करने के लिए परियोजना और उपकरण निगम को मिले निर्यात क्रयादेश | Export Orders received by Project and Equipment Corporation for supply of plant to Ceylon ... | 39 |
| 7874. स्थानांतरित विदेशी संयंत्रों का पंजाब में लगाया जाना | Installation of shifted Foreign Plants in Punjab ... | 40 |
| 7875. आंध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को सहायता | Assistance to Handloom Weavers of Andhra Pradesh ... | 40 |
| 7876. पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनावों के समय मत-पत्रों वाले लिफाफों को 'सील' न करने के बारे में निदेश देना | Issue of Instructions not to seal covers containing Ballot Papers during Elections to West Bengal Legislative Assembly ... | 40 |
| 7877. वरकाकाना, धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) के असिस्टेंट आपरेटिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा कोयला और सामान्य व्यापारिक माल के लिए माल डिब्बों का आबंटन | Allotment of Wagons for Coal and General Merchandise by Assistant Operating Superintendent, Barkakana, Dhanbad Division (Eastern Railway) ... | 41 |
| 7878. इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल सिग्नल मेनटेनर्स का 'काम के घंटे विनियमन' के अंतर्गत वर्गीकरण | Classification under Hours of Employment Regulation of Eiectrical/Mechanical Signal Maintainers ... | 42 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 7879. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक के लिए फ्लैट खरीदा जाना | Purchase of Flat by MMTC for Regional Manager | 42 |
| 7880. कपास का निम्नतम समर्थन मूल्य | Minimum Support Price of Cotton ... | 43 |
| 7881. विदेशों में मक्की के तेल की माँग | Demand of Maize Oil in Foreign Countries ... | 44 |
| 7882. सामान न चढ़ाने के लिए उदयपुर जिले के व्यापारियों से वसूल किया गया जुर्माना | Penalty Realised from Traders of Udaipur District for not Loading Goods ... | 44 |
| 7883. डाल्टनगंज से पटना तक सीधी रेलगाड़ी चलाया जाना | Introduction of a Direct Train from Daltonganj to Patna ... | 44 |
| 7884 पालामऊ को सरकार लूट रही है | Palamau Ko Sarkar Loot Rahi Hai ... | 45 |
| 7885. विकासशील देशों को अपनी एक प्रतिशत राष्ट्रीय आय देने का समृद्ध देशों का निर्णय | Decision of Affluent Countries to give one percent of their National Income to Developing Countries ... | 45 |
| 7886. विदेशी स्वामित्व वाले संयंत्रों का पिछड़े क्षेत्रों में स्थानान्तरण | Transfer of Foreign Owned Plant in Backward areas ... | 46 |
| 7887. भारत को विदेशी स्वामित्व वाले संयंत्रों का स्थानान्तरण | Transfer of Foreign Owned Plants to India ... | 46 |
| 7888. दक्षिण और पश्चिम रेलवे की अन्य जोनल रेलों से चोरियों तथा अन्य अपराधों की तुलना | Comparison of thefts and Other Crimes of Southern and Western Railway with other Zonal Railways ... | 46 |
| 7889. केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा रजिस्टर किए गए जाली नामों पर आयात लाइसेंस लेने के मामले | Cases of Import Licences on Fictitious Names Registered by C. B. I. ... | 47 |
| 7890. भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सुविधाएं | Facilities for Export of Indian Films | 47 |
| 7891. अखबारी कागज का आयात | Import of Newsprint ... | 47 |
| 7892. ब्यास बाँध के इंजीनियरों द्वारा आविष्कृत बेल्ट क्रेट | Belt Crete invented by Engineers of Beas Dam ... | 49 |
| 7893. पांडिचेरी में कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल | Strike by Textile Workers in Pondicherry ... | 49 |
| 7894. भारतीयों द्वारा विदेशों में होटलों की स्थापना | Indians to set up Hotels in Foreign Countries | 49 |
| 7895. चाय की उत्पादन लागत और उपज दर | Cost of Production and yieldrate of Tea ... | 50 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | | |
|---|---|---|
| 7896. ईरान में एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज द्वारा एक एकक की स्थापना | Setting up of a Unit by Atlas Cycle Industries in Iran ... | 50 |
| 7897. परसौनी रेल स्टेशन के निकट रेलवे क्रासिंग परियोजना के लिए वर्ष 1960 में भूमि का अधिग्रहण किया जाना | Acquisition of Land in 1960 for Railway Crossing Project near Parsouni Railway Station ... | 51 |
| 7898. उत्तर प्रदेश में रुई के मूल्य में गिरावट | Decline in price of cotton in U. P. ... | 51 |
| 7899. त्रिपुरा में कपास का मूल्य | Price of Cotton in Tripura ... | 51 |
| 7900. कपास का समान मूल्य | Uniform Price of Cotton ... | 52 |
| 7901. सरकार द्वारा फालतू कपास का खरीदा जाना और उसके मूल्यों पर प्रभाव | Purchase of surplus Cotton by Government and its effect on Prices ... | 53 |
| 7902. इज्जत नगर (पूर्वोत्तर रेलवे) के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बाढ़ अग्रिम राशि का दिया जाना | Grant of Flood Advances to Class III and IV employees of Izatnagar (North Eastern Railway) ... | 53 |
| 7903. चालू वर्ष में काजू का निर्यात | Export of Cashewnuts during current year ... | 53 |
| 7904. फिल्मों के आयात के लिए नई नीति | New policy regarding import of films ... | 55 |
| 7905. रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल खोलने का ठेका | Contracts for opening book Stalls at Railway stations ... | 55 |
| 7906. रेलवे स्टेशनों पर नए बुक स्टाल खोलना | Opening of New Book Stalls at Railway Stations ... | 56 |
| 7907. फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना | Rural Electrification Scheme for Phoolpur Constituency ... | 56 |
| 7907. गोडवा ग्राम में एक नाले के तटबन्ध का निर्माण | Construction of Embankment on a Nulah in Godwa Village ... | 56 |
| 7909. विभिन्न रेलवे के मुख्य कार्यालयों का अन्य स्थानों पर ले जाया जाना | Shifting of Headquarters Offices of various Railways to Different Places ... | 57 |
| 7910. समूचे वर्ष राजस्थान नहर में पानी देना | Steps to provide Water to Rajasthan Canal round the year ... | 57 |
| 7911. दक्षिण रेलवे में माल की चोरी | Theft of Goods on Southern Railway ... | 58 |
| 7912. पूर्वी रेलवे में जंजीर खींचकर रेलगाड़ी रोकने की घटनायें | Incidents of Chain Pulling of Eastern Railway ... | 58 |
| 7913. भारत पाकिस्तान में हुए गत युद्ध के कारण भारतीय रेलों को हानि | Loss to Indian Railways due to last Indo-Pak war ... | 58 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 7914. मध्य रेलवे में कर्मचारियों को स्थायी किया जाना | Confirmation of Staff on Central Railway ... | 59 |
| 7915. सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में जलाशयों और अवरोधी बाँधों का निर्माण | Construction of Reservoirs and Check Dams in Drought Prone Areas ... | 59 |
| 7916. चीनी मिल की मशीनों का निर्यात | Export of Sugar Mill Machinery ... | 60 |
| 7917. टंगटूर और सिंहरायाकोंडा रेलवे स्टेशनों (दक्षिण मध्य रेलवे) के बीच काली किवाया बिट्रागुंटा के निकट हाल्ट/रेलवे स्टेशन | Halt/Railway Station near Kalikivaya Bitragunta between Tanguture and Singarayakonda Railway Stations (South Central Railway) ... | 61 |
| 7918. कावली उदयगिरि रोड (दक्षिण मध्य रेलवे) के रेलवे फाटक पर नीचे के/ऊपरी पुल का निर्माण | Construction of an under/over Bridge at Railway Level Crossing of Kavali-Udaya Giri Road (South Central Railway) ... | 61 |
| 7919. आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में गण्डीपलेम परियोजना | Gandipalem Project in Nellore District (Andhra Pradesh) ... | 61 |
| 7920. इलाहाबाद, पटना और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करने के बाद अपनी जन्म तिथि बदलना | Change of Initial Ages by Judges of Allahabad, Patna and Calcutta High Courts after Elevation to the Bench ... | 62 |
| 7921. रेलवे के प्रथम श्रेणी के कोच अटेंडेंटों की सेवा की शर्तें | Service Conditions of First Class Coach Attendants on Railways ... | 62 |
| 7922. इलाहाबाद, गोरखपुर और लखनऊ डिवीजनों में बिना टिकट यात्रा की घटनाएं | Incidents of Ticketless Travelling in Allahabad, Gorakhpur and Lucknow Division ... | 63 |
| 7923. उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियों का ठीक समय पर चलना | Punctual running of Trains on Northern and North Eastern Railway ... | 63 |
| 7924. देश में कुल सिंचित भूमि | Total Acreage of Irrigated Area in Country ... | 64 |
| 7925. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को आयातित रुई का आबंटन | Allocation of Imported Cotton to MP and UP ... | 65 |
| 7926. मध्य प्रदेश से निर्यात | Exports from Madhya Pradesh ... | 65 |
| 7927. आमों और केलों का निर्यात | Export of Mangoes and Bananas ... | 65 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 7928. | वर्ष 1971-72 के दौरान बिहार में गिरफ्तार किये गए बिना टिकट यात्री | Ticketless Passengers Arrested in Bihar during 1971-72 ... | 66 |
| 7929. | अभ्रक का निर्यात | Export of Mica ... | 66 |
| 7930. | मै० हिन्दुस्तान एम्ब्रायडरी मिल्स, छैहरटा का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना | Take over of M/s Hindustan ambroidery Mills Chheharta (Punjab) ... | 66 |
| 7931. | परेल बम्बई स्थित पुराने वर्कशाप का इटारसी (मध्य रेलवे) को स्थानान्तरण | Shifting of Old Workshop at Parel (Bombay) to Itarsi (Central Railway) ... | 67 |
| 7932. | उज्जैन-आगर छोटी लाइन को मीटर गेज लाइन में बदलना | Conversion of Ujjain-Agar Narrow Gauge into Metre Gauge ... | 67 |
| 7933. | पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा लाया तथा ले जाया गया माल तथा उससे अर्जित आय | Goods Traffic handled and Revenue Earned by North Eastern Railway ... | 67 |
| 7934. | हीरों को तराशने संबंधी विदेशी क्रया-देशों को पूरा करने के लिए कार्यवाही | Steps to meet Foreign Orders for Cutting Diamonds ... | 68 |
| 7935. | टिकट खिड़कियों (दक्षिण रेलवे) पर पंक्ति की व्यवस्था | Queue system at Ticket Counters (Southern Railway ... | 68 |
| 7936. | मद्रास स्टेशन पर सीटों का आरक्षण | Reservation of Berths at Madras Station ... | 69 |
| 7937. | केनिया में भारत द्वारा तीन विद्युत एककों का निर्माण करना | India to build Three Power Units in Kenya ... | 70 |
| 7938. | मालक्का की खाड़ी के बारे में इंडोनेशिया, मलेयेशिया और सिंगापुर द्वारा अपनाये गये रवैये के परिणाम-स्वरूप सुदूर पूर्व के देशों के साथ व्यापार पर प्रभाव | Effect on Trade with Far East Countries as a result of stand taken by Indonesia, Malaysia and Singapore re. Malacca Straits ... | 71 |
| 7939. | वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप द्वारा 2600 हार्स पावर के इंजनों का उत्पादन | Production of 2600 HP Engines by Diesel Loco motive Works, Varanasi ... | 71 |
| 7940. | पटसन जाँच समिति | Jute Inquiry Committee ... | 72 |
| 7941. | मालगाड़ियों के गार्डों और ड्राइवरों के कार्य के घण्टे | Duty Hours of Guards and Drivers of Goods Trains ... | 72 |
| 7942. | पटसन मण्डी में प्रवेश के लिए महत्व-कांक्षी कार्यक्रम | Ambitious Programme to enter Jute Market | 72 |
| 7943. | मध्य प्रदेश में रेल लाइनों का बिछाया जाने का कार्य | Work on Laying of Railway Lines in Madhya Pradesh ... | 73 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 7944. | बंगला देश के साथ व्यापार का विकास करने के लिए पश्चिम बंगाल में 'स्पेशल सैल' की स्थापना | Setting up of 'Special Cell' in West Bengal to Develop Trade with Bangla desh ... | 73 |
| 7945. | चौथी योजना में 7 प्रतिशत निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीति | Policy for achieving Export Growth Target of 7 Per cent during Fourth Plan ... | 74 |
| 7946. | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में कमी | Reduction in Size of a Parliamentary Constituency ... | 74 |
| 7947. | व्यापार नीति और निर्यात संवर्धन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम | International Programme on Trade Policy and Export Promotion ... | 75 |
| 7948. | खराद मशीनों का निर्यात | Export of Lathes ... | 75 |
| 7949. | लखनऊ (उत्तर रेलवे) के डिविजनल कार्यालय में सिगनल खलासियों के पदों पर अनुसूचित जातियों के लोगों की नियुक्ति | Appointment of Scheduled Castes Signal Khalasis in Divisional Offices, Lucknow (Northern Railway) ... | 76 |
| 7950. | उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण | Rural Electrification in UP ... | 76 |
| 7951. | विदेशों के लिए रेलवे वैगन | Railway Wagons for Foreign Countries ... | 76 |
| 7952. | भारतीय काजू की माँग | Demand for Indian Cashewnuts ... | 77 |
| 7453. | राष्ट्रीय जल ग्रिड द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करने की व्यवस्था | National Water Grid to Provide Irrigation Facilities to Drought Affected Areas ... | 77 |
| 7954. | उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि | Increase in strength of Judges of Supreme Court ... | 78 |
| 7955. | संविधान का मराठी में अनुवाद | Translation of the Constitution in Marathi ... | 78 |
| 7956. | परिवहन और संचार के बारे में 'अंकटाड' की छठी समिति के प्रस्ताव | Proposals at Sixth Committee of UNCTAD re. Transport and Communication ... | 79 |
| 7957. | गौरीपुर (पूर्व रेलवे) में कोयला उतारने के लिए यार्ड | Coal Unloading Yard at Gouripur (Eastern Railway) ... | 79 |
| 7958. | गंगा के जल के बारे में मंजूर की गई प्रवाह के विपरीत स्थित (अप-स्ट्रीम) परियोजनाएँ | Upstream Projects sanctioned on Ganga Water ... | 79 |
| 7959. | मध्य प्रदेश में जल संसाधनों का उपयोग | Tapping of water Resources in Madhya Pradesh ... | 80 |
| 7960. | बिजली का उत्पादन | Generation of Power ... | 80 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


7961. नेपाल से स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील से तैयार वस्तुओं का आयात — Import of Stainless Steel and Finished Goods from Nepal ... 81

7962. चोरी के मामलों में दोषी टिकट निरीक्षक/चल टिकट परीक्षक/परिचारक (दक्षिण रेलवे) — Ticket Checkers/TTEs/Attendants involved in Theft Cases (Southern Railway) ... 81

7963. डिवीजनल कार्यालय, दिल्ली और मुरादाबाद (उत्तर रेलवे) के उन कर्मचारियों की मुअत्तिली की अवधि को ड्यूटी की अवधि मानना जिन्होंने 1965 में हड़ताल की थी — Treatment of Suspension period of Employees of Divisional Offices, Delhi and Moradabad (Northern Railway) who had gone on Strike in 1965 ... 82

7964. राज्य विधान सभाओं के चुनावों के बाद चुनाव याचिकाओं का दाखिल करना — Filing of Election Petitions after Elections to State Legislative Assemblies ... 82

7965. कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) की हड़ताल की अवधि को नियमित करना — Regularisation of Strike period of Employees (Eastern Railway) ... 83

7966. पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में ट्रैफिक लोको और सी० एण्ड डबल्यू० विभागों में स्थानापन्न व्यक्तियों की नियुक्ति की कसौटी — Criteria for appointment of substitute in Traffic, Loco and C & W Deptt. Dhanbad Division (Eastern Railway) ... 84

7967. धनबाद और गोमोह स्टेशनों के गार्डों तथा एसिस्टेंट स्टेशन मास्टरों का समयोपरि मील भत्तों का भुगतान — Payment of Overtime, Mileage Allowance to Guards and Assistant Station Masters Dhanbad and Gomoh Stations ... 84

7968. पश्चिम रेलवे प्रशिक्षण विद्यालय, उदयपुर में प्रशिक्षकों की भर्त्ती संबंधी नियम — Rules for recruitment of Instructors in Western Railway Training School, Udaipur ... 85

7969. वैगनों की कमी के कारण उदयपुर में जमा जस्ता और सुपर फास्फेट — Zinc and Super Phosphate accumulated at Udaipur due to Wagon shortage ... 85

7970. उदयपुर जिले में रेलवे स्टेशनों को बिजली देना — Electrification of Railway Stations in Udaipur District ... 86

7971. किसानों को बिजली की सप्लाई — Supply of Electricity to Farmers ... 86

7972. यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए चलाई गई विशेष रेलगाड़ियों का देर से चलना — Late running of Special Trains to clear rush of Passengers ... 86

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 7973. प्राथमिकता देने संबंधी सामान्य योजना के बारे में अमरीकी कानून | US Legislation for Generalised Scheme of Perferences ... | 87 |
| 7974. प्राकृति रबड़ का निर्यात | Export of Natural Rubber ... | 87 |
| 7975. रबड़ का आरक्षित भंडार | Buffer Stock of Rubber ... | 87 |
| 7976. रेलवे स्टेशन पोर्टर्ज कोआपरेटिव लेबर कोन्ट्रैक्ट सोसायटी, इलाहाबाद के नाम जारी किये गये पासों की संख्या | Number of Cheque Passes issued in favour of Railway Station Porters Cooperative Labour Contract Society, Allahahad ... | 88 |
| 7977. केरल के मुख्य निर्यात | Main Exports from Kerala ... | 88 |
| 7978. बड़े निर्यात गृहों द्वारा लघु उद्योग निर्यात कर्त्ताओं को दिये गये निर्यात प्रोत्साहन लाइसेंसों का उपयोग | Export Incentive Licences given to Small Scale Exporters being utilised by Large Export Houses ... | 89 |
| 7979. पूर्व क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के अनुमान से बिजली की आवश्यकता | Requirement of Power estimated by Eastern Regional Electricity Board ... | 89 |
| 7980. भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर संचार विभागों के कर्मचारियों की माँगों के संबंध में लिया गया निर्णय | Decision on Demands of Staff of Signal and Telecommunication Department of Indian Railways ... | 89 |
| 7981. रेलवे दुर्घटना जाँच समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति | Implementation of recommendations of Railway Accidents Inquiry Committee ... | 90 |
| 7982. भारत-नेपाल संयुक्त पुनरीक्षण समिति की स्थापना | Setting up a Indo-Nepal Joint Review Committee ... | 90 |
| 7983. भारतीय रेल उपस्करों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दक्षिण अमरीका को प्रतिनिधि मंडल का भेजा जाना | Delegation to South America for Exploring market for Indian Railway Equipments ... | 90 |
| 7984. रामकोला और पथरौना (पूर्वोत्तर रेलवे) स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी और बस में टक्कर | Collision of a Goods Train and a Bus between Ramkola and Padrauna Stations (North Eastern Railway) ... | 91 |
| 7985. भारत में बने बिजली के पंखों के लिए विदेशी मंडियाँ | Foreign Market for Indian made Electric Fans ... | 91 |
| 7986. न्याय व्यवस्था में सुधारों के लिए सुझाव | Suggestions for reforms in Legal system ... | 92 |
| 7987. इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन तथा पटसन मजदूर संघों के बीच समझौता | Agreement between IJMA and Unions of jute Workers | 92 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 7988. | ईश अलाय स्टील प्राइवेट लि० तथा पुरषोत्तम ट्रेडर्स, इन्दौर के लिए आयात लाइसेंस | Import Licences for Ish Alloy Steel Private and Purushottam Traders, Indore ... | 93 |
| 7989. | धनबाद रेलवे स्टेशन (बिहार) में प्रदर्शन और धरना | Demonstration and Dharna Stages at Dhanbad Railway Station (Bihar) ... | 93 |
| 7990. | चिली में 'अंकटाड' के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का गठन | Composition of Indian Delegation at UNCTAD in Chile ... | 93 |
| 7991. | कालगेट पामोलिव कम्पनी द्वारा डी-कैल्शियम फास्फोट और आयरिश मास एक्सट्रैक्ट का आयात | Import of Dicalcium Phosphate and Irish Moss Extract by Colgate Palmolive Company ... | 94 |
| 7992. | रेलवे के सामान की बड़े पैमाने पर चोरी | Huge Pilferage of Railway Goods ... | 94 |
| 7993. | केन्द्रीय खजाने से चाय निर्यातकों को छूट की राशि का भुगतान | Rebate Payment to Tea Exporters from Central Exchequer ... | 95 |
| 7994. | विदेशों में चाय संवर्धन पर व्यय | Expenditure on Tea Promotion Abroad ... | 95 |
| 7995. | लन्दन में 'टी सेन्टर' पर व्यय | Expenditure on Tea Centre in London ... | 96 |
| 7996. | मेलबोर्न में चाय केन्द्र खोलना | Opening of Tea Centre in Melbourne ... | 96 |
| 7997. | देहरी-आन-सोन स्टेशनों के लिए पहले और तीसरे दर्जे के आरक्षण कोटे में वृद्धि | Increase in Quota of Reservation for First and Third Class for Dehri-on-Sone Station ... | 97 |
| 7998. | बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र में रेलवे लाइन | Railway Line in Chhotanagpur region of Bihar ... | 98 |
| 7999. | मेरल, गडवा और गडवा रोड स्टेशनों से दिल्ली के लिए टिकटों की बिक्री | Sale of Tickets at Meral, Gerhwa and Garhwa Road Stations for Delhi ... | 98 |
| 8000. | कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा रेल वैगनों के लिए अनुरोध | Calcutta Metropolitian Development Authority request for Wagons ... | 98 |
| 8001. | मध्य रेलवे में सामान की नीलामी से संबंधित विवादों का न्यायलय में ले जाया जाना | Cases Filed in Courts due to Auction of Goods on Central Railway ... | 99 |
| 8002. | भिण्ड तथा मुरैना जिलों में चम्बल की नहरों से सींची जाने वाली भूमि | Acreage of Land in Bhind and Morena Districts irrigated by Chambal Canals ... | 99 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 8003. देश में गाँवों का विद्युतीकरण | Electrification of Villages in the Country ... | 99 |
| 8004. प्लेइंग कार्डों (ताश) का आयात | Import of Playing-Cards ... | 100 |
| 8005. पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी के कारण पटसन की निर्यात आय में कमी | Loss of Jute Export Earning due to power shotage in West Bengal ... | 100 |
| 8006. निजी साईडिंग्ज के मालिकों के साथ किए गए करार की क्रियान्विति में विलम्ब | Delay in Execution of Agreement with Private Sidings | 100 |
| 8007. फतेहपुर स्टेशन पर खोंमचे वालों का ठेका समाप्त करना | Termination of Vending Contract at Fatehpur Station | 101 |
| 8008. इंस्पेक्शन कैरिज में रहने के बारे में नियम | Rules for Stay in Inspection Carriages ... | 101 |
| 8009. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा फिल्मों का निर्यात | Export of Films through IMPEC ... | 102 |
| 8010. सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की राज भाषा कार्यान्वयन समिति | Language Implementation Committee of Ministry of Irrigation and Power ... | 102 |
| 8011. गया जंकशन जाने वाले यात्रियों पर तीर्थ यात्रा कर | Pilgrimage Tax on Passengers for Gaya Junction | 103 |
| 8012. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का विकेन्द्रीकरण | Decentralisation of CWPC Administration | 104 |
| 8013. पश्चिमी रेलवे के प्रभागीय कार्यालयों में क्लर्कों तथा टाइपिस्टों की कमी | Shortfall of Clerks and Typists in Divisional Offices (Western Railway) | 104 |
| 8014. बिहार के बुनकरों की कठिनाइयाँ | Plight of Bihar Weavers | 104 |
| 8015. दक्षिण पूर्व रेलवे के रामगढ़ और बिलासपुर रेलवे स्टेशनों के बीच गैंगमैनों के लिए पेय जल की सुविधायें | Drinking Water Facilities for Gangmen between Ramgarh and Bilaspur Station (South Eastern Railway) | 105 |
| 8016. बिलासपुर डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) प्राइवेट ठेकेदार को कार्य हस्तांतरित किए जाने के फलस्वरूप नैमित्तिक श्रमिकों की छटनी | Retrenchment of Casual Labourers Consequent on Transfer of work to Private Contractors,Bilaspur Division (South Eastern Railway) ... | 105 |
| 8017. बिलासपुर डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति | Promotion of Scheduled Caste Class IV Employees to Class III, Bilaspur Division (South Eastern Railway ... | 106 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 8018. | अँगूरों का निर्यात | Exports of Grapes ... | 106 |
| 8019. | गुन्टकल-मैसूर रेल कार सेवा आरम्भ करना | Introduction of Guntakal-Mysore Rail Car Service ... | 107 |
| 8020. | गाजियाबाद में कविनगर अथवा राजनगर के आसपास एक स्थानीय रेलवे स्टेशन का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव | Proposal to Construct a Local Railway Station near about Kavinagar or Raj Nagar in Ghaziabad ... | 107 |
| 8021. | जयपुर में नए रेल स्लीपरों की चोरी | Theft of New Railway Sleepers at Jaipur ... | 107 |
| 8022. | रेलवे में घातक दुर्घनाएँ | Fatal Accidents on Railways ... | 108 |
| 8023. | लखनऊ डिवीजन (उत्तर रेलवे) के स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों का बड़ी संख्या में स्थानान्तरण | Mass Transfers of Station Masters and Assistant Station Master, Lucknow Division (Northern Railway) ... | 108 |
| 8024. | पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के सचिव का मण्डल अधीक्षक समीस्तीपुर को खुला पत्र | Open Letter by Secretary North Eastern Railway Mazdoor Union to Divisional Superintendent, Samastipur ... | 109 |
| 8025. | तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत 'कमान्ड' क्षेत्र विकास योजना | Command Area Development Scheme Under Tungabhadra Project ... | 109 |
| 8026. | आन्ध्र प्रदेश में निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन | Production of Exportable Commodities in Andhra Pradesh ... | 110 |
| 8027. | रायलसीमा के सूखा पीड़ित जिलों में सिंचाई सुविधा | Irrigation facility to drought affected District of Rayalaseema ... | 110 |
| 8028. | आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं की केन्द्र द्वारा मंजूरी | Centre's approval to irrigation Project in AP ... | 111 |
| 8029. | उन भारतीय नागरिकों जिनकी सम्पत्ति पाकिस्तान में जब्त करली गई है, को अनुग्रह पूर्वक अनुदान दिया जाना | Payment of Ex-gratia grants to Indian citizens whose properties were seized in Pakistan | 111 |
| 8030. | न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार | Alleged corruption in Judiciary ... | 112 |
| 8031. | आराम कक्षों और शयन कक्षों के भिन्न किराये | Different charges for Retiring Rooms and Dormitory type of accommodation | 112 |
| 8032. | केरल के काजू परिष्करण कारखानों में हड़ताल | Strike in cashew factories in Kerala | 113 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 8033. दक्षिण रेलवे में कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिक | Casual labourers working on Southern Railway ... | 113 |
| 8034. केरल के अभ्यर्थियों के लिए कोचीन में एक पृथक रेलवे सेवा आयोग | Independent Railway Service Commission at Cochin for candidates from Kerala | 113 |
| 8035. रंगमहल और पीली बंगा (उत्तर रेलवे) के बीच एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण | Construction of a new Railway Station Between Rangmahal and Pili Bangan Railway Stations (Northern Railway) ... | 114 |
| 8036. अभ्रक उद्योग में संकट | Crisis in Mica Industry ... | 114 |
| 8037. काँडला पत्तन में किया जाने वाला वार्षिक व्यापार तथा नये निर्बाध व्यापार क्षेत्र के लिए कार्यवाही | Annual Trade Transacted by Kandla Port and steps taken to set up New Free Trade Zone ... | 115 |
| विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में | Re. Question of Privilege ... | 116 |
| (प्रश्न) | (*Query*) ... | 116 |
| सत्रावधि बढ़ाया जाना | Extension of Session ... | 116 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers laid on the Table ... | 117 |
| प्राक्कलन समिति | Estimated Committee ... | 120 |
| कार्यवाही सारांश | Minutes ... | 120 |
| राज्य सभा से संदेश | Massage from Rajya Shabha | 120 |
| नियम 377 के अधीन मामला | Matters under Rules 377 | 121 |
| (एक) ताप बिजली घर का (कटिहार) से प्रस्तावित स्थानान्तरण | (i) Proposed shifting of Thermal power Station from Kalihar | 121 |
| (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, में अनियमितताएं | (ii) Irregularities in Indian Institute of Technology, Delhi | 121 |
| अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक | Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provisions Bill | 122 |
| संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत | Motion to refer to Joint Committee—adopted | 125 |
| कराधान विधि (जम्मू कश्मीर पर विस्तार) विधेयक | Taxation Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Bill ... | 125 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider ... | 125 |
| श्री के० आर० गणेश | Shri K. R. Ganesh ... | 125 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S. M. Banerjee ... | 126 |
| श्री इन्द्र जे० मल्होत्रा | Shri Inder J. Malhotra ... | 126 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee ... | 127 |
| श्री जी० विश्वनाथन् | Shri G. Viswanathan ... | 127 |
| श्री एस० ए० शमीम | Shri S. A. Shamim ... | 128 |
| श्री दशरथ देब | Shri Dasratha Deb | 129 |
| खंड 2 से 4 और 1 | Clauses 2 to 4 and 1 ... | 130 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to pass | 130 |
| दिल्ली भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक | Delhi Lands (Restrictions on Transfer) Bill | 130 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider | 130 |
| श्री आई० के० गुजराल | Shri I. K. Gujral ... | 130 |
| श्री वीरेन दत्त | Shri Biren Dutta ... | 132 |
| श्री इसहाक संम्भली | Shri Ishaq Sambhali ... | 133 |
| श्री टी० एस० लक्ष्मणन | Shri T. S. Lakshmanan ... | 133 |
| श्री आर० डी० भंडारे | Shri R. D. Bhandare ... | 133 |
| खंड 2 से 11 और 1 | Clauses 2 to 11 and 1 ... | 135 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to Pass ... | 136 |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee ... | 137 |
| श्री आई० के० गुजराल | Shri I. K. Gujral ... | 137 |
| नियम 388 के अधीन प्रस्ताव | Motion under Rule 388 ... | 138 |
| साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक के संबंध में नियम 74 का निलम्बन | Suspension of Rule 74 in respect of General Insurance Business(Nationalisation) Bill ... | 139 |
| साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक | General Insurance Business (Nationalisation) Bill ... | 142 |
| संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत | Motion to refer to Joint Committee—Adopted | 145 |
| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक | University Grants Commission (Amendment) Bill ... | 146 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider ... | 146 |
| प्रो० एस० नूरुल हसन | Prof. S. Nurul Hasan ... | 146 |
| श्री जगदीश भट्टाचार्य | Shri Jagadish Bhattacharyya ... | 148 |
| श्री एच० एन० मुकर्जी | Shri H. N. Mukerjee ... | 148 |
| श्री वाई० एस० महाजन | Shri Y. S. Mahajan ... | 149 |
| श्री आर० पी० उलगनम्बी | Shri R. P. Ulaganambi ... | 150 |
| श्री शिवनाथ सिंह | Shri Shivnath Singh ... | 150 |
| खंड 2 से 10 और 1 | Clauses 2 to 1o and 1 ... | 152 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to Pass | 152 |
| अवक्रय विधेयक | Hire Purchase Bill | 152 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में | Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ... | 152 |
| श्री नीतिराज सिंह चौधरी | Shri Nitiraj Singh Chaudhary ... | 152 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | Shri Somnath Chatterjee ... | 153 |
| नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया के मुख्य कोषाध्यक्ष द्वारा श्री नागरवाला को 60 लाख रुपये के कथित भुगतान के बारे में चर्चा | Discussion realleged payment of Rs. 60 lakhs to Shri Nagarwala by Chief Cashier of State Bank of India, New Delhi ... | 153 |
| श्री ज्योतिर्मय बसु | Shri Jyotirmoy Bosu ... | 154 |
| श्री एच० के० एल० भगत | Shri H. K. L. Bhagat ... | 156 |
| श्री एच० एन० मुकर्जी | Shri H. N. Mukerjee ... | 157 |
| श्री वसन्त साठे | Shri Vasant Sathe ... | 158 |
| श्री के० मनोहरन | Shri K. Manoharan ... | 159 |
| श्री विक्रम महाजन | Shri Vikram Mahajan ... | 161 |
| श्री जगन्नाथ राव जोशी | Shri Jagannathrao Joshi ... | 161 |
| श्री बी० के० दासचौधरी | Shri B. K. Daschowdhury ... | 162 |
| श्री श्यामनन्दन मिश्र | Shri Shyamnandan Mishra ... | 163 |
| श्री सी० एम० स्टीफन | Shri C. M. Stephen ... | 164 |
| श्री एच० एम० पटेल | Shri H. M. Patel ... | 165 |
| श्री यशवन्तराव चव्हाण | Shri Yeshwantrao Chavan ... | 166 |

लोक सभा

LOK SABHA

**मंगलवार**, 30 **मई**, 1972/9 **ज्येष्ठ**, 1894 (**शक**)
*Tuesday, May* 30, 1972/*Jyaistha* 9, 1894 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई ।
*The Lok Sabha met at two minutes past Eleven of the Clock.*

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । ]
[ MR. SPEAKER *in the Chair.* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**अध्यक्ष महोदय** : श्री एस० एम० बनर्जी ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : महोदय, प्रश्न आरम्भ करने से पूर्व क्या मैं स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर के बारे में कुछ कहने की अनुमति देने का आप से अनुरोध कर सकता हूँ ? वह एक महान पुरुष थे और सम्पूर्ण भारत में उनका सम्मान किया जाता था । वह आठ वर्षों तक राज्य सभा के सदस्य रहे । मैं जानता हूँ कि इसमें व्यवहारिक कठिनाई है परन्तु वह लोक सभा और राज्य सभा से ऊपर थे । अत: क्या आप हमें कुछ कहने की अनुमति दे सकते हैं । (**व्यवधान**) वह मीना कुमारी से अधिक महान थे ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला नहीं आना चाहिये; इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा ।

### रूस के साथ नया व्यापार समझौता

+

*1041. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के मध्य हाल ही में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

(क) तथा (ख). मई, 1972 के प्रथम सप्ताह में विदेश व्यापार मंत्री के मास्को दौरे के दौरान सोवियत संघ के साथ 1972 के लिये व्यापार योजना को अन्तिम रूप दिया गया था । इस व्यापार योजना की मुख्य बातें निम्नोक्ति प्रकार हैं :

(1) उर्वरक, मिट्टी का तेल, अलौह धातुओं, अखबारी कागज और एस्वेस्टस की सप्लाई बढ़ाने के लिये भारत ने सोवियत संघ से जो अनुरोध किया था उसे सोवियत संघ ने मान लिया है ।

(2) भारत उपभोक्ता वस्तुओं, अर्थात् सिले-सिलाये परिधान, हस्तशिल्प की वस्तुओं, प्रक्षालक, अंगराग सामग्री, तम्बाकू, तेल रहित खली, अरंडी का तेल और चाय की अधिक सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है । सोवियत संघ को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में मोटरगाड़ी के सहायक पुर्ज़े, लिनोलियम और मैग्नेटिक टेप्स जैसी नयी वस्तुएँ भी शामिल हो गई हैं ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : महोदय विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उर्वरक, मिट्टी का तेल, अलौह धातुओं, अखबारी कागज और एस्वेस्टस की सप्लाई बढ़ाने के लिए भारत ने सोवियत संघ से जो अनुरोध किया था उसे सोवियत संघ ने मान लिया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये वस्तुएँ रूस से किन शर्तों के अन्तर्गत मँगाई जायेंगी ।

**श्री ललित नारायण मिश्र** : रुपये में भुगतान, आस्थगित भुगतान की शर्तों के अन्तर्गत इन वस्तुओं का आयात किया जायेगा । हम भी सामान्य शर्तों के अन्तर्गत, जो हमने दिसम्बर, 1970 में अपनी पंचवर्षीय योजना-व्यापार समझौता-बनाते समय स्वीकार की थीं, रूस को कुछ वस्तुओं का निर्यात करते हैं ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समझौते के पश्चात् रूस को हम जो वस्तुएँ भेजना चाहते हैं उनके निर्यात में 1971 की तुलना में कितनी वृद्धि होगी ?

**श्री ललित नारायण मिश्र** : 1971 की तुलना में लगभग 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये । कुल निर्यात 263 करोड़ रुपये का होगा और आयात 124 करोड़ रुपये का होगा । इस प्रकार कुल 387 करोड़ रुपये का आयात-निर्यात होगा । निर्यात में लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये की कुल वृद्धि होगी ।

**श्री पी० एम० मेहता** : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि हाल के वर्षों में रूस से मशीनों का आयात इस कारण कम हो गया है कि हमारा देश अधिका-

धिक आत्म-निर्भर हो रहा है ? अब रूस हमारे देश को विशेष आधुनिक संयंत्र बेच कर इस प्रवृत्ति को बदलना चाहता है । यदि हाँ, तो ऐसे कौन से विशेष संयंत्र हैं और गतवर्ष कितने मूल्य के संयंत्रों का आयात किया गया ?

**श्री ललित नारायण मिश्र :** हम अपने इस्पात, भारी इंजीनियरी और बिजली संयंत्रों के लिए रूस से संयंत्रों और मशीनों का आयात करते हैं। यह कहना उचित नहीं है कि रूस अपनी कुछ फालतू मशीनों से छुटकारा पाने हेतु इनको लेने के लिए हमें कह रहा है । वास्तव में भारत सरकार रूस से हमें ऐसे संयंत्र देने के लिए कहती रही है जो हम नहीं बनाते या जो हम अन्य देशों से प्राप्त नहीं कर सकते । रूस का ऐसा रुख नहीं है । दूसरी ओर रूस यथासंभव हमारी सहायता करना चाहता है । उन्होंने कोई असाधारण बात नहीं की अपितु उन्होंने हमें ऐसे नये क्रयादेश देकर भी बड़ी कृपा की है जिनका व्यापार योजना में कोई उल्लेख नहीं था ।

**श्री जगन्नाथ राव :** हमने अपनी सरकारी परियोजनाओं के लिए रूस से भारी मशीनरी का आयात किया है जैसे मिट्टी हटाने की मशीनरी आदि । फालतू पुर्जों की कमी के कारण उनको काम में नहीं लाया जा रहा है और रूस ने फालतू पुर्जों की व्यवस्था करने के लिए एजेन्टों की नियुक्ति नहीं की है । इस कारण करोड़ों रुपये की मशीनरी बेकार पड़ी है । क्या समझौते में यह भी व्यवस्था है कि रूस द्वारा दी गई मशीनों के लिए आवश्यक फालतू पुर्जे रूस द्वारा दिये जायेंगे ?

**श्री ललित नारायण मिश्र :** समझौते में आवश्यकतानुसार 5 से 15 प्रतिशत तक फालतू पुर्जों की भी व्यवस्था है । जहाँ तक एजेन्टों का संबंध है हम सामान्यतः राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात करना चाहते हैं ।

**श्री रघुनंदन लाल भाटिया :** हमें अमरीका से कुछ माल मिलता था । चूँकि अमरीका ने हमें दिये जाने वाले माल में कमी कर दी है क्या मैं जान सकता हूँ कि ये पहले जो चीजें अमरीका से मिलती थीं उनको अब रूस से लेने का हमारा कोई इरादा है ?

**श्री ललित नारायण मिश्र :** विवरण में यह उल्लिखित है । मैं मात्रा के बारे में कुछ नहीं बता सकता । अधिकांश क्रांतिक और सामरिक महत्व की वस्तुएँ जो हमें अमरीका देता था अब हम रूस से लेते हैं, विशेष रूप से अलौह धातुएँ और ऐसी अन्य वस्तुएँ जो अमरीका ने हमें देने से इन्कार कर दिया है ।

**Shri B. S. Bhaura :** I would like to know whether the agreement also provides for import of tractors from Soviet Union through a Private Agency which results in black marketing on a large scale. As such the tractors should be imported through some Government agency with a view to supply them to the people at the actual cost ?

**Shri L. N. Mishra :** It is mentioned in the agreement that we will purchase from them tractors worth Rs. 5 crores. We will not purchase 14 H. P. tractors in future. We will purchase tractors of 30 H. P. Subsequentiy, these tractors would be manufactured in the country.

So far as the question of agency is concerned, we will import through STC for the

time being and request the Agro-Industrial Corporations, which are in existence in various states, to distribute the tractors.

**श्री पी० वेंकटासुब्बया** : निर्यात की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की सूची में तम्बाकू का उल्लेख है । आंध्र प्रदेश में तम्बाकू का बहुत अधिक उत्पादन होता है । अभी तक रूस व्यक्तियों तथा कम्पनियों के माध्यम से माल खरीदता है और वे बहुत मुनाफा कमा रहे हैं जिससे उत्पादकों को हानि होती है । क्या मैं जान सकता हूँ कि सूची में उल्लिखित वस्तुओं का निर्यात राज्य व्यापार निगम के याध्यम से किया जायेगा और यह कार्य किसी व्यक्ति को नहीं सौंपा जायेगा ?

**श्री ललित नारायण मिश्र** : तम्बाकू निर्यात की एक महत्वपूर्ण मद है और आन्ध्र प्रदेश एक बड़ा उत्पादक है; इसमें कोई संदेह नहीं । जहाँ तक व्यक्तिगत विक्रेताओं का संबंध है, यह खरीदारों पर भी निर्भर करता है । यदि उन्होंने किसी संचार सरणि की स्थापना की है या उनके क्रय एजेन्ट हैं तो वे गैर-सरकारी क्षेत्र से भी खरीद सकते हैं । परन्तु यह समझौता हुआ है कि रूस और भारत एक दूसरे देश से बहुधा सरकारी संस्थाओं के माध्यम से क्रय-विक्रय करेंगे । परन्तु यदि गैर-सरकारी संस्थाएँ हों तो मैं यह नहीं कह सकता कि उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । क्रेता पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है ।

**श्री के० सूर्यनारायण** : खड़े हुए ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप बार-बार खड़े न हों । यह एक अनर्हता होगी क्योंकि आप पीठासीन अधिकारी का ध्यान दूसरी ओर दिलाते हैं । इस बार मैं आप को अनुमति देता हूँ ।

**श्री के० सूर्यनारायण** : जैसा हमारे मित्र ने कहा, तम्बाकू आंध्र प्रदेश में दोनों व्यापारियों तथा उत्पादकों के पास पड़ा है । क्या मैं यह जान सकता हूँ कि सरकार ने रूस को निर्यात करने के लिये उत्पादकों से पिछले वर्ष तथा इस वर्ष कितना तम्बाकू खरीदा ?

**श्री ललित नारायण मिश्र** : पिछले वर्ष की खरीद के आँकड़े मेरे पास नहीं हैं । परन्तु माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य व्यापार निगम ने जनवरी से कार्य आरंभ किया और ऐसे समय पर किसानों की पर्याप्त सहायता की जब तम्बाकू बड़े संकट की स्थिति से गुजर रहा था ।

## अलाभकारी रेल मार्गों से 1971 में हुई हानि

*1042. **श्री जी० वाई० कृष्णन** :
**श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलाभकारी रेल मार्गों से 1971 में हानि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी और अलाभकारी ब्रांच लाइनों संबंधी पुनर्विलोकन समिति के सुझाव तथा सिफारिशें अब तक किस सीमा तक क्रियान्वित की जा चुकी हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी हाँ ।

(ख) 1970-71 में सामान्य राजस्व को दिये गये 2·32 करोड़ रुपये के लाभांश सहित 7·69 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। 1969 की अलाभप्रद शाखा लाइन समिति की सिफारिशों पर की गयी कार्यवाई से संबंधित एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

विवरण, जिसमें यह दिखाया गया है कि 1969 की अलाभप्रद शाखा लाइन समिति की सिफारिशों को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है या अन्यथा अन्तिम रूप दिया गया है।

| ब्यौरा | संख्या |
|---|---|
| स्वीकृत और क्रियान्वित सिफारिशों (या क्रियान्वयन के लिए जिन पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है) की संख्या | 48 |
| आंशिक रूप में या आशोधनों सहित स्वीकृत सिफारिशों की संख्या | 10 |
| उन सिफारिशों की संख्या जो स्वीकार कर ली गयी है लेकिन जिन्हें अभी क्रियान्वित करना बाकी है | 20 |
| वे सिफारिशें जो स्वीकार नहीं की गयी हैं | 18 |
| उन टिप्पणियों की संख्या जिन्हें विशेषक टिप्पणियों सहित या उनके बिना नोट कर लिया गया है | 8 |
| उन सिफारिशों की संख्या जिन्हें अन्तिम रूप दिया गया | 104 |
| विचाराधीन सिफारिशें | 64 |

**श्री जी० वाई० कृष्णन** : चूँकि इन अलाभकारी लाइनों से सरकार को घाटा हो रहा है अत: यात्री और माल यातायात को ध्यान में रखते हुए इन लाइनों को बड़ी लाइन में क्यों नहीं बदल दिया जाता ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : इन लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने पर करीब 240 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस समय रेलवे के पास इतनी अधिक राशि नहीं है।

**श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या सरकार इस मामले पर पुन: विचार करने की कृपा करेगी क्योंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है और इससे घाटा भी पूरा किया जा सकता है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : मैं पहले बता चुका हूँ कि यह धनराशि की उपलब्धि का प्रश्न है।

**Shri S. P. Verma** : According to the statement, 18 recommendations of the Review committee on Uneconomic Branch Lines have been rejected. I would like to know from the Government about the nature of such recommendations and the lines to which they relate ? I would also like to know the time likely to be taken to make up the loss of Rs. 7·69 crores if the recommendations of the committee are implemented ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : The committee had made 168 recommendations out of

which final decisions 104 have already been taken. As is clear from the statement, we have not accepted 18 recommendations. I donot have the details about them but I can give this information to the hon. Member.

**Shri S. P. Verma :** You have said that a loss of Rs. 7·69 crores is sustained by the Railway. In view of this I would like to know the time likely to be taken to make up the loss on the basis of the recommendations of the uneconomic Branch Lines Committee in regard to such lines ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** All the work is to be done according to a phased programme. At the moment I can not say any thing about the amount likely to be spent and the savings likely to be effected.

**Shri N. N. Pandey :** Some of the uneconomic Railway lines are proposed to he dismantled. Shahdara line is one of them. May I know whether Government intend to continue them again in accordance with the recommendations made in this regard ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** Yes, Sir, one of the recommendations is that some railway lines may be dismantled while others may be extended or converted.

**Shri Ishaq Sambhali :** It it fact that the loss sustained by uneconomic Branch lines of the Railways has been mainly due to absence of adequate checking staff and theft of railway goods on a large scale ? Have the Government given any thought to the fact that the time table is not correct and less number of people travel by train as a result of it. May I know whether Government are taking any action in this regard ?

**Mr. Speaker :** This is only a suggestion.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** The committee had also brought this fact to our notice. But this is not the only real cause. Railways have to face competition with road transport as a result of which the railway lines become uneconomic and loss is caused to the Government.

**केन्या से इंडियन कन्सोर्शियम फार पावर प्रोजेक्ट्स द्वारा प्राप्त निर्यात के आर्डर**

*1044. **श्री वी० के० दास चौधरी :**
**श्री वी० मायावन :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन कन्सोर्शियम फार पावर प्रोजेक्ट्स को केन्या की 'टेनारिवर डेवलपमेंट कम्पनी' से प्राप्त हुए निर्यात आर्डरों की मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** आर्डर की मुख्य बातें निम्न-लिखित हैं :

1. आर्डर में, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कम्बुरू जल-विद्युत परियोजना के अन्तर्गत केन्या में जूजा रोड किन्दारूमा तथा कम्बुरू स्थित तीन विद्युत उपकेन्द्रों के लिये स्विचगियर कंट्रोल पैनल तथा अनुषंगी सामान का डिजाइन, इंजीनियरिंग, पूर्ति, स्थापना तथा चालू करना शामिल है ।

2. संविदा का मूल्य 60 लाख रु० से अधिक है ।

3. पहले उप-केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा होने की अवधि सितम्बर, 1973 तथा अन्य का निर्माण कार्य पूरा होने की अवधि जनवरी, 1974 तक रखी गई है ।

4. संविदा को औद्योगिक रूप से विकसित देशों की सुस्थापित फर्मों से कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद प्राप्त किया गया है ।

**श्री बी० के० दास चौधरी** : माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता चलता है कि दो संविदाएं हैं, एक की पूरी होने की अवधि सितम्बर, 1973 तक पूरी होगी और दूसरी की जनवरी, 1974 तक रखी गई है । इन संविदा विशेष के संबंध में मैं जानना चाहूँगा कि क्या इनके संबंध में कार्य शुरू हो गया है और क्या निश्चित समय के भीतर ही संविदा के अनुसार कार्य पूरा हो जायेगा और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**श्री ए० सी० जार्ज** : मैंने इस संविदा कार्य की तीन मदों का विशेष रूप से उल्लेख किया। जो कार्य सितम्बर, 1973 तक पूरा किया जाना है उस पर काम हो रहा है तथा हमें विश्वास है कि हम समय पर कार्य पूरा कर लेंगे ।

**श्री वी० मायावन** : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि कुछ देशों ने भारतीय उत्पादों की किस्म के बारे खेद व्यक्त किया है और यह कहा है कि भारतीय फर्मों के सुपुर्दगी कार्यक्रम सन्तोषजनक नहीं हैं ? यदि हाँ तो सरकार ने सुपुर्दगी कार्यक्रम और किस्म में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए हैं ।

**श्री ए० सी० जार्ज** : सम्भवत: माननीय सदस्य इंडियन कर्सोशियम फार पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि हमारे रिकार्ड काफी अच्छे हैं । तथ्य तो यह है कि अफ्रीकी देशों में ही हमने चार प्रमुख संविदाएं की हैं, दो मलावी में, एक तंजानिया में और चौथी केन्या में । मुझे सभा को यह बताते हुए हर्ष होता है कि वे सभी देश जिनके साथ हमने संविदाएं की हैं, हमारे कार्यक्रम और हमारे माल की किस्म से सन्तुष्ट हैं ।

## रेलवे में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान के परिणाम

*1047. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य रूप से विभिन्न रेलों में और विशेषकर पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्या ठोस परिणाम निकले हैं;

(ख) इस संबंध में कर्मचारियों से कितने तथा किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की गई है; और

(ग) इस अभियान को सफल बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) श्रीमन्, रेलों में जोर-शोर से

चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का बहुत अच्छा परिणाम रहा है। इन परिणामों का उल्लेख करते हुए एक विवरण सलग्न है।

(ख) किसी भी स्रोत से प्राप्त भ्रष्टाचार या कदाचार की शिकायतों और/या रेलों में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सहायक ठोस सुझावों पर समुचित विचार किया जाता है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) निवारक और दण्डात्मक उपायों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

**विवरण**

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के परिणामों का पता निम्नलिखित ब्यौरे से चल सकता है जिसमें उन मामलों की संख्या बताई गई है जिनमें पिछले दो वर्षों, अर्थात् 1970-71 और 1971-72 में रेलों के सतर्कता संगठन द्वारा जाँच का काम शुरू किया गया और पूरा किया गया—

| क्रम सं० | ब्यौरा | 1970-71 | | 1971-72 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | राजपत्रित | अराजपत्रित | राजपत्रित | अराजपत्रित |
| (i) | ऐसी शिकायतों की संख्या जिन्हें जाँच के बाद समाप्त कर दिया गया | 207 | 4201 | 297 | 3291 |
| (ii) | ऐसी शिकायतों की संख्या जिन पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी | 42 | 1461 | 51 | 1377 |
| (iii) | ऐसी संख्या जिनमें न्यायालय में मुकदमा चलाया गया | 1 | 49 | 3 | 46 |

ऐसे अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है जिन्हें सतर्कता विभाग की जाँच और अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप इसी अवधि में विभिन्न प्रकार से दण्डित किया गया—

| | 1970-71 | 1971-72 |
|---|---|---|
| राजपत्रित | 38 | 26 |
| अराजपत्रित | 1329 | 1367 |

कदाचार आदि बन्द करने की दृष्टि से रेल संचालन के विभिन्न पहलुओं में निवारक जाँच की जाती है। 1970-71 में 10,000 बार ऐसी जाँच की गयी जबकि 1971-72 में 12,542 बार निवारक जाँच की गयी। इनके फलस्वरूप कर्मचारियों को सतर्क करने या वर्तमान कार्यविधि या तरीकों की कमियाँ दूर करने से पर्याप्त बचत हुई है।

जहाँ तक पूर्वोत्तर रेलवे का संबंध है, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के परिणाम इस प्रकार रहे :

| क्रम सं० | ब्यौरा | 1970 | | 1971 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पूरी पूर्वोत्तर रेलवे में | केवल समस्तीपुर डिवीजन में | पूरी पूर्वोत्तर रेलवे में | केवल समस्तीपुर डिवीजन में |
| (क) | सतर्कता संगठन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भेजे गये मामलों की संख्या | 474 | 118 | 384 | 122 |
| (ख) | दण्डित कर्मचारियों की संख्या | 169 | 32 | 262 | 50 |

**Shri Bhogendra Jha :** Mr. Speaker, Sir, Hon. Minister has parried my question. Part (b) of the question reads :

"To what extent and in what form the co-operation of the employees has been sought in this regard."

Hon. Minister has not mentioned it in his reply. He has said that the action will be taken on the information received. The operation staff of Railways belonging to different catagories have an organized union. What type of co-operation is sought from the organized Labour Union Movement and the employees ? Is it a fact that the employees who fight against corruption or give information about it are victimized as has happend in Monsi and Samastipur.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** It is true that at various places employees have expressed their desire to help the Railways in eradicating corruption and we are always prepared to accept co-operation from any quarter to achieve this objective. It is wrong to say that those who help the Railways in eradicating corruption are victimized.

**Shri Bhogendra Jha :** I would like to know if there is any policy of the Railways regarding seating co-operation of the organized Labour Unions.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** It has been announced on several occasions that so organized Labour Unions should come forward to help eradicate corruption and the Minister for Railways has gone to the extent of declaring that the saving thus accrued would be distributed among the labourers.

**Shri Bhogendra Jha :** I would like to know whether any Joint Committee cosisting of the representatives of the management and those of the Labour Unions is being set up at different levels to seek co-operation of the Labour Unions for fighting out corruption ? And is the Hon. Minister aware that in Barauni-Godhra Yard R. P. F. personnel and officers take away the goods at the point of rifles and use it against those who try to check them; and is it also a fact that during last fifteen days there have been such pilferages on a larg scale ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : We have not received any such report ?

**Shri Bhogendra Jha** : What I would like to know is whether there is a proposal of setting up any Joint Committee ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : No Committee has been set up as such but we are prepared to seek co-operation of organized Labour Unions. We have no objection to it.

**Shri Ram Sahai Pandey** : The Hon. Minister would agree that most of the cases of corruption take place in Goods Train and in the supply of wagons, I would like to know whether a vigilence department has been set up to keep track of the corruption in cases where 25 or 50 wagons are invoked.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : Railways do not have a full fledged vigilence department but the vigilence personnel are posted to the sensitive areas.

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : The Hon. Minister has said that he was prepared to seek co-operation of the recognized Unions.

**Shri Bhogendra Jha** : He has used the word recognized and not organized.

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : Does it mean that co-operation will be sought of only those Unions which are not recognised but organized.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : Whomsoever help us in eradicating corruption and in checking pilferage we will accept it.

## दिल्ली और मैसूर के बीच एक तेज डीजल गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

*1048. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मैसूर के बीच मीटर गेज लाइन पर एक तेज डीजल गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, भले ही इसके लिए रेल पटरी को और मजबूत करना पड़े; और

(ख) यदि हाँ, तो वह कब से चलाई जायेगी ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री सी० जनार्दनन** : मीटर गेज लाइन की लम्बाई वर्तमान बड़ी लाइन की लम्बाई से लगभग 100 किलोमीटर कम है, और चूँकि यह अच्छा होगा कि बड़ी लाइन के यात्री मीटर गेज से यात्रा करें अत: क्या सरकार अपने वर्तमान दृष्टिकोण पर पुन:विचार करेगी ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : माननीय सदस्य महोदय ने मीटर गेज लाइन पर गाड़ियों की गति बढ़ाने के बारे में प्रश्न पूछा है । मीटर गेज की गाड़ियों की गति बढ़ाना सम्भव नहीं होगा

क्योंकि इससे 30 से 40 प्रतिशत समय नष्ट होता है। इस समय गाड़ियों की गति तेज करने का प्रश्न नहीं है।

**श्री सी० जनार्दनन** : आप एक डीजल इंजन की व्यवस्था करने जा रहे हैं इसमें समय कैसे खराब होगा ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : यह डीजल इंजन चलाने का प्रश्न नहीं है बल्कि रेल पटरी के उपलब्ध होने का प्रश्न है। सामान्यत: यह इकहरी लाइन होती है और इसमें अनेक रेल फाटक होते हैं। इसी में समय अधिक लगता है।

**वैगनों की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में उद्योगों को संकट**

*1049. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
**श्री समर गुह :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में वैगनों की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो वैगनों की कमी किस सीमा तक है, कमी के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) यद्यपि पिछले कुछ महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल के स्टेशनों के लिए लादे गए माल डिब्बों की संख्या 1969 की तुलना में अधिक रही है, फिर भी कुछ उद्योगों से और अधिक माल डिब्बों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। लेकिन किसी उद्योग से इनके उत्पादन में गंभीर व्यवधान होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

(ख) पश्चिम बंगाल के स्टेशनों के लिए लदान में अस्थायी तौर पर माल डिब्बों की कम उपलब्धता के कारण, तेजी नहीं लायी जा सकी क्योंकि 1971 के शुरू के महीनों में विभिन्न समाज विरोधी गतिविधियों और 1971 के अन्तिम महीनों में बड़े पैमाने पर विशेष यातायात के कारण पूर्वी क्षेत्र में माल डिब्बों का अवरोध हो गया था। साइडिंग में लगाए गए लदे हुए माल-डिब्बों की उतराई जो विगत काल में लगभग 70 प्रतिशत थी, घटकर केवल लगभग 60 प्रतिशत रह गई, जिसके कारण लदान का नियमन भी करना पड़ा। रेलें माल डिब्बों की धीमी गति से उतराई करने के बारे में व्यापारियों तथा विभिन्न वाणिज्य मण्डलों से बातचीत कर रही है तथा कलकत्ता क्षेत्र में अतिरिक्त टर्मिनल खोलने की भी योजना बना रही है।

**श्री समर गुह** : मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि औद्योगिक उत्पादन में कोई गंभीर संकट नहीं है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है। मुझे यह नहीं मालूम कि क्या कलकत्ता के समाचार-पत्र काल्पनिक खबरें छापते हैं। ऐसी अनेक खबरें वहाँ के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं कि वैगनों की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में संकट आ गया है। मैं

यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री ने रेलवे अधिकारियों तथा व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख नेताओं के साथ विशेष बैठक की ताकि वे उनसे इस संबंध में सलाह ले सकें कि वैगनों को कैसे प्राप्त किया जाय । मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल को कितने वैगनों की आवश्यकता थी और उसे कितने वैगनों की सप्लाई की गई । क्या यह सच है कि कोयले की सप्लाई के लिए आवश्यकता की तुलना में 650 वैगनों की कमी है जब कि अन्य राज्यों में संख्या अधिक है ।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : यदि आप 1969 की स्थिति से तुलना करें तो पता चलेगा कि बंगाल क्षेत्र में प्रतिदिन की औसत ढुलाई 2,722 वैगन प्रतिदिन थी । आज में आपको 25 मई तक के आँकड़े दे रहा हूँ । यह संख्या 2823 है । इनकी संख्या में कमी नहीं हुई है । वास्तविकता यह है कि हम पश्चिम बंगाल को इन वैगनों की सप्लाई की संख्या को बनाए हुए हैं । 1969 में 2722 वैगनों की आवश्यकता थी । उद्योग की आवश्यकता पूरी की गई थी ।

**श्री समर गुह** : मुझे 1972 के आंकड़े चाहिएं । पश्चिम बंगाल की आवश्यकताएँ क्या हैं ? किस सीमा तक उन्हें पूरा किया गया है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : मैंने 1969 की आँकड़े तुलना करने के लिए दीं । उस समय माँग को पूरा किया गया । 1972 की आँकड़ों में कुछ वृद्धि हुई है । फरवरी में हमने 2989 वैगनों की सप्लाई की थी । हमने मार्च में 2980 वैगन और अप्रैल में 2827 वैगन सप्लाई किए ।

**श्री समर गुह** : क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार करने वाले व्यापारियों तथा रेलवे के अधिकारियों की साँठगाँठ के कारण वैगनों को शालीमार यार्ड में रोके रखा जाता है ताकि कृत्रिम ढंग से कीमतों को बढ़ाया जा सके ? यदि हाँ, दो सरकार ने शालीमार यार्ड से वैगनों की शीघ्र निकासी के लिए क्या उपाय किए हैं ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : यह सच है कि कुछ बेईमान व्यापारी वैगनों को रोक रहे हैं ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : और रेलवे अधिकारी ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : कलकत्ता क्षेत्र में लगभग 77·2 प्रतिशत वैगनों की निकासी की गई । अब यह 60·5 प्रतिशत हो गई है । ये व्यापारी बाजार भाव देखने के लिए वैगनों से माल नहीं उतारते हैं । रेलवे द्वारा इस संबंध में किए गए उपाय निम्नलिखित हैं । हमने 100 प्रतिशत विलम्ब शुल्क और घाट शुल्क लगाया है यदि निर्धारित अवधि के भीतर वे सामान नहीं उठाते तो रेलवे उस सामाम की नीलामी कर देगा ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मेरे प्रश्न संख्या 1057 के उत्तर में रखे गए विवरण में यह कहा गया है कि 1971-72 में पश्चिम बंगाल को की गई औसतन सप्लाई 1969-70 की तुलना में प्रतिदिन केवल 352 वैगन कम है । पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों में केवल 352 वैगन कम भरे जा रहे हैं और वह इसे छोटी-मोटी बात समझते हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के अनेक उद्योग इसलिए बन्द हो रहे हैं कि उन्हें अपने एकक चलाने के लिए

बिजली नहीं मिल रही है। बिजली पैदा करने वाले यूनिटों का कहना है कि उन्हें कोयला नहीं मिल रहा है। ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या आपका यह कर्त्तव्य नहीं है कि आप यह निश्चित करें कि वैगनों की कमी के कारण किसी उद्योग को कठिनाई का सामना न करना पड़े ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** श्री गुह ने पश्चिम बंगाल के उद्योगों का उल्लेख किया और आप पश्चिम बंगाल कोयले की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** बिजली घरों को कोयला नहीं मिल रहा है। वे कोयला न मिलने के कारण बिजली पैदा नहीं कर सकते।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** पत्रातू तथा दुर्गापुर विद्युत संयंत्रों को कोयला रेलों द्वारा नहीं बल्कि सड़क परिवहन द्वारा प्राप्त होता है। अतः इसके लिए रेलवे को दोष नहीं दिया जा सकता। यह दुर्भाग्य की बात है कि सप्लाई नहीं हो सकी।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** हमें पत्रातू से भी बिजली नहीं मिल रही है।

**श्री एस० एम० बनर्जी :** इस प्रश्न के साथ ही श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अन्य प्रश्न के उत्तर में दिए गए विवरण से ही उद्धरण दिया है।

**श्री सुबोध हंसदा :** क्या मंत्री महोदय यह बताएँगे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेषकर परिवहन मंत्रालय ने इस्पात और सीमेन्ट की ढुलाई हेतु वैगनों की सप्लाई के लिए अनुरोध किया है क्योंकि वैगनों की कमी के कारण दूसरे हावड़ा पुल के निर्माण कार्य में विलम्ब होने की सम्भावना है, और यदि हाँ तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया रही ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** जब पूर्ति मंत्री दिल्ली आए थे, मैं उनसे मिला था और उन्होंने यह कहा था कि निर्माण कार्य के लिए उन्हें अधिक सीमेंट की आवश्यकता है और उन्हें आश्वासन दिया गया कि जितने वैगनों की आवश्यकता है उनकी सप्लाई करके सीमेंट की आवश्यकता पूरी की जाएगी।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** श्री इन्द्रजीत के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया। मंत्री महोदय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों ने विशेष रूप से अपनी माँग नहीं रखी थी। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि बण्डेल ताप बिजली संयंत्र ने इस संयंत्र के लिए कोयला लाने हेतु पर्याप्त संख्या में वैगनों की सप्लाई के लिए रेलवे प्राधिकारियों से बार-बार अनुरोध नहीं किया है ? क्या यह सच नहीं है कि पूर्वी रेलवे के प्रबंधक द्वारा एक विशेष बैठक में स्वयं यह स्वीकार किये जाने के बावजूद कि वहाँ वैगनों को कमी है इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** माननीय सदस्य महोदय मेरा उत्तर समझ नहीं सके। मैंने यह कहा था कि चन्द्रपुर तथा दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल को बिजली की सप्लाई कर रहे हैं···

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** मैं बण्डेल ताप बिजली संयत्र के बारे में पूछ रहा हूँ।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** इन बिजली घरों को कोयला रेल द्वारा नहीं बल्कि सड़क परिवहनों द्वारा प्राप्त होता है। अत: रेलवे को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि कुछ ताप बिजली संयत्रों ने संकट की सूचना देते हुए कहा कि उन्हें कोयला रेलों द्वारा भेजा जाय और हमने उनके संकट को दूर करने के लिए उन्हें वैगनों की सप्लाई की है ।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : मैं बण्डेल ताप बिजली घर के बारे में पूछ रहा हूँ।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : उन्होंने भी संकट की सूचना दी थी और हमने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के बारे में क्या स्थिति है ?

## रेलवे द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाएँ

*1050. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ रेलवे ने अपने खर्चे पर रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में इन संस्थाओं में कोई सुधार किए गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इन सुधारों का ब्यौरा क्या है और ये सुधार किन-किन स्थानों पर किये गये हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3108/72.**]

(ख) हाँ श्रीमन् ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत सुधारों का उल्लेख किया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3108/72.**]

क्षेत्रीय रेलों द्वारा, उनके अपने अधिकारों के अन्तर्गत, किये गये सुधारों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**श्री एस० एन० मिश्र** : इन संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम क्या है और इन स्कूलों में पढ़ने वाले रेल कर्मचारियों के छात्रों को क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : एक स्कूल को छोड़कर, जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, शेष स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही हैं। रेल कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं। जिन रेल कर्मचारियों के बच्चे अपने माता पिता के निवास स्थल पर रह कर नहीं पढ़ सकते और उनको कहीं और स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता है तो उनको प्रतिमाह 10 रुपये से

लेकर 60 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है । इसी प्रकार कई और सुविधायें हैं जो कि इन स्कूलों में अध्ययन करने के लिए इन रेल कर्मचारियों के बच्चों को मिलती हैं ।

**श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली :** इन संस्थाओं के ऊपर वास्तव में कितना खर्च आता है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे घाटे में चल रही है, माननीय मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि क्या वे इन संस्थाओं को शिक्षा विभागों को अन्तरित करने के लिए तैयार हैं ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : रेलवे द्वारा इन संस्थाओं पर कुल मिलाकर 3·6 करोड़ रुपया व्यय किया गया है । यदि शिक्षा विभाग इन स्कूलों को अपने हाथ में लेना चाहता है तो रेलवे को इन्हें उसको सौंपने में खुशी होगी ।

**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास में कार्य करने वाले तेलुगु कर्मचारियों के बच्चे माननीय मंत्री महोदय से अपील करते आ रहे हैं कि वहाँ पर बच्चों के लिए खोले गये हाई स्कूलों में छटी कक्षा से लेकर आगे कि कक्षाओं तक तेलुगु सैक्शन अवश्य शुरू किया जाय और यदि ऐसा विचार है, तो क्या इस उद्देश्य से कोई प्रबन्ध किया गया है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : सरकार इस पर ध्यान दे रही है । हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

**अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के स्टेशन मास्टरों द्वारा काम बन्दी**

*1051. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर डिवीजन के स्टेशन मास्टरों ने 20 फरवरी, 1972 को काम करना बन्द कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियों को काफी समय रुके रहना पड़ा;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी हाँ ।

(ख) राघनपुर में रेलवे के ठेकेदार की दूकान पर तथा कथित चोरी के संबंध में सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा 7 कर्मचारियों को रोक रखने के विरोध में हड़ताल हो गयी थी ।

(ग) रेल प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क स्थापित किया और गिरफ्तार कर्मचारियों को बिना जमानत के छुड़ा लिया ।

**Shri Chandrika Prasad :** At each station the station master is the co ordinating officer for various departments. But the G. R. P. and R. P. F. employees not considering themselves to be subordinate to him do not comply with his instructions which result, to dispute. The officers appointed in the recently opened new departments of telecommunica-

tions do not obey the orders of station master as they are in the higher grade than that of the station masters. I would like to know whether the hon'ble Minister would take steps for regarding the post of station masters thereby bringing the G. R. P. and R. P. F. under the control of station masters.

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इसका प्रश्न से कोई संबंध है । यह प्रश्न एक घटना के विषय में है जबकि माननीय सदस्य ग्रेडों के बारे में पूछ रहे हैं । मुझे इसकी जाँच करनी पड़ेगी ।

**Shri Chandrika Prasad :** This incident brings in two things. One is that some officers working at the station are in the higher grades than that of station masters and the second thing is that the G. R. P. and R. P. F. are not under the control of station master. Had they been under the control of station master ? The arrest of Railway employees could not have taken place. I would like to know whether the post of station master would be up graded and the G. R. P. and R. P. F. would be put under his control.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** The trouble started when a contractor reported that a theft has taken place at his stall. Some Railway employees were arrested on charge of that theft. There upon all the station master on the section went on strike and detained the trains for nine hours by picketing on the railway track. Later on the Railway employees were released. Hon'ble member says that there was a quarrel between the station master and some other employees. I will look into this matter and see what could be done in this respect.

## विद्युत संबंधी सभी मामलों के समन्वय के लिए अखिल भारतीय निकाय

*1052. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत संबंधी मामलों का प्रभावी ढंग से समन्वय करने के लिए एक अखिल भारतीय निकाय बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सभी मुख्य मंत्रियों ने उपरोक्त प्रस्ताव के बारे में अपनी सहमति दे दी है; और

(ग) इस उच्च निकाय की स्थापना से क्या लाभ होंगे ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) से (ग). इस समय विद्युत से संबंधित सभी मामलों का समन्वय मुख्यत: केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा किया जाता है । विद्युत उत्पादन और सप्लाई की मुख्य कार्य विधियाँ राज्य बिजली बोर्डों, लाइसेंस धारियों और राज्य सरकारों के विभागों के हाथों में है । बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट कार्य सौंपे गये हैं जो साधारणतया देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत विकास के आयोजन के संबंध में समन्वयकारी किस्म के हैं । विधान तैयार करते समय विद्युत सप्लाई विकास इतना अधिक नहीं था और कुछ राज्यों को छोड़कर जहाँ पर विद्युत सप्लाई कुछ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी थी बड़े-बड़े नगरों के क्षेत्रों तक सीमित था । आयोजित विकास के आरंभ होने से विद्युत सप्लाई उद्योग में द्रुत गति से प्रगति हुई और प्रतिष्ठापित क्षमता जो 1950 में 2·3 मिलियन किलोवाट के लगभग

थी, बढ़कर 1971-72 तक 17 मिलियन हो गई । इस द्रुत विकास के बावजूद विद्युत की सप्लाई में कमी है और विकसित देशों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है और लगभग 90 यूनिट है। 1980-81 तक कम से कम 250 यूनिट तक की प्रति व्यक्ति उचित खपत को प्राप्त करने के उद्देश्य से उस समय तक लगभग 50 मिलियन कि० वाट प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होगा । इस संदर्भ में यह महसूस किया जाता है कि एक उच्च और मजबूत केन्द्रीय संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जिससे देश के विद्युत विकास में सक्रिय और प्रभावशाली रूप से भाग लिया जा सके । ऐसे संगठन से सारे देश में समान विद्युत नीति भी अपनाई जा सकेगी । इससे संबंधित प्रस्तावों की जाँच की जा रही है और इनको राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् अंतिम रूप दिया जाएगा ।

**Shri Bibhuti Mishra :** Mr. Speaker, the statement contains answer to part (a) of my question whereas part (b) and (c) remain unanswered. Parts (b) and (c) of my question are as under :

> "(ख) यदि हाँ, तो क्या सभी मुख्य मंत्रियों ने उपरोक्त प्रस्ताव के बारे में अपनी सहमति दे दी है; और
>
> "(ग) इस उच्च निकाय की स्थापना से क्या लाभ होंगे ?

**Mr. Speaker :** You are a pleader as well. You can see what is there in the statement.

> "इस संदर्भ में यह महसूस किया जाता है कि एक उच्च और मजबूत केन्द्रीय संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जिससे देश के विद्युत विकास में सक्रिय और प्रभावशाली रूप से भाग लिया जा सके । ऐसे संगठन से सारे देश में समान विद्युत नीति भी अपनाई जा सकेगी । इससे संबंधित प्रस्तावों की जाँच की जा रही है और इनको राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् अंतिम रूप दिया जाएगा ।"

I have asked whether chief ministers have been consulted in this regard. This has not been answered in yes or no. Hon'ble Minister has also failed to state whether it would prove advantageous.

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव)** : अगले माह 28 जून को होने वाली बैठक में हम राज्य विद्युत मंत्रियों से परामर्श करने वाले हैं और इसके बाद हमारा विचार मंत्री स्तर पर इस विषय पर विचार करने का है । यदि आप सीधा जवाब चाहते हैं तो वह 'ना' है । सीधा जवाब यह होगा कि हमने अभी तक मुख्य मंत्रियों से परामर्श नहीं लिया है । हमने स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्डों के अध्यक्षों से परामर्श किया है; इस संबंध में उन सब की एक राय थी। वे इसके पक्ष में थे । तत्पश्चात् इस संबंध में हम मुख्य मंत्रियों से बात-चीत करेंगे और तब इसको अन्तिम रूप देंगे ।

एक उच्च केन्द्रीय संगठन का लाभ यह है कि यह देश का विद्युत उत्पादन संबंधी समस्त कार्य कर सकता है । इसका यही एक स्पष्ट लाभ है । हमने उत्तर में भी इसका उल्लेख किया है ।

जिस एक उद्देश्य के लिये माननीय सदस्य समय-समय पर ज़ोर देते रहे हैं वह यह है कि सारे देश में विद्युत की दर समान हो, और वह तभी किया जा सकता है जबकि विद्युत उत्पादन का समस्त कार्य किसी एक संस्था के हाथ में हो। चाहे पैदा की जाने वाली विद्युत जल विद्युत हो या आणविक विद्युत हो या तापीय विद्युत हो, यदि हम समान दर चाहते हैं, तो यह समस्त संगठन एक प्राधिकरण के अधीन होना चाहिये और यही एक प्रमुख लाभ होगा।

इसके अलावा इस प्रकार के संगठन से हम उन कमियों को भी पूरा कर सकेंगे जो सारे देश में जहाँ-तहाँ देखने में आ रही हैं।

**Shri Bibhuti Mishra :** I am thankful to the hon'ble Minister for the answer he has given. I want to know whether a grid system of power would be formed for the whole country after the entire country's organisation is amalgamated into one and the distribution of power in the entire country would be according to needs.

**डा० के० एल० राव :** हमें संबद्ध पक्षकारों से परामर्श करके इसको अन्तिम रूप से तय करना है। इसके पीछे जो विचार है वह यह है कि एक मुख्य ग्रिड बनाया जायगा और विद्युत उत्पादन केन्द्र में एक केन्द्रीय प्राधिकरण के अधीन तथा पांच प्रादेशिक संगठनों के अधीन होगा। सारे देश को पांच प्रदेशों—दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम तथा पूर्व-उत्तर में विभाजित किया गया है। एक बड़े देश का प्रबंध एक केन्द्रीय संगठन द्वारा संभव नहीं है इसलिये विद्युत उत्पादन अलग-अलग क्षेत्रों में किया जायेगा। यह सबका कार्य बहुत ही समन्वित रूप से किया जायेगा। यह व्यवस्था प्रमुख विद्युत उत्पादन तथा एक विद्युत घर से दूसरे विद्युत घर जाने वाली मुख्य पारेषण लाइनों के संबंध में ही है। हर राज्य में विद्युत का वितरण राज्य इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के माध्यम से किया जायेगा। हम राज्य को इकट्ठी ही विद्युत देंगे और राज्य इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड अलग-अलग स्थानों को विद्युत सप्लाई करेगा।

**श्री भागवत झा आजाद :** क्या यह सही है कि देश में ऐसे राज्य हैं जो बिजली पैदा करते हैं परन्तु वितरण व्यवस्था के अभाव में विवश हो उन्हें यह बिजली पड़ौसी राज्यों को देनी पड़ती है और यदि यह सच है तो सरकार के ये समन्वयकारी प्रयत्न विद्युत वितरण व्यवस्था संबंधी इस असंतुलन को किस प्रकार रोकने में सहायक होंगे ?

**डा० के० एल० राव :** पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक असंतुलन को कम करना है। उदाहरण के लिए उत्तरी बिहार में पर्याप्त पारेषण लाइनें नहीं हैं जबकि वहाँ लोगों की संख्या बहुत अधिक अर्थात लगभग $2\frac{1}{2}$ करोड़ है। वहाँ बिजली की खपत बहुत कम है जो प्रति व्यक्ति 8 यूनिट है जबकि देश में इसका औसत प्रति व्यक्ति 90 यूनिट है। बिहार जैसे राज्यों में हमें और अधिक पोरषण लाइनों की आवश्यकता है और पाँचवीं योजना में हमारा प्रयत्न इन असंतुलनों को कम करना ही होगा।

**श्री राम सहाय पांडे :** कुछ राज्यों में तो ऊपरी खर्च अधिक हैं तथा कुछ राज्यों में कम। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इस अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य के सर्वेक्षण के लिए कोई समिति गठित की जा रही है ? बिहार तथा मध्य प्रदेश में ऊपरी खर्च अधिक होने का क्या कारण है ? क्या इस विषय में समन्वय तथा एक व्यापक सर्वेक्षण किया जायेगा।

**डा० के० एल० राव** : यह सत्य है कि कुछ राज्यों में ऊपरी खर्च अधिक हैं और कुछ में कम, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा बिहार तथा मध्य प्रदेश प्रथम श्रेणी में आते हैं। यदि विभिन्न राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय संगठन हो तो इन सब बातों से निपटना सरल होगा। इस समय इस संस्था का कार्य केवल सलाह देना मात्र है। बिहार में हम एक बहुत ही योग्य इंजीनियर भेजने जा रहे हैं जो इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का अध्यक्ष होगा और मेरा विचार है कि वह ऊपरी खर्चों तथा उनकी वसूली के मामले की जाँच करेगा। इस पहलू के संबंध में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ; इसकी जाँच की जानी है।

**श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि जब तक विद्युत के उत्पादन तथा वितरण के संबंध में कोई एकरूप नीति नहीं बनाई जाती, सरकार विद्युत उत्पादन के मामले में विद्यमान असंतुलन को किस प्रकार ठीक करने का विचार रखती है ? आंध्र प्रदेश में विद्युत की अत्यन्त कमी है; केरल में विद्युत उपलब्ध है परन्तु केरल सरकार के इच्छुक होने के बावजूद आंध्र प्रदेश को बिजली नहीं भेजी जा रही है। यदि यह सच है, तो एक सामान्य व्यवस्था बनने तक इस असंतुलन को ठीक करने के संबंध में सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है।

**डा० के० एल० राव** : बिजली पारेषण व्यवस्था में असंतुलन है जो विद्युत की उपलब्धता पर प्रभाव डालता है। माननीय सदस्य का कहना है कि केरल में उपलब्ध विद्युत का पारेषण नहीं किया जाता। यह सत्य है कि केरल से तमिलनाडु को विद्युत की सप्लाई की गयी, जिसमें आधी आंध्र को दी जानी थी। ऐसा इस कारण नहीं किया गया क्योंकि तमिलनाडु का कहना है कि तमिलनाडु में विद्युत की कमी है और इसी कारण वह आंध्र प्रदेश को विद्युत की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाल ही में, काफी आग्रह करने के बाद अब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को प्रति दिन लगभग 5 लाख यूनिट विद्युत सप्लाई कर रहा है। देश में विद्युत उत्पादन तथा पारेषण की वर्तमान अवस्था में जबकि सम्पूर्ण समस्या पर विचार करने के लिए कोई केन्द्रीय संगठन नहीं है, इस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। यदि कोई एक रूप संगठन रहा होता तो यह काम आसान होता तथा सारे देश में यह कमी समान अर्थात 2-5 प्रतिशत तक होती। सबसे खराब हालत उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की है। मैं मानता हूँ कि इस समय वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत वह समन्वय उपलब्ध नहीं है जो कि देश के लिए आवश्यक है।

**Adoption of New Procedure For Appointment of Judges in Supreme Court and High Courts**

*1053. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether Government propose to adopt a new procedure in regard to the appointment of Judges in High Courts and Supreme Court; and

(b) is so, the salient feature of the proposed procedure ?

**The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Shri Shankar Dayal Singh** : Hon'ble, Sir there is a great countrovesy in the country as regards the judiciary. The views expressed by the Hon'ble Members regarding judges while discussing the Twenty-fouth Constitution (Amendment) Bill in this floure, are before the Government. May I know from the Hon'ble Minister for Law and Justice as to whether keeping in view the ideas expressed by the Hon'ble Members Government propose to introduce redical changes in the matter of appointment of Judges so that some Judges will progressive ideas may come forward ?

**The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary)** : Judges are appointed in accordance with the procedure laid down in Articles 124 and 217 of the constitution. It is not possible to change the procedure till as the constitution is not amended.

**Shri Shankar Dayal Singh** : Will the number of Judges in Supreme Court and High courts be increased as the number of cases pending in the courts are increasing by leaps and baunds. In certain cases it it seen that the persons concerned even die before their cases are decided.

**Shri Nitiraj Singh Chaudhary** : The question is that of appointments and not of increasing the number...*(Interruption)*...The number of Judges of Supreme Court has been increased. The question regarding the number of Judges of High Courts relates to the State Government. If the State Government feels that the number of Judges has to be increased, they would make the appointments. To increase the number of the Judges of High Court is not in the hands of the Central Government.

**श्री सुरेन्द्र मोहन बनर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की आलोचना सदन में न केवल सदस्यों ने ही की हैं अपितु हमारे न्याय मंत्री और मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्रियों ने भी की है, मैं यह जानना चाहता हूँ की सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही हैं कि समाज के निम्न वर्ग, साधारण वर्ग के लोगों में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाएं और वे समाज के विशेष वर्ग से ही जैसा कि आजकल हो रहा है, न चुने जायें ।

**श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं नियत की हुई हैं और हमें पसन्द उन्हीं लोगों तक सीमित रखनी पड़ती है जो उन अर्हताओं को पूरा करते हैं ।

**श्री सुरेन्द्र मोहन बनर्जी** : यदि दो व्यक्ति एक ही जैसी अर्हताओं वाले हों किन्तु उनमें से एक का जन्म आई० सी० एस० या आई० ए० एस० वाले परिवार में हुआ हो और दूसरा एक निम्न वर्ग के परिवार में पला हो तो क्या निम्न वर्ग के परिवार वाले को वरीयता दी जायेगी ?

**श्री समर गुह** : जो कुछ श्री बनर्जी ने कहा है उसे रिकार्ड किया जाय । श्री गोखले और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों ने उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों की कटु आलोचना की है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । आप मेरी आज्ञा के बिना बोल रहे हैं । यदि आप इस प्रकार मेरी अनुमति बिना बोलेंगे तो कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा । यह एक गलत परम्परा है ।

**श्री सुरेन्द्र मोहन बनर्जी** : राजाओं की निजी थैलियों और बैंक राष्ट्रीयकरण दोनों मामलों में हमने और मंत्री महोदय ने उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है ।

**अध्यक्ष महोदय** : पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने संविधान के उपबन्धों का उल्लेख किया है जिन प्रश्नों द्वारा राय पूछी जाती है वे नियमों के अनुसार ग्राह्य नहीं हैं ।

**श्री सुरेन्द्र मोहन बनर्जी** : उत्तर क्या है ? हम चाहते हैं कि न्यायाधीश सामान्य वर्ग के लोग हों ।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता ।

**प्रो० एस० मधु दंडवते** : पिछले अनुभव को देखते हुए कि अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के बावजूद भी कई मामलों में न्यायाधीशों के निर्णय उनकी सामाजिक प्रकृतियों और दृष्टिकोणों से प्रभावित होते हैं, क्या सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में अपनी सामान्य प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह वही प्रश्न है जो दूसरी तरह से पूछा गया है क्या आप इस बात की आशा करते हैं कि मैं इस प्रश्न को स्वीकार कर अपना दृष्टिकोण बदलूँगा ? आपने हाल में ही श्री बनर्जी का तरीका अपना लिया है ।

**प्रो० एस० मधु दंडवते** : बिल्कुल नहीं, उनका अनुकरण करना बहुत दुष्कर है ।

**श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : प्रश्न का संबंध न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से है । मेरा विचार है कि इस प्रश्न से कोई अनुपूरक प्रश्न पैदा नहीं होते ।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद ।

**Export of Poppy Husk**

*1054. **Shri Phool Chand Verma :**
**Dr. Laxminarain Pandey :**

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether a large quantity of poppy husk is exported by India every year;

(b) if so, the amount of Foreign exchange earned therefrom during the last three years;

(c) whether Turkey and China are competing with India in this trade; and

(d) the steps being taken by Government to increase the export thereof ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) विदेशों को पोस्त के छिलके का निर्यात भारी मात्रा में नहीं किया जाता । विदेशों को पोस्त के छिलके का निर्यात 1969 में 27 मे० टन और 1970 में 32 मे० टन रहा ।

(ख) 1969 और 1970 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि क्रमश: 1,18,932 रु० और 2,08,472 रु० है। 1971 के दौरान किये गए निर्यातों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) पोस्त के छिलके के हमारे निर्यात के संबंध में तुर्की के साथ कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं है। चीन के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या सरकार पोस्त के छिलके का निर्यात उसी प्रकार आरम्भ कर सकती है जैसे अफीम का किया जाता है और क्या इस मद से होने वाली विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने के लिए हमें छिलके से सान्द्रण अथवा कच्ची मारफीन तैयार करके उसे विदेशों में बेचना चाहिए।

**Shri Phool Chand Verma** : It appears from the statement that had the Government of India paid proper attention to the export of poppy husk. They would have earned sufficient foreign exchange but due to the negligence of the M/o Foreign Trade no progress could be made in the export of poppy husk. Figures quoted in the statement indicate that the export of poppy husk in 1971 has declined to 27 tonnes as compaired to 32 tonnes in 1970. May I know the period by which the Government would finalise the proposals for increasing the export which are under consideration and the period by which the Government would start exporting concentrate or crude morphine extracted for husk.

**श्री ए० सी० जार्ज** : माननीय सदस्य का यह कहना कि विदेश व्यापार मंत्रालय ने उदासीनता दिखाई है, ठीक नहीं है। अफीम निकालने के बाद पोस्त के छिलके में केवल ·1 से ·3 प्रतिशत कच्ची मारफीन बाकी रहती है। पर सच है कि हमें हर साल 12,000 से 15,000 मीटरी टन तक पोस्त के छिलके मिल रहे हैं। 1970-71 में हमें 12,000 मीटरी टन मिले और 1971-72 में 15,000 मीटरी टन मिले। कच्ची मारफीन निकालने की प्रक्रिया के संबंध में हम राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के मुख्य रसायनज्ञों से परामर्श कर रहे हैं और शीघ्र ही हम कोई प्रक्रिया तैयार कर लेंगे।

**Shri Phool Chand Verma** : My second question is regarding the medium through which it is exported.

**श्री ए० सी० जार्ज** : अफीम का निर्यात केवल सरकार ही करती है।

**अध्यक्ष महोदय** : अफीमचियों के माध्यम से नहीं ?

**श्री ए० सी० जार्ज** : अफीम के छिलके का निर्यात गैर सरकारी माध्यम से नहीं किया जाता।

**Dr. Laxminarain Pandey** : Whether it is a fact that one businessman of Madhya Pradesh has received an order from Czechoslovakia for the export of 200 tonnes of poppy husk and whether the Government has permitted him to export the same ? If so, whether there is any possibility of increasing its export to that country ?

**श्री ए० सी० जार्ज** : मुझे यह पक्का पता नहीं कि आर्डर 200 मीटरी टन का था या नहीं, किन्तु हमारे पास पोस्त के छिलके की काफी मात्रा है इसलिए हम इसका निर्यात करने की सारी कोशिशें कर रहे हैं। यदि यह प्रस्ताव बड़ी मात्रा में आया तो हम इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे।

**Dr. Laxmi Narain Pandey** : I want to inform through you that I wrote a letter to the Hon'ble Minister enclosing a copy of his letter in which his Ministry had permitted to export 200 tonnes of poppy husk. Still he is saying that he does not know about it,

**Mr. Speaker** : He has replied that he would find out.

**पेच और काबले के निर्माण के लिये रूसी इस्पात**

+

*1055. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
**श्री डी० के० पंडा** :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने पेच और काबलों के निर्माण के लिये भारत को इस्पात निर्यात करने तथा उनका पुन: रूस को निर्यात करने की पेशकश की है;

(ख) इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस करार के क्या लाभ होंगे ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र)** : (क) से (ग). सोवियत संघ ने इस्पात के निर्यात के बदले भारत से पेचों का आयात करने के लिए प्रारंभिक सुझाव दिया है। प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है और अभी तक कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है। इस प्रस्थापना से अपरम्परा गत प्रकार की नई मद का निर्यात बढ़ाने तथा इस उद्योग में रोजगार के और अधिक अवसर बनाने में सहायता मिलेगी।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सोवियत संघ ने जो प्रस्ताव किया है उससे हमारे लघु उद्योग को बहुत सहायता मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, सामान तैयार करने लिए कच्चा माल मिलेगा और माल की बिक्री के लिए बाजार मिलेगा, क्या सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और यथासंभव शीघ्र कोई निर्णय लेगी ?

**श्री ललित नारायण मिश्र** : हमने निर्णय ले लिया है। हम सोवियत संघ से इस्पात मंगायेंगे। उससे पेच और काबले बनायेंगे और फिर सोवियत संघ को उनका निर्यात करेंगे।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

**Goods Traffic Handled by Northern Railway**

*1043. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the goods traffic handled by the Northern Railway during the last one year; and

(b) the revenue earned by Government during the said period from this source ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)**: (a) and (b). Data on goods traffic handled and revenue earned by the Northern Railway during 1971-72 are given below :

| | 1971-72 |
|---|---|
| (1) Tonnes carried (in millions)— | |
| (i) Revenue earning traffic | 39·14 |
| (ii) Non-revenue traffic | 5·94 |
| (iii) Total | 45·08 |
| (2) Revenue earned from revenue earning goods traffic (in crores of rupees) | 88·63 |

**सेन्टियागो में 'अंकटाड' में नई विश्व आर्थिक प्रणाली बनाने के लिए भारत का सुझाव**

*1045. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टियागों में हुए 'अंकाटड' में भारत ने अन्य देशों से एक नई विश्व आर्थिक प्रणाली विकसित करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) विकासशील देशों के लिए उक्त प्रणाली कैसे सहायक होगी ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र)** : (क) से (ग). जी हाँ। सेन्टियागो में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में विदेश व्यापार मंत्री द्वारा दिए गये नीति संबंधी वक्तव्य में यह कहा गया था "विश्व की आर्थिक व्यवस्था, जिसे हम मुख्यत: अंकटाड के मंच से पुन: निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं, अति ही जटिल बन गई है और उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं।" चूंकि यह द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशाब्दी के लिए नीति स्वीकार किये जाने के पश्चात व्यापार और विकास पर पहली विश्वव्यापी कांफ्रेंस थी, अत: इसमें नीति संबंधी बहुत से महत्व-पूर्ण उपबन्धों को ठोस तथा कार्यान्मुखी रूप देने के लिए स्वयं ही एक महत्वपूर्ण अवसर मिल गया। इस कांफ्रेंस में विश्वव्यापी आधार पर व्यापार और व्यापार से संबंधित अन्य विषयों पर विचार किया गया।

अंकटाड तृतीय की कार्यसूची की एक प्रति संलग्न अनुबन्ध में दी गई है। अंकटाड तृतीय में भारत ने विकासशील देशों के निर्यात हित की वस्तुओं और विनिर्मित मदों से संबंधित व्यापार को उदार बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा शीघ्र कार्यवाही किये जाने की माँग की। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार करने के लिए भी आग्रह किया ताकि यह विकासशील देशों की आवश्यकताओं के संबंध में और अधिक अनुकूल बन सके। अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर भारत ने अन्य विषयों के साथ-साथ विकासशील देशों को वित्तीय संसाधनों के प्रवाह,

नौवहन, भूवेष्टित देशों सहित विकासशील देशों में से अल्पविकसित देशों के संबंध में कार्यवाही, विभिन्न आर्थिक व सामाजिक पद्धतियों वाले देशों के बीच व्यापार संबंध और विकासशील देशों के बीच व्यापार विस्तार तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें भी कीं।

भारत व "77" के समूह में अन्य विकासशील देशों द्वारा की गई कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप सम्मेलन में इन विषयों पर कतिपय महत्वपूर्ण विनिश्चत किये गये। उदाहरण के तौर पर वस्तुओं संबंधी समिति विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में अन्तःसरकारी परामर्श करेगी ताकि उन वस्तुओं के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय करार और प्रबंध यथाशीघ्र किए जा सकें। निर्मित वस्तुओं के संबंध में गैर-टैरिफ अवरोधों को हटाने के लिए अन्तःसरकारी परामर्श करने की व्यवस्था की गई है। विकसित देशों से यह आग्रह किया गया है कि वे अधिमानों की सामान्यीकृत योजना के अन्तर्गत अपनी पेशकशों को क्रियान्वित करें और उनमें सुधार करें। वित्त प्रबन्ध के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को नया रूप देने में अंकटाड के योगदान पर और साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया है कि विकासशील देशों द्वारा इस विषय में क्या अंशदान दिया जाएगा। सहायता की गति, सहायता की शर्तों और साथ ही सहायता की अनाबद्धता के संबंध में कतिपय सुधारों पर सहमति व्यक्त की गई है। पहली बार, जहाजी सम्मेलनों के लिए "77" के समूह द्वारा एक आधार संहिता का मसौदा तैयार किया गया है और उसे विकसित देशों को प्रस्तुत किया गया है। इस आचार संहिता पर विचार-विमर्श संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित किए जाने वाले एक विशेष सम्मेलन में किया जाएगा। उच्च भाड़ा दरों, विकासशील देशों के विकासशील व्यापारी जहाजों के लिए प्रतिशतता का आरक्षण जैसी अन्य समस्याओं के समाधानों के संबंध में भी सहमति व्यक्त की गई है। अल्पविकसित देशों और साथ ही उनमें से भूवेष्टित देशों के संबंध में जो विशेष उपाय किए जाने हैं उसके संबंध में एक व्यापक संकल्प स्वीकार किया गया है। अंकटाड ने सर्वसम्मति से यह सहमति व्यक्त की कि विभिन्न सामाजिक व आर्थिक प्रणालियों वाले देशों के बीच व्यापार का विकास किया जाए। पूर्व यूरोप के देशों ने विकासशील देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दायित्वों को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। विकासशील देशों ने भी अपने परस्पर के व्यापार को बढ़ाने के लिए परस्पर सहयोग देने की सहमति व्यक्त की है।

## अनुबन्ध

अंकटाड के तृतीय सत्र की कार्य सूची (सेंटियागो अप्रैल 13—मई 21, 1972)

1. कांफ्रेंस का उद्घाटन।
2. अध्यक्ष का चुनाव।
3. मुख्य समितियों और अन्य सत्रीय निकायों का गठन और उनके अधिकारियों का चुनाव।
4. उपाध्यक्षों और रिपोर्टर का चुनाव।
5. कांफ्रेंस प्रतिनिधियों के प्रत्यय-पत्र—
   (क) प्रत्यय-पत्र समिति की नियुक्ति।
   (ख) प्रत्यय-पत्र समिति का प्रतिवेदन।

6. कार्य-सूची का स्वीकार किया जाना ।

7. सामान्य वादविवाद : प्रतिनिधिमंडलों के प्रधानों के वक्तव्य ।

8. अंकटाड के उद्देश्यों तथा कार्यकलापों के अनुसरण में विश्व व्यापार में हुए परिवर्तनों तथा दीर्घावधि प्रवृत्तियों और विकास पर विचार करना*—

(क) अंतर्राष्ट्रीय विकास नीति के संदर्भ में स्वीकृत अंकटाड की सामर्थ्य के बिना नीति उपायों के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण करना अंकटाड के कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

(ख) विकास में प्रेक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों और व्यापार नीतियों को नियंत्रण करने वाले सिद्धांतों के संबंध में अधिकाधिक सहमति प्राप्त करने के लिए उपाय करना ।

(ग) विकासशील देशों के व्यापार सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकसित देशों के क्षेत्रीय आर्थिक समूहों का प्रभाव ।

(घ) निरस्त्रीकरण के व्यापारिक और आर्थिक पहलू ।

(ड़) व्यापार तथा विकास पर विशेषत: विकसित देशों के व्यापार और विकास पर परिवेशी नीतियों का प्रभाव ।

(च) बीमा ।

9. विश्व, विशेषत: विकासशील देशों के व्यापार तथा विकास पर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति का प्रभाव ।

10. अंकटाड के संस्थागत प्रबन्धों की पुनरीक्षा (30 दिसम्बर, 1964 के महासभा के संकल्प 1955 (×1×) की कंडिकाएं 30, 31 और 32)

11. (क) विकासशील देशों में अल्पतम विकसित देशों के लिए विशेष उपाय ।

(ख) भूवेष्टित विकासशील देशों की खास आवश्यकताओं के संबंध में अन्य विशेष उपाय ।

12. निर्यात संवर्धन—

(क) वस्तुएं ।

(ख) निर्मित तथा अद्‌र्ध-निर्मित वस्तुएँ ।

*आम बहस की समाप्ति पर और इसको ध्यान में रखते हुए कांफ्रेंस अपने पूर्ण अधिवेशन में, इस मद के (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) में सूचीबद्ध प्रश्नों में से किसी के संबंध में और अधिक उपाय करने के लिए, जैसा आवश्यक हो, तदर्थ क्रियाविधि संबंधी प्रबन्धों के बारे में विनिश्चय कर सकती है ।

13. वस्तु समस्याएं तथा नीतियाँ :

(क) बाजारों में प्रवेश तथा कीमत निर्धारण नीति जिस में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिरीकरण उपाय तथा व्यवस्था शामिल है, प्रमुख वस्तुओं की विपणन तथा वितरण प्रणालियाँ ।

(ख) प्राकृतिक उत्पादों की प्रतियोगिता ।

(ग) विविधीकरण ।

14. निर्मित तथा अद्‌र्ध-निर्मित वस्तुएँ :

(क) अधिमान्यताएं ।

(ख) गैर-टैरिफ अवरोधों का उदारीकरण :

(ग) समंजन सहायता उपाय ।

(घ) प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रणाली ।

15. विकास के लिए वित्तीय संसाधन ।

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी संसाधनों का कुल अन्तर्वाह ।

(ख) विकासशील देशों को सरकारी पूँजी के प्रभाव की मात्रा तथा शर्तें ।

(ग) विकास के अनुसार विदेशी गैर-सरकारी निवेश ।

(घ) विकास संबंधी वित्त के विशेष पहलू : विकासशील देशों को विशेष वापसी अधिकार देने तथा अतिरिक्त विकास वित्त की व्यवस्था करने के प्रश्न को जोड़ने के बारे में प्रस्थापनाएँ, पूरक वित्त व्यवस्था ।

(ङ) विकासशील देशों के आन्तरिक संसाधनों को गतिशील बनाने की समस्याएँ ।

(च) विकासशील देशों से, ऋण व्यवस्था सहित वित्तीय संसाधनों का बहिर्गमन ।

(छ) पर्यटन ।

16. जहाजरानी का विकास, समुद्री परिवहन लागत, भाड़ा दरें, जहाजी सम्मेलन प्रणाली हेतु आचार संहिता ।

17. विकासशील देशों के बीच व्यापार विस्तार, आर्थिक सहयोग तथा क्षेत्रीय एकीकरण ।

18. विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली वाले देशों के बीच व्यापार संबंध ।

19. अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड के दिनांक 18 सितम्बर, 1970 के संकल्प को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी का अन्तरण ।

20. व्यापार तथा विकास बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन ।

21. अन्य कार्य ।

22. महासभा में सम्मेलन की रिपोर्ट का स्वीकार किया जाना ।

**Incidents of Theft, Murder, Loot and Dacoity on Western Railway**

*1046. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of theft, murder, looting and dacoity on the Western Railway during the last year;

(b) the estimated loss of property in terms of rupees suffered by the passengers as a result of these incidents; and

(c) the steps being taken by Government to prevent such incidents in future ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) :** (a)

| Year | Theft | Murder | Looting (robberies) | Dacoity |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1339 | 9 | 15 | 3 |

(b) Rs. 9,38,571/-

(c) (i) All important night passenger trains are being escorted by the Government Railway Police.

(ii) Supervisory Police officers check the duties of the Government Railway Police and keep a watch on active criminals.

(iii) Unobstrusive watch is also being kept by the Railway Protection Force on the activities of known criminals.

**नमक के लिए विदेशों से आर्डर प्राप्त करने के हेतु कार्यवाही**

*1056. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व-मण्डी में भारतीय नमक की काफी माँग है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए आर्डर प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) विश्व-मण्डी में भारतीय नमक की माँग घटती बढ़ती रहती है ।

(ख) नमक का निर्यात व्यापार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है, जिसके विदेश स्थित कार्यालय विदेशों में बिक्री को प्रोत्साहन दे रहे हैं । जहाँ राज्य व्यापार निगम के अपने कार्यालय नहीं हैं, वहाँ वह निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय व्यापार मिशनों का उपयोग करता है । राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधियों और नमक-उत्पादकों के प्रतिनिधि मण्डल बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए यात्रायें भी करते हैं । नमक की खरीद के बारे में यहाँ आने वाले शिष्टमण्डलों से भी सम्पर्क किया जाता है ।

**पश्चिम बंगाल और बिहार को कोयले के लिए कम वैगनों का आबंटन**

*1057. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कोयला उद्योग को सामान्य संख्या से लगभग 650 वैगन प्रतिदिन कम मिल रहे हैं जबकि बिहार के कोयला उद्योग को उसके कोटे से 200 वैगन अधिक मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कुप्रबंध के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) और (ख). रेलों द्वारा कोयले के लदान के आँकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते। ये क्षेत्रवार या रेलवेवार रखे जाते हैं। पश्चिमी बंगाल और बिहार दोनों राज्यों में स्थित कोयला क्षेत्रों का एक संघटित कोयला क्षेत्र अर्थात् बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में बिहार या पश्चिमी बंगाल के भाग में पड़ने वाली कोयला खानों से कोयले की ढुलाई कई बातों पर निर्भर करती है जैसे उनकी माँगों को दी गयी प्राथमिकता, क्षेत्र विशेष में खाली माल डिब्बों की उपलब्धता, पाइलट इंजनों का संचालन और मार्ग पर चलने वाले प्रतिबन्ध आदि ।

2. स्थूल अनुमान से पता चलता है कि बंगाल-बिहार क्षेत्रों में बंगाल और बिहार की कोयला खानों से जितने माल डिब्बे लादे गये उनकी दैनिक औसत संख्या इस प्रकार रही :

| | (लादे गये माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या) | |
|---|---|---|
| | पश्चिमी बंगाल की कोयला खानें | बिहार की कोयला खानें |
| 1969-70 | 2418 | 3824 |
| 1970-71 | 2106 | 3436 |
| 1971-72 | 2066 | 3581 |
| फरवरी, 72 | 2165 | 3729 |
| मार्च, 72 | 2214 | 3858 |
| अप्रैल, 72 | 2227 | 3621 |

सामान्य वर्ष, 1969-70 की तुलना में 1971-72 में पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्रों में औसत दैनिक लदान केवल 352 माल डिब्बे कम हुआ जबकि 1969-70 की अपेक्षा 1971-72 में बिहार के क्षेत्रों में औसत दैनिक लदान 243 माल डिब्बे कम हुआ। फरवरी, 1972 से पश्चिम बंगाल क्षेत्र से लदान बढ़ा है।

3. अंडाल और आसनसोल क्षेत्रों में विभिन्न समाज विरोधी गतिविधियों के कारण पश्चिम बंगाल क्षेत्रों से कोयले के लदान में बड़ी बाधा पड़ी। फिर भी बिहार क्षेत्रों में झरिया क्षेत्र से इस्पात

संयंत्रों और धुलाई कारखानों को जितना कोकिंग कोयले का लदान किया जाना था, उसका लदान जारी रखना पड़ा। बिहार क्षेत्रों में कर्णपुरा क्षेत्र में परिचालन कार्य पर समाज विरोधी गतिविधियों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।

**अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को सांविधिक निकाय में परिवर्तित करना**

*1058. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को सांविधिक निकाय में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र)** : (क) जी हाँ।

(ख) प्रस्थापना को अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगने की संभावना है।

**कोका कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के मामलों के बारे में यूनुस समिति**

*1059. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोका कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के मामलों के बारे में यूनुस समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेगी और यदि हाँ, तो कब;

(ख) इस प्रतिवेदन के प्रकाश में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कार्पोरेशन द्वारा आयातित रासायनिक तत्वों के नाम क्या हैं और उनका कितना भाग प्रति बोतल प्रयोग में लाया जाता है और तैयार वस्तु में यह तत्व कितने प्रतिशत होता है ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र)** : (क) से (ग). तथाकथित यूनुस समिति एक अन्तःविभागीय तथ्य जाँच समिति थी। इसके विचारार्थ विषय निर्यात किए जाने वाले कोका कोला सांद्रण में आयातित अंश की जाँच करने के संबंध में थे, ताकि ऐसे निर्यातों पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस की दर के बारे में सिफारिश की जा सके। समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि कोका कोला सांद्रण में आयातित अंश 4·5 प्रतिशत है। इस प्रतिवेदन के आधार पर कोका कोला सांद्रण के कुल निर्यात के 4·5 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति लाइसेंस दिए जाने की अनुमति है। प्रतिपूर्ति योजना के आधार पर आयात किए जाने वाले रसायन संबंधी मूल पदार्थ ये हैं :

(क) सुवासित पदार्थों का मिश्रण, अल्कोहल रहित।

(ख) स्प्रिट युक्त इत्रादि।

(ग) प्राकृतिक औरेंज तथा लेमन तेल, अन्य प्राकृतिक सगंध तैल (अनुमत मदें)।

(घ) साइट्रिक एसिड।

(ङ) संश्लिष्ट सगंध तेल ।

(च) वनीला बीन्स ।

कोका कोला निर्यात निगम को आयात आवेदन-पत्र के साथ इस आशय का वचन देना होता है कि आयातित सामग्री का प्रयोग केवल निर्यात उत्पादन में ही प्रयोग किया जाएगा और उसे स्थानीय रूप में किसी बोटलिंग कम्पनी को देकर अथवा कहीं और उसका निपटान नहीं किया जाएगा । इस प्रकार आयातित मूल पदार्थों का प्रयोग केवल कोका कोला सान्द्रण तैयार करने में ही किया जाता है जिसका कि निर्यात किया जाता है न कि अन्य बोटलिंग कम्पनियों द्वारा । जैसा कि यूनुस समिति द्वारा आकलन किया गया है तैयार उत्पाद में मूल पदार्थ की प्रतिशतता 4·5 प्रतिशत है ।

**निर्यातोन्मुख उद्योगों के लिए रूसी सहायता**

*1060. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्यातोन्मुख उद्योगों का विकास करने के लिए रूस से सहायता माँगी गई है; और

(ख) क्या भारत सरकार ने इस बारे में रूसी सरकार से कोई विचार-विमर्श किया था और यदि हाँ, तो दोनों सरकारों के द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र)** : (क) तथा (ख). भारत में निर्यातोन्मुख उद्योग स्थापित करने के लिए सोवियत संघ की सहायता के प्रश्न पर, जिसमें ऋण सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी शामिल है, सोवियत संघ के प्राधिकारियों के साथ प्रारम्भिक विचार-विमर्श हुआ है । अभी तक कोई ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं ।

**पश्चिम रेलवे में व्हील टायरों की कमी**

7861. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में व्हील टायरों की बहुत कमी है और वहाँ इंजनों में घिसे हुए व्हील टायर इस्तेमाल किए जाते हैं;

(ख) क्या इन टायरों से किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है और यदि हाँ, तो असुरक्षित इंजनों का प्रयोग करके लोगों के जीवन को खतरे में डालने के क्या कारण हैं;

(ग) घिसे हुए व्हील टायर अथवा विषम आकार वाले टायरों के प्रयोग से कुल कितने इंजन चल रहे हैं; और

(घ) क्या यात्रा करने वाली जनता पर रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी इंजनों की जाँच करने के लिए इंजीनियरों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) पश्चिम रेलवे में पहिया टायरों की अत्यधिक कमी नहीं है और कोई इंजन घिसे हुए टायरों के साथ लाइन पर नहीं चलाया जाता ।

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

**रुपए के भुगतान वाले देशों से इस्पात का आयात**

7862. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री रूस से इस्पात के आयात के बारे में 4 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4987 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तविक प्रयोक्ता और वितरण एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1972-73 में रुपए में भुगतान करने वाले देशों से इस्पात आयात करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं; और

(ख) कुल कितने इस्पात के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). आयात लाइसेंसों के आँकड़े मात्रा-वार नहीं रखे जाते हैं । तथापि, प्रत्येक आयात लाइसेंस के बारे में अलग-अलग सभी अन्य विवरण 'वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज़, इम्पोर्ट लाइसेंसेज़ एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज़' में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियाँ नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

**रूस से अखबारी कागज का आयात**

7863. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस के साथ हमारे देश को अखबारी कागज सप्लाई करने के बारे में कोई करार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितना अखबारी कागज आयात करने का करार किया गया है और उसकी क्या दर होगी; और

(ग) इस आयात से अखबारी कागज की आवश्यकता कहाँ तक पूरी होगी ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) भारत सरकार और सोवियत संघ सरकार के बीच 5 मई, 1972 को मास्को में हस्ताक्षरित वर्ष 1972 के लिए भारत-सोवियत संघ व्यापार योजना में सोवियत संघ द्वारा भारत को अखबारी कागज सप्लाई किए जाने की व्यवस्था है । सोवियत संघ का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय राज्य व्यापार निगम के साथ बातचीत करने और संविदा को अन्तिम रूप देने के लिए इस समय भारत आया हुआ है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते क्योंकि बातचीत अभी भी चल रही है ।

**यातायात और वाणिज्यिक विभागों (उत्तर रेलवे) के कर्मचारियों का निलम्बित किया जाना**

7864. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के यातायात तथा वाणिज्यिक विभागों के कर्मचारियों की डिवीजनवार संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों में निलम्बित किया गया था;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ा दण्ड देने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई थी जिन्हें निलम्बित नहीं किया गया था; और

(ग) इस बीच कितने मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है, जिनमें दण्ड दिया गया है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात से होने वाली आय**

7865. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात-लक्ष्य क्या है और वर्ष 1971-72 में निर्यात से वास्तव में कितनी आय हुई;

(ख) दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कितने विक्रय एवं अध्ययन दल विदेश भेजे गये; और

(ग) इस उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा दी गई सहायता और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में 100 करोड़ रु० मूल्य की हस्तशिल्प वस्तुएँ निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । 1970-71 के दौरान 82·30 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे । 1971-72 के दौरान नवम्बर, 1971 तक 59·30 करोड़ रु० के वास्तविक निर्यात हुए थे और पूरे वर्ष के दौरान 85·00 करोड़ रु० के निर्यात होने का अनुमान है ।

(ख) 1970-71 के दौरान, पाँच बिक्री-सह-अध्ययन दल विदेशों में गये । 1971-72 के दौरान, हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यातकों के एक बाजार अभिविन्यास दौरे की व्यवस्था की गई । इन दलों ने जिन-जिन स्थानों का दौरा किया वहाँ आयातकों, स्टाकिस्टों, डिजाइन तैयार करने वाली संस्थाओं और विशेषज्ञों आदि से सम्पर्क स्थापित किया । ये दल अपने साथ नमूने भी ले गये थे, उन्होंने वहाँ उनके प्रदर्शनों की व्यवस्था की और काफी मात्रा में क्रयादेश बुक किए गए । उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए नए रास्ते भी खोले ।

(ग) हस्तशिल्प उद्योग को सहायता विभिन्न रूपों में दी जाती है। उनमें महत्वपूर्ण ये हैं— (1) व्यापारिक पूछ-ताछों पर कार्यवाही करना, (2) विदेशों से प्राप्त व्यापारिक पूछ-ताछों को परिचालित करना, (3) भाड़ा तथा जहाजरानी संबंधी समस्याओं में सहायता प्रदान करना, (4) आयात तथा उत्पादन शुल्कों की वापसी की दरों का निर्धारण, (5) यूरोपीय आर्थिक समुदाय और जापान द्वारा प्रस्तावित अधिमानों की सामान्यीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातकों को उद्भव के प्रमाण-पत्र जारी करना और (6) नए डिजाइन बनाना, प्रशिक्षण और तकनीकी मार्ग-दर्शन।

हस्तशिल्प की वस्तुओं के पंजीकृत निर्यातकों को आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के रूप में भी प्रोत्साहन दिया जाता है। इस संबंध में विवरण 1972-73 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के खण्ड 2 में दिए गए हैं जो सभा पटल पर पहले ही रख दिया गया है।

**बंगला देश से मछली का आयात**

7866. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगला देश के साथ किए गए व्यापार करार के अनुसार सरकार बंगला देश से मछली आयात करने पर सहमत हो गई है;

(ख) क्या सरकार को बंगला देश से मछली आयात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग). भारत सरकार और बंगला देश सरकार के बीच हुए सीमित भुगतान प्रबंध में बंगला देश से ताजी मछलियों के आयात के लिए 9 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

2. केन्द्रीय मत्स्य निगम को भारत में मछलियों का आयात करने के लिए एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। विस्तृत ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और बंगला देश के प्राधिकारियों के साथ प्रारम्भिक बातचीत पहले ही हो चुकी है। ऐसी आशा नहीं है कि मछली आयात करने में सरकार को किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो।

**पंजाब में निर्यात क्षमता का सर्वेक्षण**

7867. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने पंजाब में निर्यात क्षमता सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं और निर्यात के लिए किन वस्तुओं को चुना गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त संस्थान सर्वेक्षण कार्य कब करेगा ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्थापना विचाराधीन है और यथाशीघ्र विनिश्चय किया जायेगा।

**ट्रांजिस्टरों के निर्यात के लिये हांगकांग से क्रयादेश**

7868. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फर्म ने हांगकांग से 1 करोड़ ट्रांजिस्टर सप्लाई करने का निर्यात क्रयादेश प्राप्त किया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह सौदा लगभग कितने मूल्य का है; और

(ग) उपरोक्त क्रयादेश को किस अवधि में कार्यान्वित किया जाना है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)**: (क) से (ग). सरकार सामान्यत: अलग-अलग भारतीय निर्यातकों के सौदों का रिकार्ड नहीं रखती है। किन्तु, उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक भारतीय फर्म को हांगकांग से सेमी-कन्डक्टर डिवाइसों के लिये काफी बड़ा क्रयादेश प्राप्त हुआ है।

**आन्ध्र प्रदेश में रुई का मूल्य**

7869. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री आन्ध्र प्रदेश में रुई के मूल्य में कमी के बारे में 2 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4647 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में रुई का क्या क्रय मूल्य निर्धारित किया गया है और क्या क्रय मूल्य की दर प्रत्येक राज्य में भिन्न है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) मूल्य निर्धारण करने से पूर्व तथा इसके पश्चात् बाजार-भाव के मूल्य की तुलना में इसके निर्धारित मूल्य क्या हैं;

(ग) क्या रुई निगम सीधे रुई खरीदता है अथवा एजेन्टों के माध्यम से; और

(घ) रुई निगम के मण्डी में आने के पश्चात् से आन्ध्र प्रदेश में कितनी रुई खरीदी गई है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (घ). आन्ध्र प्रदेश में रुई की विभिन्न किस्मों के संबंध में सरकार द्वारा घोषित उचित क्रय कीमतें और उचित क्रय कीमतों की घोषणा के पूर्व और पश्चात् संबंधित बाजार कीमतें नीचे दी गई हैं :

(कपास की प्रति क्विंटल कीमत रु० में)

| किस्म | उचित क्रय कीमत | घोषणा से पूर्व कीमत | घोषणा के पश्चात कीमत |
|---|---|---|---|
| लक्ष्मी | 210 | 190/195 | 190/195 |
| एम सी यू-5 | 320 | 280/282 | 285/290 |
| हाइब्रिड-4 | 320 | 280/282 | 285/290 |
| आई-147 | 230 | उपलब्ध नहीं हैं | उपलब्ध नहीं हैं |
| सी आइलैंड एन्ड्रज़ | 365 | 245/255 | 245/255 |

रुई की क्रय कीमतें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होंगी ही क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न किस्मों की रुई उगाई जाती है।

भारतीय रुई निगम ने आन्ध्र प्रदेश के रुई बाजार में 25 फरवरी, 1972 को प्रवेश किया था। निगम ने रुई की खरीदारी नामित एजेंटों के माध्यम से शुरू की क्योंकि आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन परिसंघ इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं था। इस बीच निगम ने इस परिसंघ के माध्यम से खरीद की व्यवस्था करने के उपाय किये और 15 अप्रैल, 1972 से निगम केवल इस परिसंघ के माध्यम से ही खरीदारी कर रहा है।

**निर्वाचन आयोग में कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाना**

7870. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के निर्वाचन आयोग में विभिन्न श्रेणियों के स्थायी पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न श्रेणियों में कुछ स्थायी पद रिक्त पड़े हैं और यदि हाँ, तो प्रत्येक श्रेणी में उनकी संख्या क्या है तथा वे कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) भारत के निर्वाचन आयोग में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और जिन्हें अब तक स्थायी नहीं बनाया गया है; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों को कब तक स्थायी बनाया जायेगा ?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी)** : (क) निर्वाचन आयोग में विभिन्न ग्रेडों के स्थायी पदों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) निर्वाचन आयोग में सभी ग्रेडों के स्थायी पदों पर नियुक्तियाँ या तो अधिष्ठायी या अस्थायी हैसियत में की गई हैं।

(ग) 15 निम्न श्रेणी लिपिक।

(घ) निम्न श्रेणी लिपिकों के केवल दस स्थायी पद, जिन पर पुष्टि की जा सकती है, अभी तक अधिष्ठायी हैसियत में नहीं भरे गए हैं, क्योंकि कुछ निम्न श्रेणी लिपिकों को, जो आयोग में कई वर्ष से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं, नियुक्तियों को नियमित करने का प्रश्न विचाराधीन है। उपलभ्य स्थायी रिक्तियों पर इन 15 निम्न श्रेणी लिपिकों की पुष्टि के प्रश्न पर विचार, तदर्थ निम्न श्रेणी लिपिकों की नियुक्तियों को नियमित करने के प्रश्न पर निर्णय लेने के पश्चात् किया जाएगा।

**विवरण**

विवरण जिसमें भारत के निर्वाचन आयोग में विभिन्न ग्रेडों के स्थायी पदों की कुल संख्या के बारे में जानकारी दी गई है :

| क्र० सं० | ग्रेड की विशिष्टियाँ | स्थायी पदों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1. | उप निर्वाचन आयुक्त | 1 |
| 2. | सचिव | 1 |
| 3. | अवर सचिव | 4 |
| 4. | अनुभाग अधिकारी | 13 |
| 5. | अधीक्षक (विधिक) | 1 |
| 6. | मुख्य निर्वाचन आयुक्त का निजी सचिव | 1 |
| 7. | ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक | 1 |
| 8. | सहायक | 43 |
| 9. | आशुलिपिक (ग्रेड II) | 2 |
| 10. | आशुलिपिक (ग्रेड III) | 3 |
| 11. | निम्न श्रेणी लिपिक | 46 |
| 12. | स्टाफ कार चालक | 1 |
| 13. | रिकार्ड सार्टर | 1 |
| 14. | गेस्टेटनर आपरेटर | 2 |
| 15. | दफ्तरी | 10 |
| 16. | जमादार | 2 |
| 17. | चपरासी | 21 |
| 18. | फराश | 3 |
| 19. | झाड़ूकश | 3 |
| 20. | चौकीदार | 2 |
| | योग : | 161 |

**बेकार घोषित किये गये वैगन**

7871. **श्री सपताल कपूर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, बेकार घोषित किये गये और प्रयोग में न लाये गये वैगनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कुल कितने वैगनों की मरम्मत की गई और प्रयोग में लाये गये;

(ग) देश में इस समय वैगनों की माँग कितनी है और इसे कहाँ तक पूरा किया जाता है;

(घ) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, आयात किये गये वैगनों की कुल संख्या कितनी है, और उन्हें किस देश से आयात किया गया है; और

(ङ) वैगनों की कुल माँग कब तक पूरी हो जायेगी ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) बेकार / पुराने हो जाने के कारण 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान हटाये गये माल-डिब्बों की संख्या (चौपहियों के हिसाब से) क्रमश: 7636·5, 7129·5 और 7021 थी। इसमें थोड़े से वे माल-डिब्बे भी शामिल हैं जो इस्पात संयंत्रों आदि को बेचे गये।

(ख) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान कारखानों में मरम्मत किये गये और तत्पश्चात् प्रयोग में लाये गये बड़ी लाइन और मीटर लाइन के कुल माल-डिब्बों की संख्या (चौपहियों के हिसाब से) क्रमश: 1,20,623, 1,16,606 और 1,07,408 थी।

(ग) किसी समय विशेष में माल-डिब्बों की माँग और उनकी उपलब्धता का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि ये होने वाले यातायात और माल-डिब्बों के प्रत्यावर्त्तन पर निर्भर हैं। बकाया माँग-पत्रों की संख्या अत्यधित पायी गयी है। माल-डिब्बों का प्रत्यावर्त्तन कई भिन्न-भिन्न बातों पर निर्भर करता है जैसे गाड़ी परिचालन में प्रसामान्यता, माल लादने या उतारने के लिए डिब्बे रोके रखना, उद्योगों में काम की प्रसामान्यता आदि। यद्यपि वर्तमान माँग को पूरा करने के लिए अब कमोवेश पर्याप्त माल-डिब्बे हैं, फिर भी उनकी उपलब्धता में अस्थायी कमी है क्योंकि विभिन्न प्रतिकूल कारणों से प्रत्यावर्त्तन अधिक होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए रेलों का चौथी योजना अवधि के दौरान कुल 71,776 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) उपलब्ध करने का विचार है। इसमें अतिरिक्त यातायात के लिए 36,148 माल-डिब्बे और गतायु स्टाक के बदलाव के लिए 35,628 माल-डिब्बे शामिल हैं।

(घ) कुछ नहीं।

(ङ) माल-डिब्बों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारणों पर नियंत्रण पा लेने और आर्डर दिये गये अतिरिक्त माल-डिब्बे उपलब्ध हो जाने पर माँग संतोषजनक रूप से पूरी हो जाने की प्रत्याशा है।

**कोयले की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किये गये रेलवे कर्मचारी**

7872. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार रेलवे का कुल कितना कोयला चुराया गया और उसका मूल्य कितना था;

(ख) क्या इस संबंध में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन व्यक्तियों में कुछ रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं; यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कोयले की चोरी रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय रेलों में चुराये गये कोयले की कुल राशि और उसका मूल्य नीचे दिया गया है :

| वर्ष | चुरायी गयी यात्रा (कि० ग्रा०) | मूल्य (रु०) |
|---|---|---|
| 1969 | 1,94,743 | 22,623 |
| 1970 | 2,70,321 | 15,929 |
| 1971 | 1,32,961 | 22,680 |

(ख) और (ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

| वर्ष | रेल कर्मचारी | बाहरी व्यक्ति |
|---|---|---|
| 1969 | 188 | 3,756 |
| 1970 | 267 | 2,605 |
| 1971 | 203 | 2,515 |

उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर रेल कर्मचारियों के विरुद्ध या तो मुकदमा चलाया गया या विभागीय कार्रवाई की गयी ।

(घ) रेलों में कोयले की चोरी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं :

(i) कोयले की चोरी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए सशस्त्र पहरा और कड़ा कर दिया गया है ।

(ii) कोयले से भरे माल-डिब्बों वाली माल गाड़ियों के लिए सशस्त्र मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था की गयी है ।

(iii) क्षेत्रीय अपराध आसूचना शाखा और स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आकस्मिक जाँच की व्यवस्था की जाती है ।

**श्रीलंका को संयंत्र सप्लाई करने के लिए परियोजना और उपकरण निगम को मिले निर्यात क्रयादेश**

7873. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना और उपकरण निगम को श्रीलंका में एक निर्माणाधीन फाउण्डरी

के लिए संयंत्र और उपकरणों की सप्लाई, कलपुर्जों को जोड़ने और उन्हें लगाने के लिये निर्यात क्रियादेश प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हाँ ।

(ख) परियोजना में लगभग 15 लाख रु० मूल्य पर इस्पात ढलाई-घर के लिये डिजाइन, विनिर्माण, संयंत्र और मशीनों की सप्लाई तथा उनका लगाया जाना शामिल है और ये उपकरण 15 से 18 महीनों की अवधि में सप्लाई किये जायेंगे । यह परियोजना बम्बई की मै० न्यू स्टेंडर्ड इंजीनियरी कं० लि० के सहयोग से प्रारम्भ की जायेगी ।

**स्थानांतरित विदेशी संयंत्रों का पंजाब में लगाया जाना**

7874. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड से संयंत्रों के भारत में स्थानान्तरण के बारे में 29 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से भारत में स्थानांतरित होने वाले किसी संयंत्र को पंजाब में लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संयंत्र को किस स्थान पर लगाने का प्रस्ताव है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**आन्ध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को सहायता**

7875. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक पिछड़े जिलों में प्रत्येक हथकरघा बुनकर और हथकरघा उद्योग को सामान्यत: क्या सहायता दी गई है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों में से प्रत्येक जिले में हथकरघा बुनकरों को व्यक्तिगत रूप से और हथकरघा उद्योग को सामान्य रूप से सहायता आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है । पूछी गई जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

**पश्चिम बंगाल विधान सभा के निर्वाचनों के समय मत-पत्रों वाले लिफाफों को 'सील' न करने के बारे में निदेश देना**

7876. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीरभूम के जिलाधीश और जिला निर्वाचन अधिकारी सहित पश्चिम बंगाल के

अनेक जिलाधीशों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में विधान सभा के निर्वाचनों से पूर्व 11 मार्च, 1972 को निर्वाचन केन्द्र के पीठासीन अधिकारियों को विशेष अनुदेश जारी किये थे कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के मत-पत्रों का हिसाब दर्शाने वाले प्ररूप 16 को रखने वाले लिफाफों और पीठासीन अधिकारियों की डायरी को सील न किया जाए और इन्हें गोन्द से चिपकाया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह कार्य भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहमति से तथा उनके अनुदेशों के अन्तर्गत किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी)** : (क) और (ख). बीरभूम जिला के जिला निर्वाचन अधिकारी सहित पश्चिम बंगाल के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में 11 मार्च, 1972 को हुए विधान सभा के निर्वाचनों के पूर्व जो अनुदेश इस बात के लिए जारी किए थे कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के मत-पत्रों का लेखा दर्शाने वाले प्ररूप 16 को रखने वाले लिफाफे और पीठासीन अधिकारी की डायरी को सील न किया जाए, वे आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों पर आधारित थे। आयोग के ये निदेश, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन नियमों के अनुरूप थे जो केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि उन सभी 15 अन्य राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों को भी लागू होते हैं, जिनमें मार्च, 1972 में साधारण निर्वाचन किए गए थे।

(ग) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 45 में यह अपेक्षित नहीं है कि मत-पत्रों का लेखा रखने वाले लिफाफे को सील किया जाए। नियम 47 को देखकर पता चलता है कि वह नियम वास्तव में यह उपबन्ध करता है कि मत-पत्र लेखा वाले पैकेट को सील न किया जाए। नियम 55 में रिटर्निंग आफिसर से अपेक्षा की गई है कि वह संगणना करे और प्ररूप 16 में मत-पत्र लेखा के भाग 11 में अभिलिखित करे, अतः यह स्पष्ट है कि यदि मत-पत्र लेखा को सील किए पैकेट में रखा जाएगा तो मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों में पाए गए मत-पत्रों की कुल संख्या अभिलिखित करना सम्भव नहीं होगा। यहाँ तक कि नियम 57 में भी मत-पत्र लेखा वाले पैकेट को सील करने के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

जहाँ तक पीठासीन अधिकारी की डायरी का संबंध है, यह कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है और निर्वाचन विधि या नियमों में किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा डायरी रखे जाने के संबंध में कोई उपबन्ध नहीं है।

## बरकाकाना, धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) के असिस्टेंट आपरेटिंग सुपरिन्टैंडेंट द्वारा कोयला और सामान्य व्यापारिक माल के लिए माल डिब्बों का आबंटन

7877. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में बरकाकाना के असिस्टेंट आपरेटिंग सुपरिन्टैंडेंट को कोयला खानों अथवा व्यापारियों को कोयला और सामान्य व्यापारिक माल का लदान करने के लिए माल डिब्बों का आबंटन करने का अधिकार दिया गया है;

(ख) क्या धनबाद (पूर्व रेलवे) के टिम्बर व्यापारियों ने मैम्बर ट्रांसपोर्ट से उस समय शिकायत की, जब वह 23 फरवरी, 1972 को दौरे पर थे कि उनकी बारी आने पर भी उन्हें माल डिब्बे सप्लाई नहीं किए जाते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) सहायक परिचालन अधीक्षक बरकाकाना, अपने नियंत्रण के अन्तर्गत स्टेशनों से माल यातायात के लदान के लिए माल डिब्बों का आबंटन करने के लिए प्राधिकृत हैं। फिर भी, कोयले के लदान के लिए कोयला खानों को माल डिब्बों का नियंत्रण संयुक्त निदेशक, परिचालन (कोयला) द्वारा किया जाता है जो कलकत्ता से कार्य संचालन करता है।

(ख) और (ग). लाटेहार के टिम्बर व्यापारियों ने माल डिब्बों की पर्याप्त सप्लाई न होने के बारे में 23 फरवरी, 1972 को सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड को जो उस खंड में निरीक्षण के लिए गए हुए थे, एक अभ्यावेदन भेजा था।

इस खंड में माल के लदान के लिए माल डिब्बों की सप्लाई के बारे में मंडल अधीक्षक, धनबाद द्वारा जो कि सदस्य यातायात के साथ मौजूद थे, स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया। जनवरी से मार्च, 1972 तक की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में टिम्बर और जंगल की अन्य उपज के लदान के लिए पहले से अधिक माल डिब्बों की सप्लाई की गयी।

**इलैक्ट्रिकल मैकेनिकल सिग्नल मैन्टेनर्स का 'काम के घन्टे विनियमन' के अन्तर्गत वर्गीकरण**

7878. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 175-240 रुपये के वेतनमान वाले ई० एस० एम० और एम० एस० एम० एस० के पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए जिन्हें 'नियमित' वर्गीकृत किया गया है, रैस्ट गिवर कर्मचारियों के माध्यम से साप्ताहिक छुट्टी देने की उचित व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) और (ख). 'निरंतर' रूप में वर्गीकृत सभी कर्मचारियों को आवधिक विश्राम दिया जाता है। पारीवार ड्यूटियों में रात-दिन काम करने वालों के लिए विश्राम-दाताओं की व्यवस्था की जाती है। अन्य कर्मचारियों के मामले में स्थानीय रूप से मौजूदा कर्मचारियों के अन्तर्गत ही आवधिक विश्राम की व्यवस्था की जाती है।

**खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक के लिए फ्लैट खरीदा जाना**

7879. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कुछ समय पूर्व क्षेत्रीय प्रबन्धक की रिहाइश

के लिए भोमेश्वर सागर, नापीन सी रोड, बम्बई में 1,65,200 रुपये के मूल्य का एक फ्लैट खरीदा था, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या क्षेत्रीय प्रबंधक इतने मूल्य की रिहाइश का हकदार था;

(ग) क्या नापीन सी रोड स्थित फ्लैट के रख-रखाव और मरम्मत पर प्रति वर्ष 3,80,244 रुपये खर्च होते हैं जबकि क्षेत्रीय प्रबन्धक से किरायों के रूप में प्रति वर्ष 2,250 रुपये वसूल किए जाते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जाँच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हाँ। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने, बम्बई में किरायों की ऊँची दरों के कारण अधिकारियों के लिए उपयुक्त स्थान मिलने में हो रही कठिनाइयों के कारण इस फ्लैट को खरीदा था ।

(ख) फ्लैट क्षेत्रीय प्रबन्धक की सामान्य हकदारी के भीतर है ।

(ग) फ्लैट के रख-रखाव की लागत केवल 3,162 रु० वार्षिक है तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक से प्राप्त होने वाला किराया 2,400 रु० वार्षिक है ।

(घ) चूँकि क्षेत्रीय प्रबंधक को अलाट किया गया फ्लैट उनकी सामान्य हकदारी के भीतर है, अत: मामले की जाँच करना आवश्यक नहीं है ।

**कपास का निम्नतम समर्थन मूल्य**

7880. **श्री त्रिदिव चौधरी** :
**श्री ईश्वरी चौधरी** :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्पादित कपास के मूल्यों की इस समय बाजार में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार कृषि मूल्य आयोग अथवा किसी अन्य विशेषज्ञ-निर्णय से देश में किसानों के लिए कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के प्रश्न की जाँच करने के लिए अनुरोध करने का है; और

(ख) क्या भारतीय रुई निगम अथवा केन्द्रीय रुई समिति ने इस संबंध में कोई सुझाव दिए हैं और यदि हाँ, तो उन्होंने किस समर्थन मूल्य की सिफारिश की है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). जी नहीं ।

## विदेशों में मक्की के तेल की माँग

7881. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशों में मक्की के तेल की माँग है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन देशों ने इसके आयात में रुचि दिखायी है और कितनी मात्रा के लिए ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). भारत से मक्का के तेल के आयात के लिए विदेशों द्वारा की गई किसी भी पूछताछ के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

## Penalty Realised from Traders of Udaipur District for not Loading Goods

7882. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the firms in Udaipur District of Rajasthan which could not load their goods in the wagons allotted to them in time at Dabok, Debari and Khemli stations and the amount of penalty realised from them on this account during the last three years; and

(b) the amount of penalty yet to be realised from them and the reasons for not realising it so far ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) The following firms could not load their goods in the wagons allotted to them at Debari and Khemli stations during the free time allowed to them. The amount of penalty charges realised from them on this account are shown against them :

| | 1969-70 Rs. P. | 1970-71 Rs. P. | 1971-72 Rs. P. |
|---|---|---|---|
| *Debari* | | | |
| M/s Hindustan Zinc Limited | 1,575·00 | 38·80 | Nil |
| *Khemli* | | | |
| M/s Udaipur Cement Works | Nil | 170·80 | Nil |

There is no station as 'Dabok' in Udaipur District.

(b) No amount is due to be realised from these firms at present.

## डाल्टनगंज से पटना तक सीधी रेलगाड़ी चलाया जाना

7883. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अप्रैल, 1972 के 'साप्ताहिक हल्धर' में 'डाल्टन-गंज-पटना सीधी ट्रेन-सेवा' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) डाल्टनगंज-पटना सीधी गाड़ी सेवा का न तो वित्तीय दृष्टि से औचित्य है और न यह परिचालन की दृष्टि से संभव है ।

**पालामऊ को सरकार लूट रही है**

7884. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अप्रैल, 1972 के 'साप्ताहिक हल्धर' में 'पालामऊ को सरकार लूट रही है' शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) जी हाँ ।

(ख) पालामऊ जिले में जिन्जोई और चाके परियोजनाएं पहले से ही चालू हैं और अरज, बान्की लिफ्ट नहर तथा बुटनडूबे स्कीमें निर्माणाधीन हैं ।

बिहार सरकार ने उत्तरी कोयल, मायला, दनरो, चिरका, कन्हर औरंगा और बटाना परियोजनाओं जैसी नई परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा है । सोन जल के प्रयोग में सन्निहित अन्तर्राज्यीय पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए, जिनके संबंध में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच मतभेद हो गया है, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में इनकी तकनीकी जाँच की जा रही है ।

**Decision of Affluent Countries to give one per cent of their National Income to Developing Countries**

7885. **Shri M. C. Daga** :
**Shri Hari Kishore Singh** :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) Whether affluent countries represented at the U. N. C. T. A. D. held in Santiago decided to give one per cent of their national income to the developing countries; and

(b) if so, the time by which the decision is likely to be implemented ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George)** : (a) and (b). At the Second Session of the UNCTAD, the developed market economy countries had accepted the target to provide annually to developing countries one per cent of their gross national product as development assistance. The Third Session of UNCTAD

reaffirmed this target and called upon those developed countries which are unable to achieve this target by 1972 to endeavour to attain it without further delay and in any event not later than 1975. Some developed market economy countries, while accepting the target, have expressed reservations about its achievement by a specified date.

**विदेशी स्वामित्व वाले संयंत्रों का पिछड़े क्षेत्रों में स्थानांतरण**

7886. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड से संयंत्रों का भारत में स्थानांतरण के बारे में 29 मार्च, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में स्थानान्तरित किए जाने वाले प्रस्तावित विदेशी स्वामित्व वाले संयंत्रों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों तथा जिलों में लाया जायेगा और यदि हाँ, तो कहाँ पर ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : लोक सभा में दिनांक 29-3-1972 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर में जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, सरकार ने इस देश को ब्रिटेन से तीन चालू संयंत्र और नीदरलैंड से एक चालू संयंत्र के अन्तरण की प्रस्थापनाओं का अनुमोदन कर दिया है। ब्रिटेन से आने वाले इन तीन संयंत्रों में से दो को तमिलनाडु राज्य में मद्रास में तथा एक को महाराष्ट्र राज्य में सांगली में भेजा जायेगा। नीदरलैंड से आने वाला संयंत्र हरियाणा राज्य में गुड़गाँव रोड भेजा जायेगा।

**भारत को विदेशी स्वामित्व वाले संयंत्रों का स्थानान्तरण**

7887. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समुद्र पार विदेशी स्वामित्व वाले निर्माण संयंत्रों को भारत में स्थानान्तरित करने के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों की रूपरेखा और स्वरूप क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : ब्रिटेन से तीन चालू संयंत्र तथा नीदरलैंड्स से एक चालू संयंत्र भारत में स्थानान्तरित करने के संबंध में व्यापार विकास प्राधिकरण के माध्यम से जो प्रस्थापनाएँ प्राप्त हुई थीं, उन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इन प्रस्थापनाओं का ब्यौरा उद्योग विकास मंत्री द्वारा लोक सभा में 29-3-1972 को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० 181 के उत्तर में दिया गया है।

**दक्षिण और पश्चिम रेलवे की अन्य जोनल रेलों से चोरियों तथा अन्य अपराधों की तुलना**

7888. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य, उत्तर, दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे में चोरी तथा अन्य अपराधों की घटनाएँ दक्षिण और पश्चिम रेलवे की तुलना में अधिक होती हैं;

(ख) क्या इसका कारण दक्षिण मध्य, उत्तर, दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे में टिकट निरीक्षकों और रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की संख्या कम होना है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा रजिस्टर किए गए जाली नामों पर आयात लाइसेंस लेने के मामले**

7889. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जाली नामों पर प्राप्त किए गए आयात लाइसेंसों के बारे में 31 अक्तूबर, 1971 को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) कितने मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई थी, अन्तिम रूप दिया गया था; और

(ग) कितने मामलों में धोखाधड़ी सिद्ध हो गई थी ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) 17.

(ख) 10.

(ग) 10.

**Facilities for Export of Indian Films**

7890. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the facilities proposed to be given to encourage export of Indian films ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George)** : The existing policy provides a number of facilities to encourage export of Indian Films. There is no specific proposal under consideration to give additional facilities to encourage export of Indian Films.

**अखबारी कागज का आयात**

7891. **श्री वेकारिया** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार एवं देश-वार कितने अखबारी कागज का आयात किया गया;

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ग) भारत को अखबारी कागज में आत्म-निर्भर बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). वर्ष 1968-69 से 1971-72 (नवम्बर, 1971 तक) के दौरान आयातित अखबारी कागज की मात्रा तथा मूल्य

दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3109/72.**] नवम्बर, 1971 से बाद के आयात आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

अखबारी कागज के मामले में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों को दर्शाने वाला विवरण

सरकारी क्षेत्र में एक मात्र विद्यमान अखबारी कागज मिल (मैसर्स नेपा मिल्स) की क्षमता को प्रति वर्ष 30,000 मे० टन से 75,000 मे० टन तक बढ़ाया जा रहा है। विस्तरित क्षमता 1973 के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की आशा है।

सरकार ने निम्नलिखित फर्मों को अखबारी कागज बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस भी जारी किए हैं :

| | |
|---|---|
| (1) मैसर्स बलारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स (श्री गोपाल डिवीजन) | 80,000 मे० टन प्रतिवर्ष |
| (2) मैसर्स सन पेपर मिल्स | 15,000 मे० टन प्रतिवर्ष |

मैसर्स सन पेपर मिल्स अखबारी कागज बनाने की अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। उनकी पूँजीगत माल की आवश्यकताओं को सरकार द्वारा पहले ही पूरा कर दिया गया था। मैसर्स बलारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स द्वारा पूँजीगत माल के आयात हेतु अपनी प्रस्थापना अभी प्रस्तुत की जानी है। यह पता चला है कि इस फर्म ने हाल ही में अपनी प्रस्थापित मिल के लिए कच्चे माल की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक करार को अन्तिम रूप दिया है।

उपर्युक्त के अलावा, अखबारी कागज बनाने के प्रयोजनार्थ नये एकक स्थापित करने के लिए निम्नलिखित फर्मों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं :

| | |
|---|---|
| (1) मैसर्स सूरज इन्डस्ट्रियल पैकिंग लि० | 60,000 मे० टन/वर्ष |
| (2) मैसर्स शेतकारी सहकारी सखर कारखाना | 44,500 मे० टन/वर्ष |

उपर्युक्त दो स्कीमों के अलावा, भारत सरकार के एक उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की भी 75,000 मे० टन की वार्षिक क्षमता सहित केरल में एक अखबारी कागज मिल स्थापित करने की प्रस्थापना है।

यदि उपर्युक्त स्कीमें शीघ्र ही क्रियान्वित हो जायें तो आशा है कि अखबारी कागज की माँग को निकट भविष्य में स्वदेशी उत्पादन से ही समुचित रूप में पूरा कर लिया जाएगा।

**व्यास बाँध के इंजीनियरों द्वारा आविष्कृत बैल्ट क्रेट**

7892. **श्री राजदेव सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास बाँध परियोजना के इंजीनियरों ने एक ऐसे बैल्ट क्रेट का आविष्कार किया है जिसके द्वारा इसके क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर कंक्रीट सप्लाई की जा सकती है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बैल्ट क्रेट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) व्यास बाँध के इंजीनियरों ने बैल्ट करीट द्वारा कंक्रीटिंग का देशी विकास किया है ।

(ख) 2·50 लाख रुपए ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**पांडिचेरी में कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल**

7893. **श्री एम० एम० जोजफ : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अप्रैल, 1972 को पांडिचेरी कारायका और महे में लगभग 12,000 कपड़ा श्रमिकों ने अपनी माँगों के समर्थन में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य माँगें क्या हैं और उनके संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) पांडिचेरी में लगभग 10,000 कर्मचारियों ने 12 अप्रैल, 1972 से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल कर दी ।

(ख) कर्मचारियों की मुख्य मागें ये थीं : मूल: वेतन और महंगाई भत्ते में संशोधन, 8·33 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम बोनस, स्थायी करना, ग्रेचुइटी आदि । प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच समझौता हो गया है और हड़ताल समाप्त कर दी गई है ।

**Indians to set up Hotels in Foreign Countries**

7894. **Shri Onkar Lal Berwa** :
**Shri Hukam Chand Kachwai**:

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether Government have permitted some Indian citizens to set up hotels in foreign countries; and

(b) the names of the countries where such hotels would be set up ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George)** : (a) and (b). Government has accorded approval to an Indian party to set up a hotel in Mauritius as a joint venture.

## चाय की उत्पादन लागत और उपज दर

7895. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर तथा दक्षिण में एक ही उत्पादन जोन में चाय की उत्पादन लागत तथा उपज दर में कितना अन्तर है; और

(ख) क्या बागान जाँच आयोग ने उत्पादन लागत के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया था ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हाँ । बागान जाँच आयोग, 1956 के प्रतिवेदन में उत्पादन लागत के बारे में एक अध्याय था ।

### विवरण

चाय बोर्ड द्वारा लिये गये 1970 की स्थिति के नमूना सर्वेक्षण के आधार पर उत्तर तथा दक्षिण भारत के संबंध में एकही एक्साइज क्षेत्रों में चाय के उत्पादन तथा उपज दर की लागत दर्शाने वाला विवरण ।

| एक्साइज क्षेत्र | उत्तर भारत | | दक्षिण भारत | |
|---|---|---|---|---|
| | उत्पादन लागत (प्रति किग्रा०) | उपज दर प्रति हेक्टेयर (किग्रा०) | उत्पादन लागत (प्रति किग्रा०) | उपज दर प्रति हेक्टेयर (किग्रा०) |
| 1 | 4·89 | 722 | 4·49 | 1193 |
| 2 | 5·86 | 1310 | 5·56 | 1478 |
| 3 | 11·06 | 510 | — | — |
| 4 | — | — | 4·90 | 1602 |
| 5 | 7·04 | 1287 | — | — |

### Setting up of a Unit by Atlas Cycle Industries in Iran

7896. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the Atlas Cycle Industries are setting up a unit in Iran; and

(b) if so, the salient features thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. Geroge):** (a) and (b). Government has received no proposal from M/s Atlas Cycle Industries for setting up a unit in Iran as a joint venture.

## परसौनी रेल-स्टेशन के निकट रेलवे क्रासिंग परियोजना के लिए वर्ष 1960 में भूमि का अधिग्रहण किया जाना

7897. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्ती पुर डिवीजन में परसौनी (सीसामढ़ी) रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे क्रासिंग परियोजना के लिए गरीब भू-स्वामियों से वर्ष 1960 में लगभग 10 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसके लिए मुआवजा अदा कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ ।

(ख) रेलों के लिए भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है । राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार क्षतिपूर्ति के सभी दावों का भुगतान हो चुका है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## Decline in Price of Cotton in U. P.

7898. **Shri Hari Singh**: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the price of cotton in U. P. is declining rapidly and the farmers are not getting proper price for their product; and

(b) if so, the steps being taken by Government to check the decline in price of cotton in U. P. ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) :** (a) U. P.'s production of cotton is estimated at 90,000 bales, mostly Deshi variety. No complaint has been received about the rapid decline in prices. It is expected that the entire cotton grown in U. P. has already been marketted.

(b) Does not arise.

## त्रिपुरा में कपास का मूल्य

7899. **श्री दशरथ देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में कपास के मूल्यों में तेजी से कमी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कपास उगाने वालों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी नहीं। त्रिपुरा सरकार द्वारा भेजे गए आँकड़े यह दर्शाते हैं कि त्रिपुरा में चालू रूई वर्ष के दौरान रूई की बाजार कीमतें पिछले वर्ष की कीमतों से ऊँची हैं :

(रुपये प्रति गाँठ)

| बाजार | 1970-71 | 1971-72 |
|---|---|---|
| 1. अगरतला | 450 | 450-550 |
| 2. राधाकिशोरपुर | 350-400 | 400-600 |
| 3. बेलोनिया | 350-425 | 350-500 |
| 4. खोवाई | 325-375 | 325-500 |
| 5. तेलियामुरा | 400 | 500-600 |
| 6. फटीकुली | 400 | 450-500 |
| 7. पानी चौकी | 450 | 400-475 |

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**कपास का समान मूल्य**

7900. **श्री बी० वी नायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपास के समान मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बम्बई, कलकत्ता तथा कपास की अन्य मंडियों में कपास की गाँठों के मूल्य में कितना अन्तर है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग). वर्ष 1970-71 तक रूई (लिंट) की विभिन्न किस्मों की न्यूनतम समर्थन कीमतें निर्धारित की जाती थीं। क्योंकि उस समय भी बाजार कीमतें समर्थन कीमत स्तरों से बहुत अधिक रहती थीं, अत: वर्ष 1971-72 के कपास मौसम के लिए समर्थन कीमतें निर्धारित नहीं की गईं। तथापि इस वर्ष कीमतों में अत्यधिक गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रूई निगम को विभिन्न राज्यों में उत्पादित विभिन्न किस्मों के लिये निश्चित की गई पूर्व निर्धारित उचित कीमतों पर खरीदारी करने के लिए कहा गया है।

बम्बई, कलकत्ता तथा अन्य मुख्य रूई बाजारों में कच्ची रूई की कीमतों में सही अन्तर का परिमाण आँकना कठिन है क्योंकि यह रूई की किस्मों, ग्रेडों तथा उसके उत्पत्ति स्थान पर निर्भर करेगा। साधारणत: यह अन्तर उत्पादन के स्थान से बम्बई, कलकत्ता या उस स्थान तक भाड़े में अन्तर के बराबर होगा जहाँ से रुई खरीदी जाती है। इसके अतिरिक्त, अन्तर विनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि अनेक मामलों में अधिक मात्रा के लिए भाड़े की कम दरें लगती हैं।

**सरकार द्वारा फालतू कपास का खरीदा जाना और उसके मूल्यों पर प्रभाव**

7901. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के फालतू देशी कपास खरीदने संबंधी निर्णय का कपास के मूल्य पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश के जारी किये जाने से ले कर सरकार ने कुल कितनी देशी कपास खरीदी है; और

(ग) सरकार द्वारा कपास खरीदना आरम्भ किये जाने से ले कर मूल्यों की स्थिति क्या रही है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग). रूई वर्ष 1971-72 के दौरान रूई की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति बनी रही। रूई उपजकर्त्ताओं को सहायता प्रदान करने और रूई बाजार में स्थिरता लाने के उद्देश्य से भारतीय रूई निगम को रूई खरीदने के लिए कहा गया। निगम ने दिसम्बर, 1971 के आरम्भ में बाजार में प्रवेश किया। बाद में, उचित खरीदारी कीमतें निर्धारित की गयीं और निगम को इन कीमतों के बारे में सूचित किया गया और अप्रैल के तीसरे सप्ताह से निगम ने इन उचित कीमतों के आधार पर रूई की खरीदारियाँ की हैं। अब तक निगम ने लगभग 2½ लाख गाँठ रूई खरीदी है जिसका मूल्य लगभग 32·21 करोड़ रु० है। निगम के खरीद कार्यों से स्थिरता आई है।

**इज्जतनगर (पूर्वोत्तर रेलवे) के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बाढ़-अग्रिम राशि का दिया जाना**

7902. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पष्ट आदेशों के बावजूद इज्जतनगर पूर्वोत्तर रेलवे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बाढ़ अग्रिम राशि नहीं दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) से (ग). इस मद में उपलब्ध धन-राशि के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर के श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों को बाढ़-अग्रिम दिया गया है।

**चालू वर्ष में काजू का निर्यात**

7903. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में प्रत्येक देश को अनुमानतः कितने-कितने काजू का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** (क) तथा (ख). 1972-73 के लिए काजू के देशवार निर्यातों के प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए हैं। 1971-72 के दौरान 61·73 करोड़ रु० मूल्य का 60,834 मे० टन काजू विभिन्न देशों को निर्यात किया गया था जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

**विवरण**

**काजू गिरि का निर्यात**

(मात्रा मे० टनों में तथा मूल्य हजार रु० में)

| देश | अप्रैल, 71—मार्च, 72 | |
|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 |
| आस्ट्रेलिया | 1234 | 18440 |
| बहरीन द्वीप | 102 | 1053 |
| बेल्जियम | 168 | 1069 |
| बरमुदा | — | — |
| बल्गारिया | 99 | 1095 |
| कनाडा | 3890 | 41922 |
| चैकोस्लोवाकिया | 700 | 7112 |
| फ्रांस | 203 | 1910 |
| जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य | 1070 | 7669 |
| जर्मन संघीय गणराज्य | 474 | 3652 |
| हांगकांग | 879 | 9719 |
| हंगरी | 31 | 339 |
| इटली | 77 | 590 |
| ईरान | 119 | 1460 |
| जमाइका | 25 | 292 |
| जापान | 1401 | 15599 |
| जोर्डन | 18 | 156 |
| कुवैत | 97 | 1114 |
| लेबेनान | 142 | 1420 |
| मलयेशिया | 22 | 221 |
| नीदरलैंड्स | 947 | 9355 |
| न्यूजीलैंड | 79 | 830 |
| पोलैंड | 137 | 1340 |
| रूमानिया | 99 | 986 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| सऊदी अरब | 3 | 36 |
| सिंगापुर | 375 | 3920 |
| स्पेन | 32 | 184 |
| स्वीडन | 15 | 130 |
| स्विटजरलैंड | 23 | 269 |
| ब्रिटेन | 1844 | 17044 |
| सं० रा० अमरीका | 27198 | 287985 |
| सोवियत संघ | 18993 | 181534 |
| यूगोस्लाविया | 293 | 3336 |
| सीरिया | 18 | 185 |
| ईराक | 5 | 61 |
| योग अन्य देशों सहित : | 60834 | 617323 |

## फिल्मों के आयात के लिए नई नीति

7904. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रदर्शन के लिए फिल्मों के आयात के संबंध में सरकार की नीति पर देश तथा विदेश में फिल्म उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम के माध्यम से रूपक फिल्मों का आयात करने की सरकारी नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रबंधों के विषय में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। अत: देश तथा विदेश में फिल्म उद्योग की प्रतिक्रिया के संबंध में इतनी जल्दी बताना संभव नहीं है।

## Contracts for Opening Bookstalls at Railway Stations

7905. **Shri Jagannathrao Joshi** :
**Shri Paripoornanand Painuli** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the contractors given contracts for running bookstalls at railway stations;

(b) whether any complaints against them have been received by Government; and

(c) if so, the gist thereof and the action taken theron ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) to (c). A statement giving the details is attached. [*Placed in the Library. See* No. LT--3110/72.]

**Opening of New Bookstalls at Railway Stations**

7906. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
**Shri Paripoornanand Painuli :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to award contracts for opening Bookstalls at Railway Stations to Contractors having small capital or Cooperative Societies; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) and (b). The allotment of bookstall contracts to Cooperative Societies and Small Contractors is considered on merits alongwith others if such Cooperative Societies/Small Contractors also submit their applications whenever applications are invited by the Railways.

**Rural Electrification Scheme for Phoolpur Constituency**

7907. **Shri Vishwanath Pratap Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Uttar Pradesh Government has forwarded to the Central Government a rural electrification Scheme for Phoolpur Parliamentary Constituency costing Rupees 16 lakh; and

(b) if so, the decision taken by the Central Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel)** : (a) and (b). The Rural Electrification Corporation which has been set-up in the Central Sector since July, 1968, provides additive finances for implementation of rural electrification schemes of State Electricity Boards. The Corporation has sanctioned one scheme of Uttar Pradesh State Electricity Board for electrification of 96 villages, 426 pumpsets and power supply to 109 small scale and agro-industries in Phoolpur and Bahadurpur blocks of Allahabad District. The scheme envisages loan assistance of Rs. 47·11 lakhs. No other scheme of Phoolpur block is pending consideration of the Rural Electrification Corporation at present.

**Construction of Embankment on a Nullah in Codwa Village**

7908. **Shri Vishwanath Pratap Singh** : Will the Minister of **Irrigation and power** be pleased to state :

(a) whether Central Government had a scheme to construct embankment on a 'nullah' in Godwa village, tehsil Handia, Phoolpur Parliamentary Constituency;

(b) if so, the progress made in regard to this scheme so far; and

(c) the steps being taken by Government to expedite the scheme ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel)** : (a) to (c). The Centre had not proposed to undertake such a scheme. However,

in 1965, the State Government of Uttar Pradesh, on a suggestion from the Union Minister of Irrigation and Power, had proposed a scheme for construction of a check dam on Gudari Nallah in Handia Tehsil as an anti erosion measure. But subsequently when the detailed scheme estimated to cost Rs. 11·65 lakhs was prepared by the State Government that the cost was too high for benefitting an area of only 80 ha. and as such it was not taken up for execution. As an alternative, soil conservation measures in the catchment of the Nallah are being carried out by the State Government to reduce soil erosion.

**विभिन्न रेलवे के मुख्य कार्यालयों का अन्य स्थानों पर ले जाया जाना**

7909. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे के मुख्यालयों के स्थानान्तरण के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का सार क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थानान्तरण कब तक हो जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

**समूचे वर्ष राजस्थान नहर में पानी देना**

7910. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर को बाँधों से पूरा पानी नहीं मिल रहा है जिससे राजस्थान में फसलों को क्षति हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केवल कुछ मौसमों में पानी देने के बजाय नहर में पूरे वर्ष पानी छोड़ने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) से (ग). राजस्थान नहर को पौंग बाँध के पूर्ण होने पर, जिस पर इस समय कार्य हो रहा है, नियमित रूप से बारह-मासी जल सप्लाई मिल सकेगी । बहरहाल, तब तक रावी और ब्यास नदियों के जल में राजस्थान का भाग नदी के बहावों पर निर्भर करता है जो समय-समय पर कमोबेश होता रहता है और राजस्थान को सप्लाई तदनुसार की जा रही है । राज्य के भीतर राजस्थान नहर और गंग नहर के बीच इस भाग का वितरण राजस्थान सरकार द्वारा, जैसा वह उचित समझती है, किया जाता है । इस समय राजस्थान नहर की माँग को पूरा किया जा रहा है ।

**Theft of Goods on Southern Railway**

7911. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shrimati Bhargavi Thankappan :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the quantity of Railway property stolen on the Southern Railway during the last two years;

(b) the number of cases registered in this regard and the quantity of property recovered; and

(c) the number of cases pending in courts at present ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) :** (a)

| Year | Value of Railway property stolen on Southern Railway |
|---|---|
| 1970 | Rs. 1,73,904/- |
| 1971 | Rs. 1,74,936/- |

(b)

| Year | No. of cases registered | Value of property recovered |
|---|---|---|
| 1970 | 607 | Rs. 50,051/- |
| 1971 | 955 | Rs. 34,300/- |

(c) One case of 1970 and 11 cases of 1971 are pending in Courts at present.

**Incidents of Chain Pulling on Eastern Railway**

7912. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases of chain pulling on the Eastern Railway since the 1st January, 1971; and

(b) the number of cases justified and the number of cases which were not justified.

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) and (b). There were 78,220 cases of alarm chain pulling on the Eastern Railway during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1972, out of which 445 cases were justified and 77,775 cases were unjustified.

**Loss to Indian Railways due to Last Indo-Pak War**

7913. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister ef **Railways** be pleased to state the estimated loss sustained by the Indian Railways as a result of the recent Indo-Pak war ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : Rs. 7·59 lakhs approximately. The break-up of the amount under various heads is as under :

(i) Buildings — Rs. 2·94 lakhs.
(ii) Tracks — Rs. 1·04 lakhs.
(iii) Bridges — Rs. 3·30 lakhs.
(iv) Electrical installations and Telecommunication equipments — Rs. 0·31 lakhs.

**Confirmation of Staff on Central Railway**

7914. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The number of permanent and temporary employees on the Central Railway at present;

(b) the number of temporary employees who have been working for more than five years; and

(c) the action proposed to be taken by Government to confirm such employees ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) :**

(a) Permanent : 1,54,291.
Temporary : 25,254.

(b) 3,997.

(c) A special drive has been instituted by the Railway Administration for conversion of temporary posts into permanent ones wherever justified, and for Comfirmation of eligible staff.

**सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में जलाशयों और अवरोधी बाँधों का निर्माण**

7915. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समझती है कि सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के सभी उपयुक्त स्थानों पर जलाशय तथा अवरोधी बाँध बनाकर पानी को जमा करने की आवश्यकता है चाहे उनसे सीधी सिंचाई हो सके अथवा नहीं;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि कुछ राज्यों में ये कार्य तब तक आरम्भ नहीं किये जाते जब तक उनसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रतिशत राजस्व नहीं मिलता; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) से (ग). कृषि मंत्रालय, जो इस विषय से संबद्ध है, ने सूचित किया है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत

स्वीकृत लघु सिंचाई स्कीमों में जलाशयों तथा व्यपवर्तन वीयरों जैसी स्कीमें शामिल हैं जिनसे सीधे सिंचाई लाभ होते हैं और रोक बाँध भी शामिल हैं जो केवल भूगत जल को पुनः पूरा कर देते हैं और इन स्कीमों को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसी बहुत सी राज्य सरकारों ने पहले से ही सूखा प्रवण क्षेत्रों में ऐसी लघु सिंचाई स्कीमों के लिए मापदण्ड में ढील दे दी है। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मामले में केवल लाभ-लागत अनुपात को ही ध्यान में रखा गया है न कि सीधे राजस्व की प्रतिशतता को।

## चीनी-मिल की मशीनों का निर्यात

7916. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चीनी मिल्ज़ की मशीनों और विद्युत केन्द्र के उपकरणों का निर्यात कुछ देशों को किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो जिन देशों को, इन मशीनों तथा उपकरणों का निर्यात किया गया है, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की मशीनों का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) सरकार इनका कोई निर्यात नहीं करती। तथापि, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के उपक्रम चीनी मिल की मशीनों और पावर स्टेशन उपस्करों का निर्यात कर रहे हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिन प्रमुख देशों को निर्यात किये गए हैं, उनके नाम हैं :

1. **चीनी मिल की मशीनें** : बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, लिबरिया, नाईजीरिया, सूडान और उगान्डा।

2. **पावर स्टेशन उपस्कर** : आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ईराक, मलयेशिया, कुवैत, सूडान, पश्चिम जर्मनी, थाइलैंड, मिश्र का अरब गणराज्य और ब्रिटेन।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हुए निर्यातों के मूल्य इस प्रकार रहे हैं :

(मूल्य लाख रु० में)

| | 1968–69 | 1969–70 | 1970–71 |
|---|---|---|---|
| चीनी-मिल की मशीनें | 24·35 | 29·31 | 17·64 |
| पावर स्टेशन उपस्कर | 113·89 | 249·09 | 319·34 |

**टंगटूर और सिंहरायाकोंडा रेलवे स्टेशनों (दक्षिण-मध्य रेलवे) के बीच काली किवायाबिट्रागुंटा के निकट हाल्ट / रेलवे स्टेशन**

7917. **श्री पी० वेंकट रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विजयवाडा-मद्रास सेक्शन पर टंगटूर और सिंहरायाकोंडा रेलवे स्टेशनों के बीच काटीकिवायाबिट्रागुंटा के निकट एक नया रेलवे स्टेशन या एक हाल्ट स्टेशन बनाने संबंधी अभ्याभेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रस्ताव की जाँच-पड़ताल की गई है लेकिन वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं पाया गया है ।

**कावली उदयगिरि रोड (दक्षिण मध्य रेलवे) के रेलवे फाटक पर नीचे के/ ऊपरी पुल का निर्माण**

7918. **श्री पी० वेंकट रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कावली-उदयगिरि रोड के रेलवे फाटक पर एक नीचे का या ऊपरी पुल बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में कावली नगर परिषद् से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ ।

(ख) वर्तमान व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी / निचले सड़क पुलों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकारों / सड़क प्राधिकरण द्वारा इस वचनबद्धता के साथ प्रायोजित होने चाहिए कि वे अपने हिस्से की लागत वहन करेंगी । राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रायोजित हो जाने के बाद ही इस पर आगे कार्यवाही ही जा सकती है ।

**आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में गण्डीपलेम परियोजना**

7919. **श्री पी० वेंकट रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लौर जिले में गण्डीपलेम परियोजना के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए बहुत समय पहले प्रस्तुत किये थे;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना की अनुमानित लागत कितनी है और उससे कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होने की सम्भावना है; और

(ग) अब उक्त प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) से (ग). 97 लाख रुपये की लागत की गण्डीपलेम परियोजना 10,000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए दिसम्बर, 1966 में स्वीकृत हुई थी। राज्य सरकार ने स्कीम पर कार्य 1971-72 में आरम्भ कर दिया है।

**इलाहाबाद, पटना और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करने के बाद अपनी जन्म तिथि बदलना**

7920. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद, पटना और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के ऐसे कितने न्यायाधीश हैं जो अभी भी सेवारत हैं और जिन्होंने पदग्रहरण करने के बाद अपनी जन्म तिथि बदल दी है;

(ख) पहले क्या जन्म-तिथि दी गई थी और ऐसे न्यायाधीशों में से प्रत्येक की अब बदली हुई जन्म-तिथि क्या है;

(ग) क्या आयु में परिवर्तन की मंजूरी देने से पहले कोई जाँच की गई थी; और;

(घ) आयु में परिवर्तन के अनुरोध को कितने मामलों में अस्वीकार किया गया है ?

**विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) कोई नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**रेलवे में प्रथम श्रेणी के कोच अटेन्डेन्टों की सेवा की शर्तें**

7921. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में प्रथम श्रेणी के कोच अटेन्डेन्टों की सेवा की शर्तें तैयार कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) और (ख). भारतीय रेलों पर पहले दर्जे के सवारी डिब्बा परिचरों की कोटि के लिए 75-89 रुपये का अधिकृत वेतनमान नियत किया गया है। पहले दर्जे के सवारी डिब्बा परिचरों की सेवा की अन्य शर्तें जैसे छुट्टी, सेवा निवृत्ति लाभ, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, महंगाई भत्ता, और यात्रा भत्ता, जैसे भत्तों की मंजूरी आदि का विनियमन उन्हीं नियमों और आदेशों के अन्तर्गत किया जाता है जो अन्य रेल कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

**इलाहाबाद, गोरखपुर और लखनऊ डिवीजनों में बिना टिकट यात्रा की घटनायें**

7922. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद, गोरखपुर और लखनऊ डिवीजनों में गत तीन वर्षों में बिना टिकट यात्रा की कुल कितनी घटनाएँ हुई;

(ख) इस अवधि में प्रत्येक तीन माम में इन यात्रियों से कितना कितना धन वसूल किया गया; और

(ग) इस अवधि में प्रत्येक तीन मास में इन डिवीजनों में टिकट घरों से कितने मूल्य के टिकट बिके ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) 1969-70 से 1971-72 तक के तीन वर्षों में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

| | | |
|---|---|---|
| इलाहाबाद मंडल | ... | 73,443 |
| लखनऊ मंडल (उत्तर रेलवे) | ... | 87,825 |
| लखनऊ मंडल (पूर्वोत्तर रेलवे) | | 1,31,006 |

गोरखपुर मंडल अलग से नहीं है। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल का एक भाग है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3111/72.**]

**उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियों का ठीक समय पर चलना**

7923. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) गत वित्तीय वर्ष के दौरान गाड़ियों के देर से चलने के कारण रेलवे के वास्तव में कितने कार्य घंटे व्यर्थ गये और उसके फलस्वरूप रेलवे को कितने रुपयों की हानि उठानी पड़ी ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों सहित सभी भारतीय रेलों पर गाड़ियों के समय पालन पर रेल प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। परिहार्य अवरोधनों की शीघ्रता से जाँच पड़ताल की जाती है और उपयुक्त उपचारात्मक या दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

(ख) धन के रूप में रनिंग घंटों की वास्तविक हानि का कोई हिसाब नहीं रखा जाता।

## देश में कुल सिंचित भूमि

7924. **श्री सतपाल कपूर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सधनों के माध्यम से देश में राज्य-वार इस समय कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होती है; और

(ख) सरकार का विचार और अधिक भूमि में सिंचाई के लिए क्या कार्यवाही करने का है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी भूमि में सिंचाई किये जाने का लक्ष्य है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)**: (क) राज्य सरकारों द्वारा हाथ में ली गई बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से व्यवस्थित सिंचाई शक्यता मार्च, 1972 तक 19·5 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है। राज्यवार ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया जाता है।

(ख) सिंचाई राष्ट्रीय विकासात्मक योजनाओं के मुख्य सैक्टरों में से एक है और चतुर्थ योजना के दौरान बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर परिव्यय लगभग 1,175 करोड़ रुपये होने की संभावना है। चतुर्थ योजना के अन्त तक इन स्कीमों से 22·1 मिलियन हैक्टेयर तक की शक्यता होनी प्रत्याशित है।

**विवरण**

| राज्य | मार्च, 1972 तक बृहत और मध्यम स्कीमों से सिंचाई शक्यता (मिलियन हैक्टेयरों में) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 2575 |
| असम | 98 |
| बिहार | 1748 |
| गुजरात | 559 |
| हरियाणा | 965 |
| हिमालय प्रदेश | — |
| जम्मू व कश्मीर | 66 |
| केरल | 343 |
| मध्य प्रदेश | 955 |
| महाराष्ट्र | 731 |
| मैसूर | 837 |
| नागालैंड | — |
| उड़ीसा | 1236 |
| पंजाब | 2434 |
| राजस्थान | 1131 |
| तमिलनाडु | 1375 |
| उत्तर प्रदेश | 3204 |
| पश्चिम बंगाल | 1243 |
| संघ राज्य क्षेत्र | — |
| कुल : | 19,500 |

### Allocation of Imported Cotton to M. P.

7925. **Shri G. C. Dixit :**
**Shri Hari Singh :**

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of cotton imported during the last three years; and

(b) the quantity of cotton allocated to Madhya Pradesh and Uttar Pradesh during the said period ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) :**
(a)

Quantity in lakh bales)
Cotton Year (September-August)

| 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 |
|---|---|---|
| 4·29 | 9·03 | 8·52 |

(b) Allocations of imported cotton given to Mills in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh were as under :

| State | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 |
|---|---|---|---|
| Madhya Pradesh | 3,870 bales | 14,973 bales | 9,210 bales |
| Uttar Pradesh | 6,013 bales | 17,959 bales | 11,639 bales |

### Exports from Madhya Pradesh

7926. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity and value of the goods exported to foreign countries from Madhya Pradesh during the years 1970-71 & 1971-72 (to-date); and

(b) their percentage to the total export commodity-wise ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George)** : (a) and (b). Statewise statistics are not available.

### Export of Mangoes and Bananas

7927. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of mangoes and bananas exported by India during 1970-71 and during 1st April, 1971 to 1st October, 1971; and

(b) the amount of foreign exchange earned therefrom ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) :** (a) and (b). The figures of export are as under :

(Quantity in tonnes, Value in Rs. Lakhs)

| | 1970-71 | | From 1st April, 1971 to 30th September, 71 | |
|---|---|---|---|---|
| | Qty. | Val. | Qty. | Val. |
| Mangoes | 1290 | 27·74 | 1233 | 24·28 |
| Bananas | 7954 | 37·45 | 1265 | 5·88 |

**Ticketless Passengers Arrested in Bihar during 1971-72**

7928. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of ticketless passengers arrested in Bihar during 1971-72;

(b) the amount collected from them by Railway Administration in the form of penalty;

(c) whether some clashes also took place between Railway Employees and the passengers during the said period in the course of the drive to check ticketless travel; and

(d) the arrangements made by Government for the protection of Railway Employees ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) to (d). Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

**Export of Mica**

7929. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of mica exported by Government after taking over the export trade of mica;

(b) the names of the countries to which mica was exported during the last year and the value of mica exported to those countries; and

(c) the orders for mica placed with the Government by foreign countries at present ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George)** : (a) The M. M. T. C. has exported 747·7 tonnes of mica valued at Rs. 79·06 lakhs since its canalisation on the 24th January, 1972 upto the 22nd May, 1972.

(b) A Statement is attached. [*Placed in the Library. See* No. LT—3112/72.]

(c) Orders for mica valued at Rs. 5·9 crores were placed with the M. M. T. C. till 13th May, 1972.

**मैसर्स हिन्दुस्तान एम्ब्रायडरी मिल्स, छैहरटा का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना**

7930. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान एम्ब्रायडरी मिल्स, छैहरटा को अपने हाथ में लेने के बारे में

पंजाब सरकार से केन्द्रीय सरकार को अभी हाल में कोई पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या सरकार ने पंजाब सरकार से अप्रैल, 1972 तक मिलों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा था और यदि हाँ, तो पंजाब सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हाँ । वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के सर्वेक्षण दल से इस मिल का तकनीकी एवं वित्तीय सर्वेक्षण करने को कहा गया है तथा उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही उसके प्रबंध को अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(ख) जी नहीं ।

**Shifting of Old Workshop at Parel (Bombay) to Itarsi (Central Railway)**

7931. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a study team has been appointed to go into the question of shifting the Central Railway Old Workshop, Parel, Bombay to Itarsi; and

(b) if so, the findings of the study team ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) No.

(b) Does not arise.

**Conversion of Ujjain-Agar Narrow Gauge into Metre Gauge**

7932. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are considering seriously to convert Ujjain-Agar narrow gauge line into metre gauge line; and

(b) if so, the steps proposed to be taken in this regard ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) No.

(b) Does not arise.

**Goods Traffic Handled by North Eastern Railway**

7933. **Shri Phool Chand Verma :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the value of goods traffic handled by the North Eastern Railway during the last two years; and

(b) broad outlines of the revenue earned by Government therefrom ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) and (b). Railways have statistics of the volume of goods traffic carried and earnings derived therefrom but not of their value. Figures of goods traffic handled by North Eastern Railway and goods earnings derived during 1970-71 and 1971-72 are given below :

| | 1970-71 | 1971-72 |
|---|---|---|
| (1) Tonnes carried (in millions)— | | |
| (i) Revenue earning traffic | 12·06 | 10·60 |
| (ii) Non-Revenue traffic | 2·94 | 3·19 |
| (iii) Total | 15·00 | 13·79 |
| (2) Earnings derived from revenue earning goods traffic (in crores of rupees) | 21·94 | 22·75 |

**हीरों को तराशने संबंधी विदेशी क्रयादेशों को पूरा करने के लिए कार्यवाही**

7934. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरों के तराशने के लिए भारत को विदेशों से बड़े क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और वह उन सभी आदेशों की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हीरों को तराशने के लिए नये कारखाने स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) विदेशों में भारत के तराशे तथा पालिश किए हुए हीरों की काफी माँग है। विभिन्न देशों की विशेषीकृत माँगों को पूरा करने के लिए समस्या हीरों को तराशने तथा उन पर पालिश करने की नहीं है अपितु अपेक्षित क्वालिटी के कच्चे माल की उपलब्धि और उपयुक्त तकनीकों के विकास की है।

(ख) सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**टिकट खिड़कियों (दक्षिण रेलवे) पर पंक्ति की व्यवस्था**

7935. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिकट खिड़कियों पर पंक्ति की व्यवस्था लागू करने के लिए तरीकों पर विचार करने के लिए दक्षिण रेलवे के अधिकारियों ने हाल ही में एक मीटिंग की थी;

(ख) यदि हाँ, तो मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) अब उन्हें कहाँ तक क्रियान्वित किया जा रहा है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर सीटों और शायिकाओं के आरक्षण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :

(i) ऊँचे दर्जे और तीसरे दर्जे की आरक्षण तथा बुकिंग खिड़कियों की संख्या बढ़ा दी गयी है।

(ii) ग्रीष्मकालीन बड़ी माँग के लिए अस्थायी रूप से अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किये गये हैं।

(iii) यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए दो सूचना कक्ष की व्यवस्था की गयी है जिनमें टिकट जाँच कर्मचारी बैठते हैं।

(iv) ऊँचे दर्जे की बुकिंग और आरक्षण खिड़कियों को मिला दिया गया है ताकि बुकिंग और आरक्षण एक ही खिड़की पर हो सके और खिड़की पर यात्री का प्रतीक्षा समय कम किया जा सके।

(v) आरक्षण कार्यालय के बाहर क्यू में खड़े वास्तविक यात्रियों को टोकन दिये जाते हैं ताकि जब वास्तविक बुकिंग शुरू हो तो क्यू में उनका वही स्थान बना रहे।

(vi) 3.5.1972 से सुबह 4 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन एक अधिकारी की ड्यूटी लगायी जाती है जिसके साथ निरीक्षकों और रक्षकों की एक टुकड़ी होती है। ये लोग क्यू से बाहर के अनधिकृत लोगों को टिकट खरीदने के लिए बुकिंग कार्यालय पर जाने से रोकते हैं, बुकिंग क्लर्कों द्वारा किए गए काम की जाँच करते हैं और क्यू में खड़े यात्रियों की शिकायतें सुनते हैं।

(vii) शायिकाओं के आरक्षण के लिए छोटे और मध्यवर्ती स्टेशनों के कोटों की पुनः समीक्षा करके उनमें संशोधन किया गया है ताकि प्रारम्भिक यात्रियों को अधिक स्थान दिया जा सके।

**मद्रास स्टेशन पर सीटों का आरक्षण**

7936. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों की जरूरत पूरी करने के लिए सीटों का आरक्षण करने की व्यवस्था लागू की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ।

(ख) मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर सीटों और शायिकाओं के आरक्षण के लिए जो नए प्रबन्ध किए गए हैं वे मोटे तौर पर इस प्रकार हैं :

(i) ऊँचे दर्जे और तीसरे दर्जे की आरक्षण तथा बुकिंग खिड़कियों की संख्या बढ़ा दी गयी है।

(ii) ग्रीष्मकालीन बड़ी माँग के लिए अस्थायी रूप से अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

(iii) यात्रियों के मार्ग दर्शन के लिए दो सूचना कक्ष की व्यवस्था की गयी है जिनमें टिकट जाँच कर्मचारी बैठते हैं।

(iv) ऊँचे दर्जे की बुकिंग और आरक्षण खिड़कियों को मिला दिया गया है ताकि बुकिंग और आरक्षण एक ही खिड़की पर हो सके और खिड़की पर यात्री का प्रतीक्षा समय कम किया जा सके।

(v) आरक्षण कार्यालय के बाहर क्यू में खड़े वास्तविक यात्रियों को टोकन दिए जाते हैं ताकि जब वास्तविक बुकिंग शुरू हो तो क्यू में उनका वही स्थान बना रहे।

(vi) 30.5.1972 से सुबह 4 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन एक अधिकारी की ड्यूटी लगा दी जाती है जिसके साथ निरीक्षकों और रक्षकों की एक टुकड़ी होती है। ये लोग क्यू से बाहर के अनधिकृत लोगों को टिकट खरीदने के लिए बुकिंग कार्यालय पर जाने से रोकते हैं, बुकिंग क्लर्कों द्वारा किए गए काम की जाँच करते हैं और क्यू में खड़े यात्रियों की शिकायतें सुनते हैं।

(vii) शायिकाओं के आरक्षण के लिए छोटे और मध्यवर्ती स्टेशनों के कोटों की पुनः समीक्षा करके उनमें संशोधन किया गया है ताकि प्रारम्भिक यात्रियों को अधिक स्थान दिया जा सके।

**केनिया में भारत द्वारा तीन विद्युत एककों का निर्माण करना**

7937. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने केनिया में तीन विद्युत एककों का निर्माण करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह केनिया परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख) जी. हाँ। कमबुरू जल-विद्युत परियोजना के अन्तर्गत जुजा रोड, किन्दुरुमा और कमबुरू पर तीन उप-केन्द्रों में 132 के० वी०, 33 के० वी० और 11 के० वी० स्विचगीयर, कन्ट्रोल पेनल और आनुषंगिक उपस्करों के डिजाइन, इंजीनियरी सम्भरण और प्रतिष्ठापन तथा प्रचालन संबंधी कार्य विद्युत

परियोजनाओं के लिए भारतीय संघ (इंडियन कन्सार्टयम) द्वारा हाथ में लिया गया है जो कि औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन एक सरकारी उपक्रम है। जूजा रोड पर एक सर्किट का प्रचालन सितम्बर, 1973 तथा शेष कार्य जनवरी, 1974 तक पूर्ण होना है।

**मालक्का की खाड़ी के बारे में इंडोनेशिया, मलेयेशिया और सिंगापुर द्वारा अपनाए गए रवैये के परिणामस्वरूप सुदूर-पूर्व के देशों के साथ व्यापार पर प्रभाव**

7938. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मालक्का की खाड़ी के बारे में इंडोनेशिया, मलयेशिया और सिंगापुर द्वारा जो रवैया अपनाया गया था उसके फलस्वरूप सुदूर-पूर्व के देशों के साथ भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : मालक्का स्टेट के संबंध में मलयेशिया, सिंगापुर तथा इंडोनेशिया द्वारा अपनाये गये रुख से सुदूर-पूर्व के देशों के साथ भारत के विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

**वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप द्वारा 2600 हार्स पावर के इंजनों का उत्पादन**

7939. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप ने वक्त जरूरत काम आने वाले बिजली उत्पादन सैटों को चलाने के लिये 2600 हार्स पावर के इंजनों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन इंजनों का उत्पादन निर्यात करने के लिये आरम्भ किया गया है अथवा आंतरिक माँग को पूरा करने के लिए किया गया है;

(ग) क्या इससे डीजल इंजनों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) क्या इस वर्कशाप को कोई अग्रिम क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो क्रयादेशों का मूल्य कितना है तथा ये किस किस से मिले हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ।

(ख) आंतरिक माँग।

(ग) जी नहीं।

(घ) भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र से डीज़ल रेल इंजन कारखाना को मद्रास-अणु शक्ति परियोजना के लिए डीजल जनित्र सेट के दो सेटों के आर्डर मिले हैं जिनका कुल मूल्य लगभग 40·00 लाख रुपये होने का अनुमान है।

**पटसन जाँच समिति**

7940. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पटसन जाँच समिति द्वारा जो पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा वर्ष 1969 में स्थापित की गई थी, प्रस्तुत प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1969 में स्थापित पटसन जाँच आयोग ने राज्य सरकार को एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसने प्रतिवेदन को प्रकाशित करने का विनिश्चय किया था क्योंकि आयोग के अधिकांश विचारार्थ विषय उस सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर पाए गए। इसको देखते हुए उसके मुख्य निष्कर्षों तथा सिफारिशों के बारे में जो बातें उठाई गई हैं वे पैदा नहीं होतीं। राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल नहीं बढ़ाया।

**मालगाड़ियों के गार्डों और ड्राइवरों के कार्य के घंटे**

7941. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे में मालगाड़ियों के गार्ड और ड्राइवर कितने-कितने हैं;

(ख) उनके कार्य के घंटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं कि इनमें से अधिकतर कर्मचारियों के "कार्य के घंटों" से संबंधित विनियमों का उल्लंघन करके निर्धारित काम के घन्टों से अधिक समय तक कार्य करने को विवश किया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**पटसन मंडी में प्रवेश के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम**

7942. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक पटसन मंडियों में बड़े पैमाने पर प्रवेश के लिए सरकार ने कोई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). पटसन खरीद

कार्य भारतीय पटसन निगम द्वारा किये जायेंगे । आशा है कि निगम 1972-73 में मूल्य समर्थन, वाणिज्यिक लेखा और समीकरण भंडार कार्यक्रमों के आधार पर लगभग 6 लाख गाँठों की खरीद करेगा । उपजकर्त्ताओं से सीधे खरीद करने के लिए प्रत्येक पटसन उत्पादक जिले में एक विभागीय खरीद केन्द्र खोला जा रहा है और अन्य बाजारों में खरीद कार्य निगम के नियंत्रण में विकासक्षम सहकारी समितियों द्वारा, जहाँ वे उपलब्ध हों, और गैर-सरकारी अभिकर्त्ताओं द्वारा किया जाएगा । इन कार्यक्रमों की देखभाल के लिए 5 राज्यों में निगम का एक क्षेत्रीय कार्यालय होगा । केन्द्रीय तथा राज्य भांडागार निगमों के साथ परामर्श करके आवश्यक भांडागार प्रबंध किये जा रहे हैं ।

**Work on Laying of Railway Lines in Madhya Pradesh**

7943. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the sections/routes in Madhya Pradesh surveyed for laying new Railway lines;

(b) the names of the Sections where the work of laying double lines is going on; and

(c) the names of the Sections where the work of laying new Railway lines is going on ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) to (c). Information about railway matters is not compiled statewise but railwaywise. Details of surveys are given in the "Reports by the Railway Board on Indian Railways", copies of which are available in the library of Parliament. Delails of works in progress (new lines and doublings) are given in the Railway Budget papers for 1972-73.

**बंगला देश के साथ व्यापार का विकास करने के लिए पश्चिम बंगाल में 'स्पेशल सेल' की स्थापना**

7944. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल और बंगला देश के बीच व्यापार का विकास करने के लिए स्पेशल सेल सहित व्यापार प्रायोजन प्राधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का विचार पश्चिम बंगाल के इस "सेल" को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(घ) क्या भारत-बंगला देश व्यापार विकास संबंधी योजना बनाने के कार्य में केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देगी और यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) ऐसे किसी प्राधिकरण की अभी तक स्थापना नहीं हुई है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

**Policy for Achieving Export Growth Target of 7 Per cent during Fourth Plan**

7945. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government propose to achieve an export growth target at compound rate of 7 per cent per annum during the Fourth Plan period;

(b) whether they have sought the co-operation of both big units and small units to achieve the target; and

(c) if so, the nature of co-operation sought ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George)** : (a) Every effort is being made to achieve the Plan target.

(b) and (c). In order to achieve the export target of the Fourth Plan, Government have sought the co-operation of all sectors of economy. For this purpose, a number of export organisations have been set up such as Export Promotion Councils, Federation of Indian Export Organisations, the Indian Institute of Foreign Trade, the Trade Development Authority, Board of Trade and Advisory Council of Trade etc. These organisations aim to secure active association of export-oriented units both large and small, in the country's export effort. In one way or the other, these organisations are concerned mainly with the problems relating to the development of export trade and to make recommendations to Government with reference to development and expansion of export, oriented production and improvement in their export marketing mechanism. To assist and encourage the exports of industrial products, a series of export facilities have been provided which include mainly import replenishment, removal of capacity constraints, drawback of import/excise duty and other general and specific facilities. The Import Policy for the current financial year (1972-73) envisages greater allocation of import inputs in the case of selected priority industries, both large and small particularly those which have substantial export performance or which contribute to the net saving on present imports. Emphasis has also been laid on export houses which undertake exports of the products manufactured in the small scale sector.

**Reduction in Size of a Parliamentary Constituency**

7946. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state whether Government propose to reduce the size of a Parliamentary Constituency in view of the increase in population and migration of people from rural to urban areas ?

**The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale)** : Matters having a bearing on the size of a Parliamentary Constituency are engaging the attention of the Government.

**व्यापार नीति और निर्यात संवर्धन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम**

7947. **श्री कृष्ण चन्द पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा व्यापार नीति और निर्यात संवर्धन के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था;

(ख) उसमें क्या निर्णय लिया क्या और इस संबंध में बाद की कार्यवाही की गई है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हाँ ।

(ख) यह एक प्रशिक्षण पाठ्क्रम था । कोई निर्णय लिये जाने की आवश्यकता नहीं थी और न ही कोई अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ।

**खराद मशीनों का निर्यात**

7948. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड द्वारा तैयार की गई नये डिजायन की खराद की विश्व की मंडियों में भारी माँग है;

(ख) उक्त खरादों का किन देशों को निर्यात किया जा रहा है और कितने मूल्य पर निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) क्या इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हाँ ।

(ख) उनका निर्यात संयुक्त राज्य अमरीका, मलयेशिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को किया जाता है । कीमतें बातचीत से तय होती हैं और विशिष्टियों, सहायक पुर्जों आदि और गंतव्य स्थानों पर भी निर्भर करती हैं ।

(ग) जी हाँ । कम्पनी को इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संवर्धनात्मक उपाय करने में सहायता दी जाती है । सभी प्रकार की इंजीनियरी वस्तुओं के लिए अपनाये गए साधारण निर्यात संवर्धन उपायों के अतिरिक्त, इस फर्म द्वारा विशेषत: इस वस्तु के निर्यात हेतु उठाये गये निम्नोक्त कदम बताये जाते हैं :

1. जनसंपर्क के माध्यम से ब्रांड प्रचार और व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ।
2. विनिर्माता के प्रतिनिधियों द्वारा विदेशो में संभावित ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किए जाते हैं ।

## लखनऊ (उत्तर रेलवे) के डिवीजनल कार्यालय में सिगनल खलासियों के पदों पर अनुसूचित जातियों के लोगों की नियुक्ति

7949. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ (उत्तर रेलवे) के डिवीजनल अधीक्षक के कार्यालय में सिगनल खलासियों की नियुक्तियाँ अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे से कम की गई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने सिगनल खलासियों की नियुक्ति की गई और इस श्रेणी में अनुसूचित जातियों के लोगों की कोटे की तुलना में कितनी कमी है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) से (ग) . पिछले तीन वर्षों में 158 सिगनल खलासियों को नियुक्त किया गया है। अनुसूचित जाति के 17 खलासियों की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की विशेष छानबीन के लिए व्यवस्था की जा रही है ।

### Rural Electrification in U. P.

7950. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total number of villages in Uttar Pradesh electrified during 1971-72 and the number of villages proposed to be electrified during 1972-73 under Rural Electrification Scheme; and

(b) the names of villages in Meerut District proposed to be electrified during 1972-73 under the said scheme ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel)** : (a) In Uttar Pradesh, 3,036 villages were electrified during 1971-72. It is programmed to electrify 3,000 villages in Uttar Pradesh during 1972-73.

(b) It is proposed to electrify about 100 villages in Meerut District during 1972-73. The names of these villages have not so far been finalised.

### Railway Wagons For Foreign Countries

7951. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether demand for Indian railway wagons in foreign countries is increasing day by day; and

(b) if so, the names of the countries to which railway wagons were supplied last year and the names of the countries from which orders for wagons were received but no wagons have so far been supplied ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George)**: (a) Orders for railway wagons are normally won by participating in global tenders in competition with industrially advance countries, After successful execution of a number of such orders India has established herself as the supplier of quality wagons.

(b) During 1971-72 Indian railway wagons were exported to Ghana, Hungary, Kenya, Poland and Sudan. Following table gives the order position and actual supplies made during 1971-72 :

| Country | Value of orders (Rs. lakhs) | Delivery Schedule in 1971-72 (Rs. lakhs) | Actual supplies made during 1971-72 (Rs lakhs estimated) |
|---|---|---|---|
| Poland | 270·00 | 270·00 | 14·19 |
| Ghana | 67·00 | 67·00 | 29·37 |
| Hungary | 585.00 | 465·00 | 113·23 |
| Kenya | 93·00 | 93·00 | 12·60 |
| Kenya | 30·00 | — | — |
| Sudan | 95·55 | 95·55 | 37·17 |
| Total : | 1140·55 | 990·55 | 206·56 |

## भारतीय काजू की माँग

7952. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को निर्यात किये जाने वाले काजू से गत तीन वर्षों में कितनी औसत विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है; और

(ख) भारतीय काजू की माँग कितने देशों में बढ़ रही है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) विगत तीन वर्षों अर्थात 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान काजू की गिरी के निर्यात प्रतिवर्ष औसतन 57·06 करोड़ रु० के हुए हैं ।

(ख) यह नोट किया गया है कि निम्नोक्त 19 देशों में भारतीय काजू की माँग बढ़ रही है :

आस्ट्रेलिया, बेहरीन द्वीप समूह, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, ईराक, कनाडा, हाँगकाँग, जापान, ईरान, इटली, अमेका, जोर्डन, सिंगापुर, मलयेशिया, कुवैत, नीदरलैंड्स, रूमानिया, स० रा० अमरीका तथा सोवियत संघ ।

## राष्ट्रीय जल ग्रिड द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करने की व्यवस्था

7953. **श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रस्तावित समेकित राष्ट्रीय जल ग्रिड से महाराष्ट्र राज्य के सूखे से निरन्तर ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों की सिंचाई संबंधी आवश्यकताएँ भी पूरी होंगी ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में किए गए प्रारम्भिक कार्यालय अध्ययनों से यह पता चलता है कि, जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, प्राकृतिक जल-मार्गों और मौजूदा या प्रस्तावित जलाशयों का उपयोग करते हुए, गंगा का कुछ जल पंपकृत और ग्रेविटी नहरों को मिलाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। गंगा का जल और अन्य मध्यवर्ती बेसिनों का फालतू जल देश में पहले से ही चुन लिए गए अधिकांश सूखा प्रभावित क्षेत्रों को, निम्नवर्ती सूखा प्रभावित क्षेत्रों को स्थानान्तरित करने के लिए, मार्गस्थ नदियों में डालकर अथवा उसको निम्नवर्ती बेसिनों की पानी की सप्लाई को कम करके, ऊपरी बेसिनों में प्रस्तावित जलाशयों से पम्प करके, और मुख्य सम्पर्क नहर/नदी संरचनाओं से, जहाँ ये आवश्यक हों और जब ऐसा जल विनिमय संभव न हो पानी पम्प करके ले जाने का विचार है।

आशा है कि इस वर्ष में परियोजना के अनुसंधान कार्यों को शुरू किया जा सकता है। इन अनुसंधानों में लगभग पाँच से सात वर्ष लगेंगे। इन अनुसंधानों के पूर्ण होने और परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही विभिन्न प्रदेशों में सेवित होने वाले क्षेत्रों के ब्यौरे का पता चलेगा।

**उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि**

7954. **श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संविधान के अन्तर्गत स्वीकृत अधिकतम संख्या तक बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

**विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) जी हाँ।

(ख) जून 1971 में।

**संविधान का मराठी में अनुवाद**

7955. **श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान का मराठी में अनुवाद करने का काम राजभाषा (विधायी) आयोग को सौंप दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

**विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) जी हाँ।

(ख) राजभाषा (विधायी) आयोग ने भारत के संविधान के मराठी अनुवाद को अन्तिम रूप दे दिया है और अनुवाद को मुद्रित कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

**परिवहन और संचार के बारे में 'अंकटाड' की छठी समिति के प्रस्ताव**

7956. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अंकटाड' की छठी समिति की सेंटियागो में 3 मई, 1972 को हुई बैठक में भारतीय प्रतिनिधि ने यह अनुरोध किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि आधार-ढाँचे की स्थापना और परिवहन एवं संचार के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करने में वे भूमि द्वारा चहुँ ओर से घिरे देशों की सहायता करें;

(ख) यदि हाँ, तो समिति की उस पर क्या प्रतिक्रिया थी; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त नीति के अनुसरण में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हाँ ।

(ख) अंकटाड में स्वीकृत संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ अंकटाड के महा-सचिव से भूवेष्टित विकासशील देशों की परिवहन संबंधित अवस्थापनाओं में सुधार करने के लिए मार्गोपायों का अध्ययन करने हेतु एक विशेष दल नियुक्त करने के लिए कहा गया था तथा अन्य बातों के साथ-साथ सक्षम अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और विकसित देशों से यह आग्रह किया गया कि वे इस संबंध में भूवेष्टित देशों को उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करें ।

(ग) भारत तथा उसके पड़ौसी भूवेष्टित देशों के बीच, द्विपक्षीय परामर्शों द्वारा, पारस्परिक आधार पर संतोषजनक हल निकाल लिये गये हैं ।

**गौरीपुर (पूर्व रेलवे) में कोयला उतारने के लिए यार्ड**

7957. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे, अपने वायदे के अनुसार, गौरीपुर में कोयला उतारने के लिए यार्ड का निर्माण-कार्य आरम्भ करने में असफल रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**गंगा के जल के बारे में मंजूर की गई प्रवाह के विपरीत स्थित (अप-स्ट्रीम) परियोजनाएं**

7958. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा के जल पर आधारित अब तक कितनी प्रवाहपरीत स्थित परियोजनायें मंजूर की गई हैं; और

(ख) क्या हुगली नदी की सफाई पर जिस पर कलकत्ता बन्दरगाह का भविष्य निर्भर करता है, इन परियोजनाओं के फलस्वरूप बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) अब तक गंगा बेसिन में 32 बृहत् और 170 मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं ।

(ख) गंगा बेसिन में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से फरक्का बराज परियोजना के अंतर्गत, जिस रूप में वह स्वीकार की गई है, परिकल्पित हुगली नाली के प्रवाह में कोई कमी नहीं होगी ।

**मध्य प्रदेश में जल संसाधनों का उपयोग करना**

7959. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार, राज्य में सिंचाई के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इस बीच बहुत सी परियोजनाओं पर कार्य हाथ में है और चौथी योजना के अन्त तक बृहत् और मध्यम परियोजनाओं से सिंचाई शक्यता लगभग 1·2 मिलियन हैक्टेयर्स होने की संभावना है जोकि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर बढ़ कर लगभग 1·9 मिलियन हैक्टेयर्स हो जाएगी ।

**बिजली का उत्पादन**

7960. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के दौरान विदेशी सहयोग से 17·7 लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली पैदा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख) . 1972-73 की अवधि के दोरान 17·7 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त विद्युत जनन क्षमता प्राप्त करने हेतु विद्युत विकास के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है । इस उद्देश्य के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है । बहरहाल, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए वर्तमान देशी निर्माताओं द्वारा कितने संयंत्र तथा उपस्कर की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है इससे संबंधित एक गहन अध्ययन किया जा रहा है । यह अध्ययन अनुमान लगाने के लिए

किया जा रहा है कि अन्य स्रोतों से कितना उपस्कर लेना होगा और उसे किस तरह प्राप्त किया जाएगा ।

**नेपाल से स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील से तैयार वस्तुओं का आयात**

7961. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान व्यापार समझौते के अनुसार नेपाल से प्रतिवर्ष स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील से बनी तैयार वस्तुओं का कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ख) ऐसी वस्तुओं पर कितना शुल्क लगाया जाता है और उसको नेपाल की तुलना में भारत में कितने मूल्य पर वेचा जाता है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). भारत-नेपाल व्यापार तथा परिवहन संधि में स्टेनलेस स्टील अथवा स्टेनलेस स्टील से बने माल के बारे में कोई विशिष्टि उल्लेख नहीं है ।

विनिर्मित वस्तुओं के संबंध में साधारण उपबंध यह है कि जिन वस्तुओं के मामले में नेपाली सामग्री तथा श्रम का नेपाल में लगाया गया मूल्य कारखाने से निकासी के समय के मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत है, भारत सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में प्रवेश के स्वरूप तथा सीमा का, जिसमें टैरिफ अधिमान भी शामिल है, उस वस्तु के व्यापार पर प्रभाव डालने वाले उन सभी सुसंगत उपादानों को ध्यान में रखते हुए विनिश्चय करेगी जिनके अन्तर्गत उस वस्तु में प्रयुक्त अन्य देश की सामग्रियों की मात्रा का विषय भी शामिल है।

जब से 1971 की संधि लागू हुई है, तब से नेपाल से भारत को स्टेनलेस स्टील अथवा स्टेनलेस स्टील से बने माल के कोई निर्यात नहीं हुए हैं ।

**चोरी के मामलों में दोषी टिकट निरीक्षक/चल टिकट परीक्षक/परिचारक (दक्षिण रेलवे)**

7962. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970, 1971 और 1972 के दौरान दक्षिण रेलवे पर शयन-यानों में यात्रियों के माल/बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी के लिये दोषी टिकट निरीक्षकों/चल टिकट परीक्षकों/ परिचारकों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) इनमें उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें विभागीय कार्यवाही के बाद इस आरोप का दोषी पाया गया और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को क्या दण्ड दिया गया;

(ग) रेल कर्मचारियों की लापरवाही से होने वाली चोरी/हानि से यात्रियों को हुई हानि का कोई मुआवजा उन्हें अनुग्रह-पूर्वक अदायगी के रूप से दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे प्रत्येक यात्री को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) कुछ नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

**डिवीजनल कार्यालय, दिल्ली और मुरादाबाद (उत्तर रेलवे) के उन कर्मचारियों की मुअत्तिली की अवधि को ड्यूटी की अवधि मानना जिन्होंने 1965 में हड़ताल की थी**

7963. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय के उन सब कर्मचारियों की मुअत्तिली की अवधि को ड्यूटी की अवधि माना गया है जिन्होंने वर्ष 1965 की हड़ताल में भाग लिया था; और

(ख) क्या इस समय डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट आफिस (बिल ब्रांच), उत्तर रेलवे नई दिल्ली और डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट आफिस उत्तर रेलवे, मुरादाबाद में काम कर रहे कुछ कर्मचारियों के मामलों पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है और यदि हाँ, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके मामले अभी भी विचाराधीन हैं और उन मामलों में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) और (ख). उत्तर रेलवे में 1965 में कोई हड़ताल नहीं हुई ।

**Filing of Election Petitions After Elections to State Legislative Assemblies**

7964. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether election petitions have been filed on a large scale in various States after the last elections to the State Legislative Assemblies; and

(b) if so, the number of petitions filed State-wise ?

**The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary)** : (a) and (b). A comparative statement showing the election petitions filed in connection with the General Elections held in 1967 and in 1972 to the various Legislative Assemblies is laid on the table of the House. It will be observed from the statement that in most States, in respect of which information is available, the number of election petitions filed in 1972, though fairly large, is not larger than the number filed in 1967. In Bihar, however, 40 petitions have been filed in 1972 as against 21 in 1967.

*Statement*

COMPARATIVE STATEMENT OF ELECTIONS PETITIONS FILED IN CONNECTION WITH THE GENERAL ELECTIONS TO THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES IN 1972 (AS ON 23-5-1972) AND THOSE FILED IN 1967

| S. No. | Name of State/ Union Teritory | No of election petitions filed in connection with 1972 General Elections | No. of election petitions filed in the connection with the General Elections, 1972 |
|---|---|---|---|
| 1. | Andhra Pradesh | * | 17 |
| 2. | Assam | 3 | 5 |
| 3. | Bihar | 40 | 21 |
| 4. | Gujarat | 9 | 23 |
| 5. | Haryana | * | 15 |
| 6. | Himachal Pradesh | 12 | 11 |
| 7. | Jammu and Kashmir | 38 | 57 |
| 8. | Madhya Pradesh | 48 | 45 |
| 9. | Maharashtra | 4 | 21 |
| 10. | Manipur | 5 | 3 |
| 11. | Meghalaya | 2 | † |
| 12. | Mysore | 8 | 21 |
| 13. | Punjab | * | 16 |
| 14. | Rajasthan | 14 | 15 |
| 15. | Tripura | 2 | — |
| 16. | West Bengal | 1 | 8 |
| 17. | Delhi | 3 | 1 |
| 18. | Goa, Daman and Diu | * | 2 |
| 19. | Mizoram | — | † |

* Information not yet received from the High Courts.

† State/ Union Territory had not come into being.

*Note*: In the mid-term elections held in Haryana in 1968, 13 election petitions were filed and in the mid-term elections held in West Bengal in 1969 and 1971, 11 and 9 petitions were filed respectively.

## कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) की हड़ताल की अवधि को नियमित करना

7965. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य खनन सलाहकार (रेलवे बोर्ड) धनबाद, पूर्व रेलवे, ने मुख्य कार्मिक अधिकारी पूर्व रेलवे, कलकत्ता, को लिखे गये अपने पत्र संख्या एल० सी० ई० 2519; दिनांक 12 नवम्बर, 1971 में यह सिफारिश की थी कि प्रशासन और कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने के उद्देश्य से 3 फरवरी, 1971 से 10 फरवरी, 1971 के बीच की हड़ताल की अवधि को कर्मचारियों को छुट्टी देकर नियमित किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ ।

(ख) रेलों पर विभिन्न अवैध हड़तालों, जिनमें फरवरी, 1971 में हुई, धनबाद की हड़ताल शामिल है, में भाग लेने के कारण हुए सेवा भंग को माफ किया जा रहा है । हड़ताल की अवधि 'छूट दिवस' के रूप में मान ली जायेगी ।

**पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में ट्रैफिक, लोको और सी० एण्ड० डबल्यू० विभागों में स्थानापन्न व्यक्तियों की नियुक्ति की कसौटी**

7966. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में स्थानापन्न व्यक्तियों की नियुक्ति करने की कसौटी क्या है; और

(ख) क्या धनबाद डिवीजन में ट्रैफिक, लोको और सी० एण्ड० डब्ल्यू० विभाग में मार्च, 1971 से अब तक की गई स्थानापन्न नियुक्तियों में इस कसौटी का पालन किया गया था ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जहाँ तक सम्भव होता है प्रतिस्थानियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये चुने गये योग्य उम्मीदवारों की नामिका में से लिया जाता है ।

(ख) जी हाँ ।

**धनबाद और गोमोह स्टेशनों के गार्डों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों का समयोपरि मील भत्तों का भुगतान**

7967. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेजर्स तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के रूप में विशेष कार्य (स्पेश्यल ड्यूटी) पर नियमित रूप से लगाये गये गार्डों को समयोपरि तथा मील भत्तों के लिये आठ घंटे के वास्तविक कार्य के स्थान पर 12 घंटे तक कार्य करने का लाभ दिया जा रहा है और यदि हाँ, तो क्या नियमों के अन्तर्गत ऐसा करने की अनुमति है;

(ख) धनबाद तथा गोमोह स्टेशनों के गार्डों को 1971 में समयोपरि तथा मील भत्तों के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) गार्डों का विशेष ड्यूटी पर नियमित रूप से चेज़र और सहायक स्टेशन मास्टरों के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है और नियमित फार्मूले के रूप में उन्हें 12 घंटे की ड्यूटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है । जब कभी उनका उपयोग विशेष स्थिर ड्यूटी के लिए किया जाता है, तो उन्हें 8 घंटे का रनिंग भत्ता तथा उतने घंटों का समयो-

परि दिया जाता है जितने घंटे वे एक सप्ताह में 54 घंटे की विधिक सीमा के बाद वास्तविक रूप से काम करते हैं ।

(ख) चूंकि स्थिर ड्यूटी के लिए जो रकम उन्हें दी जाती है, वह रनिंग भत्ते के रूप में होती है, इसलिए उसे हिसाब में अलग से नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उसे गाड़ी ड्यूटी देने के लिए कर्मचारियों द्वारा अर्जित अन्य रनिंग भत्तों में मिला दिया जाता है । इसी प्रकार स्थिर ड्यूटी देने के संबंध में जितना समयोपरि बनता है उसे हिसाब में अलग से नहीं दिखाया जाता और समयोपरि का भुगतान गाड़ी की रनिंग ड्यूटी तथा स्थिर ड्यूटी दोनों ड्यूटियों पर लगे कुल समय के आधार पर किया जाता है । अतः जिन आँकड़ों की माँग की गयी है वे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि रनिंग कर्मचारियों को, आवश्यक होने पर स्थिर ड्यूटी पर लगाने की अनुमति है और जिसके लिए नियमों में संगणित रनिंग भत्ता देने की व्यवस्था है, प्रश्न नहीं उठता ।

**Rules for Recruitment of Instructors in Western Railway Training School, Udaipur**

7968. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the rules framed in regard to the recruitment of Instructors in the Western Railway Training School, Udaipur; and

(b) the present number of Instructors in the Training School ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) There is no direct recruitment to the category of Instructors. The posts are filled on selection basis from amongst serving railway employees.

(b) 52.

**Zinc and Super Phosphate Accumulated at Udaipur due to Wagon Shortage**

7969. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether railways have not been able to transport 6,000 tonnes of Zinc and 12,000 tonnes of Super Phosphate lying in the godowns of 'Hindustan Zinc Limited', Udaipur due to shortage of wagons; and

(b) if so, the action being taken by the Government in this regard ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** (a) and (b). Traffic in Zinc is being cleared currently. During the period from 1st January to 20th May, 1972, 133 wagons were loaded.

During the period from 1st January to 30th April, 1972, 755 wagons were loaded with Super Phosphate. This traffic could not be cleared currently as per demands as a number of demands are for destinations reached *via* difficult routes and also there is heavy pressure on movement of Cement before the onset of monsoon from the two Cement factories

at Chanderia and Khemli. During the current month loading has been stepped up and upto 20th May, 1972, 195 wagons were loaded. Every effort is being made to step up the loading further.

**Electrification of Railway Stations in Udaipur District**

7970. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Stations in Udaipur District, which have been electrified; and

(b) the time by which the remaining Stations are likely to be electrified ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) and (b). There are in all 42 stations in Udaipur District. Out of these, 16 stations have already been electrified and 2 stations *viz.* Lawa Sardargarh and Zawar have been programmed for electrification during 1972-73. The remaining 24 stations will be considered for electrification as soon as reliable low tension electric supply is made available nearby at reasonable service connection charges and tariff.

**Supply of Electricity to Farmers**

7971. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out a programme for supplying electricity to the farmers in Tehsil centres;

(b) if so, the number of Tehsil centres in Udaipur District of Rajasthan where electricity has been supplied to the farmers; and

(c) the time by which electricity is likely to be supplied to the farmers in the remaining Tehsil centres ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel)** : (a) The Government of Rajasthan has given directive to State Electricity Board to electrify all Tehsil Headquarters in that State.

(b) and (c). Out of 17 Tehsil Headquarters in Udaipur District, 13 have been electrified so far. Sanction has been conveyed to electrify one more Tehsil Centre. Electrification of the remaining three Tehsil Centres depends upon the availability of resources, technical feasibility and financial viability of the Project.

**यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए चलाई गई विशेष रेलगाड़ियों का देर से चलना**

7972. **श्री निहार लास्कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए चलाई गई विशेष रेलगाड़ियाँ प्राय: देर से चलती हैं तथा अधिक समय लेती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) और (ख). यह कहना सही नहीं है कि विशेष रेल गाड़ियाँ प्राय: लेट चलती हैं, यद्यपि उनमें से कुछ ऐसी हो सकती हैं। उनका ठीक समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिए उनके समय पालन पर इस वर्ष उतनी ही सावधानी से निगाह रखी जा रही है जितनी कि अन्य मेल/एक्सप्रैस गड़ियों के संबंध में रखी जाती है।

**प्राथमिकता देने संबंधी सामान्य योजना के बारे में अमरीकी कानून**

7973. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका द्वारा प्राथमिकता देने संबंधी सामान्य योजना के बारे में कानून बनाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप भारत के विदेश व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा कानून बनाये जाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 1970-71 के आँकड़ों के आधार पर भारत के अमरीका को लगभग 29 करोड़ रुपये के निर्यात अधिमानों का सामान्यीकृत प्रणाली के अन्तर्गत शुल्क मुक्त प्रवेश के लाभ से वंचित हो गए हैं।

**प्राकृतिक रबड़ का निर्यात**

7974. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने का निश्चय किया है और यदि हाँ, तो कितना रबड़ निर्यात किया जाता है और किन देशों के साथ रबड़ के निर्यात के प्रबन्ध किए गए हैं अथवा किये जा रहे हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा के उपार्जन की संभावना है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). प्राकृतिक रबड़ के निर्यात की सम्भाव्यताओं का सक्रिय रूप से पता लगाया जा रहा है। अब तक कोई निर्यात नहीं किया गया है और इतनी जल्दी यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकेगी।

**रबड़ का आरक्षित भंडार**

7975. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रबड़ का आरक्षित भंडार बनाने का निश्चय कर लिया है जिससे कि उत्पादक उचित मूल्य और उचित समय में अपनी उपज का निपटान कर सकें और यदि हाँ, तो उस निश्चय की रूपरेखा क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : राज्य व्यापार निगम तथा केरल राज्य सरकार रबड़ बाजार में सक्रिय है। जनवरी, 1972 में विनिर्माता टायर कारखानों के

लिए 3·5 मास की आवश्यकता और टायर से इतर विनिर्माताओं के लिये 2·5 मास की आवश्यकता का भंडारण करने के लिये सहमत हो गये । रबड़ विनिर्माता एकक रबड़ मंडी से खरीदारी करने के अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम तथा केरल राज्य सरकार से भी माल लेते हैं ।

राज्य व्यापार निगम के पास 5,000 मे० टन और केरल राज्य सरकार के पास 2,000 मे० टन रबड़ का न्यूनतम बफर स्टाक, खरीदारी कार्यकलापों में हर समय, बनाए रखने के प्रश्न पर विचार किया रहा है । खुले बाजार में रबड़ की चालू कीमत काफी ऊँची और संतोषजनक है ।

**रेलवे स्टेशन पोर्टर्ज़ कोआपरेटिव लेबर कान्ट्रैक्ट सोसाइटी, इलाहाबाद के नाम जारी किये गये चैक-पासों की संख्या**

7976. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डिवीज़नल अधीक्षक, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद द्वारा रेलवे स्टेशन पोर्टर्ज़ कोआपरेटिव लेबर कान्ट्रैक्ट सोसाइटी, इलाहाबाद के नाम कितने और कितनी कीमत के चैक-पास जारी किये गये;

(ख) क्या इस प्रकार के पासों की कीमत सोसाइटी को दी जाने वाली राजकीय सहायता में जोड़ दी गई है ताकि उससे ठेके के वास्तविक वार्षिक मूल्य का अंदाज़ा लगाया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3113/72.**]

(ख) और (ग). 1-4-1960 से इलाहाबाद स्टेशन पर पार्सलों की सम्हलाई का ठेका रेलवे स्टेशन पोर्टर्ज़ कोआपरेटिव लेबर कान्ट्रैक्ट सोसाइटी लिमिटेड, इलाहाबाद को उन्हीं शर्तों पर दिया गया था जो मैसर्स बल्लभ दास अग्रवाल (पूर्ववर्ती ठेकेदार) पर लागू थी । चूँकि यह सुविधा पूर्ववर्त्ती ठेकेदार को प्राप्त थी, अत: वही सुविधा इस सोसाइटी को भी दी गयी । लेकिन नया ठेका देते समय यह सुविधा सामाप्त कर दी जायेगी ।

**केरल के मुख्य निर्यात**

7977. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में इन वस्तुओं का कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ख) इनका उत्पादन बढ़ाने तथा इन वस्तुओं का निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). राज्यवार आँकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

**बड़े निर्यात-गृहों द्वारा लघु उद्योग निर्यातकर्त्ताओं को दिये गये निर्यात प्रोत्साहन लाइसेंसों का उपयोग**

7978. **श्री बयालार रवि :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े निर्यात-गृह लघु उद्योग निर्यातकर्त्ताओं को दिये गये निर्यात प्रोत्साहन लाइसेंसों का उपयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो बड़े निर्यात-गृहों द्वारा इन प्रोत्साहन लाइसेंसों के उपयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति, जिसकी एक प्रति 3 अप्रैल, 1972 को सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं, के अन्तर्गत पात्र निर्यात सदन, लाइसेंस नीति में निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन, अंतरण द्वारा लाइसंस प्राप्त कर सकते हैं चाहे वे लाइसेंस लघु क्षेत्र में अथवा बड़े क्षेत्र में जारी किये गये हों।

(ख) सम्पूर्ण पद्धति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है और दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है।

**पूर्व क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के अनुमान से बिजली की आवश्यकता**

7979. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वीय-क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ने, जिसकी बैठक 2 मई, 1972 को हुई थी, 1971 से 1981 की अवधि के लिए दशक योजना के अन्तर्गत क्षेत्र की विद्युत आवश्यकता का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर संचार विभागों के कर्मचारियों की माँगों के संबंध में लिया गया निर्णय**

7980. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **रेल** मंत्री भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर संचार विभाग कर्मचारियों की माँगों के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में 10 अगस्त, 1971 के अतारांतिक प्रश्न संख्या 7551 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न विवरण के मद संख्या 4, 6, 7, 9, 10 में उल्लिखित मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3114/72.]

**रेलवे दुर्घटना जाँच समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति**

7981. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे दुर्घटना जाँच समिति, 1968 के प्रतिवेदन के पैरा 668 से 670 और इस पर व्यक्त किए गए रेलवे मंत्रालय के विचारों की मद संख्या 324 (पाँच) को क्रियान्वित किया गया है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : चालू वित्तीय वर्ष से इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के संबंध में कदम उठाये जा रहे हैं ।

**Setting up a Indo-Nepal Joint Review Committee**

7982. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the representatives of India and Nepal have formulated a scheme to set up a Joint Review Committee for effective and systematic enforcement of the provisions of the Indo-Nepal treaty; and

(b) if so, the names of the members of the Committee and its main functions ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George)** : (a) and (b). In terms of the Indo-Nepal Treaty of Trade and Transit 1971, a Joint Review Committee has been established to ensure that the provisions of the Treaty are effectively and harmoniously implemented and to consult with each other periodically so that such difficulties as may arise in its implementation are resolved satisfactorily and speedily. The Government of India and the Government of Nepal are represented on the Joint Committee by a Senior Officer, each assisted by such other officials, as may be required, from time to time.

**Delegation to South America for Exploring Market for Indian Railway Equipment**

7983. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether a delegation headed by the Chairman of the Projects and Equipment Corporation had gone to Argentina, Brazil, Mexico and other countries of South America to explore the possibilities of export of Indian Railway equipments; and

(b) if so, the outcome of the visit ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George)** : (a) Yes, Sir.

(b) The delegation has been able to establish contacts with trading organisations in these countries and to explore the possibilities of having business with them in certain selected engineering products such as :

—Railway wagons, Rly. signalling and telecommunication equipments.

—Cement and textile machinery.

—Consultancy services for setting up heavy engineering complexes and sugar plants on turn key basis and joint venture basis.

—Bicycles and components.

The delegation could also sort out certain other connected problems like lack of adequate and regular shipping services which stand in the way of trade between India and Latin American countries.

With the building up of these contacts and other infra-structures like proper shipping services etc. our trade with this region is expected to increase on a long term basis.

**Collision of a Goods Train and a Bus Between Ramkola and Padrauna Stations (North Eastern Railway)**

7984. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a goods train and a bus collided between Ramkola and Padrauna stations on Gorakhpur-Siwan line of the North Eastern Railway as reported in the 'Hindustan' dated the 8th May, 1972; and

(b) if so, the causes thereof and the loss suffered by the Railways as a result thereof ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) The accident occurred on 6-5-1972;

(b) According to the finding of the Inquiry Committee, the accident was due to the level crossing gate being kept open to road traffic in the face of approaching train and lack of vigilance on the part of the bus driver. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs 50/-.

**भारत में बने बिजली के पंखों के लिये विदेशी मंडियाँ**

7985. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बने बिजली के पंखों ने देश की आवश्यकताएँ पूरी करने के अतिरिक्त विदेशी मण्डियों में भी प्रवेश किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत में बने बिजली के पंखों के लिये इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) क्या बड़े पैमाने पर विदेशी मंडियों में प्रवेश के उद्देश्य से सरकार पंखों के निर्यातकर्त्ताओं को निर्यात-प्रवेश प्रोत्साहन देने के बारे में विचार कर रही है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हाँ ।

(ख) मिश्र का अरब गणराज्य, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ईरान, इराक, कुवैत, मलयेशिया, मसकट, नाइजीरिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, सूडान आदि प्रमुख आयातक देश हैं।

(ग) विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता करने के लिए निर्यात सहायता का विद्यमान स्तर भारतीय निर्यातकों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन समझा जाता है।

**Suggestion for Reforms in Legal System**

7986. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-report in 'Navbharat Times, (Hindi) dated the 8th May, 1972 under the caption "Kisi Bhi Mukadame Ki Keval Aik Appeal Ki Agya Di Jaye"; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary)** : (a) Yes, Sir.

(b) The Code of Civil Procedure, 1908, and the Code of Criminal Procedure, 1898, have been the subject matter of the reports by the Law Commission (27th Report of the Law Commission on the Code of Civil Procedure and 37th and 41st Reports of the Law Commission on the Code of Criminal Procedure). In none of these reports, it has been recommended by the Commission that the right of appeal in a case should be limited to one only. It may be further mentioned that the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, now under reference to a Joint Committee of the House of Parliament, seeks to give effect to the recommendations of the Law Commission. As regards the Code of Civil Procedure, 1908, the Code has been referred back to the Law Commission for re-examination from the basic angle of minimising costs and avoiding delays in litigation.

**इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन तथा पटसन मजदूरों के संघों के बीच समझौता**

7987. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने 7 मई, 1972 को अधिक मजूरी तथा अन्य लाभों के लिए पटसन मजदूरों के संघों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उद्योग को अतिरिक्त मजूरी तथा भत्तों के रूप में प्रतिवर्ष अनुमानतः कुल कितनी धनराशि देनी पड़ेगी;

(ग) क्या इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है कि उन्हें करों, उत्पादन शुल्क अथवा निर्यात शुल्क को कम करके कुछ मुआवजा दिया जाये अथवा 'बी ट्विल' बोरों के लिए अधिक मूल्य दिये जायें;

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) क्या 1971 में मिलों को इतने अधिक (अभूतपूर्व) लाभ हुए थे जिससे वे मजूरी की बढ़ी हुई लागत को वहन कर सकते हैं;

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हाँ ।

(ख) उद्योग द्वारा तैयार किये गए प्राक्कलन के अनुसार लगभग 20 करोड़ रुपये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) स्पष्ट है कि समझौता करते समय अपेक्षाकृत ऊँची मजदूरी देने की क्षमता को अवश्य ध्यान में रखा गया होगा ।

**ईश अलाय स्टील प्राइवेट लि० तथा पुरषोत्तम ट्रेडर्स, इन्दौर के लिए आयात लाइसेंस**

7988. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्षवार ईश अलाय स्टील प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर तथा पुरषोत्तम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर को कितने आयात लाइसेंस दिये गये और उसका प्रयोजन तथा मूल्य क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : जारी किये जाने वाले सभी आयात लाइसेंसों का ब्यौरा "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज इम्पोर्ट लाइसेंसेज तथा एक्सपोर्ट\लाइसेंसेज़" में प्रकाशित किया जाता है, जिसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं ।

**Demonstration and Dharna Staged at Dhanbad Railway Station (Bihar)**

7989. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a large number of demonstrators recently staged a dharna on Railway track at Dhanbad (Bihar) Railway Station and detained Railway traffic for twelve hours; and

(b) if so, the reasons therefor and the reaction of Government thereto ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** . (a) Yes.

(b) The dharna was to press the demand for a direct train between Patna and Dhanbad.

The introduction of such a train is under examination.

**चिली में 'अंकटाड' के लिये भारतीय प्रतिनिधिमंडल का गठन**

7990. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिली में हुए गत 'अंकटाड' सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य कौन कौन थे ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : सान्तयागो (चिली) में हुए अंकटाड के गत अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के गठन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3115/72.**]

## कालगेट पामोलिव कम्पनी द्वारा डीकैल्शियम फास्फेट और आयरिश मास एक्सट्रैक्ट का आयात

7991. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालगेट पामोलिव कम्पनी (इण्डिया लिमिटेड) द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (यू० एस० एड०) के माध्यम से यह डीकैल्शियम और आयरिश मास एक्सट्रैक्ट का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो कितना; और

(ग) क्या उक्त मदों के आयात पर रोक लगी हुई है और यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग). डीकैल्शियम के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है और अप्रैल, 1970; मार्च तथा अप्रैल, 1971; मार्च, 1972 की लाइसेंस अवधियों के लिए संयुक्त राज्य अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के अन्तर्गत मै० कालगेट पामोलिव कम्पनी को इस वस्तु के कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। आयरिश मास एक्सट्रेक्ट के आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ताओं को दी जा रही है और कच्चे माल के आयात के लिए, जिसमें यह वस्तु भी शामिल है, संयुक्त राज्य अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के अन्तर्गत इस पार्टी को अप्रैल, 1970; मार्च, 1971 की लाइसेंस अवधि के लिए कुल 5,72,400 रुपये के मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किए गए थे। इन मदों के वास्तविक आयातों के आँकड़े नहीं रखे जाते हैं। अलग-अलग पार्टियों द्वारा किए गये आयातों के संबंध में भी आँकड़े नहीं रखे जाते हैं।

## रेलवे के सामान की बड़े पैमाने पर चोरी

7992. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1972 की "दि सर्चलाइट" के एक संस्करण में "ह्यूज पिलफिरेज आफ रेलवे गुड्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाले समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ।

(ख) (i) रेलवे सुरक्षा दल और पुलिस ने आसूचना इकट्ठी करने के स्रोत स्थापित किये हैं।

(ii) चुराई गयी सम्पत्ति बड़ी मात्रा में बरामद की गयी है तथा अनेक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

(iii) आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कुछ पुराने अपराधियों को निरुद्ध रखने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

(iv) मूल्यवान माल, विशेष रूप में लौह सामान ढोने वाली गाड़ियों पर उस क्षेत्र में मार्गरक्षी तैनात किये जाते हैं।

(v) भेद्य खण्डों पर रेलवे सुरक्षा दल द्वारा गश्त लगायी जा रही है।

**केन्द्रीय खजाने से चाय निर्यातकों को छूट की राशि का भुगतान**

7993. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 और 1971 के लिए केन्द्रीय खजाने से चाय निर्यातकों को छूट की कुल कितनी धनराशि दी गई है और इन दो वर्षों में चाय के निर्यात से कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : अनुमान है कि चाय के निर्यातों पर उत्पादन शुल्क में 1970 में 9·78 करोड़ रुपये की तथा 1971 में 9·85 करोड़ रुपये की छूट दी गई। चाय के निर्यातों में वृद्धि से 1969 के निर्यातों की तुलना में 1970 में 28·28 करोड़ रुपये और 1970 के निर्यातों की तुलना में 1971 में 11·48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

**चाय संवर्धन बोर्ड पर व्यय**

7994. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष भारत से बाहर चाय के प्रोत्साहन के लिए चाय बोर्ड द्वारा कुल कितना व्यय किया गया; और

(ख) क्या चाय के निर्यात पर छूट देने के अतिरिक्त और कोटे से अधिक निर्यात बढ़ाने पर अन्तर्राष्ट्रीय विनियमों के अन्तर्गत लगे प्रतिबन्धों के बावजूद सरकार ने भारत से बाहर चाय के प्रोत्साहन के लिये धन खर्च करते रहने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से बाहर चाय संवर्धन पर चाय बोर्ड द्वारा किया गया कुल वार्षिक व्यय नीचे दिया गया है :

| वर्ष | व्यय (लाख रु० में) |
|---|---|
| 1968-69 | 112·83 |
| 1969-70 | 114·22 |
| 1970-71 | 134·33 |

(ख) चाय निर्यातों पर उत्पादन शुल्क में दी जाने वाली छूट और तदर्थ अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंध के अन्तर्गत निर्यातों का विनियमन संवर्धन के वैकल्पिक उपाय नहीं समझे गये। स्थानीय व्यापार के सहयोग से भागीदार उत्पादक देशों द्वारा जो अविशेष संवर्धन किया जाता है उसका उद्देश्य पेय के रूप में चाय के उपभोग का प्रसार करना है। एक राष्ट्रीय संवर्धन, जोकि चाय बोर्ड के विदेशों में स्थित कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है, का प्रयोजन विश्व बाजार में भारतीय चाय का अधिकाधिक स्थान बनाना है, संवर्धन के लिए इस बात की सतत आवश्यकता है कि कराधान संबंधी उपायों के लाभ को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाए। चाय के लिए विश्वव्यापी संवर्धन के महत्व को देखते हुए खाद्य तथा कृषि संगठन ने वास्तव में संवर्धन संबंधी एक अन्तः सरकारी उप-दल की स्थापना की है।

**लंदन में 'टी सेन्टर' पर व्यय**

7995. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष वार लन्दन स्थित 'टी बोर्ड'—के 'टी सेन्टर' पर कुल कितनी बिक्री हुई और उस पर कितना व्यय किया गया; और

(ख) 31 मार्च, 1971 को 'टी सेन्टर' में काम कर रहे कर्मचारियों के नाम क्या हैं और उनको किस-किस तारीख को नियुक्त किया गया था, उनका पारिश्रमिक क्या है तथा उनकी भर्ती का ढंग क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) गत तीन वर्षों में चाय बोर्ड के लन्दन स्थित चाय केन्द्र में प्रति वर्ष बिक्री से प्राप्त राशि तथा उस पर किए गए आवर्ती व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आँकड़े लाख रु० में)

| वर्ष | बिक्री से प्राप्त राशि | आवर्ती व्यय |
|---|---|---|
| 1969-70 | 8·78 | 12·71 |
| 1970-71 | 9·60 | 16·7 |
| 1971-72 | 9·36 † | 13·0 † |

† (जनवरी 1972 तक 10 महीनों के लिए)

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

**मेलबोर्न में चाय केन्द्र खोलना**

7996. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने 1971 में मेलबोर्न में एक चाय केन्द्र खोला है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके संस्थान के लिये सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की है; और

(ग) चाय बोर्ड द्वारा वास्तव में कितना व्यय किया गया और मंजूर की गई विदेशी मुद्रा में से यदि कुछ विदेशी मुद्रा बच गई थी तो वह चाय बोर्ड को किस प्रकार उपलब्ध कराई गई ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी हाँ। मेलबोर्न में 8-12-1970 को चाय केन्द्र खोला गया था।

(ख) इसके पूंजीगत व्यय के लिए सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में 5·50 लाख रु० की राशि मंजूर की गई थी।

(ग) चाय केन्द्र पर किये गये वास्तविक पूंजीगत व्यय का हिसाब 10·06 लाख रु० आया। सरकार द्वारा मंजूर की गई राशि के अलावा व्यय की गई राशि की पूर्ति चाय बोर्ड द्वारा आस्ट्रेलिया में बोर्ड के अन्य संवर्धनात्मक कार्य के लिए नियत पूंजी में से की गई।

**देहरी-आन-सोन स्टेशनों के लिए पहले और तीसरे दर्जे के आरक्षण कोटे में वृद्धि**

7997. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरी-आन-सोन रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली सभी गाड़ियों में उस स्टेशन से पहले और तीसरे दर्जे (3 टायर/2 टायर) के आरक्षण के लिए कितना कोटा निर्धारित है; और

(ख) क्या इस कोटे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो इसमें कितनी वृद्धि की जानी है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) देहरी-आन-सोन जंकशन स्टेशन पर विभिन्न गाड़ियों का निर्धारित वर्तमान कोटा इस प्रकार है :

| गाड़ी | प्रथम श्रेणी शायिकाएँ | तृतीय श्रेणी शयन शायिकाएँ | |
|---|---|---|---|
| | | 3 टायर | 2 टायर |
| 1 अप हावड़ा-देहली कालका मेल | 2 | — | — |
| 3 अप इलाहाबाद होकर हावड़ा-बम्बई मेल | — | 3 | — |
| 17 अप पठानकोट एक्सप्रैस | — | 2 | — |
| 2 डाउन कालका-देहली-हावड़ा मेल | 3 | — | — |
| 10 डाउन दून एक्सप्रैस | 2 | 8 | — |

(ख) जी नहीं।

**बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र में रेलवे लाइन**

7998. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में नई रेल लाइनें बिछाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की रूप-रेखा क्या है ।

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**मेरल, गडवा और गडवा रोड स्टेशनों से दिल्ली के लिए टिकिटों की बिक्री**

7999. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में मेरल, गडवा और गडवा रोड रेलवे स्टेशनों पर दिल्ली के लिए प्रत्येक महीने कुल कितने टिकट बेचे गये; और

(ख) दिल्ली स्टेशन पर कुल कितने टिकट इकट्ठे किये गये ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा रेल वैगनों के लिए अनुरोध**

8000. **डा० रानेन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने रेल वैगनों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप उनके कार्य की प्रगति पर कुप्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने रेलवे बोर्ड से बार-बार अनुरोध किया है कि स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं है ।

(ख) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिए पत्थर और सीमेंट के लदान में तेजी लाने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए थे ।

(ग) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिए निर्माण संबंधी सामान के लदान में तेजी लाने के उद्देश्य से उपाय किये गये थे । कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिए 1971

में पत्थर के 33 माल डिब्बों के दैनिक औसत लदान की तुलना में जनवरी से मई, 1972 के मध्य तक दैनिक औसत लदान 57 माल डिब्बे रहा । पश्चिम बंगाल के लिए, जिसमें क० म० वि० प्रा० भी शामिल है, सीमेंट का लदान, फरवरी, 72 में 541 माल डिब्बे था, उसमें तेजी लाकर उसे मार्च में 719 और 20 मई तक 628 माल डिब्बे कर दिया गया है । रेलें क० म० वि० प्रा० और पश्चिम बंगाल सरकार से मिलकर कलकत्ता क्षेत्र में अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं की योजना भी बना रही हैं ।

**Cases Filed in Courts due to Auction of Goods on Central Railway**

8001. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The number of cases filed in courts during the last three years in regard to disputes arising out of auction of goods belonging to the Central Railway; and

(b) The number of cases decided in favour of the purchasers of Railway goods ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) Four.

(b) Nil.

**Acreage of Land in Bhind and Morena Districts Irrigated by Chambal Canals**

8002. **Shrimati V. R. Scindia** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the acreage of land of Bhind and Morena Districts which was to be irrigated by the Chambal canals during the last agricultural year;

(b) the acreage of land which was actually irrigated; and

(c) the reasons for which the irrigation targets could not be achieved and the steps taken to achieve the fixed targets ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel)** : (a) to (c). The area planned for irrigation from Chambal canals during Kharif and Rabi seasons in 1971-72 in Bhind and Morena districts of Madhya Pradesh was 50,000 and 3,31,000 acres respectively. The area actually irrigated for Kharif and Rabi was 7,000 acres and 3,12,000 acres respectively.

The shortfall during Kharif has been ascribed to the fact that there was no demand for irrigation water from the cultivators because of very good rains. The shortfall in rabi was due to intensive weed growth in the right main canal. Steps are being taken to clear the weeds and increase its carrying capacity.

**Electrification of Villages in the Country**

8003. **Shri K. M. Madhukar** :
**Shri Mahadeepak Singh Shakya** :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the number of villages in the country, State-wise, which have been electrified by the end of 1971-72 and

which are proposed to be electrified during the year 1972-73 and during the period of the Fourth Five Year Plan ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel)** : A statement is attached. [*Placed in the Library. See* No. LT—3116/72.]

**Import of Playing-Cards**

8004. **Shri Chhatrapati Ambesh** : will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether playing cards are being imported from foreign countries even now; and

(b) if so, the value of imported playing-cards, year-wise, during the last three years ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George)** : (a) There were no imports of playing cards during the year 1971-72 (up to November, 1971). Import figures beyond November, 1971 are not yet available.

(b) During the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 playing cards worth Rs. 16 thousand, Rs. 14 thousand and Rs. 3 thousand, respectively, were imported.

**पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी के कारण पटसन की निर्यात आय में कमी**

8005. **श्री रामकंवर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई में कमी होने से पटसन मिलों के कार्यकरण में कठिनाइयों के फलस्वरूप पटसन की निर्यात आय में कुल कितनी कमी हुई है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) सन 1971 में और जनवरी-अप्रैल, 1972 की अवधि में, पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी के कारण विदेशी मुद्रा की हानि का पटसन उद्योग द्वारा लगाया गया मोटा अनुमान क्रमशः 4·2 करोड़ रु० और 0·5 करोड़ रुपये है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति का अध्ययन करने और विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के प्रयोग को विनियमित करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है । राज्य सरकार इस समस्या के प्रति पूर्णतः सजग है और इसमें सुधार करने के लिए उससे जो कुछ हो सकता है, वह कर रही है ।

**निजी साईडिंग्ज के मालिकों के साथ किए गए करार की क्रियान्विति में विलम्ब**

8006. **श्री अजीज इमाम** : क्या **रेल** मंत्री साईडिंग्ज के मालिकों के साथ किए गए करार को क्रियान्वित न करने के कारण रेलवे को हुई वित्तीय हानि के बारे में 28 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1264 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इलाहाबाद

डिवीजन के साईडिंग्ज के मालिकों से शंटिंग चार्जेज, विलम्ब शुल्क और भाड़ा प्रभार के रूप में बहुत अधिक राशि वसूल की जानी बकाया है और यदि हाँ, तो प्रत्येक साईडिंग पर कितनी राशि बकाया है और बकाया राशि वसूल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**फतेहपुर स्टेशन पर खोंमचे वालों का ठेका समाप्त करना**

8007. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 और 1972 में डिवीजनल सुपरिंटेन्डेन्ट, इलाहाबाद द्वारा फतेहपुर स्टेशन पर खोंमचे वालों के ठेके समाप्त करने का आदेश दिया गया था;

(ख) क्या ठेके समाप्त करने के आदेशों का पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) मण्डल अधीक्षक, इलाहाबाद ने 25-1-1972 को मैसर्स चन्दनलाल बृजबहादुर का विक्रय ठेका समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस मामले के आगे पुनरीक्षण के बाद यह विनिश्चय किया गया कि अंतिम कार्यवाही करने से पहले ठेकेदार का काम देख लिया जाये ।

**इंस्पैक्शन कैरिज में रहने के बारे में नियम**

8008. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 'आफीसर्स कैरिज' का रिहाइश के लिए दुरुपयोग करने के बारे में 25 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3811 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यों के अतिरिक्त अधिकारियों को भुगतान दिए 'इंस्पैक्शन कैरिज' में रहने की अनुमति देने के बारे में कुछ नियम बनाए गए हैं; और

(ख) इलाहाबाद डिवीजन के कामर्शियल अधिकारियों द्वारा इंस्पैक्शन कैरिज से नवम्बर, 1970 से जनवरी, 1971 तक तथा नवम्बर, 1971 से जनवरी, 1972 तक प्रति मास कितनी जाँच की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ । जब कोई दूसरा आवासीय स्थान उपलब्ध न हो तथा उस समय निरीक्षण के लिए निरीक्षण डिब्बों की आवश्यकता न हो तो अस्थायी रूप से ठहरने के लिए, बिना कोई भुगतान किए निरीक्षण सवारी डिब्बों के उपयोग की अनुमति दे दी जाती है ।

(ख) नवम्बर 1970 और जनवरी, 1972 में इलाहाबाद मण्डल के वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण सवारी डिब्बों में प्रत्येक महीने में दो बार निरीक्षण किया गया। अन्य महीनों में इलाहाबाद मण्डल के वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण सवारी डिब्बों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

**भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के माध्यम से फिल्मों का निर्यात**

8009. **श्री वयालार रवि :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में कौन-कौन सी फिलमों का निर्यात किया गया और इस अवधि में इससे भारतीय मुद्रा और अन्य मुद्राओं में कितनी धनराशि उपार्जित की गई;

(ख) क्या सरकार ने फिल्मों के निर्यात की दिशा में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की असफलता के बारे में कोई जाँच की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1971-72 के दौरान भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा निर्यातित फिल्मों के नाम तथा अर्जित विदेशी मुद्रा दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3117/72.**]

(ख) तथा (ग). भारतीय फिल्मों के निर्यात के मार्गीकरण की संपूर्ण नीति के कार्यान्वयन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

**Language Implementation Committee of Ministry of Irrigation and Power**

8010. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of members of the Official Language Implementation Committee of his Ministry and the number of meetings held by the Committee last year;

(b) the broad outlines of the suggestions made so far by the said Commmittee; and

(c) the arrangements made to implement the suggestions ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel)** : (a) The Committee which comprises 12 members met thrice during 1971.

(b) In addition to observance of intructions issued for the implementation of the Official Languages Act, the main suggestions made by the Committee were :

(i) A suggestion box be kept for inviting suggestions from staff in regard to the progressive use of Hindi in this Ministry.

(ii) Both the officers and staff in the Ministry who are well up in Hindi should use Hindi in official work as far as possible.

(iii) Short and non-technical letters originating from the Ministry be sent to all Hindi speaking States in Hindi.

(iv) Hindi Officer should establish close contact with the Sections to find out difficulties being faced by them in implementing the various instructions in regard to progressive use of Hindi in the Ministry and its attached and subordinate offices.

(c) The minuts of the meeting of the Committee are circulated to all concerned for necessary action. The position in regard to decisions taken or suggestions made at any meeting is also reviewed at the next meeting of the Committee.

**Pilgrimage Tax on Passengers for Gaya Junction**

8011. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether passengers have to pay pilgrimage tax in addition to the Railway fare while buying railway tickets for Gaya Junction on the Eastern Railway;

(b) if so, the reasons for charging the tax from persons who belong to Gaya or its surrounding areas and who are not pilgrims; and

(c) whether Government propose to exempt the persons living in Gaya Town and its surrounding areas from the said tax ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) Yes, Sir. The tax is, however, not levied in the cases mentioned in the statement attached.

(b) The tax is levied under the Bihar Places of Pilgrimage Act, 1920, for the benefit of Lodging House Committee.

(c) The Ministry of Railways are not competent to consider the exemption.

*Statement*

The tax is not levied in the case of :

(1) Passengers travelling (a) between Gaya and stations on Nadaul-Chakand section on the Patna-Gaya Branch (b) between Gaya and stations on Kastha-Jakhim section on the Gaya-Mughalsarai line (c) between Gaya and stations on Gujhandi-Manpur section on the Gaya-Asansol line and (d) between Gaya and stations on Tilaiya-Paimar section on South Bihar line.

(2) Persons travelling on monthly tickets.

(3) Special trains for Government high officials and Government officials travelling at haulage rates and others travelling in their own carriages for which haulage rate is charged.

**Decentralisation of C. W. P. C. Administration**

8012. **Shri Ishwar Chaudhry:**
**Shri Yamuna Prasad Mandal:**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number and functions of Directorates and Sections in the Central Water and Power Commission;

(b) whether the administrative work of the different technical Directorates of the said Commission has been centralised in one Admministrative Department; and

(c) if so, the steps taken to delegate administrative powers to the various Directorates and for bringing about improvement in the Administration of the Commission ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel)** : (a) There are 43 technical Directorates, a Secretary and 27 Sections in the Water and Power Wings of the Central Water and Power Commission. The Technical Directorates deal with the various aspects of planning, designing, development and regulation of water and power resources of the country. As regards the Sections, these deal with the establishment, accounts and budgeting and house-keeping.

(b) The Water and Power Wings have each an administrative unit.

(c) The existing arrangements have been found adequate.

**पश्चिम रेलवे के प्रभागीय कार्यालयों में क्लर्कों तथा टाइपिस्टों की कमी**

8013. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के प्रभागीय कार्यालयों में टाइपिस्ट क्लर्कों एवं अन्य क्लर्कों के पदों में कोई अनुपात निर्धारित है;

(ख) यदि हाँ, तो वह क्या है;

(ग) क्या कुछ प्रभागीय कार्यालयों में टाइपिस्टों के पद कम हैं और यदि हाँ, तो वे प्रभागीय कार्यालय कौन-कौन से हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**बिहार के बुनकरों की कठिनाइयाँ**

8014. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में और विशेष कर दरभंगा जिले में धागे की अत्यधिक कमी तथा इसकी अधिक लागत और ऐसी मण्डियों, जहाँ हथकरघा उत्पादों को सुगमता से ले जाया जा सके, के अभाव के कारण वहाँ के बुनकरों को अभूतपूर्व कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). हथकरघा बुनकरों को सूत तथा स्टेपल रेशे धागे की कीमतों में वृद्धि से संतुष्ट होना पड़ेगा। ऐसा बिहार में ही नहीं अपितु पूरे देश के बुनकरों के साथ हुआ है।

फरवरी, 1971 के बाद से धागा पूल योजना के अन्तर्गत, निर्धारित कीमतों पर हथकरघा क्षेत्र की आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए सूत के संभरणों की व्यवस्था की गई थी। 1971-72 में भारी मात्रा में रुई की फसल होने की वजह से भी 1972 में सूत की कीमतों में गिरावट आई है तथा अगले कुछ ही महीनों में उनके सामान्य स्तर पर आने की संभावना है। स्टेपल रेशे धागे के मामले में सरकार ने कत्तिनों के साथ जो विचार-विमर्श किए हैं, उनके परिणामस्वरूप वे विभिन्न स्थानों पर खुले बाजार में स्वीकृत कीमतों पर अपना सारा उत्पादन बेचने के लिए सहमत हो गए हैं। दरभंगा आदि में बुनकरों द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार के अभाव के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी नहीं है। बिहार सरकार को चाहिए कि वह बिहार में बुनकरों के उत्पादों के विपणन के लिए व्यवस्था करे।

**दक्षिण पूर्व रेलवे के रामगढ़ और बिलासपुर रेलवे स्टेशनों के बीच गैंगमैनों के लिए पेय जल की सुविधाएँ**

8015. **श्रीमती मिनिमाता अगमदास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगढ़ और बिलासपुर रेलवे स्टेशनों के बीच लाइनों पर काम करने वाले गैंगमैनों को तीन चार किलोमीटर की दूरी से पीने का पानी लाना पड़ता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गैंगमैनों को उनके निवास स्थानों के निकट पेय जल उपलब्ध करवाने का है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय दक्षिण-पूर्व रेलवे के रामगढ़-बिलासपुर खण्ड से है। गैंगमैनों के लिए निर्माण-कार्य स्थल पर पेय जल की व्यवस्था इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए पानी वालों द्वारा की जाती है।

(ख) उनके निवास-स्थान के निकट लगभग सभी स्थानों पर पेय जल की व्यवस्था के लिए पर्याप्त प्रबंध कर दिया गया है।

**बिलासपुर डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) प्राइवेट ठेकेदार को कार्य हस्तान्तरित किये जाने के फलस्वरूप नैमित्तिक श्रमिकों की छटनी**

8016. **श्रीमती मिनिमाता अगमदास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर डिवीजन और कारगी रोड स्टेशन में विशेषकर गत अनेक वर्षों से दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे सैकड़ों नैमित्तिक मजदूरों को गत छ: महीनों के दौरान बेरोजगार कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे की बिल्डिंगों की मरम्मत, मिट्टी का छोटा-मोटा कार्य तथा अन्य स्थायी कार्य, सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइनों को बनाने का कार्य जो कि पहले स्वयं विभाग द्वारा किया जाता था, अब निष्पादन के लिए प्राइवेट ठेकेदारों को दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और छटनी किये गये मजदूरों को पुनः रोजगार देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) और (ख). 1116 नैमत्तिक श्रमिक, जिस कार्य के लिए लगाए गए थे, उसके पूरा होने के कारण नौकरी से निकाल दिये गये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**Promotion of Scheduled Caste Class IV Employees to Class III, Bilaspur Division (South Eastern Railway)**

8017. **Shrimati Minimata Agamdas** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Class IV Scheduled Caste Railway employees have not been promoted to Class III posts by the Railway Administration in accordance with the percentage of posts prescribed for them in Bilaspur Division of the South Eastern Railway; and

(b) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** (a) and (b). Reservation quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not admissible in promotion from Class IV to Class III on Railways as per extant rules.

**अंगूरों का निर्यात**

8018. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में अंगूरों का निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में अंगूरों का निर्यात करने का विचार है और इसकी भावी सम्भावनाएँ क्या हैं ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). जी हाँ । विगत दो वर्षों में पश्चिम यूरोपीय देशों को नमूने के तौर पर कतिपय परेषण भेजे गए । इस वर्ष के दौरान भी हम नमूने के तौर पर कतिपय और परेषण भेजने की योजना बना रहे हैं । अंगूरों के निर्यात की भावी संभाव्यताओं का अनुमान, केवल इन नमूने के तौर पर भेजे गये परेषणों के परिणाम आँकने के बाद ही लगाया जा सकता है ।

**Introduction of Guntakal-Mysore Rail Car Service**

8019. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Guntakal-Mysore Rail Car Service has been introduced from the 17th April, 1972; and

(b) if so, whether Government propose to introduce similar services between Barauni and Narkatiaganj and between Plezaghat and Narkatiaganj ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) Yes, a Diesel Rail Car Service has been introduced between Mysore and Guntakal to run on three days in a week from 16-4-72 mainly for clearance of summer rush of traffic.

(b) No.

**गाजियाबाद में कविनगर अथवा राजनगर के आसपास एक स्थानीय रेलवे स्टेशन का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव**

8020. **श्री पी० वी० सी० राजू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद में कविनगर अथवा राजनगर के आस पास एक स्थानीय रेलवे-स्टेशन का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) और (ख). जी नहीं । गुलडहर और गाजियाबाद स्टेशनों के बीच एक हाल्ट स्टेशन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर जनवरी, 1972 में विचार किया गया था लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसा करने से इस खण्ड पर, जो कि पहले ही संतृप्त स्थिति में है, गाड़ियों के कुल चालन समय पर प्रभाव पड़ता था । इस स्थिति में अभी कोई पवितर्न नहीं हुआ ।

**जयपुर में नए रेल स्लीपरों की चोरी**

8021. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में हाल ही में नये रेल-स्लीपरों की चोरी हुई थी;

(ख) क्या इस चोरी में रेल कर्मचारियों का हाथ भी है; और

(ग) इस बारे में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ ।

(ख) अभी इसके संबंध में पता नहीं चला क्योंकि जाँच-पड़ताल अभी भी चल रही है ।

(ग) अभी तक एक बाहरी व्यक्ति अर्थात् एक गैर-रेलवे कर्मचारी इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है और मामले की अभी भी जाँच हो रही है ।

**रेलवे में घातक दुर्घटनायें**

8022. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1970 से अप्रैल, 1972 तक ऐसी कितनी रेलवे दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 5 या इससे अधिक व्यक्ति मारे गये; और

(ख) उपर्युक्त घटनाओं में से प्रत्येक के कारण क्या हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) और (ख). 1-4-1970 से 30-4-1972 तक ऐसी 13 दुर्घटनाएँ हुईं ।

इन दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं :

| कारण | | दुर्घटनाओं की संख्या |
|---|---|---|
| रेल कर्मचारियों की त्रुटि | | 7 |
| रेल कर्मचारियों को छोड़कर दूसरे व्यक्तियों का दोष | | 4 |
| तोड़-फोड़ | | 1 |
| संयोगवश | | 1 |
| | जोड़ | 13 |

**लखनऊ डिवीजन (उत्तर रेलवे) के स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों का बड़ी संख्या में स्थानान्तरण**

8023. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में हाल ही में 62 स्टेशन मास्टरों, 222 सहायक स्टेशन मास्टरों और 30 वर्गीकृत सहायक स्टेशन मास्टरों का स्थानान्तरण किया गया था जिससे 150 स्टेशन प्रभावित हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इतने बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ ।

(ख) उत्तर रेलवे पर यातायात के महत्व और शिक्षा तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाओं आदि की उपलब्धता के आधार पर स्टेशनों के वर्गीकरण के अनुसार स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को नियुक्त करने की प्रणाली लागू थी । इस प्रणाली के अनुसार जो बहुत सी नियुक्तियाँ की जानी थीं वे लगभग दो वर्षों तक रुकी रहीं क्योंकि यह प्रणाली ही अस्थायी रूप से आस्थगित

रही थी। हाल ही में इसे फिर से लागू कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप ये स्थानान्तरण किये गये हैं। इनमें से कुछ स्थानान्तरण प्रशासकीय कारणों से और कुछ कर्मचारियों के अपने अनुरोध पर किये गये।

**पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के सचिव का मण्डल अधीक्षक, समस्तीपुर को खुला-पत्र**

8024. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के सचिव तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा मंडल अधीक्षक, समस्तीपुर, पूर्वोत्तर रेलवे को कोई खुला पत्र भेजा गया है, जिसमें कुछ माँगे की गयी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ के अमान्य गुट से, दिनांक 19-4-1972 के छपे दो इश्तिहार प्राप्त हुए हैं।

(ख) मामले में जाँच की जा रही है।

**तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत 'कमान्ड' क्षेत्र विकास योजना**

8025. **श्री के० कोडन्डारामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश को तुंगभद्रा परियोजना के अंतर्गत 'कमान्ड' क्षेत्र विकास योजना के लिए मंजूर कुल धनराशि में से उसके एक तिहाई भाग से वंचित रखा गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि से वंचित रखा गया है और उसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** (क) और (ख). कृषि मंत्रालय, जो कमानगत विकास स्कीमों के लिए उत्तरदायी है, ने सूचित किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की एक स्कीम प्रारम्भ की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमित मार्केट उचित केन्द्रों में स्थापित किए जायेंगे और सर्वऋतु सड़कें आस पास के उत्पादन क्षेत्रों को उनके साथ जोड़ने के लिए बनाई जायेंगी। इन मदों पर किया जाने वाला व्यय केन्द्रीय सेक्टर से पूरा किया जाएगा और स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाऐंगी। समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आवश्यक सभी अन्य सेवाओं और निवेश की व्यवस्था (समुन्नत प्रशासनिक प्रबन्धों सहित) राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने योजना प्रावधानों से बाहर की जानी होती है और केन्द्रीय सैक्टर कार्यक्रम में किसी कमानगत क्षेत्र को शामिल करने के लिए यह पहली शर्त है।

2. बृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सभी कमानगत क्षेत्रों को सम्मिलित करने

के इस कार्यक्रम के लिए बहुत धन की आवश्यकता है। इसलिए यह कार्यक्रम अनिवार्य रूप से चरणों में तैयार किया जाना है। प्रारम्भ में, 10 चुने हुए सिंचाई कमानगत क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए योजना में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। मैसूर में तुंगभद्रा कमानगत क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर और पोचमपाद कमानगत क्षेत्र को पहली दस परियोजनाओं में शामिल कर लिया गया था।

3. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के परिणामस्वरूप और कमानगत क्षेत्रों के विकास में इस कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए 10 करोड़ रुपये की एक अतिरिक्त योजना प्रावधान पहले से ही कर दिया गया है। अब यह फैसला किया गया है कि इसमें कुछ और कमानगत क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाए और आंध्र प्रदेश में पड़ने वाला तुंगभद्रा कमानगत क्षेत्र उसमें से एक है। इस मामले पर राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है जिनको कहा गया है कि वे स्कीम की पद्धति के अनुसार अपनी योजना में से सभी आवश्यक निवेश और सेवाएं (जिनमें समुन्नत प्रशासनिक प्रबंध शामिल हैं) देना स्वीकार कर लें।

**आंध्र प्रदेश में निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन**

8026. **श्री के० कोडण्डारामी रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में किन-किन निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन तथा निर्माण किया जाता है;

(ख) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में आंध्र प्रदेश में उपरोक्त वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ और वहाँ से कितना निर्यात किया गया तथा गत दो वर्षों के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं; और

(ग) आंध्र प्रदेश में इन परम्परागत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने और काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि नई निर्यात योग्य प्रमुख वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या नए उपाय अपनाने का विचार है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**रायलसीमा के सूखा-पीड़ित जिलों में सिंचाई सुविधा**

8027. **श्री के० कोडण्डारामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित गंगा-कावेरी लिंक योजना से रायलसीमा के निरन्तर सूखा-पीड़ित जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना संभव होगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना से रायलसीमा को कितना लाभ होगा ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख). केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में किए गए प्रारम्भिक कार्यालय अध्ययनों से यह पता चलता है कि, जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, प्राकृतिक जल-मार्गों और मौजूदा या प्रस्तावित जलाशयों का उपयोग करते हुए, गंगा का कुछ जल पंपकृत और ग्रेविटी नहरों को मिलाकर दूसरी जगह से लाया जा सकता है। गंगा का जल और अन्य मध्यवर्ती बेसिनों का फालतू जल देश में पहले से ही चुन लिए गए अधिकांश सूखा प्रभावित क्षेत्रों को, निम्नवर्ती सूखा प्रभावित क्षेत्रों को स्थानान्तरित करने के लिए, मार्गस्थ नदियों में डाल कर अथवा उसको निम्नवर्ती बेसिनों की पानी की सप्लाई को कम करके, ऊपरी बेसिनों में प्रस्तावित जलाशयों से पम्प करके, और मुख्य सम्पर्क नहर/नदी संरचनाओं से, जहाँ ये आवश्यक हों और जब ऐसा जल विनिमय संभव न हो पानी पम्प करके ले जाने का विचार है।

आशा है कि इस वर्ष में परियोजना के अनुसंधान कार्यों को शुरू किया जा सकता है। इन अनुसंधानों में लगभग पाँच से सात वर्ष लगेंगे। इन अनुसंधानों के पूर्ण होने और परियोजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही विभिन्न प्रदेशों में सेवित होने वाले क्षेत्रों के ब्यौरे का पता चलेगा।

**आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं की केन्द्र द्वारा मंजूरी**

8028. **श्री के० कोडण्डारामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गुजुलाडिन्ने परियोजना (कुर्नूल जिला) पेड्डावगु परियोजना (चित्तूर जिला) थोगुरुपेट योजना (कुड्डपा जिला) पापाधिम जलाशय (अनन्तपुर और कुड्डपा जिला) का योजना आयोग और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग अनुमोदन कर चुका है; और

(ख) इन में से प्रत्येक योजना से कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी और प्रत्येक पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख). 12,500 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए गुजुलाडिन्ने परियोजना 1966 में स्वीकृत हुई थी; परियोजना की अनुमानित लागत 96·36 लाख रुपये थी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्य स्कीमें केन्द्र को नहीं भेजी हैं।

**भारतीय नागरिकों को, जिनकी सम्पत्ति पाकिस्तान में जब्त कर ली गई है, अनुग्रहीत अनुदान**

8029. **श्री सेझियान** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय नागरिकों तथा फर्मों को जिनकी सम्पत्ति को पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार द्वारा शत्रु सम्पत्ति के रूप में अपने नियंत्रण में ले लिया गया है; अनुग्रहीत अनुदान देने के मामले में क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ग) क्या गुणावगुण के आधार पर दावों का 25 प्रतिशत देने के लिए कोई कसौटी बनाई गई है और यदि हाँ, तो वह कसौटी क्या है; और

(घ) गुणावगुण की कसौटी के अन्तर्गत अब तक विचार के लिए कितने मामलों को स्वीकार किया गया है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). अनुग्रह-पूर्वक अनुदान की अदायगी करने के लिए अभी तक कुल 166 दावे सत्यापित किये जा चुके हैं जिन के लिए 1,58,26,354 रु० की राशि दी जानी है और विभिन्न दावेदारों को 1,05,82,574 रु० बाँटे जा चुके हैं।

(ग) जी हाँ। अधिकारियों की अंत: विभागीय बैठक में इस संबंध में उन उपादनों के संबंध में जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए, कुछ आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया था। अनेक परिवर्तनशील बातों को देखते हुए, इस जानकारी को, जो केवल आन्तरिक उपयोग के लिए ही है, बताना लोक हित में नहीं होगा।

(घ) अब तक चार पार्टियों ने गुणावगुण के आधार पर उनके दावों पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है। दो पार्टियों के मामले अस्वीकार कर दिए गए हैं। शेष दो के मामले विचाराधीन हैं।

**न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार**

8030. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ए० आई० आर० 1969 पत्रिका में "कैन्सरेस ग्रोथ आफ करप्शन इन जुडीशियरी" शीर्षक से छपे लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) सरकार ने 1969 के ए० आई० आर० में प्रकाशित लेख को देख लिया है।

(ख) उसमें जो विचार प्रकट किए गए हैं वे लेखक के अपने विचार हैं और सरकार ने उन विचारों को नोट कर लिया है।

**आराम-कक्षों और शयन-कक्षों के भिन्न किराये**

8031. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आराम-कक्षों और शयन-कक्षों के किराये समान नहीं हैं और विभिन्न स्टेशनों पर उनमें बहुत अन्तर है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) विश्रामालयों, जिनमें डोरमिटरी टाइप के विश्रामालय भी शामिल हैं, में ठहरने के प्रभार क्षेत्रीय रेल प्रशासनों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। इनका निर्धारण संबंधित नगर की परिस्थितियों और विश्रामालयों में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रख कर समुचित स्तर पर किया जाता है। इसलिए एक स्टेशन के प्रभार दूसरे स्टेशन के प्रभारों से भिन्न होते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**केरल के काजू परिष्करण कारखानों में हड़ताल**

8032. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के विभिन्न भागों में काजू परिष्करण कारखानों के दो लाख से अधिक श्रमिकों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हाँ, तो हड़ताल करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन श्रमिकों की कठिनाइयां दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग). सरकार को काजू उद्योग में हाल ही में हुई किसी सांकेतिक हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केरल सरकार से जानकारी माँगी गई है तथा इस मामले में उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

**दक्षिण रेलवे में कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिक**

8033. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे में कितने नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : 31-3-1972 को प्राप्त सूचना के अनुसार दक्षिण रेलवे पर 31,597 नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे थे।

**केरल के अभ्यर्थियों के लिए कोचीन में एक पृथक रेलवे सेवा आयोग**

8034. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में नौकरी के लिए केरल से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मद्रास अथवा बम्बई के रेलवे सेवा आयोग के समक्ष जाना पड़ता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार केरल के लोगों के लिए कोचीन में एक पृथक रेलवे सेवा आयोग स्थापित करने का है ?

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ। किन्तु टिकट कलेक्टरों, वाणिज्य क्लर्कों, सहायक स्टेशन मास्टरों, क्लर्कों आदि जैसी कुछ सामान्य कोटियों के मामले में परीक्षाएं/साक्षात्कार केरल राज्य के कुछ स्थानों जैसे कोल्लम, ओलवकोट, त्रिचूर तथा तिस्वनन्तपुरम में भी होते हैं।

(ख) जी नहीं। प्रत्येक राज्य के लिए एक-एक रेल सेवा आयोग रखना व्यावहारिक नहीं है।

**Construction of a New Railway Station Between Rangmahal and Pili Bangan Railway Stations (Northern Railway)**

8035. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a demand for setting up a new Railway Station between Rangmahal and Pili Bangan Stations in Bikaner Division of Northern Railway has constantly been made for the last several years;

(b) whether his Ministry had in their letter No. 51 R. D. /444 dated the 18th April, 1968 stated that the site selected earlier for the station would not be changed and the name of the station would be Amarpura Rathan; and

(c) if so, the reasons for not setting up the station there ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) It was proposed to open a halt at the site originally suggested but meanwhile there was a fresh proposal to change the site to Chak No. 34 STG. The new proposal was examined and it was found that since it was near the bridge being constructed on the Rajasthan Canal, there would be heavy expenditure on earth work and the proposal was not financially justified. Thereafter a new site i. e. less than a kilometre away from this site was proposed by the Railway Administration as the expenditure would have been very much less. There was, however, insistence that if the station could not be opened at km-126/6-8 i. e. at Chak No. 34 STG it would be latter not to open the station at Amarpura Rathan, as originally proposed. As this would have involved heavy recurring financial loss to Railway Administration the proposal could not be agreed to.

**अभ्रक उद्योग में संकट**

8036. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अभ्रक उद्योग संकट में रहा है;

(ख) क्या उक्त उद्योग को वर्तमान संकट से बचाने के लिये सरकार ने कोई आवश्यक निदेश जारी किये हैं; और

(ग) क्या उस संबंध में सरकार को बिहार सरकार का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग). खनन तथा अभ्रक के आंतरिक व्यापार के राष्ट्रीयकरण के संबंध में आशंकाएँ व्यक्त की गई थीं। इस बीच यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका आशय यह है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम को बाजार में प्रवेश करना चाहिए और लघु निर्यातकों, साधित करने वालों तथा खानों के मालिकों से अभ्रक खरीद कर स्वयं उसका निर्यात करना चाहिए।

**Annual Trade Transacted by Kandla Port and Steps Taken to set up New free Trade Zone**

8037. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the annual trade transacted by the 'Free Trade Zone' of Kandla Port during the last three years; and

(b) the steps being taken for the development of trade and for setting up new 'Free Trade Zones' in the country ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George)** : (a) The quantum of trade handled by the Free Trade Zone at Kandla during the last three years has been as under :

| Year | Import | | Export | |
|---|---|---|---|---|
| | Qty. (Kg) | Value (Rs.) | Qty. (Kg) | Value (Rs.) |
| 1969-70 | 3,67,193 | 52,45,178 | 2,46,885 | 58,02,065 |
| 1970-71 | 7,35,381 | 46,52,153 | 2,39,989 | 34,46,445 |
| 1971-72 | 2,55,853 | 28,76,789 | 6,70,031 | 81,42,027 |

(b) The steps taken by the Government to augment the trade are :

(i) A standing High Powered Committee known as the Kandla Free Trade Zone Committee has been set up to take expeditious decisions on matters relating to setting up of industries in the Zone.

(ii) A simplified procedure has been drawn up for considering applications requiring Industrial Licence under the Industries (D&R) Act. 1951. Under this revised procedure all applications are considered by the KFTZ Committee and directly sent to the Licensing Committee for approval.

(iii) Powers have been delegated to the KFTZ Committee to clear applications for import of capital goods into the Zone upto the value of Rs. 10 lakhs.

(iv) It has been decided to treat the Industries in the Zone as equivalent to Export Houses for purposes of grants-in-aid from Marketing Development Fund.

(v) Publicity through suitable press advertisements is also being organised through the Directorate of Advertising and Visual Publicity for attracting more entrepreneures to set up industries in the Zone. The question of new Free Trade Zones will be considered assessing the progress of the existing one at Kandla.

## विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में

## (प्रश्न)

## *RE* : QUESTION OF PRIVILEGE

## (*Query*)

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : महोदय, मेरा एक निवेदन है । मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक के बारे में जो विशेषाधिकार संबंधी मामला उठाया था, उसका क्या हुआ ? इस मामले को अन्य बातों के साथ न मिलाकर इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने मामले का पूरा अध्ययन किया है । मैंने पूर्व उदाहरणों को भी देखा है । जब ऐसी टिप्पणी की जाती है तो अधिकारी और सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का अधिकार है । जब की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन आ जायेगा तो इस पर विचार किया जायेगा ।

---

## सत्रावधि का बढ़ाया जाना

## EXTENSION OF SESSION

**संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री** (श्री राजबहादुर) : महोदय, आज प्रातः विरोधी दल के नेताओं ने शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की जिसमें यह सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के अध्ययन के लिए कुछ और समय दिया जाये । सभी लोगों की यह राय थी कि विधेयक के अध्ययन के लिए एक दिन की अवधि बढ़ा दी जाये । अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि सभा की बैठक एक दिन के लिए बढ़ा दी जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप जितने दिन के लिए चाहें, बढ़ा सकते हैं, मैं अध्यक्षता करने के लिए उपलब्ध हूँ ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : हम अपना आगामी कार्यक्रम निर्धारित कर चुके हैं । अतः मेरा सुझाव यह है कि विधेयक को आगामी सत्र तक लम्बित रखा जाये अथवा इसे संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये ।

**श्री जी० विश्वनाथन्** (वान्डीवाश) : जब हमने यह प्रस्ताव रखा था कि सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया जाए तब तो मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार नहीं किया था किन्तु अब अकस्मात वह कह रहे हैं कि हम एक दिन और बैठ सकते हैं ।

**श्री पीलू मोदी** (गोधरा) : मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन से तथाकथित नेताओं से मिले थे ?

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : Sir, as my name has been mentioned, I would like to explain my position. In the meeting held in the morning it was demanded that this

Bill may be referred to the select committee but Government showed its inability. After that it was agreed that the Bill may be discussed on 1st June, but we still insist on sending the matter to the Select Committee.

**अध्यक्ष महोदय** : तब ठीक है । हम 1 जून को भी बैठेंगे ।

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : श्री के० हनुमन्तैया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) का वर्ष 1969-70 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन ।

(तीन) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के वर्ष 1969-70 के संबंध में निदेशकों का प्रतिवेदन तथा लेखे का विवरण और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

(2) उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

**[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3094/72.]**

(3) रेल मार्ग, चल-स्टाफ, संकेतों आदि से संबंधित महत्वपूर्ण रेल समस्याओं के संबंध में अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के अप्रैल, 1968 से मार्च, 1971 तक के क्रियाकलापों की त्रिवार्षिक समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

**[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—3095/72.]**

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : श्री के० आर० गणेश की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 561, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 मई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 614, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[**ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—3096/72.**]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 558, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 मई, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 559, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 मई, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 560, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 मई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[**ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—3097/72.**]

**कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया)** : श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 616 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) मार्डन बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) मार्डन बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1970-71 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[**ग्रंथालय में रखी गईं । देखिए संख्या एल० टी०—3098/72.**]

**श्री० ए० सी० जार्ज** : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :

(1) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963, की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खुले नारियल जटा रेशे का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 मई, 1972, में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1131 में प्रकाशित हुए थे [**ग्रंथालय में रखी गईं । देखिए संख्या एल० टी०—3099/72.**]

(2) कहवा अधिनियम 1942 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 491 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1972, में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) जी० एस० आर० 492 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुये थे ।

[**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—3100/72.**]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) निर्यात ऋण और गारंटी निगम लिमिटेड, बम्बई के 1 जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1970 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) निर्यात और गारंटी निगम लिमिटेड, बम्बई का 1 जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1970 तक की अवधि संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—3101/72.**]

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : मैं रेल दुर्घटना जाँच समिति, 1968 के प्रतिवेदन के भाग 1 और भाग 2 के संबंध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विचारों संबंधी अनुपूरक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—3102/72.**]

**संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री बी० शंकरानंद)** : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ :

**चौथी लोक सभा**

(एक) विवरण संख्या 32 . . सातवां सत्र, 1969
(दो) विवरण संख्या 21 . . आठवाँ सत्र, 1969
(तीन) विवरण संख्या 20 . . नौवाँ सत्र, 1969
(चार) विवरण संख्या 22 . . दसवाँ सत्र, 1970
(पाँच) विवरण संख्या 13 . . ग्यारहवाँ सत्र, 1970
(छः) विवरण संख्या 12 . . बारहवाँ सत्र, 1970

**पाँचवीं लोक सभा**

(सात) विवरण संख्या 13 . . दूसरा सत्र, 1971
(आठ) विवरण संख्या 5 . . तीसरा सत्र, 1971
(नौ) विवरण संख्या 2 . . चौथा सत्र, 1972

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो ) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1970-71 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[**ग्रंथालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी०—3104/72.**]

(2) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो ) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास का, 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[**ग्रंथालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी०—3105/72.**]

(3) (एक) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो ) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1969-70 संबंधी वार्षिक प्रति-वेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रंथालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी०—3106/72.**]

## प्राक्कलन समिति
## ESTIMATES COMMITTEE
### कार्यवाही सारांश

**श्री के० एन० तिवारी** (बेतिया) : मैं प्राक्कलन समिति के 19 वें और 20 वें प्रतिवेदनों तथा साम्मान्य विषयों के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूँ ।

## राज्य सभा से संदेश
## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना देने का निदेश हुआ है कि :

"राज्य सभा ने 29 मई, 1972 को अपनी बैठक में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1970 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय और आगे बढ़ाकर राज्य सभा के 81 वें सत्र के अन्तिम दिन तक करने के बारे में एक प्रस्ताव स्वीकार किया ।"

# नियम 377 के अन्तर्गत मामला

# MATTER UNDER RULE 377

## (एक) ताप बिजलीघर का कटिहार से प्रस्तावित स्थानान्तरण

**Shri G. P. Yadav** (Katihar) : The Central Government's Plan about setting up a Thermal Power Station Project at Katihar in Bihar had almost been finalised but now all of a sudden the Government have decided to change the location to Dalkota in West Bengal. I may tell that the Power Station at Katihar would have greatly benefited the rural areas of the north Bihar. But I do not know why the location has been changed. May I know why this step motherly treatment is being meted out to Bihar. Perhaps the Government wants to incite the people of the two states and wants to create dispute between Bihar and West Bengal. Would the Government explain position in this regard.

**डा० के० एल० राव** : माननीय सदस्य तथ्यों से अवगत नहीं हैं बिजली का उत्पादन सामान्यतया राज्यों द्वारा किया जाता है। बिहार सरकार कटिहार में बिजली घर की स्थापना करनी चाहती है। हमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मुख्य प्रश्न वित्त की व्यवस्था का है। उत्तर बिहार और उत्तर बंगाल दोनों ही बिजली के संबंध में काफी पिछड़े हुए हैं। हम यह चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बिजली घर की स्थापना की जाये ताकि जिन क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकता है वहाँ शीघ्र ही बिजली उपलब्ध कराई जाए। अभी परियोजना अंतिम रूप से स्वीकार नहीं हुई है। हमने परियोजना की जाँच की है और इंजीनियरों ने दलकोला को इसके लिए उपयुक्त स्थान पाया है। यहाँ 240 मेगावाट के एक बिजली घर की स्थापना की जा सकती है। इस बिजली घर से बिहार और बंगाल को समान रूप से बिजली का वितरण किया जायेगा। यह स्थान बंगला देश के बिलकुल समीप है। यह भी संभावना है कि बंगला देश को बिजली पारस्परिक आधार पर उपलब्ध कराई जाये। हम उनसे त्रिपुरा तथा निजोराम क्षेत्रों के लिए बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी कारण सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने ऐसे स्थान पर बिजली घर की स्थापना करना बेहतर समझा जहाँ से दोनों राज्यों को बिजली उपलब्ध कराने में आसानी हो। हम चाहते हैं कि परियोजना का कार्य भारत सरकार के अधीन हो ताकि इसे जल्दी पूरा किया जा सके।

## (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में अनियमिताएँ

**श्री समर गुह** (कंटाई) : मैं आपका ध्यान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के बारे में विभिन्न पत्रों में छपी अत्यंत गम्भीर रिपोर्टों तथा सम्पादकीय टिप्पणियों की ओर दिलाना चाहता हूँ। ये आरोप लगाये गये हैं कि इस संस्थान के अधिकारी वर्ग ने इसे अपनी एक रियासत बना रखा है, तथा यहाँ भ्रष्टाचार और पक्षपात का बोलबाला है। यह भी कहा गया है कि वहाँ सरकार के करोड़ों सदस्यों को बरबाद किया जा रहा है तथा शिक्षकों और कर्मचारियों की पदोन्नति और चयन संबंधी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है एवं केन्द्रीय सरकार की निधी के लेखे रखने संबंधी सिद्धान्तों की अत्यंत उपेक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल ने 2·77 करोड़ रुपये के मूल्य की आस्तियों की रजिस्टरों में सूची न रखने के कारण कई बार निंदा की है।

आप आश्चर्य करेंगे कि इंजीनियरी के एक प्रोफेसर को मानविकी विभाग का प्रमुख बना दिया गया है। इसी प्रकार की और भी अनियमितताएँ हो रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वहाँ के निदेशक की आलोचना की है। वातानुकूलित तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों से सज्जित तीन आडीटोरियमों के होते हुए भी कई लाख रुपयों की लागत से एक और आडीटोरियम बनाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन गम्भीर आरोपों की जाँच कराने का आदेश देगी।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (ग्वालियर) : माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उनकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। इस मामले पर लोक लेखा समिति में भी चर्चा की गई थी।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें।

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन)** : जहाँ तक दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का संबंध है, इसका लेखा परीक्षा प्रतिवेदन नियमित रूप से सभा पटल पर रखा जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षा दल कुछ लेखा परीक्षा आपत्तियाँ उठाता है और शासकीय विभाग तथा संबंधित प्राधिकारी उनका उत्तर देते हैं। उत्तरों पर विचार करने के बाद केन्द्रीय राजस्व का महालेखापाल निर्णय देता है और सभी संबंधित लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित करता है। अत: जैसे ही सरकार को अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होगा, वह उसमें उल्लिखित बातों पर विचार करेगी।

---

## अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक

## UNTOUGHABILITY OFFENCES AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस० नूरुल हसन)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस प्रस्ताव पर 'कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये', वाद-विवाद, जो 23 मई, 1972 को स्थगित किया गया था, अब पुन: आरम्भ किया जाये।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव पर 'कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये', वाद-विवाद, जो 23 मई, 1972 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय** : यह घटना पहली बार हुई है। भविष्य में फिर ऐसा नहीं होना चाहिये। जब विधेयक पर चर्चा आरम्भ हुई थी तो इसे अचानक स्थगित कर दिया गया था और अब प्रस्ताव पेश किया गया है कि चर्चा पुन: आरम्भ की जाये।

**प्रो० एस० नूरुल हसन** : मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ।

**संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (प्रो० राज बहादुर)** : मैं भी इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ।

**प्रो० एस० नूरुल हसन** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को 45 सदस्यों की, 30 सदस्य इस सभा से, अर्थात् :

(1) श्री नाथू राम अहिरवार
(2) श्री छत्रपति अम्बेश
(3) श्री पन्ना लाल बारुपाल
(4) श्री आर० डी० भण्डारे
(5) श्री बी० एस० भौंरा
(6) श्रीमती बी० राधाबाई अनन्दा राव
(7) श्री चन्द्रिका प्रसाद
(8) श्री छोटे लाल
(9) श्री समर गुह
(10) श्री लक्षमण काकड़िया दुमादा
(11) श्री सुबोध हंसदा
(12) श्री वी० मयावन
(13) श्री नागेश्वर राव मेदुरी
(14) श्री राम सूरत प्रसाद
(15) श्री अनन्तराव पाटिल
(16) श्री धन शाह प्रधान
(17) श्रीमती सहोदराबाई राय
(18) श्री राम कंवर
(19) श्री अजित कुमार साह
(20) शिबन लाल सक्सेना
(21) श्री अर्जुन सेठी
(22) श्री चन्द शैलानी
(23) श्री शम्भू नाथ
(24) श्री शंकर देव
(25) श्री नवल किशोर शर्मा
(26) श्री डी० पी० यादव
(27) श्री एस० एम० सिद्धया
(28) श्री शंकर दयाल सिंह

(29) श्री सोमचन्द सोलंकी
(30) श्री फूल चन्द वर्मा

और 15 सदस्य राज्य सभा से,

दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की एक-तिहाई होगी;

कि समिति अपने सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों के संबंध में, संसदीय समितियों संबंधी इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।''

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है;

''कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को 45 सदस्यों की, 30 सदस्य इस सभा से, अर्थात् :

(1) श्री नाथू राम अहिरवार
(2) श्री छत्रपति अम्बेश
(3) श्री पन्ना लाल बारुपाल
(4) श्री आर० डी० भण्डारे
(5) श्री बी० एस० भौरा
(6) श्रीमती बी० राधाबाई अनन्दा राव
(7) श्री चन्द्रिका प्रसाद
(8) श्री छोटे लाल
(9) श्री समर गुह
(10) श्री लक्षमण काकड़िया दुमादा
(11) श्री सुबोध हंसदा
(12) श्री वी० मयावन
(13) श्री नागेश्वरराव मेदुरी
(14) श्री राम सूरत प्रसाद
(15) श्री अनन्तराव पाटिल

(16) श्री धन शाह प्रधान
(17) श्रीमती सहोदराबाई राय
(18) श्री राम कंवर
(19) श्री अजित कुमार साह
(20) श्री शिबन लाल सक्सेना
(21) श्री अर्जुन सेठी
(22) श्री चन्द शैलानी
(23) श्री शम्भू नाथ
(24) श्री शंकर देव
(25) श्री नवल किशोर शर्मा
(26) श्री डी० पी० यादव
(27) श्री एस० एम० सिद्दया
(28) श्री शंकर दयाल सिंह
(29) श्री सोमचन्द सोलंकी
(30) श्री फूल चन्द वर्मा

और 15 सदस्य राज्य सभा से,

दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की एक-तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों के संबंध में, संसदीय समितियों संबंधी इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The Motion was adopted.**

## कराधान विधि (जम्मू कश्मीर पर विस्तार) विधेयक

## TAXATION LAWS (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR) BILL

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

''कि कतिपय कराधान विधियों के जम्मू और कश्मीर राज्य पर विस्तार की व्याख्या से संबंधित विधेयक पर विचार किया जाये ।''

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा शरणार्थियों को राहत देने के लिए विदेश यात्रा कर, डाक संबंधी वस्तुओं पर कर तथा अन्तर्देशीय यात्रा कर के रूप में पिछले वर्ष कई उपाय किये गये थे। ये कर भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 97 के संदर्भ में लागू किये गये थे। उपरोक्त अध्याय और अधिनियमों को अधिनियमित करते समय इस प्रविष्टि के अधीन् संसद को उक्त अध्याय और अधिनियमों का जम्मू और कश्मीर राज्य पर विचार करने की शक्ति नहीं थी। तदनुसार उक्त अध्याय और वर्तमान अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समूचे देश पर लागू होते हैं। डाक संबंधी वस्तुओं पर कर विधेयक, 1971 और अन्तर्देशीय यात्रा कर विधेयक, 1971 पर विचार के समय उसे जम्मू और कश्मीर पर भी लागू करने के लिए कहा गया था किन्तु चूँकि संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन इन्हें लागू करने से पहले जम्मू और कश्मीर सरकार से परामर्श करना अपेक्षित है, इन अधिनियमों का विस्तार स्वतः नहीं किया जा सकता था। उपरोक्त अध्याय तथा अधिनियमों के अधिनियमन के बाद सूची I में प्रविष्टि 97 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत आवश्यक संसोधनों के साथ जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया है। अब विधेयक में उपयुक्त अध्याय तथा अधिनियमों का समुचित संशोधन के साथ 1 जुलाई, 1972 से जम्मू और कश्मीर राज्य पर विस्तार करने का विचार है।

अन्तर्देशीय यात्रा कर अधिनियम, 1971 और डाक संबंधी वस्तुओं पर कर विधेयक, 1971 के विस्तार से क्रमशः 3 लाख और 7·36 लाख वार्षिक आय का अनुमान है।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ कराधान विधियों का जम्मू और कश्मीर पर विस्तार किया गया है पहले विधेयकों को जम्मू और कश्मीर पर लागू न करने से यह भावना बनती है कि इस संबंध में कुछ भेदभाव बरता जा रहा है जबकि कश्मीर भी भारत का एक अविभाज्य अंग है।

इस विधेयक पर विचार करते हुए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह हमें करों, बकाया करों और अन्य करों की वसूली से संबंधित तंत्र से अवगत करायें। हमारी जानकारी के अनुसार बहुत से पर्यटक अनेक विदेशी वस्तुयें लेकर कश्मीर जाते रहते हैं और आप वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। क्या राज्य अथवा केन्द्र सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था की है।

जब उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत कर लगाये गये थे तो हमें आश्वासन दिया गया था कि ऐसा केवल बंगला देश से लाखों की संख्या में शरणार्थियों के आने से उत्पन्न कठिन स्थिति पर काबू पाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि बंगला देश अब स्वतन्त्र हो चुका है और शरणार्थी वापस अपने घरों को चले गये हैं, अतः मैं जानना चाहता हूँ कि लिफाफों और अन्तर्देशीय पत्रों पर 5 पैसे का अतिरिक्त कर तथा ऐसे ही अन्य कर कब तक बने रहेंगे। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इन करों को समाप्त कर दिया जाये।

**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** (जम्मू) : महोदय, समूचे रूप से मिलाकर मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूँ किन्तु कठिनाई यह है कि जब भी केन्द्रीय सरकार इस सभा में कोई विधान प्रस्तुत करती है तो हर समय यही कहा जाता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश पर लागू होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी विधान को अन्तिम रूप देने से पहले केन्द्रीय

सरकार जम्मू और कश्मीर सरकार से परामर्श क्यों नहीं कर लेती ताकि उसे जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी साथ ही लागू किया जा सके ।

जहाँ तक आयातित वस्तुओं का प्रश्न है, श्रीनगर कोई अपवाद नहीं है क्योंकि ये वस्तुएं भारत के सभी बड़ों नगरों में मिल जाती हैं । हमें ऐसे उपाय करने चाहियें जिससे कि देश के सभी प्रमुख नगरों में इस बुराई को समाप्त किया जा सके ।

जहाँ तक अतिरिक्त करों का प्रश्न है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि जब शरणार्थी समस्या ही नहीं रही तो इन्हें बनाये रखने का क्या औचित्य है । जम्मू और कश्मीर राज्य पर इन करों के विस्तार की बात ही अलग है । आशा है मंत्री महोदय इस बारे में विचार करेंगे और इस विधेयक का जम्मू और कश्मीर पर विस्तार के बजाय इन अतिरिक्त करों को समाप्त कर देंगे ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : I oppose this Bill. The hon. Minister has stated that in view of Article 370, it is necessary to have special permission for extention of such legislation to Jammu and Kashmir. I want that Article 370 of the Constitution should be done away with so that this headache of consulting the State Government remains no more.

New taxes are being imposed on the people of J & K at the time when the refugees have gone back and Bangla Desh is a reality. It is not fair. Instead of extending these takes to J & K now, the Government should rather withdraw them from the rest of the country . I fully oppose this Bill.

**श्री जी० विश्वनाथन्** (वान्डीवाश) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक द्वारा तीन करों अर्थात् विदेश यात्रा कर, अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर तथा डाक वस्तुओं संबंधी कर, का जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर विस्तार किया जा रहा है ।

मंत्री महोदय के अनुसार ये कर संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची संख्या 1 की प्रविष्टि 97 के अन्तर्गत आते हैं । प्रविष्टि संख्या 97 अविशिष्ठ शक्तियों से संबंधित है, जो कि केन्द्र में निहित हैं । हमारे संविधान की एक यह विचित्र बात है । किसी भी अन्य संघीय देश में अविशिष्ठ शक्तियाँ केन्द्र के पास नहीं हैं । 'गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट', 1935 के अन्तर्गत भी अविशिष्ठ शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास निहित थीं और वह उनको यथास्थिति संघीय विधान सभा अथवा प्रान्तीय विधान मंडल को प्राधिकृत कर सकता था ।

ये तीन कर नवम्बर, 1971 में लागू हुए थे तथा विशेष रूप से बंगला देश के शरणार्थियों के कारण लगाए गए थे । यदि ये कर उस समय जम्मू तथा कश्मीर पर भी लगाए गए होते, तो इन सात महीनों की अवधि में उस राज्य से हमने भारी राशि प्राप्त कर ली होती । परन्तु सरकार अब इसका विस्तार जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर करना चाहती है । हम सिद्धान्त रूप में इस बात से सहमत हो सकते हैं कि कम से कम इस देश में करों की अदायगी के मामले में समानता अथवा समाजवाद होना चाहिये ।

इन करों को अब जम्मू तथा कश्मीर पर विस्तार किये जाने का क्या लाभ है ? ये कर बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता करने के विशेष उद्देश्य से लगाये गये थे । मंत्री महोदय

से मैं पूछूंगा कि इन करों को कब तक चालू रखा जाएगा । अब उचित समय है जबकि सरकार को इन करों को वापस ले लेना चाहिए ।

**Shri S. A. Shamim** (Srinagar) : I am surprised to hear even some of senior Members in this House arguing why the laws passed by the House do not apply *ipso facto* to Jammu & Kashmir. The Members, who argue in this manner, know that according to Article 370 of the Constitution every law passed by this House does not apply to Jammu & Kashmir. The Members who demand that Article 370 be abrogated, perhaps, forget that when that Article was included in the Constitution a condition was laid down that it could be abrogated only if and when the people or the Assembly of the State of Kashmir themselves ask for its abrogation. So far the people or the Assembly of the State have not asked for it the Members who insisted on it do not seem to know the real position thereof.

So far as this Bill is concerned, I support it. One Tax of 5 Paise being imposed is not very heavy and the poople of Jammu and Kashmir should not have any grudge about these. But we should keep this in mind that the special position which has been given to Kashmir in the Constitution it has been given under the special circumstances.

It is said that the concession of 5 Paise and the rice subsidy have been provided to the people of Jammu and Kashmir, but the Honourable Members forget that Jammu & Kashmir is the only State where so far train services have not been provided. The rate of Coca Cola is 45 Paise here, it costs one and half rupee in Kashmir. Similarly a packet of biscuits which costs here Rupee one & Paise twenty-five, its price in J & K is Rupees two & Paise twtenty-five only. Honourable Members have only considered that a concession of 5 Paise or subsidy on rice is being provided to J & K but they do not take a notice of it that people of Kashmir pay 55 percent more than other states as transportation charges in importing food grains from hare. Besides being spent a huge amount the economy of the State has not reached the take off Stage.

Those who insist on the abrogation of Article 370, I would request them that before abrogation they should consider it from the point of view of law. They should remember that the Article 370 is the only link by which we could keep that State with India. If that link is disrupted it would be an attempt to weaken the relations of the State with India.

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : It is wrong.

**Shri S. A. Shamim** : As the Minister of Finance has stated that these Taxes will remain in force in the State for three months at the most therefore I feel that nothing much would be gained by extanding this law to the J & K State.

**Mr. Speaker** : This Bill deals with Taxes. There is no question of Article 370.

**Shri S. A. Shamim** : It was necessary to explain as to why the laws passed by this House do not automatically become applicable to the J & K State.

आप राज्य सरकार की सहमति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं जबकि इस विषय में कोई कानून ही नहीं है । मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिये प्रस्ताव लाने से पूर्व उन्हें इस अनुच्छेद के कानूनी और वैधानिक पक्ष को समझना चाहिये ।

**श्री दशरथ देव** (पूर्वी त्रिपुरा) : हम जम्मू तथा कश्मीर पर किसी प्रकार के कानून का विस्तार करने के विरुद्ध नहीं हैं, परन्तु इस विधेयक का विरोध करते हैं, क्योंकि यह करों से संबंधित है। हम सब प्रकार के करों के विरुद्ध हैं। कश्मीर की जनता परिवहन की व्यवस्था न होने के कारण पहले ही परेशान है तथा वहाँ सब वस्तुओं के दाम बहुत मंहगे हैं। यदि ये कर और लगा दिये जाते हैं तो इससे कश्मीर के लोगों को और कठिनाइयाँ होंगी। लिफाफे आदि पर पाँच पैसे का यह अतिरिक्त कर एक विशेष अवधि के दौरान लगाया गया था, यह कर बंगला देश से आये शरणार्थियों पर अतिरिक्त धन खर्च किये जाने के कारण अतिरिक्त भार का वहन करने के लिये लगाया गया था। परन्तु अब स्वतन्त्र बंगला देश बन गया है और शरणार्थी अपने देश को वापस चले गये हैं। समूचे देश से इन करों को हटाने की बजाय अब सरकार उनका कश्मीर के लोगों पर भी विस्तार करना चाहती है। यह उचित नहीं है अत: मैं और हमारा दल इसका विरोध करता है तथा हम सरकार से जानना चाहते हैं कि पाँच पैसे के कर को वापस लेने के लिये कब विधेयक लाया जायेगा।

**श्री के० आर० गणेश** : माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि जब इन अधिनिमयों पर विधेयकों के रूप में चर्चा की गई तो इस सभा और राज्य सभा के काफी सदस्यों द्वारा इन करों को जम्मू तथा कश्मीर तक भी विस्तारित करने की माँग की गई थी। उस समय हमने बताया था कि अनुच्छेद 370 के कारण तथा अनुसूची के कारण राज्य सरकार की सहमति के बिना हम इनका उस राज्य पर विस्तारण नहीं कर सकते हैं। मैंने सभा में यह संकेत भी दिया था कि गृह मत्रालय राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है ताकि इन करों का जम्मू तथा कश्मीर राज्य में भी विस्तार किया जा सके। अब राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति ने आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं तथा जम्मू कश्मीर राज्य पर कराधान विधि संशोधन विधेयक का विस्तार इसका परिणाम है।

माननीय सदस्यों ने जो दूसरा प्रश्न उठाया है वह यह है कि ये कर कब तक जारी रहेंगे। यद्यपि शरणार्थी इस देश से चले गये हैं तो भी पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध की समस्या के परिणाम अभी भी प्रभावी हैं और देश की अर्थ-व्यवस्था पर पड़े भारी बोझ अभी तक व्याप्त हैं। सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करदी है कि वर्तमान स्थिति के कारण इन करों के 1972-73 के वित्तीय वर्ष तक रहने की आशा है।

श्री बनर्जी ने इनको वसूली के लिये की जाने वाली व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। व्यवस्था संबंधी प्रश्न बहुत ही सीधा है, क्योंकि अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर और विदेश यात्रा कर वाहकों द्वारा स्वयं एकत्र किया जाना है। जहाँ तक डाक संबंधी वस्तुओं से कर लेने का संबंध है, इसे डाक टिकटों के साथ डाक-घरों द्वारा एकत्र किया जाना है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर कुछ कराधान विधियों का विस्तार करने की व्यवस्था करने के विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय** : किसी भी खंड का कोई संशोधन न होने के कारण, मैं इनको एक साथ सभा के समक्ष रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The Motion was adopted.**

**खंड 2 से 4, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**श्री के० आर० गणेश** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The Motion was adopted.**

---

## दिल्ली भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक

## DELHI LANDS (RESTRICTIONS ON TRANSFER) BILL

**निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल)** : मैं विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूँ । दिल्ली में धीरे-धीरे अनधिकृत बस्तियाँ बन गई हैं क्योंकि कुछ लोगों ने जो भूमि प्राप्त की है वह या तो अर्जन के लिए अधिसूचित की गई है अथवा उसका पूर्णतया अर्जन किया गया है । ये लोग अनधिकृत रूप से इस भूमि की बिक्री कर रहे हैं और मेरी राय में इसके कारण बहुत से लोगों के साथ धोखा हुआ है । यहाँ तक कि कुछ मामलों में जब वे न्यायालय में अपना मुकदमा दर्ज कराते हैं तो उनमें वे हार जाते हैं और कुछ मामलों में अर्जित भूमि के लिए पारिश्रमिक भी दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप लगभग 200 बस्तियाँ नगर में उठ खड़ी हुई हैं । यदि वृहत्त योजना के विकास को जारी रखने दिया जाता है तो इन्हें नहीं बनने देना चाहिए था ।

मैंने बार-बार कहा है कि हमें उन लोगों, से जिन के साथ धोखा हुआ है, सहानुभूति है । यही कारण है कि हमें यह देखना पड़ा है कि जो बस्तियाँ बनी हैं उन पर पुनः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए । कुछ बस्तियों को पहले ही नियमित किया गया है । हम अन्य बस्तियों पर भी पुनः

विचार कर रहे हैं और हम इस बात के इच्छुक हैं कि हम इनके मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। यदि इस समस्या को समाप्त किया जाता है तो हम उन्हें सहायता दे सकते हैं।

यह विधेयक महानगर परिषद् में पेश किया गया था और इसमें संशोधन करने के लिए कुछ सुझाव दिये गये थे। एक सुझाव यह था कि धारा 6 के अन्तर्गत यदि किसी भूमि को अर्जित किया जाना है तो यह प्रक्रिया 3 वर्ष के भीतर पूरी की जानी चाहिये। इसे हमने स्वीकार किया और इस संशोधन को अब विधेयक में शामिल किया गया है। इससे उन लोगों का भार भी कम होगा जिनकी भूमि अर्जन-सूचना के अन्तर्गत है।

हमारे लिये यह अत्यावश्यक है कि हम देश के लिये, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, समूची शहरीकरण प्रक्रिया के नियोजित विकास के रूप में विचार करें। जब तक हम अपने नगरों और कस्बों तथा नगरों के आसपास के क्षेत्रों का, जहाँ नगरों और कस्बों के क्षेत्रों में विस्तार करना है, नियोजन नहीं कर सकते तब तक यह सुनिश्चित करना हमारे लिये संभव नहीं होगा कि नियोजित विकास हुआ है। इस समय यद्यपि शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 करोड़ हमारे नागरिक रहते हैं और अगले 15 वर्षों में इसके दुगना होने की संभावना है। अत: न केवल हमें इन 12 करोड़ के लिये योजना बनानी है अपितु हमें अगले 15 वर्षों में 15 करोड़ जनता जिसमें दिनों-दिन वृद्धि हो रही है, के लिये भी विचार करना है। इसके लिये नये टाउनशिपों का निर्माण करना होगा। अपने वर्तमान कस्बों को सुदृढ़ बनाना होगा और नगरों का पुनर्नियोजन करना होगा। किन्तु दुर्भाग्यवश हमने इसे अधिक महत्व नहीं दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अनियोजित विकास हुआ है और विकास के आर्थिक ढाँचे द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है कि इससे भूमि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अत: अब यदि हम ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आने वाली जनसंख्या को सीमित करना चाहते हैं तो हमारे लिये यह अत्यावश्यक है कि हम गाँवों में रोजगार की क्षमताएँ पैदा करें। इसके लिये हमें योजना बनानी चाहिये।

योजना के लिये यह भी आवश्यक है कि हम शहरी भूमि नीति अपनायें। शहरी भूमि का समाजीकरण करना भी महत्वपूर्ण है। जब तक हम शहरी भूमि का समाजीकरण नहीं करते तब तक भूमि के मूल्य भी बढ़ते रहेंगे। भूमि के मूल्य को कम रखने का केवल एक ही मार्ग है कि भूमि का समाजीकरण किया जाये। निस्संदेह इसके एक भाग को उन लोगों को बाजार कीमत पर बेचा जा सकता है जो धनी हैं किन्तु समाज के कमजोर वर्गों को आवास के लिये रियायती दर पर भूमि दी जानी चाहिए। अत: दिल्ली के ढाँचे पर आधारित नीति अन्य स्थानों पर भी लागू की जायेगी।

पट्टा धारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शहरीकरण की प्रक्रिया में भूमि के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और व्यक्ति विशेष को बिना किसी प्रयास के लाभ मिल रहा है। इस प्रकार भारत में एक बड़ा वर्ग पैदा हुआ है जिसे हम 'शहरी भूमि के धनी' कह सकते हैं। इन लोगों ने समाज के प्रति कोई योगदान नहीं किया है बल्कि शहरी भूमि के मूल्यों में हुई वृद्धि का केवल लाभ उठाया है। हमें यह देखना चाहिये कि शहरी भूमि के मूल्यों की वृद्धि का उपयोग समूचे समाज के लाभ के लिये किया जाये।

शहरी क्षेत्रों की 12 करोड़ जनसंख्या में से 8-10 करोड़ जनता या तो झुग्गी-झोंपड़ी में रह

रही है या गंदी बस्तियों में अथवा निचले स्तर के मकानों में रह रही है। उनके लिये मकान बनाने हेतु काफी धन की आवश्यकता है। किन्तु यह भारी धन राशि सरकारी साधनों द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। यदि शहरी भूमि का उपयोग किया जाता है और इस भूमि से प्राप्त लाभ का उपयोग दिल्ली जैसे आवास के लिये एक आवर्ती निधि बनाने हेतु किया जाता है तो देश के लिये आशा हो सकती है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव पेश है :

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जित भूमियों के अथवा जिन भूमियों के अर्जन के लिए उस सरकार द्वारा कार्यवाहियाँ आरम्भ की जा चुकी हैं, उनके अत्यधिक मात्रा में तात्पर्यित अन्तरणों अथवा ऐसी भूमियों का असतर्क जनता को अन्तरणों को निवारित करने की दृष्टि से कतिपय निर्बन्धन आरोपित करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

**श्री बीरेन दत्त** (पश्चिम त्रिपुरा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ परन्तु इस विधेयक का अभिप्राय केवल उस भूमि को जिसका अर्जन किया गया है अथवा जिस भूमि का अर्जन किया जाने वाला है, बेचने वाले व्यक्तियों के मामले में कुछ कदाचारों को रोकना मात्र है किन्तु इस विधेयक को पुर:स्थापित करते समय मंत्री महोदय ने ठीक ही नगरीय आवास और नगरों की भूमि के विकास की समस्या उठाई थी। हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि नगरीय भूमि के सामाजीकरण का विचार करके ही इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। अधिक जन-संख्या के कारण, विशेषकर दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों में, आवास एक समस्या बन गई है और दिल्ली एक बढ़ने वाला नगर है और दिल्ली प्रशासन के अधीन सभी क्षेत्र अब आकर्षण का केन्द्र बन गये हैं। अत: लोग दिल्ली की ओर भाग रहे हैं और अनधिकृत बस्तियाँ बनती जा रही हैं। लोगों के कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिनके पास भूमि खरीदने के लिए कुछ धन है और वे इन सभी क्षेत्रों में प्लाट खरीदने लगते हैं, जहाँ वे कम कीमत पर प्लाट प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ बेईमान लोग आ जाते हैं और ऐसे प्लाट बेचते हैं, जो या तो अर्जित किये जा चुके हैं अथवा अर्जित किये जाने की प्रक्रिया में हैं। उन व्यक्तियों का क्या होगा जिन्होंने इन धोखेबाज विक्रेताओं से इन भूमि खण्डों को खरीदा है? उनके बारे में इस विधेयक में उल्लेख नहीं किया गया है। उनके मामले पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए, अन्यथा वे इस विधेयक में पारित हो जाने पर भी कठिनाई में रहेंगे।

खण्ड 10 के इस परन्तुक से धोखेबाज भूमि बेचने वालों को न्यायालय में जाने तथा इस कानून के चंगुल से बच निकलने में सहायता मिलेगी। अत: मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह उपबन्ध किस उद्देश्य से जोड़ा गया है।

खण्ड 7 में बताया गया है कि "जहाँ सक्षम प्राधिकारी ने धारा 5 के अन्तर्गत कोई आदेश दिया हो, जिसमें किसी भूमि के अन्तरण के लिए अनुमति देने से इंकार किया गया हो अथवा जहाँ ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील दायर की हो, वहाँ धारा 6 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी ने आदेश दिया हो जिसमें उस आदेश की पुष्टि की गई हो, वहाँ ऐसी भूमि के अन्तरण के लिये अनुमति देने से इन्कार करने वाला आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए आदेश की तिथि से केवल तीन वर्ष तक लागू रहेगा।" तीन वर्ष की अवधि बहुत अधिक लग रही है। यदि भूमि दी जानी है और

सरकार द्वारा नहीं ली जानी है, तो किसी व्यक्ति को भूमि को बेचने अथवा बन्धक रखने अथवा अन्तरण के लिए तीन वर्ष तक प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

**Shri Ishaq Sambhali** (Amroha) : I laud the object of the Bill but the Bill has been so badly drafted that it is doubtful if that object will be realised. For a long time the people knew that Government was going to take this measure. Hence there had been large scale transfer of lands. In my opinion in order to invalidate such transfers retrospective effect should have been given to this measure. But no such provision has been in the Bill.

Then in clause 9 it has been provided that those indulging in illegal transfers of land will be awarded imprisonment upto three years or fined. This would not act as a deterrent because those who had earned lakhs by such transfers would not mind paying a few thousand rupees by way of fine. What was needed was that imprisonment should have been made compulsory.

Since there are many loopholes in the Bill. I would request the Minister that it may be withdrawn and may be brought back after making necessary improvements there in.

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.* ]

**श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** (श्री परेम्बदूर) : यद्यपि भूमि अर्जन प्रक्रिया कुछ वर्षों से चल रही है लेकिन हम आज भी देखते हैं कि दिल्ली में गैर-सरकारी 'कालोनाइजर' लोगों को प्लाट बेचने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन दे रहे हैं। हालाँकि ऐसे प्लाट बेचना कानून के विरुद्ध है। इससे पता चलता है कि दिल्ली प्रशासन इस मामले को निपटाने में असफल रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप बेईमान 'कोलोनाइजरों' द्वारा भोली भाली जनता को धोखा दिया जा रहा है। जब कभी सरकार भूमि का अर्जन करती है अथवा भूमि अर्जन के लिए कहती है तो प्रशासन इन अर्जित क्षेत्रों में अर्जन अथवा अर्जन करने की घोषणा क्यों नहीं करता तथा वहाँ इस आशय के नोटिस बोर्ड क्यों नहीं लगाता ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रशासन ने सरकार द्वारा अर्जित की जाने वाली भूमि या जिस भूमि को अर्जित करने का सरकार का इरादा हो, इसके बारे में आम जनता को अवगत कराने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शिक्षित तथा जानकार व्यक्ति गैर-सरकारी कोलोनाइजरों द्वारा इस प्रकार भूमि के अवैध अन्तरण के शिकार नहीं बनेंगे। इसके शिकार तो गरीब तथा जनसाधारण बनेंगे। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वे लोग जो थोड़ी बहुत बचत कर पाते हैं, उस पूंजी को वे लोग उस भूमि पर व्यय कर देते हैं, जोकि ये गैर-सरकारी कोलोनाइजर इन लोगों को आकर्षक शर्तों पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अन्त में उन्हें इससे हाथ धोना पड़ता है।

यद्यपि सरकार काफी समय से इस समस्या के प्रति बहुत सजग रही है तथापि सरकार को गैर-सरकारी 'कोलोनाइजरों' द्वारा प्लाटों की अवैध बिक्री को समाप्त करने के लिए इस विधान को लाने में इतना विलम्ब नहीं करना चाहिए था।

**श्री आर० डी० भंडारे** (बम्बई सेन्ट्रल) : मेरे विचार में विधेयक का उपखण्ड (ङ) इतना

खतरनाक है कि इससे दिल्ली नगर के आस पास की निर्धन लोगों की सब बस्तियाँ बर्बाद हो जायेंगी, क्योंकि बृहत योजना के अन्तर्गत 'योजना' के नाम में प्रशासन को उन लोगों को वहाँ से चले जाने को कहने की शक्ति तथा अधिकार प्राप्त हो जायेगा।

मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि बृहत् योजना में परिवर्तन किए जायेंगे, ताकि उन लोगों के लिए, जोकि झुग्गियों तथा झोपड़ियों में रहते हैं तथा जिन्होंने पक्के और कच्चे मकान बना लिए हैं, न केवल व्यवस्था ही की जा सके बल्कि उन्हें अन्य सुविधायें भी दी जा सकें। परन्तु इस विशिष्ट उपबन्ध से झुग्गियों तथा झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों की सहायता करने के बारे में उनकी अपनी घोषणा के उद्देश्य ही विफल हो जायेंगे। मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

**श्री इन्द्र कुमार गुजराल** : झुग्गी-झोपड़ी निवासियों तथा समाज के सब निर्धन वर्गों के साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। यही कारण है कि दो बातों की मैंने पहले ही घोषणा करदी है। पहली बात यह है कि उन्हें वैकल्पिक आवास दिये बिना नहीं हटाया जायेगा। मध्यावधि चुनाव के बाद इस नीति में एक और परिवर्तन हो गया है और वह परिवर्तन यह है कि जहाँ तक संभव होगा उन्हें हटाकर बाहरी क्षेत्रों में उनके काम के स्थान से दूर नहीं ले जाया जायेगा।

अब हमने एक नई योजना बनाई है जिसका नाम झुग्गी तथा झोंपड़ियों के लिए वातावरण सुधार योजना है तथा इसे झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के लिए देश भर में लागू किया गया है। हम पानी, बिजली, फ्लश की टटिट्यों, जल निकासी नालियों तथा पक्की गलियों जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए स्थानीय प्रशासनों को शत प्रतिशत राज सहायता दे रहे हैं।

धारा 10 के परन्तुक में निहित खतरे का उल्लेख किया गया है। लेकिन मूलधारा देखने से स्पष्ट हो जायेगा कि वह समवायों द्वारा किये गये अपराधों पर ही लागू होती है, व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराधों पर नहीं। धारा 4 का भी उल्लेख किया गया था तथा यह भी कहा गया था कि भूमि अर्जन कार्यवाही को तीन वर्ष की अवधि के अन्तर्गत पूरा करने का उपबन्ध क्यों किया गया है। अभी तक ऐसी कोई समय सीमा नहीं थी, इस कारण कई बार भूमि अर्जन कार्यवाहियों में जरूरत से कहीं अधिक समय लगता था। हमने बड़ी मात्रा में भूमि का पहले ही अर्जन कर लिया है। ऐसे मामलों में जहाँ रोकादेश जारी हुए हैं अथवा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ शीघ्र ही सुविधायें दिये जाने की संभावना नहीं हैं उनका कब्जा नहीं लिया गया है। परन्तु अब जब कि हमने वचन दिया है, हम तीन वर्षों के अन्दर इन सभी क्षेत्रों को ले लेंगे। इसको पिछली तारीख से लागू करना कठिन है, क्योंकि इससे हज़ारों निर्धन लोग अन्तर्ग्रस्त होंगे। मुझे इस बात की बड़ी चिन्ता है कि इससे निर्धन लोगों को हानि न पहुँचे।

खण्ड 9 में दण्ड की व्यवस्था की गई है। इस दण्ड के अतिरिक्त हम रजिस्टर को बिक्री विलेखों को दर्ज न करने के लिये कह रहे हैं जिससे इस धारा के अनुसार कार्यवाही की जा सके। इस वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण ने समाज के कमजोर वर्गों के लिये ही अधिकतर मकान बनाये हैं। हमने उन लोगों के लिये जिनकी मासिक आय 250 रुपये से कम है, 20,000 हजार मकान बनाये थे। हमने उन लोगों के लिये भी मकान बनाये, जिनकी मासिक आय 250 रुपये और 600 रुपये के बीच है, अधिकतम, 1500 रुपये से कम आय वाले लोगों के लिये हम मकान बनाते हैं।

बृहत् योजना अल्पसंख्यकों को अन्य इलाकों में बसने के लिये हम सभी प्रकार का संरक्षण देंगे। एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें विकास का नमूना निर्धारित किया गया है। इसमें संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी योजना को चाहे, वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, स्थिर नहीं रहने दिया जाना चाहिये। बृहत् योजना पर अमल किया जाना चाहिये। योजना का क्षेत्र, उसका मुख्य उपयोग निश्चित कर लिया गया है और यदि उसमें कुछ कठिनाइयाँ अनुभव होंगी तो हम उसका उपचार करने का प्रयास करेंगे, विशेषकर हम समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण करेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जित भूमियों के अथवा जिन भूमियों के अर्जन के लिये उस सरकार द्वारा कार्यवाहियाँ आरम्भ की जा चुकी हैं उनके अत्यधिक मात्रा में तात्पर्यित अन्तरणों अथवा ऐसी भूमियों का असतर्क जनता को अन्तरणों को निवारित करने की दृष्टि से कतिपय निर्बन्धन आरोपित करने के लिये विधेयक पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**
**The Motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 से 6 का कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 6 विधेयक के अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**
**The Motion was adopted.**

**खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**खण्ड 7**

**श्री दशरथ देव** : त्रिपुरा में इन अर्जन प्रक्रियाओं का मुझे पूरा अनुभव है। अभी हाल ही में हमारे राज्य में बंगला देश के युद्ध के समय सरकार ने हवाई अड्डों का निर्माण करने के प्रयोजन से काफी प्लाटों को अर्जित किया था। इनमें से अधिकतर लोग छोटे किसान थे जिनके पास एक बीघा, 3 बीघा अथवा 4 बीघा जमीन थी। इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि आज भी हमने सरकार से अनुरोध किया है तो हमें सरकार से यही उत्तर मिला है कि अर्जन संबंधी औपचारिकताएँ पूरी नहीं हुई हैं और यही कारण है कि मुआवजा नहीं दिया जा सकता। यदि आगामी वर्षों के लिए इन औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया जाता तो इन गरीब किसानों को अपना मुआवजा लेने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये गरीब किसान अन्य स्थानों पर न तो जमीन खरीदने के योग्य हैं और न ही वे अपनी भूमि में खेती कर सकेंगे। इसलिए एक समय सीमा अर्थात् एक वर्ष अथवा अर्जन करने वाले अधिकरण पर कोई प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि एक वर्ष के भीतर इस अधिकरण को मुआवजा अदा करना चाहिए। यदि यह अधिकरण

एक वर्ष के भीतर मुआवजा अदा नहीं करता तो वह व्यक्ति, जिसकी वह जमीन है, उस भूमि को किसी अन्य पार्टी को अन्तरण करने के लिए स्वतन्त्र होना चाहिए। इसी आशय से मैंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस खण्ड का संबंध उन भूमियों से है जिनका अर्जन करने का प्रस्ताव है।

**श्री दशरथ देव** : मेरा मत है कि यदि सरकार किसी भूमि को अर्जित करने का विचार रखती है तो यह परिसीमा होनी चाहिए कि एक वर्ष के भीतर यदि सरकार द्वारा भूमि अर्जित नहीं की जाती तो पार्टी को वह भूमि अन्तरण करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

**श्री इन्द्र कुमार गुजराल** : महोदय यदि भूमि अर्जन संबंधी प्रक्रिया और प्रणाली में सुधार नहीं लाया जाता तो हमारी समूची शहरीकरण योजना नगण्य हो जायेगी। न केवल दिल्ली में वरन् समग्रदेश में इस तन्त्र को काम में लाना होगा, वरना हमारी सम्पूर्ण शहरीकरण नीति और हमारा नया दृष्टिकोण, जिसके द्वारा हम भूमि संबंधी समाजीकरण लाने का प्रयास कर रहे हैं, व्यर्थ हो जायेगा।

दिल्ली में हम इस प्रक्रिया को सीमित समय के अन्दर पूरा करना चाहते हैं किन्तु कठिनाई यह है कि यहाँ जो धाँधले बाजी चल रही है पहले उसे रोका जाना आवश्यक है। दिल्ली में हम गैर-सरकारी रूप से किसी प्रकार भी भूमि के क्रय-विक्रय की अनुमति नहीं देना चाहते और यही प्रणाली हम सम्पूर्ग देश में लागू करना चाहते हैं। पहले इसके लिए समय की कोई भी सीमा निश्चित नहीं थी, किन्तु अब हमने इसके लिए तीन वर्ष का समय निर्धारित कर दिया है। हम इसे भी कम करना चाहते हैं। त्रिपुरा के मामले में जिसका कि ऊपर उल्लेख किया गया है संबंधित प्राधिकारियों को बहुत शीघ्र अन्तिम निर्णय लेने के लिए कहा जायेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री दशरथ देव ने खण्ड 7 के संबंध में तीन संशोधन, संशोधन संख्या 1, 2 और 3 पेश किए हैं। मैं इनको सदन में एक साथ मतदान के लिए प्रस्तुत करूँगा।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री दशरथ देव के खण्ड 7 संबंधी संशोधन संख्या 1, 2 तथा 3 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**The amendments No. 1, 2 and 3 were put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 7 was added to the Bill.**

**खण्ड 8 से 11 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**Clause 8 to 11 were added to the Bill.**

**खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।**
**Clause 1, the enacting Formula and the title were added to the Bill.**

**श्री इन्द्र कुमार गुजराल** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : The problem of Delhi would not be solved by passing Laws only. Government should see that there is speedy development of acquired land in Delhi. The construction work should also be stepped up. There is accute shortage of houses and everybody wants a roof over his head. That is why unauthorised construction is taking place rapidly.

I agree that Master Plan need srevision, but the Hon. Minister should enlighten the House as to the direction in which the Master Plan is to be revised or amended.

I do not agree with the argument of the Minister putforth in support of lease-hold lands. The system of lease-hold lands has created discount among the refugees. Government can control free hold land. I do not oppose the Bill, but the problems connected with it should receive serious consideration.

**श्री इन्द्र कुमार गुजराल** : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि इसका विकास तेजी से किया जाना चाहिए, किन्तु विकास के दो अंग होते हैं एक व्यवहारिक व्यवस्था दूसरा निवेश ।

सम्पूर्ण देश में विशेषकर शहरीकरण के क्षेत्र में निवेश की समस्या है । उदाहरणार्थ दिल्ली में हमने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ एक आवर्ती निधि बनाने का प्रयत्न किया है इसे पाँच करोड़ की राशि से शुरू किया गया है और अब इसमें 90 करोड़ की राशि है । धन के बढ़ने के साथ-साथ विकास की गति भी बढ़ी है ।

अर्जित भूमि और विकसित भूमि के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्य सन्तोष प्रद है । मुझे विश्वास है कि हम दिल्ली के सभी नागरिकों के सहयोग से यह विकास कार्य और भी बढ़ा सकेंगे शहरी योजना तभी लाभकारी हो सकती है यदि उसका संबंध लाभप्रद योजना के साथ हो । यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जाये । इसके लिए गाँवों में कारखाने तथा उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए और कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों का गाँवों से शहरों में जाना रोका जा सके । परन्तु इसके बाद भी यदि यह पलायन जारी रहा और यदि वह महत्वपूर्ण रहा, तो न केवल दिल्ली और महानगरों में योजना बनानी पड़ेगी वरन् शहरों के आस-पास क्षेत्रों में भी योजना बनानी चाहिए ताकि फिल्टर नगर और उपनगर स्थापित किये जा सकें और लोगों को शहर के बिलकुल अन्दर आने की आवश्यकता न पड़े जहाँ पर उनका पुनर्वास करने के लिए हर चीज मँहगी हो जाती है ।

**श्री केशव देव मालवीय** (डुमरिया गंज) : इस छोटे से प्रश्न को, जोकि सम्पूर्ण समस्या का एक महत्वपूर्ण भाग है, सुलझाने के क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? यहाँ (दिल्ली में) प्रतिवर्ष दो लाख व्यक्ति निवास करने के लिये आते हैं । इस सीमित कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या उनकी आवास संबंधी व्यवस्था की जा सकती है ? इसलिए सरकार को मूलभूत समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

**श्री इन्द्र कुमार गुजराल** : देश में शहरीकरण बहुत ही मंद गति से हो रहा है । महानगरों में जहाँ बहत् योजनाएँ बनाई गई हैं, इसके लिये कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है । जिसके कारण बृहत् योजनाएँ केवल चर्चा का विषय बन कर रह गई हैं । इन बड़ी-बड़ी योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है । यदि शहरों को इसी प्रकार बढ़ने दिया गया तो यह बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी । इसके लिए निश्चय ही एक शहरी लाबी की आवश्यकता है क्योंकि शहरीकरण की समस्याओं का समझा जाना आवश्यक है ।

बृहत् योजना में मनमाने ढंग से संशोधन नहीं किया जाना चाहिए । यह अध्ययन पर आधारित एक युक्ति संगत दस्तावेज है और इसमें किया गया संशोधन भी युक्ति संगत होगा और अध्ययन पर आधारित होगा ।

जब हमने कनाट प्लेस से संबंधित बृहत् योजना में संशोधन करने का विचार किया था तो हम बहुमंजली इमारतों से उत्पन्न यातायात समस्याओं, जल समस्याओं और मोटर गाड़ी खड़ी करने संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत थे । अतः हम इस संदर्भ में योजना में संशोधन कर रहे हैं ।

पट्टे की भूमि और बय की भूमि के संबंध में भी चर्चा की गई है । किन्तु भूमि आती कहाँ से है । हम किसानों से भूमि लेते हैं । उसका सामाजिक मूल्य कौन अदा करेगा ? वह भूमि हम उन्हें देते हैं जो मकान बनाते हैं और उन्हें यह भूमि बय कर देते हैं, ताकि भूमि का मूल्य बढ़ने पर वे लाभ कमा सकें । क्या यह लाभ समाज को नहीं मिलना चाहिए तथा क्या यह लाभ भूमि के स्वामी को मिलना चाहिए क्योंकि किसी समय उसने यह भूमि सस्ते दामों पर खरीद ली थी । शहरों का विकास होने के कारण भूमि की कीमतें बढ़ रही हैं । किन्तु पट्टे की भूमि का एक लाभ यह है कि इससे शहरीकरण की लागत निकल आती है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The Motion was adopted.**

---

## नियम 388 के अधीन प्रस्ताव
## MOTION UNDER RULE 388

### साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक के संबंध में नियम 74 का निलम्बन

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री चह्वाण ।

**श्री सुरेन्द्र महन्ती** (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ । इस

संबंध में पहली बात तो यह है कि नियम 74 के प्रथम परन्तुक को आये दिन निलम्बित कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि यह धन विधेयक है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

**श्री यशवन्त राव चह्वाण** (सतारा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ।

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक का, जहाँ तक यह जन समुदाय के सर्वाधिक हितों में साधारण बीमा कारबार के विकास को सुनिश्चित करके वित्तीय आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि अर्थव्यवस्था के प्रचलन के परिणामस्वरूप धन का संकेन्द्रण न हो जो सर्वमान्य के अहित में हो, भारतीय बीमा कम्पनियों तथा अन्य विद्यमान बीमा कर्त्ताओं के उपक्रम के अंशों के अर्जन तथा अन्तरण का, ऐसे कारबार के विनियमन और नियन्त्रण का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने संम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बन करती है।"

**श्री सेज़ियान** (कुम्बकोणम) : मैं इस प्रस्ताव का प्रक्रिया तथा सांवैधानिक दोनों आधार पर विरोध करता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये इस नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव किये जाने से वास्तव में दो नियमों को निलम्बित करना पड़ा था। पहला तो अध्यक्ष को 7 दिन का नोटिस देने का नियम तथा दूसरा संसद सदस्यों को सदन में विधेयक के पेश किये जाने से दो दिन पूर्व उसकी सूचना देना। पाँच मास पूर्व नियम 66 के निलम्बन किये जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा था :

"मैं इस नियम में यह ढील विशेष परिस्थितियों वश दे रहा हूँ किन्तु इसको पूर्व दृष्टान्त के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये। अगले सत्रों में मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा।"

नियम 74 के परन्तुक में निर्दिष्ट है कि धन विधेयक को केवल इस सदन में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है और इस प्रकार इसे केवल इस सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है संयुक्त समिति को नहीं। इसी प्रकार अनुच्छेद 117 के अनुसार किसी वित्तीय विधेयक को राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। किन्तु धन विधेयक तथा वित्तीय विधेयक के पारित हो जाने पर, इन विधेयकों के संबंध में सिफारिश करने के लिये उन्हें राज्य सभा को सौंपा जा सकता है, किन्तु लोक सभा को यह अधिकार है कि वह उन सिफारिशों को स्वीकार करे अथवा स्वीकार न करे। यदि इस विधेयक को पारित होने से पूर्व संयुक्त समिति को सौंपा गया जिसमें कि राज्य सभा के कुछ सदस्य शामिल किये जायेंगे तो यह कार्यवाही संविधान की भावना के पूरी तरह विरुद्ध होगी क्योंकि राज्य सभा को जिसे कि संविधान के अन्तर्गत इस प्रकार के विधेयकों पर लोक सभा के निर्णयों के संबंध में मत प्रकट करना अथवा उनको प्रभावित करने का अधिकार नहीं है, दूसरे ढंग से इस विधेयक पर अपने सुझाव पेश करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा।

इस संबंध में मैं एक पूर्व दृष्टान्त प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 1956 में जब जीवन बीमा

निगम का राष्ट्रीयकरण करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो उसे प्रवर समिति को सौंपा गया था संयुक्त समिति को नहीं, क्योंकि यह प्रक्रिया संविधान के विरुद्ध है ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : I rise to oppose the motion moved by Shri Y. B. Chavan. I do not want to repeat what Shri Sezhiyan has said. It was in 1953 that the discussion to amend the Rule 74 has held for the first time. I want to place before the House as to what the Rules Committee had decided in the matter I quote :

"संविधान के अनुच्छेद 109 तथा 117 के अनुसार धन विधेयक तथा वित्तीय विधेयक केवल लोक सभा में पुर:स्थापित किये जा सकते हैं तथा इसी के अनुसार इस प्रकार के बिल केवल लोक सभा की समितियों को सौंपे जा सकते हैं । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये ऐसे विधेयकों को संयुक्त समितियों को सौंपना संविधान के विरुद्ध होगा ।"

So in terms of Constitution and in view of the findings of the Rules Committee, this Bill should not be referred to a Joint Select Committee.

**श्री जी० विश्वनाथन्** (वान्डीवाश) : महोदय, मैं श्री चह्वाण के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ क्योंकि यह प्रस्ताव संविधान की भावना के विरुद्ध है । मैं इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 109 का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है कि धन विधेयक को राज्य सभा में पुर: स्थापित नहीं किया जा सकता । तथा किसी धन विधेयक के लोक सभा में पारित हो जाने पर उसके संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये उसे राज्य सभा में भेजा जाता है, किन्तु लोक सभा उन सिफारिशों से बाध्य नहीं है तथा यह उसके अधिकार में है कि वह उन सिफारिशों को स्वीकार करे अथवा उसकी कोई अथवा सभी सिफारिशों को अस्वीकार कर दे ।

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** (सतारा) : महोदय, यह सत्य है कि यह एक वित्तीय विधेयक है तथा संविधान के अनुसार इसे राज्य सभा में पुर: स्थापित नहीं किया जा सकता । किन्तु इसे राज्य सभा में प्रस्तावित करने का प्रश्न भी नहीं उठता । प्रश्न यह है कि क्या इसे संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है । संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि संयुक्त समिति स्थापित न की जाये । यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है तथा मैं इसे इसलिये सत्र के अन्त में प्रस्तावित कर रहा हूँ ताकि सत्रावसान के बाद के समय इसके खण्डों पर अधिक विस्तारपूर्वक विचार किया जा सके । यदि इसे इस सदन में पारित कर लेने के बाद राज्य सभा को भेजा जाये तथा राज्य सभा उसे विचारार्थ अपनी प्रवर समिति को भेजे तो इससे व्यर्थ में समय नष्ट होगा । ऐसी असाधारण परिस्थितियों में मेरा यह कर्त्तव्य है कि इस सदन को इसका अनुमोदन करने की सिफारिश करूँ तथा मैं चाहता हूँ कि यह महत्वपूर्ण विधेयक यथाशीघ्र पारित हो जाये ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : महोदय, मेरा विचार है कि श्री सेझियान की बातों को ध्यान से नहीं सुना गया है । विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपना संविधान के विरुद्ध है तथा ऐसा करना एक गलत परम्परा स्थापित करना होगा ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : महोदय, विचारणीय बात यह है कि क्या अनुच्छेद 74 तथा अनुच्छेद 110 को परस्पर एक दूसरे के संदर्भ में विचार न करके अलग-अलग विचार करना चाहिये । मेरा सुझाव है कि नियम 74 तथा अनुच्छेद 110 परस्पर एक दूसरे से घनिष्ट रूप में संबंधित हैं तथा इसके अनुसार विधेयक दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता ।

**श्री पीलू मोदी** (गोधरा) : महोदय, मेरा विचार है कि यदि विधेयक को लोक सभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया जाये तो वह सत्र के अवकाश के दिनों में इस पर विचार कर सकेगी। तथा इसे वर्षाकालीन सत्र में पारित कराया जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण होने तथा शीघ्र पारित करने की आवश्यकता की बात जँचती नहीं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बर्दवान) : महोदय, प्रस्ताव में नियम 74 के परन्तुक को निलम्बित करने की बात कही गई है किन्तु नियम 388 के अन्तर्गत नियम को निलम्बित किया जा सकता है उसके परन्तुक को नहीं।

**श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : महोदय, पूरे भाग में उसका अंग भी शामिल होता है।

**श्री सेझियान** : महोदय, यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है। इस पर बहुमत अथवा अल्पमत की दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये बल्कि यह देखना चाहिये कि यह संविधान के अनुसार है अथवा विरुद्ध है। मेरा सुझाव है कि इसे जीवन बीमा निगम विधेयक की भाँति प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये, संयुक्त समिति को नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों को दो बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि यह प्रश्न राज्य सभा में धन विधेयक अथवा वित्तीय विधेयक के पुरः-स्थापित करने का नहीं है, क्योंकि इसे राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया गया है। इसके अन्तर्गत केवल संयुक्त समिति में राज्य सभा के कुछ सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है दूसरी बात यह है कि अन्य समितियों की भाँति संयुक्त समिति का प्रतिवेदन भी इस सदन के समक्ष पेश किया जायेगा। इस संबंध में मैंने सभी विचारों को ध्यान से सुना है तथा अब मैं नियम 74 के परन्तुक को निलम्बित करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूँ :

> "कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक का जहाँ तक यह जन-समुदाय के सर्वाधिक हितों में साधारण बीमा कारबार के विकास को सुनिश्चित करके वित्तीय आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि अर्थव्यवस्था के प्रचलन के परिणामस्वरूप धन का ऐसा संकेन्द्रण न हो जो सर्वमान्य के अहित में हो भारतीय बीमा कम्पनियों तथा अन्य विद्यमान बीमा कर्त्ताओं के उपक्रमों के अंशों के अर्जन तथा अन्तरण का, ऐसे कारबार के विनियमन और नियन्त्रण का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने संबंधी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बन करती है।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**
**The LoK Sabha Divided.**

| पक्ष में : 131 | विपक्ष में : 55 |
|---|---|
| Ayes : 131 | Noes : 55 |

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**
**The Motion was adopted.**

# साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

# GENERAL INSURANCE BUSINESS (NATIONALISATION) BILL

**श्री यशवन्त राव चह्वाण** (सतारा) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ :

"कि जन समुदाय के सर्वाधिक हितों में साधारण बीमा कारबार के विकास को सुनिश्चित करके वित्तीय आवश्यकताओं की अच्छी तरह पूर्ति करने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि अर्थ व्यवस्था के प्रचलन के परिणामस्वरूप धन का ऐसा संकेन्द्रण न हो जो सर्वमान्य के अहित में हो, भारतीय बीमा कम्पनियों तथा अन्य विद्यमान बीमा कर्त्ताओं के उपक्रमों के अंशों के अर्जन तथा अन्तरण का ऐसे कारबार के विनियमन और नियंत्रण का तथा तत्सम्बद्ध तथा तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को 45 सदस्यों की, 30 सदस्य इस सभा से अर्थात् :

(1) श्री धर्मराव शरणाप्पा अफजलपुरकार
(2) श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
(3) श्री एस० एम० बनर्जी
(4) श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
(5) श्री त्रिदिब चौधरी
(6) श्री दरबारा सिंह
(7) श्री वी० शंकर गिरि
(8) श्री जितेन्द्र प्रसाद
(9) श्री पुरुषोत्तम कडोदकर
(10) श्री विभूति मिश्र
(11) श्री जगन्नाथ मिश्र
(12) श्री श्रीकृष्ण मोदी
(13) श्री सुरेन्द्र महन्ती
(14) श्री एस० टी० पण्डित
(15) श्री चिंतामणि पारिणग्रही
(16) श्री एच० एम० पटेल
(17) श्री एम० टी० राजू
(18) श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
(19) श्री वयालार रवि
(20) श्रीमती सुशीला रोहतगी
(21) डा० सारादीश राय
(22) श्री एस० सी० सामन्त
(23) श्री सतपाल कपूर
(24) श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
(25) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह

(26) श्री आर० वी० स्वामीनाथन्
(27) श्री तुला राम
(28) श्री बी० तुलसी राम
(29) श्री जी० विश्वनाथन
(30) श्री यशवन्त राव चह्वाण

और 15 सदस्य राज्य सभा से, दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये;

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों के संसदीय समितियों संबंधी इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।''

सदन इस प्रस्ताव पर चर्चा करे इसके पूर्व मैं इस संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूँ— साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक, 1971 पर वाद-विवाद के दौरान मैंने इस सभा में एक आश्वासन दिया था कि जब साधारण बीमा कारबार के स्वामित्व को अर्जित करने का विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा, तो उसे दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जायेगा । आज मैं उस आश्वासन को पूरा कर रहा हूँ ।

राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना पहला कदम है । इस विधेयक के अन्तर्गत जो दूसरा और अन्तिम कदम उठाया जा रहा है, उसके लिए काफी तैयारी की गई है । प्रथम मुख्य समस्या राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत संगठन को नया तथा व्यवस्थित रूप देने की है । कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत भारत में निगमित बीमा कम्पनियों को अन्य सभी भारतीय बीमा कर्त्ताओं और विदेशी बीमा कर्त्ताओं से कुछ भिन्न रखने का विचार है । म्यूचुअल कम्पनियों और सहकारी कम्पनियों के अतिरिक्त भारतीय साधारण बीमा कम्पनियों के मामले में, इनके हिस्से निश्चित तिथि पर अपने आप केन्द्रीय सरकार के नाम हो जायेंगे और विदेशी बीमा कर्त्ताओं, सहकारी कम्पनियों और म्यूचुअल कम्पनियों के मामले में, उनके उपक्रम भारतीय बीमा कम्पनियों के किसी एक अथवा दूसरे उपक्रम को, जिसके हिस्से केन्द्रीय सरकार के नाम से निहित हैं, अन्तरित हो जायेंगे । इस प्रकार भारत में साधारण बीमा कारबार को जो एकक कर रहे हैं, नियत तिथि के तुरन्त बाद वे सब कम्पनियाँ बन जायेंगी ।

भारत का साधारण बीमा निगम जो कि एक सार्वजनिक समिति कम्पनी होगा, शिखर संस्था के रूप में स्थापित किया जायेगा और जो केन्द्रीय सरकार के शेयर हैं उनका कानून द्वारा निगम में अन्तरण किया जायेगा । ताकि भारतीय कम्पनियों को बाद में निगम की सहायक

कम्पनियों के रूप में रखा जाये। विधेयक में सरकार के लिए एक या अधिक योजनायें बनाने की भी व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत किसी भी भारतीय बीमा कम्पनी के उपक्रम को किसी अन्य बीमा कम्पनी में मिलाया जा सकता है ताकि अन्ततः भारत में निगम की केवल चार सहायक कम्पनियाँ रह जायें।

बीमा कम्पनियों या उनके उपक्रमों के शेयरों के अर्जन के लिए दी जाने वाली राशि विधेयक की अनुसूची में दी गई है।

सार्वजनिक हित के लिए यह अपेक्षित है कि साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण किया जाये ताकि पालिसी धारकों को प्रीमियम की उचित दर मिल सकें। इसके लिये यह अत्यावश्यक है कि इसे रक्षित निधि का उपयोग न करने दिया जाये जो कि पिछली प्रिमियम में से गत कई वर्षों से बनी है और जो व्यापार को सुचारू रूप में चलाने के लिए आवश्यक है। इन बातों पर ध्यान रखते हुए शेयर मालिकों अथवा उपक्रमों के मालिकों को जैसा भी मामला हो, उचित राशि दी जानी चाहिए।

निर्धारित की जाने वाली राशि की गणना में अंशधारियों तथा बीमा कर्त्ताओं को दी जाने वाली उचित राशि का निर्धारण करने से सम्बन्धित सभी बातों को ध्यान में रखा गया है।

विधेयक के महत्व को ध्यान में रखते हुये यही युक्ति युक्त है कि इसमें निहित उपबन्धों की भली-भाँति छान बीन की जाये इसी कारण विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया है।

महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि जन-समुदाय के सर्वाधिक हितों में साधारण बीमा कारबार के विकास को सुनिश्चित करके वित्तीय आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि अर्थ-व्यवस्था के प्रचलन के परिणामस्वरूप धन का ऐसा संकेन्द्रण न हो जो सर्वसामान्य के अहित में हो, भारतीय बीमा कम्पनियों तथा अन्य विद्यमान बीमा कर्त्ताओं के उपक्रमों के अशों के अर्जन तथा अन्तरण का ऐसे कारबार के विनियमन और नियंत्रण का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को 45 सदस्यों की, 30 सदस्य इस सभा से, अर्थात् :

(1) श्री धर्मराव शरणाप्पा अफजलपुरकार
(2) श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
(3) श्री एस० एम० बनर्जी
(4) श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
(5) श्री त्रिदिव चौधरी
(6) श्री दरबारा सिंह
(7) श्री वी० शंकर गिरि

(8) श्री जितेन्द्र प्रसाद
(9) श्री पुरुषोत्तम कडोदकर
(10) श्री विभूति मिश्र
(11) श्री जगन्नाथ मिश्र
(12) श्री श्रीकृष्ण मोदी
(13) श्री सुरेन्द्र महन्ती
(14) श्री एस० टी० पण्डित
(15) श्री चिंतामणि पाणिग्रही
(16) श्री एच० एम० पटेल
(17) श्री एम० टी० राजू
(18) श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
(19) श्री वयालार रवि
(20) श्रीमती सुशीला रोहतगी
(21) डा० सारादीश राय
(22) श्री एस० सी० सामन्त
(23) श्री सतपाल कपूर
(24) श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
(25) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
(26) श्री आर० वी० स्वामीनाथन्
(27) श्री तुला राम
(28) श्री वी० तुलसीराम
(29) श्री जी० विश्वनाथन्
(30) श्री यशवन्तराव चह्वाण

और 15 सदस्य राज्य सभा से,

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों के संसदीय समितियों सम्बन्धी इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करें;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The Motion was adopted.**

# विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक

# UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में पारित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने तथा देश की उच्च शिक्षा संस्थाओं को समुचित अनुदान देने का उपबन्ध किया गया था । इस अधिनियम के आधार पर कार्य करते हुए यह अनुभव किया गया कि इसमें कुछ परिवर्तन करने तथा विधेयक के उपबन्धों को व्यापक बनाने की गुंजाइश है । इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर लेने के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए 1966 में एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया था जिसे राज्य सभा ने 1966 में पारित किया किन्तु तीसरी लोक सभा के विघटन के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया ।

इसी बीच शिक्षा आयोग (1964-66) ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों के बारे में कुछ सिफारिशें की गई थीं । इन सिफारिशों को ध्यान में रखकर 1968 में राज्य सभा में एक नया विधेयक पुर:स्थापित किया गया था ।

इस विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें ये थीं कि आयोग की सदस्य संख्या 9 से बढ़ाकर 11 कर दी गई थी । इस आयोग से अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं के उपकुलपति तथा प्रमुख अधिकारी आयोग के सदस्य नहीं हो सकते थे । सदस्यों द्वारा उनके बीच में से एक उपाध्यक्ष चुनने का भी उपबन्ध था । अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करके सदस्यों का कार्यकाल छ: वर्ष से कम करके तीन वर्ष कर दिया गया । किन्तु अगले कार्यकाल के लिए सदस्यों की पुन: नियुक्ति की जा सकती थी । आयोग केन्द्र सरकार की और उसकी किसी प्रकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों को सहायता नहीं दे सकता था ।

दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् विधेयक को 3 जून, 1970 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई । अधिसूचना जारी करने से पूर्व इसके कार्यकरण में कुछ संभावित गम्भीर कठिनाइयों को केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया गया । उसने उन पर विचार करना अपना कर्त्तव्य समझा ।

उठाये गये मामलों में एक यह बात भी थी कि बिना पूर्व अनुमति के स्थापित किये गये किसी विश्वविद्यालय को सदा के लिए अनुदान से वंचित करना एक बहुत ही गम्भीर मामला है । यदि स्थापना के समय कोई विश्वविद्यालय किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करता है तो बाद को उन शर्तों को पूरा करने के पश्चात् वह विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाना चाहिए ।

एक अन्य गम्भीर मामला यह है कि यदि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किसी अधि.

नियम के परिणामस्वरूप कोई कालेज एक स्वीकृति प्राप्त विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से निकलकर बिना पूर्व स्वीकृति के स्थापित किए गए किसी विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है; तो वह अनुदान से वंचित हो जायेगा ।

दूसरी बात यह थी कि यद्यपि यह सुनिश्चित करना काफी सीमा तक उचित है कि उप-कुलपति आयोग में न आने पाएं; परन्तु उपकुलपतियों पर उपकुलपति होने के नाते यह रोक लगाना अनुचित है । एक और कठिनाई यह थी कि आयोग में ३ पूर्णकालिक सदस्यों की व्यवस्था है परन्तु यह संभव हो सकता है कि उपाध्यक्ष उनमें से न हो । इससे अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद अथवा संघर्ष हो सकता है । एक प्रश्न यह था कि क्या रिक्ति केवल शेष अवधि के लिए भरी जा सकती है । इससे काफी कठिनाई पैदा होगी । अध्यक्ष के पद में उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति के लिये भी कोई उपबन्ध नहीं है । अतः यह महसूस किया गया कि एक नया अधिनियम लाना अच्छा होगा जिसमें 1970 के अधिनियम के सभी उपयोगी उपबन्ध सम्मिलित किए जायें ।

नये अधिनियम के अंतर्गत आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक पूर्णकालिक अधिकारी, विश्वविद्यालय के चार अध्यापक, चार अन्य व्यक्ति और केन्द्रीय सरकार के दो अधिकारी होंगे । यह व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर शेषकालावधि के लिये उपाध्यक्ष कार्य करेंगे । यदि आकस्मिक तौर पर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए और उस समय कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष के पद पर कार्य न कर रहा हो तो उस स्थिति में केन्द्रीय सरकार को छः महीने की अवधि के लिए आयोग के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए । इस तात्पर्य से एक उपबंध इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया है ।

इस विधेयक में यह व्यवस्था भी की जा रही है कि सदस्यों का स्थान रिक्त होने वाले पदों को पूरी कार्यावधि के लिए, न कि स्थान रिक्त करने वाले सदस्य की शेष कार्यावधि के लिए भरा जायेगा । इस विधेयक के अन्तर्गत आयोग गैर-केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनकी विशेष गतिविधियाँ बनाए रखने के लिए सहायता दे सकता है ।

संशोधन अधिनियम, 1970 में यह उपबंध भी किया गया था कि आयोग को ऐसे विश्व-विद्यालय को अनुदान नहीं देना चाहिए जो कि आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना स्थापित किया गया हो । अब प्रस्तुत विधेयक में इसमें परिवर्तन करके अधिक युक्तिपूर्ण व्यवस्था की गई है । यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर ही किसी विश्वविद्यालय को अनुदान मिलेगा ।

मूल अधिनियम की धारा 14 के अनुसार धारा 12 तथा 13 के अंतर्गत दी गई सिफारिशों का पालन न होने पर उस विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आयोग अतिरिक्त निधि में से दिए जाने वाले अनुदान रोक सकता है । यह महसूस किया गया है कि किसी विश्वविद्यालय द्वारा धारा 25 तथा 26 के निर्देशों का पालन न किए जाने पर धारा 14 का उपबंध लागू किया जाना चाहिए ।

संशोधन अधिनियम, 1970 की तरह ही प्रस्तुत विधेयक में यह उपबंध है कि आयोग के सामान्य निरीक्षण, कार्यालय व्यय तथा आयोग के आन्तरिक प्रशासन संबंधी मामलों के बारे में

आयोग के सभापति अथवा उप-सभापति अथवा अन्य अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने संबंधी विनियम बनाने का अधिकार आयोग को दिया गया है ।

महोदय, यह विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें हैं और मुझे आशा है कि सभा इन्हें स्वीकार करेगी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

**श्री जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल) : विश्वविद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था करने तथा विश्व-विद्यालयों तथा उनके अन्तर्गत विद्यालयों के भविष्य तथा स्थितियों में सुधार करने के संबंध में आयोग का कार्य तनिक भी संतोषजनक नहीं है ।

प्रस्तुत विधेयक में न तो आमूल परिवर्तन किए गए हैं और न ही आयोग के वर्तमान ढाँचे में कोई विशेष सुधार किया गया है । आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से अथवा उसका एक उपाध्यक्ष नियुक्त करने से आयोग के कार्य संचालन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता । आयोग के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है । आयोग में कहीं से भी किसी भी चुने हुए सदस्य की गुंजाइश नहीं है । महाविद्यालयों के अध्यापकों, उपकुलपतियों अथवा संबंधित महाविद्यालयों के प्रबंध निकाय आदि को किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ।

भारत एक बड़ा देश है । इसमें अनेक विश्वविद्यालय हैं तथा इस प्रकार के एक ही आयोग द्वारा विविध कार्यों को निपटाना कठिन है । यही कारण है कि महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के अनेक अध्यापक तथा शिक्षाविद् हर राज्य में एक अलग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की माँग करते हैं ।

इस विधेयक के अन्तर्गत आयोग को बहुत कम अधिकार दिए गए हैं । यह केन्द्रीय सचि-वालय का एक विशेष स्कन्ध बन जायेगा तथा इसमें भी नौकरशाही की सभी बुराइयाँ आ जायेंगी वस्तुत: यह केन्द्रीय सचिवालय के हाथ की कठपुतली बन जायेगा । अपने वर्तमान रूप में यह आयोग अत्याधिक कार्य नहीं कर सकेगा । इसका परिणाम यह होगा कि शिक्षा तथा विशेषकर विश्व-विद्यालयों तथा उनके अंतर्गत महाविद्यालयों के अध्यापकों की पहले की तरह अब भी उपेक्षा होती रहेगी ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : हम इस विधेयक को शीघ्रता से पारित कर रहे हैं । इस पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिए । यद्यपि मूल अधिनियम का संशोधन करना है फिर भी इस प्रकार के विधेयक को प्रवर समिति को प्रेषित किया जाना चाहिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य निराशाजनक रहा है । इस आयोग का वास्तविक कार्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के कार्य को बनाये रखना एवं उसे ऊँचा उठाना था । किन्तु परिणाम हमारी आशाओं के विपरीत रहा है ।

यह स्वाभाविक ही था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की देख-

रेख को प्राथमिकता देता। परन्तु दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान के कार्य संचालन से देश के समस्त शैक्षिक वातावरण को वह सहायता प्राप्त नहीं हो सकी जिसकी आशा की गयी थी।

आयोग की सिफारिशों के परिक्षण के लिये कुछ नहीं किया गया। जहाँ तक उच्चतर शिक्षा का संबंध है, इस उद्देश्य के लिए हम भारतीय भाषाओं के प्रयोग की समस्या को अभी तक टालते आ रहे हैं। हमें अपनी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना सुनिश्चित करना चाहिए था परन्तु हमने इसकी परवाह नहीं की कि हमने जो जिस भाषा के माध्यम से अर्जित किया है, वह हमारी मातृ भाषा नहीं है। अतः वह ज्ञान भी हमारा नहीं हो सका। इसी कारण से हमारे अनेक व्यक्तियों की प्रतिभा मौलिक नहीं है। विश्वविद्यालय में अवनति हो रही है और उनका चित्र बड़ा निराशाजनक लगता है।

संस्थानों द्वारा कुछ प्राइज़ पद बनाये गए तथा इन पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति शिक्षा-प्रगति में बाधक बने। जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक मंडली द्वारा विद्वानों का चुनाव किया गया तथा उन्हें तीन हजार रुपये प्रतिमास तथा विशेष शिक्षा उद्देश्यों पर व्यय करने के लिए 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए गए। यह भेद-भावपूर्ण है। इन लोगों ने शैक्षिक कार्य नहीं किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आशाओं की पूर्ति नहीं की है। सरकार ने इसके कार्य की निरन्तर परीक्षा नहीं की। ऐसा होने पर इसके शैक्षिक कार्य पर नियन्त्रण स्थापित हो सकेगा और त्रुटियों का उपचार भी हो सकेगा।

हमने शैक्षिक आदर्शवाद त्याग दिया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में तथा इसके विद्वानों के बारे में बातें करना समय नष्ट करना है। समस्त शिक्षा के आधार में ही परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

**श्री बाई० एस० महाजन** (बुलडाना) : मैं मंत्री महोदय द्वारा लाये गये विधेयक का समर्थन करता हूँ।

गत 16 वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चस्तरीय शिक्षा के लिए बहुत सेवा की है। इसने सुविधाओं में वृद्धि तथा विस्तार किया है और सारे भारत में शिक्षा तथा परीक्षा का स्तर ऊँचा उठाने का भरसक प्रयत्न किया है तथा उच्चस्तरीय शिक्षा के लिए भी भरसक प्रयत्न किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो आयोग कर सकता था, वह किया गया है।

प्रस्तुत विधेयक से यह आयोग विस्तृत आधार पर कार्य कर सकेगा तथा इसका ढाँचा लचीला हो जायेगा तथा इस पर और अतिरिक्त उत्तरदायित्व आ जायेगा किन्तु अभी कहा जा रहा है कि सामान्य बजट पर्याप्त रहेगा। मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि आयोग के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता क्यों नहीं होगी।

उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में कहा गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूरा न करने वाले किसी नये विश्वविद्यालय को अनुदान नहीं दिए जायेंगे। मंत्री महोदय को ये मानदंड स्पष्ट करने चाहिए थे। यदि आयोग भविष्य में विश्वविद्यालय बनाये जाने संबंधी शर्तों का निर्धारण कर दे तो यह शिक्षा की महान सेवा होगी।

भारत में उच्चत्तर शिक्षा के विस्तार की बड़ी आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कम से कम प्रत्येक राज्य में एक विश्वविद्यालय स्थापित करके उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्क्रम लागू करवा कर यह आयोग विस्तार की प्रक्रिया में सहायता कर सकता है। इस आयोग को इस संबंध में विचार करना चाहिए कि क्या हम देश में खुले विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते हैं और जन-संचार के साधनों से शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है।

**श्री आर० पी० उलगनम्बी** (वैल्लौर) : विधेयक लाने में बहुत शीघ्रता की गयी है। इसका क्या कारण है ?

विधेयक में ऐसा उपबन्ध है कि अध्यक्ष पद की आकस्मिक रिक्ति के समय यदि कोई उपाध्यक्ष न हो तो केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह आयोग के किसी भी सदस्य को छः मास तक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकती है। इस शक्ति के होते हुए उपाध्यक्ष की नियुक्ति की क्या आवश्यकता है ? सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 क्यों की गयी है ? इससे राजकोष पर प्रतिवर्ष 40,000 रुपये का भार पड़ेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सरकार से धन मिलता है और वह इस धन को विभिन्न संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में वितरित कर देता है। आयोग शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने की ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं देता है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए और इसमें युक्तिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे हमारे समाज में परिवर्तन आयेगा और देश में आर्थिक विकास हो पायेगा। हमें आशा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संबंध में कुछ कार्यवाही कर सकेगा।

सरकार ने गत वर्षों में कई आयोग तथा समितियाँ नियुक्त की हैं जिन्होंने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। वे सिफारिशें क्रियान्वित की जानी चाहिएं।

**Shri Shivnath Singh** (Jhunjhunu) : Mr. Deputy Speaker, a similar amendment was passed in 1970. Does not that amendment hold good to-day ? The standard of higher education is before us. People are not satisfied with this standard.

To-day, universities demand autonomy. The U. G. C. should consider as to what extent they should be granted autonomy.

The change in the structure of the Commission is not going to make any difference. There are crores of children who cannot go in for higher education because of high expenditure it involves. The Commission should be so organised that they could show the way to the universities. The system of education should be overhauled and there should be uniformity of standards in various universities. The Commission should co-ordinate the func-

tions of universities. The Commission should be empowered so as to enable it to improved educational standards and to make them uniform. We will welcome such a Commission.

**प्रो० एस० नूरुल हसन** : मैं सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के लिए उनका धन्यवादी हूँ। परन्तु इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने का समय नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू शिक्षावृत्तियों के बारे में कुछ गलत फहमी है। यह शिक्षावृत्तियाँ तो जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि द्वारा दी जाती हैं। इनका संबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी विश्वविद्यालय से कदापि नहीं है।

पृथक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में बिहार में परीक्षण किया गया है। सभी अध्यापक और छात्र राज्य के लिए ऐसे आयोग के विरुद्ध थे और इसे भंग करने के पक्ष में थे।

यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सचिवालय के हाथ की कठपुतली है। वास्तव में यह सही नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वायत्तता का आदर करने की केन्द्रीय सरकार की प्रवृत्ति देश के सर्वाधिक हित में रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अधिकांश कार्य कई तदर्थ समितियों के माध्यम से होता है। इन तदर्थ समितियों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग 200 अध्यापक लिये जाते हैं जो आयोग के कृत्यों से संबंधित रहते हैं।

जहाँ तक विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये मानदण्ड निर्धारित करने का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा की योजना बनाने के प्रश्न पर विचार करेगा।

मैं खुले विश्वद्यिालयों की स्थापना के सुझाव का स्वागत करता हूँ। कुछ शिक्षाविदों से इस प्रश्न की गहराई से जाँच करने को कहा गया है। उनका प्रतिवेदन प्राप्त होते ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी आकस्मिक स्थिति के कारण कार्य करने में समर्थ न हों तो किसी भी सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत करने का उपबन्ध किया गया है। यह व्यवस्था आकस्मिक स्थिति के लिए है। जहाँ तक आयोग की सदस्य संख्या में वृद्धि का प्रश्न है, सभा ने 1970 में पहले ही इस संख्या को 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया है।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूँ कि सभा विधेयक को स्वीकृत करे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे । विधेयक के किसी खण्ड के बारे में कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं सभी खण्ड एक साथ सभा के मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 10, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The Motion was adopted.**

**खण्ड 2 से 10, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 2 to 10, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**प्रो० एस० नूरुल हसन** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

**विधेयक स्वीकृत हुआ ।**
**The Motion was adopted.**

---

## अवक्रय विधेयक

## HIRE-PURCHASE BILL

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि अवक्रय करारों के पक्षकारों के अधिकारों और कर्त्तव्यों को परिभाषित और विनियमित करने के लिए तथा तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों से संबंधित विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाये ।"

महोदय, प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य कुछ परिवर्तनों के अध्यधीन, अवक्रय विधि संबंधी विधि आयोग के 20 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करना है ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।
SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*]

अवक्रय व्यवसाय में वृद्धि तो हुई है किन्तु इस विषय के बारे में कोई विशिष्ट कानून न होने के कारण कई बुराइयाँ उत्पन्न हो गयी हैं और इसके परिणामस्वरूप अवक्रय करने वालों को विशेष रूप से हानि हुई है । इस प्रकार की बुराइयों को दूर करने के विचार से विधि आयोग ने इस विषय के संबंध में कानून बनाने के लिए विस्तृत सिफारिशें की हैं ।

विधेयक का क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित है । इस विधेयक का एक मात्र उद्देश्य स्वामियों तथा अवक्रय करने वाले लोगों तथा उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों को परिभाषित तथा विनियमित करना है । इस विधेयक का उद्देश्य अवक्रय कर्त्ता को वैध संरक्षण प्रदान करना है ।

संयुक्त समिति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किया है अर्थात् अवक्रय प्रभार को सीमित करने के लिए विधेयक में एक नया खण्ड सम्मिलित किया गया है । विधेयक में यह सातवाँ खण्ड है । इसका उद्देश्य अवक्रय प्रभारों को सीमित करके उनकी राशि को इतना करना है जिससे कि वस्तुओं की नकद कीमत, अवक्रय की किस्तों की संख्या तथा स्वामी के व्यावसायिक व्यय से उस राशि का उचित अनुपात हो ।

मैं सिफारिश करता हूँ कि सभा विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, विचार करके पारित करे ।

**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बर्दवान) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूँ । इसे वास्तव में बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था । वाणिज्यिक विकास की आधुनिक पद्धति में, अधिकांश लेन देन अवक्रय द्वारा होते हैं परन्तु समाज के कमज़ोर वर्ग वाणिज्यिक संस्थानों और पूँजीपतियों की दया पर निर्भर हैं । हाल के वर्षों में बहुत से लेन-देन अवक्रय के आधार पर हुए हैं और इस पद्धति में बहुत सी बुराइयाँ आ गयी हैं । इस संबंध में अभी तक कोई विशिष्ट कानून नहीं है ।

अवक्रय समझौता मुख्यतः पूँजीपतियों के हक में है । वित्तीय संस्थान लगभग ब्याज की शास्ति दर वसूल कर रहे हैं और वे दलाली के रूप में और ऋण देने वाली संस्था के रूप में भारी राशि काट रहे हैं । कारोबार का दूसरा तरीका, जिसका भारी दुरुपयोग किया जा रहा है, जब्त करने का अधिकार है जिसका इन करारों में उपबन्ध किया जाता है ।

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रखिए ।

---

## नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के मुख्य कोषाध्यक्ष द्वारा श्री नागर वाला को ६० लाख रुपये के कथित भुगतान के बारे में चर्चा

## DISCUSSION RE: ALLEGED PAYMENT OF RS. 60 LAKHS TO SHRI NAGARWALA BY CHIEF CASHIER OF STATE BANK OF INDIA, NEW DELHI

**सभापति महोदय** : अब हम श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा नियम 193 के अन्तर्गत उठायी जाने वाली चर्चा प्रारम्भ करेंगे ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमण्ड हार्बर) : नागरवाला का मामला अत्यन्त रहस्यमय मामलों में से एक है और गत एक वर्ष के दौरान देश के लोगों की शंकाओं का निवारण नहीं हुआ है। सरकार ने न केवल चुप्पी ही साधी है, अपितु उसने संसद सहित अन्य लोगों को भी इस संबंध में अन्धेरे में रखने का पूरा-पूरा प्रयास किया है।

इस मामले में निस्संदेह देश के अत्यधिक शक्तिशाली लोगों का हाथ है। इस मामले से देश के प्रमुख बैंक में चल रही गड़बड़ी का पता चलता है। न्यायपालिका की भी बड़ी आलोचना की गयी है। पुलिस का भी पर्दा फाश किया गया है। प्रधान मंत्री के सचिवालय और गुप्त सेवा को भी इस मामले में घसीटा गया है। इस मामले में एक सर्वदलीय संसदीय जाँच के अलावा किसी अन्य बात से इस देश के लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता।

स्वर्गीय श्री नागरवाला एक भूतपूर्व ब्रिटिश इंडियन आर्मी का कैप्टन था। वह हर तरह से निपुण और भाषाविद था। वह शारीरिक रूप से अक्षम था। उसकी आवाज़ त्रुटिपूर्ण थी और उसकी एक टाँग में घाव था। वह किसी की आवाज की नकल नहीं कर सकता था। वह 62 किलोग्राम नकदी वाला ट्रंक कभी भी उठा नहीं सकता था। इस मामले में कई प्रकार की मनगढ़ंत कहानियाँ कही गयी हैं। स्वर्गीय श्री नागरवाला न बदमाश था और न ही किसी को धोखा देना चाहता था। वह एक सादा आदमी था और वह स्वयं पुलिस को उस स्थान पर ले गया जहाँ पर धन रखा था।

श्री नागरवाला ने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने अपने वकील से भी कहा था कि मैं इस मामले का संचालक नहीं था मैं तो केवल वाहक था। परन्तु दुर्भाग्यवश इससे पूर्व कि वह कुछ भी कहते उन्हें हमेशा के लिये चुप करा दिया गया है। मरने के कुछ दिन पूर्व वे एक सनसनी खेज राज बताने वाले थे।

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair.* ]

उन्होंने किसी से कहा था कि 'सत्य का उद्घाटन करने से पूर्व ही मैं मर सकता हूँ'।

जहाँ तक श्री मल्होत्रा का संबंध है वह एक अनुभवी कोषाध्यक्ष हैं जिसने बीस वर्ष से ऊपर की सेवा पूरी की हुई है और जो प्रधान मंत्री और श्री हक्सर और उनके लोगों से परिचित थे। उन्होंने एक असाधारण तरीका अपनाया। सरकार ने हमें यह बताने का प्रयत्न किया कि यह पहला अवसर है जबकि उन्होंने ऐसा किया। यह बताया गया कि 24 मई को लगभग दोपहर में पहले प्रधान मंत्री के सचिव और उसके पश्चात प्रधान मंत्री से श्री मल्होत्रा को, न कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया के एजेण्ट को एक टेलीफोन प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें 60 लाख रुपया देने के लिये कहा गया था। उन्होंने 60 लाख रुपये की राशि बिना किसी पर्ची के स्टेट बैंक से निकाली। यदि यह धन वास्तव में स्टेट बैंक के खातों से संबंधित होता तो क्या इसे टेलीफोन पर प्राप्त निदेशों के अनुसार दिया जा सकता ? बैंक नियमों का उल्लंघन करते हुये श्री मल्होत्रा ने बैंक की कैश-गाड़ी, सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर को साथ ले जाने से इन्कार कर दिया। परिवहन अधिकारी ने भी इस बात पर जोर दिया परन्तु उन्होंने किसी तरीके से यह धन बाहर निकाला और स्वयं कार

में बैठ कर चल पड़े। यह धन किसी विशेष प्रयोजन के लिये था। हमारे पास इसका लिखित प्रमाण है। परन्तु यह धन किस का है ? इस संबंध में सरकार ने बैंक रिकार्ड से कोई वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है कि 60 लाख रुपये की यह राशि बैंक की थी और न ही सरकार ने पकड़ी गयी धन राशि की पहचान की व्यवस्था की है।

सरकार स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा रखी तिजौरी के संचालन के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और स्टेट बैंक आफ इण्डिया के बीच एक समझौते के बारे में बात कर रही है। हम चाहते हैं कि इसको सभा पटल पर रखा जाये ताकि हम स्वयं इस की जाँच कर सकें। सरकार को यह सिद्ध करना है कि यह ऐसा धन नहीं है जो खाते में नहीं दिखाया गया है तथा जिसका संबंध एक अत्यन्त शक्तिशाली दल अथवा शक्तिशाली लोगों के साथ नहीं है। इसी कारण से श्री मल्होत्रा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, उन्हें दोष मुक्त किया गया और बहाल कर दिया। इस मामले में स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने एक विभागीय जाँच बिठाई है। इसके निष्कर्ष सभा पटल पर रखे जाने चाहियें। सम्भवत: श्री मल्होत्रा को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि हम नागरवाला को भी दोष नहीं देते। मल्होत्रा ने तो अपना वही कर्त्तव्य निभाया है जो वह इस देश की सर्वोच्च शक्ति के आदेशों के अनुसार प्राय: निभाते आ रहे हैं।

यह इतिहास में सबसे छोटा मुकदमा था जो 5 मिनट में समाप्त हो गया। नागरवाला को न्यायालय में किसी की आवाज की नकल करने के लिये बिल्कुल नहीं कहा गया। इससे हमें सोचना पड़ता है कि दाल में कुछ काला अवश्य है।

उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि अपराधी का पता लगाने के लिये पुलिस द्वारा लाये गये अभियुक्तों में अतिरिक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना भी मजिस्ट्रेट का कर्त्तव्य है। विद्वान न्यायाधीशों की परिषद् ने स्वीकार किया है कि मल्होत्रा को आवश्यक चेक या अधिकार पत्र के बिना बैंक से पैसा नहीं निकालना चाहिये था। यह भी स्वीकार किया गया कि मल्होत्रा को याचिका दाता की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद गिरफ्तार किया गया। मल्होत्रा के विरुद्ध जाँच अभी तक पूरी नहीं कि गयी है। मल्होत्रा के बयान से पता चलता है कि उन्हें धोखा दिया गया इसी लिये याचिकादाता के विरुद्ध धारा 419 और 420 में मुकदमा दर्ज किया गया। माननीय न्यायाधीश के इस टिप्पण से पता चलता है कि दाल में कुछ काला अवश्य है। माननीय न्यायाधीश ने आगे कहा कि "मैं यह कहने को बाध्य हूँ कि यदि पुलिस ने मल्होत्रा के विरुद्ध दायर किये गये मामले की छान बीन करने में उतनी ही तत्परता दिखाई होती जितनी कि उसने प्रार्थी के मामले में दिखाई तो इससे पुलिस की नेकनीयती के बारे में प्रार्थी के मन में कोई अनुचित सन्देह उत्पन्न न होता।" इसके अतिरिक्त एक और दिलचस्प बात यह है कि मुकदमे की फाइल से एक महत्वपूर्ण कागज हटा दिया गया तथा इस मामले के लिये सरकार ने किसी न्यायाधीश विशेष को ठीक नहीं समझा तथा इस मामले को एक अन्य न्यायाधीश को सौंप दिया गया, जो कि भाग्यवान था क्योंकि इसके तुरन्त बाद उसकी पदोन्नति उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में कर दी गयी। पुलिस की कार्यवाही से भी बहुत सी बातों का पता चलता है। स्टेट बैंक के प्राधिकारी पुलिस अधीक्षक से 2·30 बजे स्वयं मिले। परन्तु पहली सूचना रिपोर्ट 4·30 बजे से पहले नहीं लिखी गयी। यह दो घण्टे का अंतराल एक बहुत गम्भीर मामला है। यह बहुत ही गम्भीर त्रुटि है। इस दौरान दिल्ली के समाचार-पत्रों ने काफी अच्छी सेवा की। उन्होंने यह समाचार दिया कि ऐसी घटना हो गयी है और मामले को इस समय दबाया नहीं जा सकता।

यह केवल संयोग की बात है कि जाँच अधिकारी श्री कश्यप की जो अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं, रातों रात पदोन्नति कर दी गयी परन्तु दुर्भाग्यवश इसी तारीख के आस-पास वह किसी दुर्घटना का शिकार हो गये । गृह मंत्री को सभा को बताना होगा कि जिस दिन वह मरे उसी दिन उसके घर से सभी कागज क्यों निकाल लिये गये तथा उनके शव को शव-परीक्षा के लिये भेजने की अनुमति क्यों नहीं दी गयी ?

छिपाया हुआ धन और राजनीतिक विधियों के लिये एकत्रित किया गया धन स्टेट बैंक की तिजोरी में रखा जाता है क्योंकि धन की मात्रा काफी अधिक होती है । हमें मई, 1971 तक यह बताया गया था कि यह राशि बढ़कर ३० करोड़ रुपये हो गयी है । हमें इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि नागरवाला गुप्त सेवा का उच्च शक्ति प्राप्त व्यक्ति था और संवाहक का कार्य करना उसकी ड्यूटी थी । वह व्यक्ति जिसे नागरवाला से एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर धन प्राप्त करना था, वहाँ नहीं था । इससे नागरवाला परेशानी में पड़ गया । उसे पालम पहुँचना था परन्तु वह उस व्यक्ति से नहीं मिला । इस धन को इस देश से बाहर ले जाया जाना था । सरकार को यह साबित करना है कि प्रत्येक बात सन्देह से परे है तथा उसे सभा को सन्तुष्ट करना है । श्री चह्वाण को भी मैंने पत्र लिखकर कुछ प्रश्न पूछे हैं । आशा है, वह उनका उत्तर देंगे ।

**Shri H. K. L. Bhagat** (East Delhi) : It is really very surprising to hear from a responsible member of Parliament that Nagarwala is not guilty and that the Police has bungled in this case. In fact he should have congratulated the police for tracing out the culprit and recovering the amount within 12 hours of the incident. It is really strange that if the police acts late it is the fault of the Government but even when it has acted so quickly then also the Government is to be blamed. Shri Bosu always finds a fault with the Government.

Shri Bosu said one thing that it was the briefest trial of the History. But what is the necessity of prolonging the case unnecessarily when the accused himself has confessed his crime.

There is no room for doubt in this case because the case was being tried in the Court before the death of Nagarwala and he did not give any counterversion about this case. If Shri Bosu had any daubts he could have sought an interview with Nagarwala and his lawyer. I have been so informed that some leaders of the Opposition did see Nagarwala in the Hospital but they did not get any substantial matter about the case. If there was in fact any significant information, it should have been brought to the notice. But all this does not mean that I have been pleading for Malhotra. I only want to stress that the case was legally taken up.

Shri Bosu has also said that a Parliamentary Committee should be constituted to investigate into the matter. Even if such a Committee is set up it shall have the majority of the Congressman and as such it will be said that it has not done the justice. So if you have any concrete material and evidence, then why donot you go to the Court and file a complaint there. But you are not prepared to go there as your statement has several contradictions.

Really it is very ridiculous to say that the investigation into the case has been unfair and that the things have been manipulated. If that was so, how did the Prime Minister's name come in ? In fact the very mention of the Prime Minister shows that the

investigation has been quite fair. Therefore, there is no use of indulging incharacter assasination.

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): एक वर्ष से अधिक समय के बाद यह मामला इस सदन में उठाया जा रहा है। इसका उद्देश्य इस मामले का रहस्य जानना है क्योंकि जब यह घटना हुई तो यह एक अनौखी और उलझी हुई घटना थी जिसने सारे देश को हिला कर रख दिया था। तत्पश्चात् नागरवाला का देहान्त हो गया। पुलिस अधिकारी का भी देहान्त हो गया और शायद मजिस्ट्रेट और डाक्टर का भी निधन हो गया किन्तु इसका पता नहीं लगाया गया। रहस्य अभी रहस्य ही बना हुआ है। यह भयंकर घटना हो गयी परन्तु जहाँ तक हम समझते हैं इस मामले का पता नहीं लगाया गया तथा हमें यह नहीं पता कि यह घटना घटी कैसे। इसी बात से हम सभी लोग चिन्तित हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो भी कुछ कहा, मुझे उसके राजनैतिक प्रभाव में कोई रुचि नहीं परन्तु भारत का नागरिक होने के नाते मैं यह जानना चाहूँगा कि भारत के स्टेट बैंक से 60 लाख रुपये किस तरह निकलवा लिये गये। इस समय तक किसी ने भी यह नहीं बताया है कि यह सब कैसे हुआ। इसके विपरीत वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में तथ्यों को छुपाने का प्रयत्न किया है तथा इस पर पर्दा डाला है। नागरवाला तथा मल्होत्रा थोड़े समय के लिये कारावास में थे तथा हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि श्री मल्होत्रा बहुत रोते रहे हैं। हमने यह भी पढ़ा कि नागरवाला ने एक वक्तव्य दिया तथा अपराध स्वीकार करने के संबंध में बयान देने का वचन भी दिया है। वह बयान क्या था हमें इसका भी पता नहीं। इस मामले में किस किस का हाथ था, हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। नागरवाला की अपराध स्वीकृति के बयान प्रकाशित होने से पहले ही कई लोग मरे परन्तु इसके लिये आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये मौतें जिस ढंग से हुई वह सब अभी तक रहस्य बना हुआ है।

सम्भव है कि पुलिस अधिकारी की मृत्यु दुर्घटनावश हुई हो। किन्तु अन्य कुछ हालात ऐसे थे जिनसे कुछ सन्देह होता है। सरकार को चाहिये कि वह इस संबंध में स्पष्टीकरण दे। परन्तु सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। पिछले एक प्रश्न के उत्तर में भी सरकार ने नागरवाला की मृत्यु तथा मल्होत्रा की रिहाई और मुकदमा समाप्त होने की ही सूचना दी परन्तु इस रहस्यपूर्ण स्थिति के संबंध में कुछ नहीं कहा।

पिछले साल भी इस सभा में स्पष्टीकरण माँगा गया था तथा यह प्रश्न पूछा गया था कि नागरवाला के मामले में क्या हुआ ? परन्तु सरकार ने इसका उत्तर यह दिया कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई मामला नहीं रहा। अब इसे भुला देना चाहिये। वास्तव में सरकार में स्थिति का पता लगाकर उत्तर देने का साहस ही नहीं है इसीलिए यह स्थिति है। यदि हम इस घृणित कार्य को भुला सकें तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न हूँ परन्तु स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कार्य संचालन के लिये कुछ जिम्मेदारी हमारी होते हुए क्या हम संसद सदस्यों के रूप में इस घटना को भुला सकते हैं। अतः सरकार हमें उत्तर दे।

इसीलिये मैं जानना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक की तिजोरी में से 60 लाख रुपया कैसे निकाला गया। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। यदि सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं करती तो

अवश्य ही कुछ और दाल में काला है। निःसन्देह यदि स्टेट बैंक से एक नया पैसा भी निकालना हो तो कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और माँग-पत्र भी भरने पड़ते हैं ? माँग-पत्र किसने भरा ? कागजों पर हस्ताक्षर किसने किये ? धन किसने निकाला ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिये।

जब मामला उठ ही गया है तो मैं यह भी जानना चाहूँगा कि यह धन किसका था और इसका उपयोग कैसे किया जाता था। यदि वित्त मंत्री को इस संबंध में जानकारी नहीं है क्यों कि वह सर्वज्ञ नहीं हैं तो कम से कम मल्होत्रा को तो इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य होगी। क्या उन्हें यहाँ नहीं बुलाया जा सकता ? हमें पता होना चाहिये कि वह कहाँ हैं तथा जो कुछ हुआ है उसके बारे में बैंक संसद को कुछ क्यों नहीं बताता ? क्या बैंक को धोखा किया गया है या बैंक की सम्पत्ति गलत रूप से शहर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जायी गयी ? जो भी बात हो, हमें उसके बारे में अवश्य जानकारी दी जानी चाहिये। सरकार को इसका उत्तर देना चाहिये तथा इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहिये।

**श्री वसंत राव पुरुषोत्तम साठे** (अकोला) : मेरे विचार में यह मामला सदन में कई बार उठाया जा चुका है तथा अधिकतर संसद सदस्यों के सभी प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं। परन्तु श्री बसु और श्री मुकर्जी जिस रहस्य की बात करते रहे हैं मैं उसे जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हमें इस मामले की कुछ सुविदित बातों पर विचार करने से सब कुछ समझ में आ जायेगा। प्रोफेसर मुकर्जी और श्री बसु ने पूछा है कि जाँच क्यों नहीं कराई गयी, शव परीक्षा क्यों नहीं कराई गयी। इस समूचे मामले में विरोधी सदस्य सन्देह उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा नागरवाला की हत्या करके उसे चुप करा दिया गया। परन्तु यह बात सर्व विदित है कि यह घटना 24 मई, 1971 को हुई थी और नागरवाला को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे दिन अर्थात 25 तारीख को उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। 27 तारीख तक उनका अपराध स्वीकरण रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। सेशन जज सहित अन्य किसी भी जज ने, जिसने मामले की सुनवाई की, यह नहीं कहा कि अपराध-स्वीकरण धारा 164 के अन्तर्गत समुचित ढंग से दर्ज नहीं किया गया। यह कहा गया है कि अपराध दण्ड संहिता की धारा 251 के अन्तर्गत इस संबंध में गलत प्रक्रिया अपनाई गयी है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता क्यों कि जब कोई व्यक्ति अपराध स्वीकार कर लेता है तो फिर किसी अन्य समर्थक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। सेशन जज ने कहा है कि नागरवाला को अपने अपराध-स्वीकरण पर विचार करने तथा अन्य दस्तावेजों को देखने का अवसर दिया जाना चाहिये था। इसी लिये सेशन जज ने नागरवाला को रिमाण्ड दिया जो उचित ही था। मुकदमा चलता रहा। परन्तु इसी बीच नागरवाला बीमार हो गये पहले जेल के अस्पताल में और बाद में मरने तक इर्विन अस्पताल में उनका उपचार किया गया। आखीर में गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल में भी उनका इलाज चला परन्तु दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। इसमें सन्देह की कोई बात नहीं। जेल में मरने पर शक किया जा सकता था। परन्तु यहाँ तो राजनैतिक नेता के रूप में मरना ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। लोग कीचड़ उछालने लगते हैं। आखिरकार कुछ तो जिम्मेदारी की बातें होनी चाहिये। कम से कम हमें गड़े मुर्दे तो नहीं उखाड़ने चाहिये। कम से कम उन्हें शान्ति से रहने देना चाहिये। अब तो विरोधी दलों का ध्येय शंका उत्पन्न करना है। वे इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कि कोई व्यक्ति किन्हीं सन्देहास्पद परिस्थितियों में मरा हो। श्री नगरवाला की मृत्यु अस्पताल में दिल का

दौरा पड़ जाने के कारण हुई है। उनकी मृत्यु के बाद सरकार ने जाँच-पड़ताल करने का आदेश दिया है। यद्यपि कानून के अन्तर्गत ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती।

इसके अतिरिक्त श्री कश्यप की मृत्यु के बारे में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का सन्देह नहीं कर सकता। जब श्री कश्यप की कार ताँगे से टकराई तो उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके साथ थे। कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में ऐसा कैसे सोच सकता था कि यह एक सुनियोजित षडयंत्र था। यह तो केवल संयोग था। सब कुछ जानते हुए भी इस संबंध में किसी प्रकार का सन्देह क्यों किया जा रहा है। अत: जहाँ तक इन दो दुर्घटनाओं का संबंध है, इनके बारे में किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न करना या सरकार की आलोचना करना निराधार है, विशेषत: जबकि उस में किसी देश के किसी नेता का नाम बीच में आता हो परन्तु नागरवाला काण्ड जैसी अन्य बातों को उठाकर आप जनता के सामने अपना स्वरूप सुधार नहीं कर सकते। बैंक से पैसा निकालने के बारे में वित्त मंत्री ने यहाँ कई बार दोहराया है कि यह राशि स्टेट बैंक की तिजोरी से निकाली गयी है। स्टेट बैंक रिजर्व बैंक की ओर से इस राशि को अपने पास रखता है। यह एक स्थायी प्रबन्ध किया हुआ था। यह न केवल श्री नागरवाला के मामले के पश्चात् ही किया गया अपितु उससे पहले भी ऐसा प्रबन्ध था। जब कभी लाखों रुपयों की राशि का लेन-देन किया जाता है तो यह राशि इस मुद्रा से निकाली जाती है। प्रधान मंत्री का यह कोई निजी लेखा नहीं है जिससे यह राशि निकाली जाती।

**श्री के० मनोहरन्** (मद्रास उत्तर) : स्टेट बैंक के 60 लाख रुपये के घोटाले से संबंधित व्यक्ति नहीं रहा। परन्तु इस घटना को एक वर्ष बीत चुका है। इस घटना से सारे देश को आघात पहुँचा है। सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि लोगों ने उसे इस भयंकर अपराध के लिये क्षमा कर दिया है। इस घटना के पश्चात अनेक घटनायें हुई जो बंगला देश तथा शरणार्थी समस्या जैसी ही लगभग ऐतिहासिक थीं। अत: इस देश के देश भक्त लोगों ने इन विवादास्पद मामलों को यह आशा करते हुये अलग रख दिया था कि समय आने पर वे इस मामले पर पुन: विचार कर सकेंगे और इसका ठोस समाधान भी प्राप्त कर लेंगे।

एक वर्ष पश्चात् फिर अवसर मिला कि हम इस मामले पर देश का ध्यान केन्द्रित करें। वास्तव में हुआ क्या ? टेलीफोन वार्ता द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की तिजोरी से 60 लाख रुपये की धन राशि बाहर ले जायी गयी। एक व्यक्ति ने टेलीफोन किया और तत्काल मुख्य खजांची श्री मल्होत्रा ने फोन प्राप्त किया। दूसरी ओर से प्रार्थना की गयी 'हम बहुत ही महत्व-पूर्ण उद्देश्य अर्थात् बंगला देश के लिये 60 लाख रुपया चाहते हैं।' यह सांकेतिक भाषा थी। 'हमारा आदमी आ रहा है, वहाँ खड़ा होगा, यह राशि आप उसे दे दें।' इसी आधार पर श्री मल्होत्रा ने कार्यवाही की और 60 लाख रुपया निकाल कर ले जाया गया। स्वर्गीय नागरवाला ने इस बीच में कई टैक्सियाँ बदलीं परन्तु गिरफ्तार कर लिये गये तथा उन्होंने अपराध-स्वीकरण संबंधी बयान जारी किया और उसे 5 मिनट में स्वीकार कर लिया गया तथा नागरवाला को पाँच साल कैद की सजा दे दी गयी तथा जेल भेज दिया गया। न्यायशास्त्र के इतिहास में यह संक्षिप्ततम मुकदमा है। परन्तु इसके पश्चात् मजिस्ट्रेट द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया पर आपत्ति उठाई गयी। मजिस्ट्रेट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी इसके बारे में मुझे पता नहीं है।

यह बात समझ में नहीं आती कि किस प्रकार 60 लाख रुपये की राशि इस बैंक से निकाल

ली गयी जबकि कोई खाता रखने वाला व्यक्ति भी अनेक कठिनाइयों और प्रक्रियाओं से गुजरे बिना एक भी पैसा नहीं निकाल सकता । यह बहुत ही गम्भीर मामला है । सरकार को इस पर विचार करना चाहिये ।

डाक्टरों के अनुसार, नागरवाला जापान से वापस आये थे परन्तु पूना-बम्बई सड़क पर वह दुर्घटना ग्रस्त हो गये जिसमें उनकी खोपड़ी की हड्डी टूट गयी थी और उनके निचले दाँत ठोड़ी से बाहर निकल आये थे तथा उन्होंने अपनी वाग्शक्ति भी खो दी थी फिर वह नकल कैसे कर सकते थे। पिछले सात महीने तक वे बोल नहीं सकते थे इस दौरान वे बिस्तर पर पड़े रहे । उनका स्वयं का कहना था कि "मैं अपने प्रधान मंत्री जैसे ओज-युक्त मधुर कण्ठ की नकल कैसे कर सकता हूँ ।"

नागरवाला लंगड़ा कर चलते थे, अत: वह यह सब अकेले ही नहीं कर सकते थे, इसके पीछे अवश्य ही कोई गिरोह होना चाहिये, वह कौन सा गिरोह है ? कुछ घोटाला हो रहा था और नागरवाला सभी सांकेतिक शब्दों और सभी बातों को जानते थे, यही कुछ उन्होंने स्वयं कहा था । उन्होंने यह भी कहा था कि इस संबंध में वह कुछ भी नहीं छिपायेंगे और सब कुछ बता देंगे ।

इसके अतिरिक्त नागरवाला का स्वास्थ्य अच्छा था। मैं इस संबंध में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि नागरवाला को किस ढंग से मारा गया अथवा जाँच पड़ताल करने वाले अधिकारी को कैसे मारा गया ।

किसी व्यक्ति के व्यक्ति-वृत्त को जानने के बाद ही हम यह निर्णय कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु मयोकार्डीनल इन्फ्रेक्शन अथवा कोरोनरी इन्फ्रेक्शन या किसी अन्य बीमारी से हुई है। अत: वित्त मंत्री को उनकी चिकित्सा संबंधी उपचार आदि से संबंधित सभी संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिये । उन्हें एक जाँच आयोग स्थापित करना चाहिये और इस जाँच आयोग को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये । इस मामले की पूरी जाँच की जानी चाहिये तथा इस बात का पता लगाया जाना चाहिये कि नागरवाला की हत्या की गई है अथवा नहीं । नागरवाला नहीं रहे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समस्या यहीं समाप्त हो गई है ।

नागरवाला ने कहा था कि "मैं मामले का संचालक नहीं था बल्कि केवल एक वाहक था । यदि वह व्यक्ति, जिसको मुझे धन सौंपना था, पूर्वनियोजित स्थान पर नहीं था तो मैं क्या करता ? और मैं पकड़ा गया, जैसा कि मेरा विचार था कि मैं पकड़ा जाऊँगा ।"

नागरवाला ने यह भी कहा था कि मैंने काफी प्रतीक्षा की है । अब मैं सभी व्यक्तियों का भेद बताने वाला हूँ, और दूसरे दिन ही हृदय-गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई उन्होंने अपने वकील श्री महेश्वरी को बताया कि वह शीघ्र ही न्यायालय में आश्चर्यचकित करने वाली बातें बताने वाले हैं । लेकिन इस संबंध में वह एक बात यह अवश्य कहेंगे कि इस मामले में प्रधान मंत्री बिल्कुल शामिल नहीं हैं । प्रश्न यह है कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, यह सारे देश से संबंधित मामला है और समस्त देशवासी वास्तविकता जानने के लिये बहुत उत्सुक हैं । चुनावों में आपको सफलता मिली है, जनता ने आप में अपना विश्वास व्यक्त किया है, आप जनता के साथ विश्वासघात न करें और सारी बातें साफ-साफ बतायें । भारत की राजधानी में 60 लाख रुपये की इस दिन-दहाड़े डकैती से क्या हम शर्मिन्दा नहीं हैं ।

अब वित्त मंत्री हमें यह बतायें कि 60 लाख रुपये का यह धन किसका है। इस धन के स्रोत और स्वामित्व के संबंध में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। नागरवाला की पहली न्यायिक जाँच उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दी कि इसमें सभी न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। सरकार ने मजिस्ट्रेट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? श्री मल्होत्रा के विरुद्ध मामले में इतना विलम्ब क्यों किया गया है ? क्या वह अभी निलम्बित है ? या स्टेट बैंक आफ इंडिया में विशेष सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं अथवा उनकी पदोन्नित की गई है ? किस अधिकार के अन्तर्गत श्री मल्होत्रा ने धन को तिजोरी में रखा जबकि धन के स्वामित्व की घोषणा नहीं की गई और जबकि स्टेट बैंक ने अभी तक इसका दावा नहीं किया है ? प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री या स्टेट बैंक अभी तक अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं ? इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक जाँच आयोग होना चाहिये जिसमें धन के स्वामित्व, श्री नागरवाला पर मुकदमा और श्री मल्होत्रा के योगदान को विचारार्थ विषयों के रूप में रखा जाये।

**श्री विक्रम महाजन** (कांगड़ा) : इस चर्चा में सरकार पर कीचड़ उछालने का एक और प्रयास किया गया है। नागरवाला नामक एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक आफ इन्डिया को धोखा दिया और 60 लाख रुपये ले गया किन्तु बाद में पकड़ा गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें बैंकों को धोखा दिया गया और डाके डाले गए हैं किन्तु उन्हें सभा में चर्चा का विषय नहीं बनाया गया।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि न्यायालय के इतिहास में यह सर्वाधिक संक्षिप्त मुकदमा है। शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि दोष स्वीकार कर लिए जाने पर मुकदमा किस प्रकार का हो सकता है। मजिस्ट्रेट ने वही किया जो कानून कहता है। सेशन जज ने भी यह नही कहा कि दोष स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया गया है उसने इसमें केवल प्रक्रियात्मक दोष बताये हैं। अतः उसने उस दोष सिद्धि को रद्द कर दिया और पुनः मुकदमा चलाने का आदेश दिया। यह कहना कि न्यायपालिका पर दवाब डाला गया है अथवा मुकदमा उचित नहीं, पूर्णतया गलत है।

विरोधी पक्ष के सत्तारूढ़ दल पर कीचड़ उछालने के इस प्रयास से पता चलता है कि वह तिनके का सहारा लेने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि पिछले दो आम-चुनावों में उन्हें पूर्णतया पराजय मिलती है। निराशा के कारण वे छोटे-छोटे मामलों को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण से जनता संतुष्ट है और जिन कहानियों को विरोधी दलों ने फैलाने का प्रयास किया उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

एक प्रश्न यह पूछा गया कि क्या नागरवाला की मृत्यु वस्तुतः हृदय-गति रुकने से हुई है। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता है। यह संयोग है कि नागरवाला की मृत्यु ऐसे समय हुई जबकि न्यायिक जाँच चल रही थी।

**Shri Jagannath Rao Joshi** (Shajapur) : This is the case of withdrawal of Rs. 60 lakhs from a nationalised bank and one can not say that it is a party issue.

Direct questions are asked as to why Shri Malhotra who himself delivered the amount of Rs. 60 lakhs, was not arrested. The only thing the Finance Minister said is that the man has been suspended. When the name of the Prime Minister is involved in this affair, it is the entire responsibility of the Government to make thorough investigations and place the factual position before the public. The payment was made without the valid vou-

cher and the general public want to know the action taken against Mr. Malhotra, and the reasons if no action has been taken against him. The public is very much within its rights to ask the Government as to why factual position is not being placed before them. There is no point for cursing the opposition in this matter.

We are still ignorant about several facts of this case. Late Mr. Nagarwala in a letter had written, "I have been a victim of strange circumstances...why do you catch the tale of the bull and not its horn."

The entire episode is shrouded in a strange mystery; which should be revealed by all means. It is not a matter of Congress Party or any other party. It is a case of bungling of heavy amount in a nationalised bank. The Finance Minister should, therefore, place all the facts in detail before the House.

**श्री बी० के० दास चौधरी** (कूच-बिहार) : इस चर्चा के प्रस्तावक किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बनाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से चर्चा के प्रस्तावक इस संबंध में कोई सुराग नहीं दे सके और सभा में ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सके जिनका कि मंत्री महोदय उत्तर दें। निस्सन्देह उन्होंने अपनी निजी जानकारी के अनुसार नागरवाला के व्यक्तित्व के संबंध में कहा है और आरोप लगाया है कि उसका किसी गुप्त गिरोह से संबंध था।

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए।
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*.]

फिर भी इस चर्चा में मुख्य प्रश्न यह रहा है कि वास्तविक रहस्य क्या है जिसके फलस्वरूप यह जोश उत्पन्न हुआ है ? यह एक ऐसा मामला है जिसे हल किया जाना है। प्राय: प्रश्न पूछे गये कि इतनी बड़ी धनराशि किसके लेखे में जमा की गई। यह आधारिक पहलू है। यह जरूरी नहीं है कि तिजोरी में किसी विशेष धन राशि का हिसाब रखा जाता है। तिजोरी में सुरक्षा के लिए समूची धनराशि रखी जाती है। तिजोरी से धनराशि निकालने का अधिकार बैंक के कुछ प्राधिकृत व्यक्तियों को ही होता है। उन प्राधिकृत व्यक्तियों में से श्री बी० पी० मल्होत्रा भी थे। जब श्री मल्होत्रा ने अपने अधीनस्थ व्यवितयों को धन राशि निकालने के लिए कहा तो कुछ अन्य अधिकारियों ने उस धनराशि के संबंध में समुचित पावती की माँग की। कुछ विशेष परिस्थितियों में तिजोरी से जो धनराशि निकाली गई उसे संबंधित रजिस्टर आदि में दर्ज किया हुआ था।

मुख्य प्रश्न जो वास्तव में अत्यधिक रहस्यपूर्ण लगता है वह यह है कि यह धनराशि कैसे और किस उद्देश्य के लिए निकाली गई थी। इस संबंध में वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य में बताया है कि वास्तव में यह अनौखी बात है तथा बैंक के इतने वरिष्ठ तथा जिम्मेदार अधिकारी का इस प्रकार कार्य करना उचित नहीं है। अत: इसकी जाँच की जानी चाहिए।

प्रश्न उठाये गये हैं कि इस मामले में प्रधान मंत्री का नाम क्यों लिया गया है और यदि प्रधान मंत्री इन्कार करती हैं तो इसमें क्या गलती है। यदि कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री के नाम का उल्लेख करता है, और जब वक्तव्य में यह बात स्पष्ट कह दी गई है, जैसा कि श्री मनोहरन ने उल्लेख किया है कि प्रधान मंत्री का इस मामले से कोई संबंध नहीं है तो फिर क्या यह आवश्यक है कि प्रधान मंत्री स्पष्ट रूप से इन्कार करें ? सरकार की ओर से वित्त मंत्री महोदय ने इन्कार कर दिया है।

एक बात यह उठाई गई है कि श्री मल्होत्रा, जिन्होंने अनधिकृत रूप से कार्यवाही की उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। चर्चा के दौरान यह बात भी सामने आई कि उन्हें पहले ही निलम्बित कर दिया गया था। इस संबंध में जाँच की गई और जाँच रिपोर्ट सरकार को पहले ही पेश की जा चुकी है, जो इस समय उसके विचाराधीन है। हमें स्थिति को समझना चाहिए और इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर किसी निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। इस मामले में मुख्य कार्यवाही श्री मल्होत्रा के विरुद्ध की जानी चाहिए थी क्योंकि, उन्होंने अनधिकृत रूप से कार्य किया और इस संबंध में पहले ही कार्यवाही कर ली गई है। श्री नागरवाला के बीमार होने का यह पहला अवसर नहीं था। उनका कई महीनों से इलाज चल रहा था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके मृत्यु के कारणों की जाँच की गई तथा जाँच कार्य अभी भी चल रहा है। अतः सदस्यों के इस संबंध में परेशान होने का कोई कारण नहीं है।

इस समूचे मामले में मुख्य बात श्री मल्होत्रा के रहस्यमय व्यवहार से संबंधित है। सरकार ने समग्र धनराशि तत्काल खोज निकालने की कार्यवाही की तो सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है तथा श्री मल्होत्रा के आचरण के कारण सरकार पर संदेह किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं जिससे सरकार पर संदेह किया जा सके। इसके विपरीत सरकार ने इस मामले में जो कार्यवाही की है उससे सरकार का मान बढ़ा है। आशा है कि सरकार इस मामले में समुचित कार्यवाही करेगी और समुचित समय के भीतर इस संबंध में घोषणा करेगी।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : हमें बहुत ही गैर-जिम्मेदार सरकार का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने इस घटना के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं दिया है और समूचा देश इस घटना से चिन्तित है। यह घटना इस शताब्दी का सबसे बड़ा धोखा है और तब भी सरकार वक्तव्य देने की इच्छुक नहीं है। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक आफ इण्डिया से भी कोई व्यक्तव्य नहीं मिला है। बैंक ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में इस घटना के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

इस प्रकार की घटना से किसी भी उन्नत देश में सरकार का पतन हो सकता है अथवा सरकार स्वयं त्यागपत्र दे देती। अभी तक जनता की सन्तुष्टि के लिए इस घटना के संबंध में सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

इस सभा में हम इस प्रश्न को इसलिए उठा रहे हैं कि बैंकिंग संस्थाओं की निष्ठा और उनमें न केवल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है वरन् वह इस देश की नैतिक परम्परा को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

जहाँ तक न्यायालय में चलाए जा रहे मुकदमे का संबंध है यह मुकदमा इतिहास में सबसे अधिक कृत्रिम मुकदमा है। यह मुकदमा जिस ढंग से निबटाया गया है उससे तथ्यों को देखने से यह प्रमाण मिलता है कि अभियोजक इस मामले को तीव्रता और शीघ्रता से दबाने के इच्छुक थे। न्यायालय इसे निपटाने तक ही इच्छुक था। इम मामले में मुकदमे की कार्यवाही सही ढंग से नहीं की गई और इसमें पुनः कार्यवाही की आवश्यकता है तथा मामला जाँच आयोग को भेजा जाना चाहिए।

सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने निजी प्रयोजनों के लिए पुलिस को सदैव अपना बनाया जाता है। स्टेट बैंक के निकट पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अफ० आई० आर० दर्ज नहीं कराई गई और उसे चाणक्यपुरी थाने में दर्ज कराया गया जो कि कुछ मील दूर है। चाणक्यपुरी पुलिस थाने में अपने एफ० आई० आर० में बैंक अधिकारी ने यह कहा कि श्री मल्होत्रा ने गलती से यह राशि ली थी और उसके लिए उसने रसीद देने से इन्कार कर दिया था। क्या श्री मल्होत्रा के विरुद्ध मुकदमा चलाये जाने के लिये यह पर्याप्त आधार नहीं है, लेकिन जिस एफ० आई० आर० के आधार पर मुकदमा चलाया गया वह न्यायालय में रद्द हो गया।

मुकदमे के रद्द होने का एक और कारण यह है कि पुलिस समुचित रूप से चालान नहीं करती और समुचित रूप से आरोपों का उल्लेख नहीं करती और न ही सही ढंग से न्यायालय के समक्ष मुकदमा पेश करती है।

सरकार ने अभी तक श्री मल्होत्रा पर मुकदमा चलाना उचित क्यों नहीं समझा। श्री मल्होत्रा ने प्रायः सभी कानूनों का उल्लंघन किया है। अतः इस मामले के लिए जाँच आयोग का गठन किया जाना चाहिए तभी जनता की शंकाओं का समाधान हो सकता है।

**श्री सी० एम० स्टीफन** (मुवत्तुपुजा) : मैंने इस मामले पर विरोधी पक्ष के सदस्यों के भाषण खुले मन से सुने। कांग्रेसी और संसद्-सदस्य के रूप में वास्तव में इन भाषणों में मुझे कोई भी ठोस बात नहीं मिली जो अन्तरात्मा को छू सके। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक गम्भीर बात है। अतः विरोधी पक्ष के लिए न्यायोचित यही है कि हमारी ओर से जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसे खुले मन से सुने।

सर्व श्री मनोहरन, जगन्नाथ राव जोशी और मुखर्जी जैसे विरोधी पक्ष के जिम्मेदार नेताओं से यह सुन कर प्रसन्नता हुई कि उन्होंने प्रधान मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया है। श्री नागरवाला ने भी अपनी मृत्यु से पहले बयान दिया था कि उन्हें प्रधान मंत्री के विरुद्ध बिल्कुल कुछ नहीं कहना है और प्रधान मंत्री इस मामले में शामिल नहीं हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र ने इस समूची बात को गैर-जिम्मेदार ठहराया। श्री मिश्र का अपना वक्तव्य बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य है। उन्होंने पुलिस, स्टेट बैंक, सत्तारूढ़ दल को बुरा बताया। विरोधी पक्ष को यह स्वीकार करना चाहिए कि इस देश में चुनाव हुए हैं और जनता ने अपना निर्णय दिया है, हमें यह मानकर चलना होगा कि सभी संस्थायें-न्यायपालिका, पुलिस, बैंक आदि ठीक से कार्य कर रहे हैं।

इस सम्पूर्ण दुःखद घटना में श्री मल्होत्रा और नागरवाला दो व्यक्ति हैं, जहाँ तक श्री मल्होत्रा का संबंध है वह या तो बिल्कुल सीधा है अथवा मूर्ख है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने नागरवाला के संबंध में तर्क दिया है। उन्होंने बताया कि नागरवाला ने एक विशेष स्थान पर प्रतीक्षा की और 60 लाख रुपया लिया और चुपचाप चल दिया। उनके पास बिना लाइसेंस का रिवाल्वर था जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। श्री बसु का सरकार को यह परामर्श देने में कोई तर्क नहीं है कि न्यायालय समाप्त किया जाय

और स्टेट बैंक आफ इन्डिया के चेयरमैन को निकाल दिया जाय क्योंकि नागरवाला 60 लाख रुपया निकाल कर ले गये थे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : यह घटना 12·30 पर घटी और सायं साढ़े चार बजे इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। चार घंटे तक आप क्या करते रहे ?

**श्री सी० एम० स्टीफन** (मुवत्तुपुजा) : हुआ यह कि चीफ कैशियर रुपये ले गया। दो व्यक्ति स्ट्रांग रूप में गए और वहाँ से धन लिया और उसे दर्ज कर दिया गया। उस व्यक्ति ने कहा कि वह वाउचर वापस कर देगा और यह कहकर वह चला गया। रिकार्ड से पता चलता है कि जब श्री मल्होत्रा बाहर गए तो डिप्टी चीफ कैशियर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** (धारापुरन) : डिप्टी चीफ कैशियर अथवा स्टेट बैंक का कोई अन्य कर्मचारी सीधे पुलिस के पास नहीं जा सकता।

**श्री सी० एम० स्टीफन** (मुवत्तुपुजा) : 60 लाख रुपए की पूरी रकम छः घण्टे के अंदर बरामद कर ली गई। इसके लिए पुलिस प्रशंसा की पात्र है।

सरकार को जो करना चाहिए था वह उसने किया है। अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई। पूरा का पूरा धन बरामद हो गया।

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the chair.* ]

**श्री एच० एम० पटेल** (ढुंढुका) : मुझे इस बात से बहुत दुःख हुआ है कि पूर्व वक्ता ने श्री नागरवाला को पक्का अपराधी ठहराया है इससे पता चलता है कि सत्तारूढ़ दल का इस मामले में क्या रुख है। इस मामले पर हमें उदार दृष्टिकोण से विचार करके सच्चाई तक पहुँचना चाहिए।

शुरू से ही वित्त मंत्री ने मामले को यह कहकर स्पष्ट करना चाहा कि यह धन करेंसी चेस्ट से निकाला गया। इस चेस्ट से धन निकालने की प्रक्रिया काफी जटिल है। जब करेंसी चेस्ट में नोट रख लिए जाते हैं तो उनका परिचालन बंद हो जाता है। बिना रिकार्ड में दर्ज किए करेंसी चेस्ट से धन नहीं निकाला जाता है।

26 मई, 1971 को श्री पीलू मोदी द्वारा पेश किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्य मंत्री श्री के० आर० गणेश ने कहा था कि करेंसी चेस्ट से धन निकालने के लिए उत्तरदायी कैश के प्रभारी अधिकारी तथा डिप्टी चीफ कैशियर के अनुसार श्री मल्होत्रा ने उन्हें बताया कि वह धन किसी भारी भुगतान के लिए आवश्यक था। क्या किसी व्यक्ति को मात्र इतना कहने पर ही करेंसी चेस्ट से धन निकालने की अनुमति दी जा सकती है ? वित्त मंत्रालय ने अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी कि वास्तव में यह कैसे हुआ। पूरे एक वर्ष के बाद भी स्टेट बैंक ने इस मामले से सम्बद्ध इन तीन व्यक्तियों के बारे में क्या किया है ? डिप्टी कैशियर तथा डिप्टी चीफ कैशियर को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि करेंसी चेस्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें भारी

धन राशि का प्रश्न है इतनी बड़ी धन राशि का तुरन्त पता किस प्रकार लगाया जाता है और इसे बाहर से प्राप्त मौखिक निदेशों तथा स्टेट बैंक से प्राप्त मौखिक निदेशों के आधार पर कैसे निकाला जा सकता है ?

यदि सरकार भी नागरवाला के मामले में इतनी तत्परता से कार्यवाही कर सकती है तो उसने श्री मल्होत्रा के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की ?

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वह पूरी जानकारी दें और इस मामले की संसदीय जाँच करायें ।

**वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण)** : मुख्य प्रश्न यह है कि जहाँ तक स्टेट बैंक आफ इन्डिया से 60 लाख रुपए निकालने का संबंध है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार को इस मामले में क्या कार्यवाही करनी है ।

पहले ही दिन सरकार ने एक वक्तव्य दिया था । यह सारी घटना 24 मई, 1971 को 12·00 बजे से 12·30 बजे के बीच हुई । वक्तव्य में बताया गया था कि श्री मल्होत्रा कार में रुपये ले गए और श्री नागरवाला से मिले तथा वे रुपये उसकी टैक्सी में रख दिए । उसके जाने के बाद श्री मल्होत्रा को कुछ संदेह हुआ और वह प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर गये और उसके बाद संसद् भवन आये । उन्हें बताया गया कि प्रधान मंत्री की ओर से उन्हें कोई फोन नहीं किया गया । लगभग 2·30 बजे पुलिस को सारे मामले का पता चला । 2·30 बजे ही छानबीन शुरू हो गई । आठ घण्टे में सरकारी व्यवस्था ने न केवल मामले की गंभीरता को ही समझा और तत्परता से कार्यवाही की अपितु मामले को सफलतापूर्वक निपटाया । श्री बसु ने स्वयं पुलिस के इस कार्य की प्रसंशा की थी । श्री एच० एम० पटेल ने इस मामले में रोष प्रकट किया है । यदि श्री पटेल प्रभारी अधिकारी होते तो वह इस स्थिति में क्या करते ? हमारे देश में कानून की व्यवस्था है । हमें समूचा मामला पुलिस पर छोड़ना पड़ा । पुलिस ने शीघ्र छानबीन आरम्भ की और उसने धन को तुरन्त ढूंढ़ निकाला तथा अपराधी को पकड़ लिया । श्री नागरवाला को मजिस्ट्रेट के सम्मुख ले जाया गया । वह बयान देने के लिए सहमत हो गया तथा उसने अपराध स्वीकार कर लिया । उसके बयान के अनुसार उसे दोषी सिद्ध किया गया और जब उसने उच्चतर न्यायालय में अपील की तो उच्चतर न्यायालय ने उस पर सिद्ध किए गए दोष को रद्द करते हुए मामले को दुबारा सुनवाई के लिए भेज दिया । किन्तु न्यायाधीश ने यह नहीं कहा कि उसका बयान सच्चा नहीं है । न्यायाधीश ने कहा है कि श्री नागरवाला को पर्याप्त समय नहीं दिया गया अतः यह आवश्यक है कि इसे वापस लिया जाये । उन्होंने विशेष रूप से यह कहा है कि मैं इस बात पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता कि उसने अपना दोष स्वतः, स्वेच्छा से स्वीकार किया है अथवा नहीं ।

कुछ सदस्यों ने पूछा है कि श्री मल्होत्रा के विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया । श्री गणेश ने पहले ही दिन के वक्तव्य में बताया था कि श्री मल्होत्रा इस समय निलम्बित हैं और विश्वास भंग के लिये उन पर धारा 409 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है । यदि न्यायालय ने उन्हें छोड़ दिया तो इसमें सरकार क्या कर सकती है । श्री मल्होत्रा अभी भी निलम्बित हैं और उसके विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार विभागीय जाँच की जा रही है ।

प्रश्न यह है कि श्री मल्होत्रा पर श्री नागरवाला के साथ मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। श्री मल्होत्रा पर इसलिये मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि न्यायपालिका का यह विचार था कि ये दो अलग-अलग मामले हैं और इसके तथ्य बिल्कुल अलग हैं।

**श्री के० मनोहरन** (मद्रास उत्तर) : क्या में चह्वाण साहब से पूछ सकता हूँ कि वे संसदीय जाँच करवाने के लिये तैयार हैं अथवा नहीं।

**वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण)** : नहीं।

**तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गये।**
**Some hon· Members then left the House.**

एक प्रश्न बार-बार पूछा गया कि यह धन किसका है। जब तक धन करेंसी चेस्ट में रहता है तब तक यह भारतीय रिजर्व बैंक का रहता है किन्तु जैसे ही इसे परिचालन के लिये निकाला जाता है यह स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा किसी अन्य बैंक का हो जाता है। प्रश्न उठता है करेंसी चेस्ट कैसे ख़ोला गया। इसे दो व्यक्तियों ने खोला एक तो कैस के प्रभारी अधिकारी थे और दूसरे चीफ कैशियर स्वयं श्री मल्होत्रा। करेंसी चेस्ट में दो ताले लगे थे और जब तक दो व्यक्ति उसे न खोलें तब तक वह नहीं खोली जा सकती है। वे दौनों वहाँ मौजूद थे। उन्होंने या तो धन निकलवाया या जमा करवाया। उन्होंने रजिस्टर में भी इसे दर्ज किया और अपने हस्ताक्षर भी किये। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि श्री मल्होत्रा ने अजीब ढंग का आचरण किया और उसी के कारण यह सब कुछ हुआ। दुर्भाग्यवश श्री नागरवाला तथा वह पुलिस अधिकारी जिसने मामले की जाँच की थी दिवंगत हो गये। जहां तक नियमों का सम्बन्ध है उनमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दिया जाता है और वह उसका गलत ढंग से उपयोग करता हैं तो क्या किया जा सकता है। 60 लाख रुपये का ले जाना निश्चिय ही एक महत्वपूर्ण मामला है जिसकी हम जाँच कर रहे हैं। हम इस बात का पता लगायेंगे कि यह कैसे हुआ किन्तु यह लोकतंत्र, बैंक और जनता के साथ धोखे की बात नहीं है। सारी बात स्पष्ट है और कोई भी बात नहीं छुपायी गयी है। इस मामले के समस्त तथ्य या तो न्यायपालिका के समक्ष हैं अथवा उन्हें संसद के समक्ष रखा गया है।

यह कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है अथवा कुछ न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति कर दी गई। असली बात तो यह है कि अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश की, जिन्होंने श्री नागरवाला के विरुद्ध सिद्ध किये गये दोष को रद्द किया था, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति कर दी गई। श्री मल्होत्रा और उनके वर्तमान दर्जे के विषय में प्रश्न पूछा गया है। उनका वर्तमान दर्जा यह है कि वह अभी निलम्बित हैं, हालाँकि इस मामले को खारिज कर दिया गया है तथापि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

इस विशेष मामले में सरकार का रवैया पूर्णतया सही रहा है। हम कोई भी बात छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम इस देश में कानून की व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रत्येक कदम सही उठा रहे हैं तथा भविष्य में भी सही कदम उठाते रहेंगे।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) आपने अपने वक्तव्य में बताया है कि जब श्री मल्होत्रा को ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वह पहले प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर तथा बाद में संसद भवन आये। यदि यह सच है तो उसे यह खयाल था कि प्रधान मंत्री अथवा उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति ने उसे हिदायतें दीं, इसका क्या रहस्य है ?

**श्री यशवंतराव चह्वाण** : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि श्री मल्होत्रा ने बहुत असंगत आचरण किया है, मैं उस व्यक्ति के असंगत आचरण का तर्क संगत स्पष्टीकरण कैसे दे सकता हूँ। ऐसा करना मेरे लिये बहुत कठिन है।

अब जब कि मामला न्यायालय के पास है ऐसे में विभागीय जाँच नहीं की जा सकती है। जब सम्पूर्ण मामले की जाँच हो जायेगी तो उनसे स्पष्टीकरण माँगा जायेगा।

**श्री के० बालतण्डायुतम** (कोयम्बटूर) : क्या पहले भी सरकार ने इस प्रकार धन निकाला है ?

**श्री यशवंतराव चह्वाण** : मैं सदन को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने इस तरीके से कभी भी धन नहीं निकाला।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिपक्ष ने इस विषय पर चर्चा की माँग की थी और यह माँग स्वीकार की गई। मुझे हर्ष है कि मामले पर अंतिम रूप से चर्चा हो गई है और मुझे आशा है कि इस मामले में अब और चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

**इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 31 मई, 1972/10 ज्येष्ठ, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

*The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, May* 31, 1972/*Jyaistha*, 10, 1894 (*Saka*)

New India Printing Press, Khurja